राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

बुधवार,

दिनांक 28-8-1968

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.3 को विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारंभ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, विधि, उद्योग, जन-स्वास्थ्य, गृह, सार्वजनिक उपक्रम व समाज-कल्याण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण !

डूंगरगढ़ नगरपालिका के कुए

31. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) :** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) डूंगरगढ़ नगरपालिका के कितने कुए हैं और कौन कौन से ?

(2) इन कुओं से पानी निकालने की क्या व्यवस्था है ?

(3) नगरपालिका ने अपने कितने कुए किस किस ठेकेदार को कब कब तक के लिए किस किस शर्त पर पानी नागरिकों को पिलाने के लिए ठेके पर दे रखे हैं ?

(4) इन कुओं में से किस किस कुए पर नगरपालिका के खर्चे से या नागरिकों के खर्च से बनाये गये बाग हैं ?

(5) इन बागों को पानी देने और ठीक रखने की क्या व्यवस्था है ? उस पर कितना कितना खर्चा आता है ?

(6) क्या यह सही है कि पानी की और बागों की अव्यवस्था तथा जल संकट और अनुचित ढंग से अनियमित तौर से ठेका देने की शिकायत जिलाधीश और सरकार के पास बड़ी तादाद में आई है और वहां इनके लिए आम सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़तालें हुई हैं ?

(7) यदि हां, तो ये शिकायतें कब आईं ? इन पर क्या कार्यवाही की गई ? अब क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था करने का राज्य सरकार का इरादा है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन: (श्री मुल्कराज-चिन्द) : (1) डूंगरगढ़ नगरपालिका के सात कुए हैं।

1. कुआं गोशाला,
2. कुआं व्यापारियान,
3. कुआं तेलियान,
4. कुआं साचणीयान,

Page No. 2

(श्री मुल्कराज सिंह)

5. कुआं आसू भादू,
6. कुआं मण्डोयान,
7. कुआं छीमान (यह बन्द है)

(2) दिनांक 1–2–68 से पूर्व कुओं से पानी नगरपालिका द्वारा ही निकाला जाकर जनता में वितरण किया जाता था। कुओं से बिजली की मोटर एवं पम्प से पानी निकाला जाता है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, क्या बोल रहे हैं मंत्री जी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : इनको मल्टी परपज हायर सेकेन्डरी स्कूल में भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष : पहला पाठ है। उदार दृष्टि से देखिये।

श्री मुल्कराज सिन्ह : (3) तीन कुए (1) साचणीयान (2) व्यापारियान (3) तेलियान दिनांक 1–2–68 से पांच वर्ष की अवधि के लिए श्री रामेश्वर लाल को 250.00 प्रति कुआं प्रति वर्ष के हिसाब से, एक कुआं (आसू भादू) दिनांक 1-5-68 से एक वर्ष की अवधि के लिए श्री हीरावत को 325.00 प्रति वर्ष की दर पर ठेके पर दिये गये है। ठेके पर दिये गये कुओं का समस्त व्यय बिजली आदि व मरम्मत का ठेकेदार वहन करेगा।

कई माननीय सदस्य : कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं वापिस रिहर्सल करा दूंगा।

श्री मुल्कराज सिन्ह : मामला जिलाधीश के पास जांच में है व सम्बन्धित पत्रावलियां जांच में होने से ठेकों की शर्तों सम्बन्धी सूचना नहीं दी जा सकी है।

(4) कुआं मण्डोयान के पास गांधी पार्क नगरपालिका के व्यय से तथा कुआं साचणियान के पास नेहरू बाल उद्यान, नगरपालिका के व्यय व सरकार के अनुदान तथा जनता के चन्दे की राशि से बनाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आप इसको प्रारम्भ से ही शुरू कर दें। माइक के समक्ष मुंह रखें।

श्री मुल्कराज सिन्ह : (i) डूंगरगढ़ नगरपालिका के सात कुए हैं :—

(1) कुआं गोशाला,
(2) कुआं व्यापारियान,
(3) कुआं तेलियान,
(4) कुआं साचणीयान,
(5) कुआं आसू भादू,
(6) कुआं मंडीयान,
(7) कुआं छीपान (यह बन्द है)

(2) दिनांक 1-2-68 से पूर्व कुओं से पानी नगरपालिका द्वारा ही निकाला जाकर जनता में वितरण किया जाता था। कुओं से बिजली की मोटर एवं पम्प से पानी निकाला जाता है।

(3) तीन कुए (1) साचणीयान (2) व्यापारियान ( ) तेलियान दिनांक 1–2–68 से पांच वर्ष की अवधि के लिये श्री रामेश्वर लाल को 250.00 प्रति

(श्री मुल्कराज चिन्द)
कुआं प्रति वर्ष के हिसाब से और एक कुआं (आसू भादू) दिनांक 1-5-68 से एक वर्ष की अवधि के लिये श्री हीरावत को 325.00 प्रति वर्ष की दर पर ठेके पर दिये गये हैं। ठेके पर दिये गये कुओं का समस्त व्यय बिजली मरम्मत आदि का ठेकेदार वहन करेगा।

मामला जिलाधीश के पास जांच में है, व सम्बन्धित पत्रावलियां जांच में होने से ठेकों की शर्तों सम्बन्धी सूचना नहीं दी जा सकी है।

(4) कुआं मण्डीयान के पास गांधी पार्क नगरपालिका के व्यय से तथा कुआं साबणियान के पास नेहरू बाल उद्यान नगरपालिका के व्यय व सरकार के अनुदान तथा जनता के चन्दे की राशि से बनाये गये हैं।

(5) बागों को पानी कुओं से दिया जाता है। देखभाल के लिये दो कर्मचारी नियुक्त हैं व इस हेतु चालू वर्ष के बजट में 1689.00 रुपयों का प्रावधान स्वीकृत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, ये स्वयम् पढ़ रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं कि ये क्या पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! सब पता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मौखिक रूप से कहलाइये।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्नों से पता लग जावेगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह भैंसवाड़ा की स्कूल में पढ़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! यह भी अच्छी स्कूल है।

श्री मुल्कराज चिन्द : (6) मंत्री, नव युवक संघ, कालूवास, डूंगरगढ़ ने प्रशासक, नगर पालिका, डाईरेक्टर लोकल बॉडीज, राजस्थान, जयपुर, व जिलाधीश, चुरू, को शिकायत पेश की है। प्रशासक, नगरपालिका की सूचनानुसार कस्बे में कोई सभा व हड़ताल नहीं हुई। कुछ नागरिकों तथा छात्रों द्वारा जुलूस निकाला गया था।

(7) शिकायत डाइरेक्टर लोकल बॉडीज के पास दिनांक 5-6-68 को प्राप्त हुई है। उप जिलाधीश, रतनगढ़ ने दिनांक 26-6-68 को डूंगरगढ़ पहुंच कर जांच की है। मामला जिलाधीश के विचाराधीन है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, नेक्स्ट क्या ?

यह रामायण सुनाई ही नहीं दी पूरी तरह से उसके बावजूद भी मैं प्रयत्न करूंगा मेरे ज्ञान के आधार पर।

श्री अध्यक्ष : यह उदार नीति होगी।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : परिणाम क्या निकला ?

श्री दौलतराम सारण : तीन कुए पांच साल के लिये दिये, एक कुआं एक साल के लिये दिया। 250 रुपये में ठेका दिया गया। इसके विरुद्ध गांव में आन्दोलन हुआ। पानी ठेकेदार देता नहीं। ठेका एक आदमी को दे दिया

(श्री दौलतराम सारण)
जिस आदमी को ठेका दिया गया वह वास्तव में ठेकेदार नहीं हैं, वह तो दस्तखत करने वाला है। एक रिटायर्ड को ठेका दे दिया बाग सूख गया। गांव में पानी की बड़ी तकलीफ रहती हैं और आप कह रहे हैं कि बिलकुल ठीक है जब कि वहां आन्दोलन हुऐ हैं। मैं मौके पर जाकर देख कर आया हूं।

श्री मुल्कराज थिन्द : उपजिलाधीश ने डूंगरगढ़ जाकर 26-6-68 को जांच की है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वही जवाब पढ़ कर दे रहे हैं।

श्री मुल्कराज थिन्द : उप-जिलाधीश डूंगरगढ़ पहुंचे और 26-6-68 को जांच की है। उपजिलाधीश, रतनगढ़ नहीं पहुंचे हैं 26-8-68 को जिलाधीश से सम्पर्क किया है। जानकारी ज्योंही मिल जायगी कार्यवाही सर्व प्रथम की जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : उपजिलाधीश, रतनगढ़ जांच करने कब गये ?

श्री मुल्कराज थिन्द : 26-6-68 को।

श्री दौलतराम सारण : जांच रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई ?

श्री मुल्कराज थिन्द : जिलाधीश से मालूम हुआ है कि परसों ही रिपोर्ट मिली है। वह रिपोर्ट सरकार को मिल जावेगी त्योंहीं कार्यवाही की जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : रिपोर्ट के अन्दर क्या फैक्ट्स आये है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : रिपोर्ट आने पर पता चलेगा।

श्री दौलत राम सारण : वह तो आ गई है न ?

श्री मुल्कराज थिन्द : जिलाधीश के पास पहुंच गई है। वह हमें प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बीरबल !

गंगानगर जिले की सड़कों के अधूरे कार्य

32. श्री बीरबल (संगरिया, सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्री गंगानगर जिले में कौन-कौन सी पक्की सड़कों का कार्य अधूरा है? ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार इन अधूरी सड़कों को वर्ष 1968–69 में पूरा कर देगी ?

(3) क्या यह सही है कि कई अधूरी सड़कों का कार्य दस साल पहले शुरू हुआ था ? अगर हां, तो उन सड़कों को पूरा करने में क्यों विलम्ब हुआ ?

(4) क्या ऐसी सड़कों को सम्पूर्ण करने में प्राथमिकता दी जावेगी ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा): (1) सूची (अ) प्रस्तुत है

(2) जी नहीं

(3) सिर्फ दो सड़कों का काम दस साल पहले चालू किया था। देरी का कारण भूमि अवाप्ति और खानों में माल की कमी रही है।

Page No. 5

(श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा)

(4) जी हां ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत(भीम): आपने पहले प्रश्न के उत्तर में क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया सो कह दिया ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : सुनाई में नहीं आया, अध्यक्ष महोदय। उनमें से केवल तीन सड़कें बताईं ।

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : संगरिया से टीबी 5 सड़कें है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मेरी अर्ज यह है कि इसके अलावा और भी अधूरी सड़कें हैं। आपने जो सूची दी है संगरिया से टीबी, हरिपुरा से पंजाब बोर्डर पर अधूरी हैं ।

श्री माधोसिंह भेंसवाड़ा : आपने ऐसी सूचना दी है तो देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष: पूरी भी करा दी जायंगी ।

श्री माधोसिंह : पूरी तो अध्यक्ष महोदय, कैसे होगी वह तो आर्थिक स्थिति स्टेट की होगी तब हो होगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस संख्या में बोर्डर रोड्स शामिल हैं या नहीं ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं, इसमें शामिल नहीं हैं ?

श्री भैरोंसिंह : शामिल नहीं हैं। ये फिर शामिल क्यों नहीं है ?

श्री माधोसिंह : जो प्रश्न किया गया है, उसका जवाब दे दिया गया है । जिस प्रकार की सड़कों के बारे में पूछा गया है उसके अन्दर बोर्डर रोड्स की सड़कों का नाम नहीं है । बोर्डर रोड्स का प्रश्न पूछा जायगा तो जवाब दे दिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : गंगानगर जिले में इस प्रकार की सड़कों का कौन कौन सा कार्य अधूरा पड़ा है ? इसमें आपने बोर्डर रोड को कैसे अलग कर दिया ?

श्री माधोसिंह : इसका कार्य अलग से चल रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : चल नहीं रहा है जवाब अधूरा है । आप बोर्डर रोड के बारे में जानकारी देते ।

श्री माधोसिंह : क्वेश्चन में सब शामिल हैं । बोर्डर रोड का काम सब जगह चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह : बोर्डर रोड कौन कौन सी हैं, यह बता दें तो मैं आपकी जानकारी जान लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : ये मंत्री महोदय अकल से बात नहीं करते हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जो सदन को जानकारी दी गई है, वह अधूरी दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : जानकारी अधूरी है क्या ?

श्री माधोसिंह : बोर्डर रोड्स के लिये दूसरी सड़कें हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या तीन में बताया गया है दो सड़कों का काम अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया, पूरे न होने के क्या कारण हैं ? ये कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री माधोसिंह : संगरिया वाली सड़क का काम चल रहा है। उस सड़क के अन्दर 3-4 फर्लाङ्ग का झगड़ा चल रहा है इसलिये पूरी नहीं हुई है। और दूसरी के अन्दर लैन्ड एक्वीजीशन का नोटिस दे दिया गया है इसलिये काम पूरा नहीं हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : झगड़ा तो चलाया गया है, चल नहीं रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : बाकी उस 3-4 फर्लाङ्ग को छोड़कर तो पूरा करना चाहिये था।

श्री माधोसिंह : जितना एरिया उपलब्ध है, उतने पर पूरा हो गया है। ठेकेदार ने कहा कि माल नहीं है तो माल की व्यवस्था की जायगी इसलिये वह अधूरी है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह अब कब तक पूरी करा दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : माननीय उपमंत्री जी ने सारे हिन्दुस्तान की सड़कें बता दी लेकिन जो पूछी गई वह नहीं बताई :

श्री अध्यक्ष : क्या यह सत्य है ?

श्री माधोसिंह : वह मुझ से ज्यादा घूमती है, मैं तो . . .

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भगवान दास शास्त्री।

हिल स्टेशन भ्रमण के लिये विद्यार्थियों को सुविधायें।

33. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सहायता प्राप्त स्कूलों को छुट्टियों के समय विद्यार्थियों के हिल स्टेशन भ्रमण के लिये सरकार सहायता देती है ? यदि हां, तो मई, 1968 में ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र किन किन पाठशालाओं से आये और किन किन पाठशालाओं को कितनी कितनी धनराशि प्रदान की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन स्कूलों को उपरोक्त सहायता दी गई थी क्या उनके कैम्पों का जून, 1968 में माऊन्ट आबू में शिक्षा विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उसका रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी द्वारा मीरां सेकेन्डरी स्कूल के विद्यार्थियों के कैम्प का निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारी

(श्री भगवानदास शास्त्री)
को यह बताया था कि उनको भोजन मिलने में भी कठिनाई है ? यदि हां, तो स्कूल के मालिक अथवा व्यवस्थापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? और क्या सरकार उन्हें दी गई सहायता की धनराशि उनसे वापिस वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

(5) क्या यह सही है कि विद्यार्थियों से रेल किराया पहले ही वसूल किया गया था। यदि हां, तो क्या वह किराया लौटाया गया है ? यदि हां, तो किस किस को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न सं. 32 में एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री महोदय, दूसरा सवाल ले लिया है मैंने।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : पूछने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : 67–68 में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि नोहर जिले की रोड्स पूरी कर दी जायेंगी, लेकिन उसके बारे में कोई प्रगति नही हुई है।

श्री माधोसिंह : धनाभाव के कारण उसको पूरी नहीं की जा सकी है।

श्री अध्यक्ष : क्या आश्वासन दिया गया था ?

श्री रामचन्द्र आर्य : सदन में बार बार आश्वासन दिया गया है। तीन मील का एक टुकड़ा है उसको जोड़ने को था।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : उत्तर दीजिये।

श्री माधोसिंह : जो सड़क प्लान में मंजूर नहीं थी, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, प्लान में जो मंजूर थी उसको किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्लान में मंजूरी थी क्या ?

श्री रामचन्द्र आर्य : प्लान में कैसे मंजूर नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर प्लीज ! यह सड़क माननीय सदस्य बता रहे हैं वह प्लान में थी या नहीं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आश्वासन दिया वह मेरे पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : सड़क का नाम। नाम बता दीजिये सड़क का।

श्री रामचन्द्र आर्य : सिरसा रोड है। यह तीन मील का टुकड़ा है वह पूरा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : नाम आ गया है।

श्री माधोसिंह : प्लान के अन्दर मंजूर नहीं थी इसलिये पूरी नहीं हुई।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है····

Page No. 8

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : यह उत्तर गलत है। यह पूरी सड़क प्लान में है और माननीय मंत्री महोदय जो उत्तर दे रहे हैं यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है? ये कह रहे हैं यह सड़क प्लान में थी?

श्री माधोसिंह : प्लान के अन्दर जो सड़कें थीं उन पर काम चालू है। आपने फरमाया उस समय प्लान में मंजूर नहीं थीं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि प्लान के अन्दर वह सड़क नहीं थी? वह उसी में है। आप गलत उत्तर दे रहे हैं। इससे सारे राजस्थान व पंजाब का आवागमन रुका हुआ पड़ा है। यह सब आपकी XX का उत्तर है।

(शोर गुल, अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल व्यास (मासीद) : यह गलत शब्द का प्रयोग किया गया है, इसको प्रोसीडिंग्स से निकाला जाय।

श्री दौलतराम सारण : कोई गलत नहीं है।

कई माननीय सदस्य : कोई गलत नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाय तो अध्यक्ष महोदय यह बिलकुल गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : किस संदर्भ में कहा गया है, उसको मैं देख लूंगा।

XX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य (जोर की आवाज में) (श्री आर्य द्वारा लगातार बोलते रहने पर) माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। (जोर की आवाज में) स्थान ग्रहण करें। मेरे पास प्रश्न कई हैं। हमेशा 10-12 प्रश्न रह जाते हैं। दूसरों को सुविधा दीजिये।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, इतना सा बता दीजिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

शिक्षा मंत्री जी, बोलिये।

श्री आलमअली खां : ये भी अधूरो राख्यों तो भी अधूरो...

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) सहायता प्राप्त अथवा राजकीय शालाओं में किसी को भी हिल स्टेशन भ्रमण करने के लिये सहायता देने के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है और न ही मई, 1968 में किसी सहायता प्राप्त संस्था को हिल स्टेशन भ्रमण के लिये किसी प्रकार की सहायता दी गई है।

(2) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) मीरा सैकन्डरी स्कूल, अजमेर सहायता प्राप्त संस्था नहीं है अतः निरीक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(राव श्री धीरसिंह)

(4) यह सहायता प्राप्त संस्था नहीं है।

(5) शिक्षा विभाग का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : सूची सदन की मेज पर रखें तीन खंड में सूची मांगी है। वह सदन में नहीं हैं। हम तो सदन में गरिमा रखते हैं और सरकार बराबर टाल देती है। सूची मैंने मांगी तो भी नहीं मिली। हम सदन की गरिमा रखते हैं माननीय मन्त्री को भी कम से कम जो कहा है सूची का वह तो रखनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसमें सूची की आवश्यकता नहीं है आपकी सूची का सवाल प्रश्न के उत्तर में आगया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सत्य है कि 3 हजार रुपया मई मास में जो व्यवस्थापक मीरां स्कूल हैं उनको राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है ?

राव श्री धीरसिंह : मैं शिक्षा विभाग से सम्बन्धित जवाब दे रहा हूं शिक्षा विभाग से नहीं मिला और किसी विभाग से मिला होगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : अगर शिक्षा विभाग से धन प्राप्त नहीं हुआ है तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, वहां के बच्चों को रोटी नहीं मिलती एक टाइम चाय और डबल रोटी देते थे, जब बच्चों की उक्त शिकायत आयी तो किस आधार पर जांच की ?

राव श्री धीरसिंह : जहां तक शिक्षा विभाग से हिल स्टेशन भ्रमण करने की सुविधा देने का प्रश्न है वह तो नहीं दी गई उस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग को जांच करने की आवश्यकता नहीं। अब आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार अगर इस प्रकार की कोई अव्यवस्था है तो जानकारी लेकर के व्यवस्था को ठीक कर दिया जायगा। शिक्षा विभाग से हिल स्टेशन भ्रमण के लिये कोई अनुदान नहीं मिला। वैसे तो हमारा जुरिस्डिक्शन तो नहीं है फिर भी कोई अव्यवस्था है तो उसको हम देख लेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ हो लेकिन आपके विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया उस संस्था के बच्चों को समय पर रोटी नहीं मिली। जो बच्चे भ्रमण के लिये गये उसमें से आधे बच्चे तो उनके एक ही परिवार के थे दूसरे बच्चों से किराया तक ले लिया लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी। इस मामले की शिक्षा विभाग ने जानकारी की है। उसने इन्क्वायरी की है, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक और कांग्रेस के मंत्री डा. पोहूमल इस संस्था के व्यवस्थापक हैं जो पचास बच्चों को आबू ले गये थे जिनमें पच्चीस बच्चे तो उन्हीं के कुटुम्ब के थे जिन बच्चों को लेगये उनको वहां कुछ नहीं खिलाया वे बच्चे वहां भूखे रहते थे। वहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इन्क्वायरी की। हिल स्टेशन बच्चों की सेहत बढाने के लिये जाते हैं लेकिन उन बच्चों की हालत वहां जाकर गिर गई। यह आपके लिये बड़ी शर्म की बात है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा विभाग की अनुमति के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
बिना कोई हिल स्टेशन बच्चों को लेकर जा सकता है ? आखिर राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूल के बच्चों को हिल स्टेशन लेजाने की अनुमति दी होगी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य बहुत कह चुके। नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह।

मकराना में पंचवीरों का चबूतरा

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र मकराना में गोडा बास मोहल्ले में एक चबूतरा था जहां पांच देवताओं की मूर्तियां थीं तथा वह पंचवीरों के चबूतरे के नाम से प्रसिद्ध था ?

(2) क्या यह सही है कि उस चबूतरे की जमीन को किसी व्यक्ति विशेष ने अपने घर में नाजायज तौर पर मिलाने के लिये उस चबूतरे को समूचा नष्ट कर दिया ? अगर हां तो उस व्यक्ति का क्या नाम है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द): नगरपालिका क्षेत्र मकराना में गोडा-वास मोहल्ले में एक पंचवीरों का चबूतरा था तथा इसी नाम से प्रसिद्ध था। मूर्तियां होने संबन्धी जानकारी नहीं है।

(2) चबूतरे की नींव भरी हुई है व चबूतरे की भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है।

श्री विजयसिंह : इन मूर्तियों को किसने डिसमेन्टल किया है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : प्रशासक को आदेश दिया गया है कि वे इस बात की जानकारी कर रिपोर्ट दें कि किसने इसको डिसमेन्टल किया है।

श्री विजयसिंह : यह जानकारी कब तक मिलने वाली है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : कल ही आदेश दिया है उनसे जानकारी प्राप्त होने पर ही बता सकता हूँ।

श्री विजयसिंह : यह जानकारी कब तक प्राप्त होगी ?

श्री मुल्कराज थिन्द : शीघ्र ही जानकारी मांगी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह चबूतरा किस की प्रोपर्टी थी ?

श्री मुल्कराज थिन्द : यह मैं नहीं कह सकता प्रशासक की रिपोर्ट आने पर ही बतला सकता हूँ।

श्री विजयसिंह : यह प्रोपर्टी किसकी थी ?

श्री मुल्कराज थिन्द : इसी की जानकारी के लिये प्रशासक को लिखा है।

श्री विजयसिंह : प्रशासक ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : प्रशासक ने लिखा है कि यह मूर्ति ऐसी थी जिसको हिन्दू मुसलमान दोनों मानते थे और कोई विवरण नहीं है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों विवाह के बाद इसकी पूजा करते थे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई): दोनों इसको मानते थे ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मकराना में इस प्रकार हिन्दुओं के चबूतरों पर जबरदस्ती उनको गिराकर कब्जा किया जाता है । यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है रावण का टोबा जहां पर रावण जलाया जाता है उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया गोचर भूमि पर भी कब्जा कर लिया । आज वहां पाकिस्तानी एजेन्टों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मन्दिरों और मस्जिदों तक को पटका जाता है ।

श्री भीखाभाई : यह हम मानते हैं कि इस मूर्ति की पूजा हिन्दू और मुसलमान दोनों करते थे ।

श्री विजयसिंह : बदरू नाम का एक व्यक्ति है उसने इस चबूतरे को अपने मकान की दीवार मे शामिल करने के लिये इसको तोड़ा है आज भी उसके मकान में 20-25 मण का पत्थर जो चबूतरे का था पड़ा हुआ है जिसकी फोटोग्राफ भी मेरे पास है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । आर्डर प्लीज ।

श्री विजयसिंह : मेरा आसन से निवेदन है कि आप सी. आई. डी. के जरिये जांच करवाइये कौन व्यक्ति इसमें दोषी है सही स्थिति का पता लग सके ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

जयपुर नगर में स्कूलों की व्यवस्था

35. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में गत पांच वर्षों में कितने हायर सेकन्डरी स्कूल तथा कालेज खोले गये है ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षार्थियों की वृद्धि के अनुपात में नगर में शिक्षालयों की संख्या कम है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस कमी पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिये क्या योजना रखती है ?

(3) गत दस वर्षों में जयपुर जिले में कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले गये ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें और इन स्कूलों के अनुपात से कितने कालेज खोले गये हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) गत पांच वर्षों में जयपुर नगर में कोई सरकारी कालेज तथा हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं खोले गये । केवल 2 गैर सरकारी सहायता प्राप्त कालेज तथा 1 मान्यता प्राप्त हायर सेकेण्डरी स्कूल खोला गया है ।

(2) जयपुर नगर में सन् 67-68 के अन्त में 24 उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालायें (11 लड़कों की व 13 लड़कियों की) चल रही है । जो प्रति लाख जन संख्या पर 7 होती है जब कि राज्य स्तर पर प्रति जन संख्या पर केवल चार शालायें है । अतः यह कहना उपयुक्त नहीं है कि जयपुर नगर में शालाओं की संख्या कम है ।

(राव श्री धीरसिंह)

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। दो राजकीय एवं दो सहायता प्राप्त कालेज खोले गये।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या आप बता सकते हैं कि गत पांच वर्षों में जयपुर शहर में विद्यार्थियों की संख्या किस अनुपात में बढ़ी है?

राव श्री धीरसिंह : आपने यह प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मन्त्री महोदय प्रश्न का आप अवलोकन कीजिये इसमें स्पष्ट रूप से पूछा है शिक्षार्थियों की वृद्धि के अनुपात में नगर शिक्षालयों की संख्या कम है। जब अनुपात का प्रश्न आता है तो आपको, कितने अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, यह ज्ञान होना चाहिये?

राव श्री धीरसिंह : इसी के लिए तो स्कूल्स और कालेजेज में एडीशनल सेक्शन खोले हैं। यदि स्कूल के लिए बिल्डिंग दी जाती तो स्कूल भी खोल देते। पब्लिक द्वारा बिल्डिंग नहीं दिये जाने के अभाव में नये स्कूल नहीं खोले गये। स्कूल्स में ज्यादा सेक्शन खोलकर डबल शिफ्ट चलाकर विद्यार्थियों की मांग पूरी कर रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने प्रश्न के उत्तर में फरमाया कि राजस्थान में एक लाख की जन संख्या के पीछे चार स्कूल खोले जाते हैं। और जयपुर में सात खुल गये तो यह तीन परसेन्ट ज्यादा स्कूल यहां क्यों खोले गये और डबल शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी जब कि आपने यह क्राइटेरिया बना रखा है कि 1 लाख की आबादी पर 4 स्कूल खोलेंगे तो यहां सात खोलने की प्रक्रिया क्यों अपनायी गई? क्या कारण है कि दस सालों में जयपुर में एक हायर सैकण्डरी या सैकेण्डरी या कालेज नहीं खोला गया और प्रश्न हमसे किया जाता है कि पब्लिक वाले इमारत नहीं देते इसलिये नहीं खोलते। तो यह राज्य सरकार है या डाकुओं का गिरोह है जो लड़कों को पकड़ कर ले आवें···

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष प्लीज, संयत भाषा में।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आज सारा मन्त्रि मण्डल यह कहता है कि बिल्डिंग और रुपया दो तो स्कूल खोलें तो क्या यह राज्य सरकार है या डाकुओं का गिरोह बैठा है।

श्री अध्यक्ष : आपके लिये यह असंयत भाषा ठीक नहीं जमती।

राव श्री धीरसिंह : इसके लिये हमने एडिशनल सैक्शन खोल दिये क्योंकि यहां स्टूडेण्ट्स का रेशियो ज्यादा था। रूरल एरिया में कम रहता है। पर स्कूलों का रेशियो निकालते हैं आबादी के हिसाब से तो यहां और जगह से ज्यादा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : स्कूलों की आवश्यकता विद्यार्थियों पर होती है या पापूलेशन पर?

राव श्री धीरसिंह : इसलिये तो एडिशनल सैक्शन खोलकर डिमाण्ड को हमने मीट आउट किया है। अब इसके अलावा हमारी कण्डीशन भी है कि बिल्डिंग देंगे स्कूल के

(राव श्री धीरसिंह)
लिये सरकार को लोग तो वहां खोलने का विचार किया जा सकता है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या सरकार ने ऐसा कोई नियम बना रखा है, कानून है कि पब्लिक चन्दा इकट्ठा करके दे तो ही शिक्षा दी जावेगी । वरना तो राज्य सरकार की अपनी कोई इलीमेन्टरी ड्यूटी नहीं है । क्या ऐसा कानून बना दिया है राज सरकार ने ?

राव श्री धीरसिंह : कानून नहीं बनाया है पर धनाभाव के कारण यह प्रणाली अपनाई है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : सरकार द्वारा अपने विभिन्न दफ्तरों के लिये बिल्डिंगें बनाने और किराये पर लेने पर जो अन्धाधुन्ध पैसा खर्च किया जा रहा है वहां धनाभाव नहीं है ? क्या इस शिक्षा के ही लिये धनाभाव याद आता है ? आप इन 16 मन्त्रियों में से ही किन्हीं 6 को कम कर दीजिये, यहां की शिक्षा की जरूरत लायक धन इसी से निकल आवेगा ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो ये नियम निर्धारित कर रखे हैं वे नियम सभी जगह पूर्णतया समान रूप से लागू होते हैं ? मेरा आरोप है कि इन नियमों का पालन नहीं किया गया है । बिलकुल पार्टी बाजी के आधार पर स्कूलें खोली जाती हैं । मैं इसको प्रमाणित करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! उत्तर आने दीजिये पहले ।

राव श्री धीरसिंह : नये कालेज खुलवाना चाहते हैं तो पहले पब्लिक उसके लिये बिल्डिंग बनाकर दे या रुपया जमा कराये ।

श्री दौलतराम सारण : मैं साबित करूंगा कि बिना पैसे के, बिना बिल्डिंग के और यहां तक कि बिना पर्याप्त संख्या में स्टूडेण्ट्स के एक एक जगह चार चार स्कूल, कालेज खोले गये हैं । और दूसरी जगह मकान है, पैसा देने के लिये भी तैयार है पब्लिक और पढने वालों की संख्या भी पर्याप्त है वहां बहुत आग्रह के बाद भी आपने नहीं खोले हैं । आपके इस पक्षपातपूर्ण रवैये के उदाहरण एक नहीं अनेक है ।

राव श्री धीरसिंह : आप ऐसा बता दीजिये, हम देख लेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : मैं पेश कर सकता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इस वर्ष किसी भी स्कूल को खोलने या पदोन्नत करने की क्या सरकार कोई योजना रखती है ?

राव श्री धीरसिंह : किस जगह के लिये पूछ रहे है ?

श्री दुर्गालाल बाढदार : जयपुर के लिये ।

राव श्री धीरसिंह : इस तरह की कोई मांग इन्सपेक्टोरेट में या हमारे पास नहीं आई है पब्लिक की तरफ से । और कोई आवेगी और आप भवन की व्यवस्था के लिये तैयार होंगे तो विचार करेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि बिल्डिंग पब्लिक बनावे और पब्लिक ही पैसा दे तभी सरकार स्कूल या कालेज

Page No. 14

(श्री दौलतराम सारण)
खोले, यह कण्डोशन केवल देहाती क्षेत्रों पर लागू है, शहरी और नगरपालिका क्षेत्रों पर नहीं है ?

राव श्री धीरसिंह : नहीं, शहरों पर भी लागू है। इसलिये तो नहीं खोली हैं नहीं तो खुल जाती।

श्री दौलतराम सारण: क्या यह सही है ?

राव श्री धीरसिंह : जी नहीं। दोनों जगह समान नियम लागू हैं।

बड़े उद्योगों को ऋण

36. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(अ) राजस्थान के जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें राजस्थान सरकार द्वारा कितना कितना ऋण किस किस को दिया गया और उनमें कितना कितना रुपया बाकी है व कितना वसूल हो चुका है ?

(ब) जिन उद्योगों ने वक्त पर रुपया अदा नहीं किया है उनके खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री भीमसेन) : (अ) सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) समय पर देय किश्त प्राप्त होने पर अनुबन्ध पत्र की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। अभी तक केवल विजयनगर शुगर मिल्स से ऋण की वसूली नहीं हो सकी है। उसकी वसूली लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के द्वारा की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री गिरीसिंह (किशनपोल, जयपुर): जयपुर उद्योग में कितना बकाया है ?

श्री भीमसेन: कोई बकाया नहीं है।

राजवी श्री रूपसिंह : जिन बड़े बड़े उद्योगों या उद्योगपतियों को सरकार की तरफ से ऋण दिया जाता है तो देते वक्त दो बातों का ख्याल रखा जाता है कि नहीं...

उद्योग मन्त्र (श्री हरिदेव जोशी) : सुनाई नहीं देता अध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेन्टरी का जवाब देना है तो सुनकर ही तो दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न को पुनः दोहरा दीजिए।

राजवी श्री रूपसिह : बड़े बड़े उद्योगों के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकार की तरफ से जो ऋण दिया जाता है उस ऋण को देते वक्त क्या इस बात की जांच की जाती है कि आया वह पार्टी ऋण वापिस अदा करने की ताकत रखती है या नहीं ? दूसरी बात, उसको ऋण देते वक्त क्या इस बात की भी जांच की जाती है कि उसकी सिक्योरिटी ली जाती है या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : जे.के. सिंथेटिक्स को ऋण कब दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सूची में दे दिया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सूची मेरे पास नहीं आई। प्रश्नकर्ता के पास है, पर फिर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
भी हरेक सदस्य को यह जानने का अधिकार है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जांच करके जब ऋण देते हैं और सिक्योरिटी भी लेते हैं तो फिर यह एल. आर. ए. के अन्तर्गत कार्यवाही करने की क्या आवश्यकता पड़ गई ? ये दो बातें आपस में मेल नहीं खाती विरोधाभास है इनमें ।

श्री हरिदेव जोशी : यह एक केस में है। पुराने जमाने की बात है। आज की नहीं है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जे. के. सिंथेटिक्स को कब कब ऋण दिया गया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : चार ऋण दिये गये हैं और एक भी किश्त बकाया नहीं है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कब कब किस किस चीज के लिए दिया ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास में तारीखें तो नहीं है। किन्तु एक तीस लाख का था, दूसरा भी शायद इतना ही था तीसरा पचास लाख का और चौथा साठ लाख का था इनमें दो लोन थे दो गारन्टियां थीं। पर किसी की भी किश्त बकाया नहीं है। किस परपज के लिए है, यह तो कोटा में इन्डस्ट्री है इसके लिए है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि जे. के. सिंथेटिक्स को जो लोन दिया था वह एक विशेष परपज के लिए दिया था।

श्री हरिदेव जोशी : जो लोन जिस परपज के लिये दिया गया है उसका यूटोलाइजेशन हो चुका। कहीं कोई डिफाल्ट नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने एक सवाल पूछा था जयपुर उद्योग का कि उसको कितना ऋण दिया, उपमन्त्री जी ने कहा कि कोई नहीं है। ऋण का शेष इस का क्या मतलब है ?

श्री हरिदेव जोशी : किश्तें चुका दी हैं। कितना ड्यू रहता है यह पूछा गया, पर कोई किश्त ड्यू नहीं है यह कहा गया और ठीक कहा गया।

श्री भैरोंसिंह : एक सवाल और है, क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग में राजस्थान सरकार की किश्तें ड्यू थीं और चुनाव के पहले जयपुर उद्योग से चन्दा लेकर उस इन्सटालमेन्ट को करजे के रूप में नये सिरे से परिणित किया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा किया जावे। माननीय सदस्य के इस कथन को मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री भैरोंसिंह : किया है। 67 के पहले इन्सटालमेंट वसूल क्यों नहीं की ? क्यों पोस्टपोन किया ? उनकी एप्लीकेशन थी ऐसी कि सांजत में वह व्हाइट सीमेन्ट का कारखाना खोलना चाहते हैं इसलिए इस लोन को किश्त को फ्रेश लोन में कनवर्ट कर दिया जावे।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह किया है। उसने दर्खास्त दी है कि उसको इससे एग्जम्पट किया

(श्री भैरोंसिंह)
जावे और इसे ऋण में परिणित किया जावे और आपने चुनावों से पहले ऋण में परिवर्तित किया है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, पोजीशन यह थी कि· · ·

श्री भैरोंसिंह क्या यह सही है कि न उसकी कोई प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई गई है· · · : ·

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : जयपुर उद्योग लि. का प्राडक्शन जिस समय पहले लोन दिया गया था उसके मुकाबिले में आज 6 गुना है और उसको एक्सपेन्ड करने के लिए, रेनोवेशन करने के लिए उनकी डिमाण्ड काफी पहले से पेंडिंग थी, स्क्रूटिनाइज्ड था, प्राजेक्ट को स्वीकार किया गया है, प्रासेस किया गया है, उसके बाद में लोन दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस इन्सटालमेंट को नये लोन में परिणत किया गया वह इस एप्लीकेशन के ऊपर किया गया कि सोजत के अन्दर व्हाइट सीमेंट का कारखाना खोला गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : तो किस बात के लिए किया गया था ?

श्री हरिदेव जोशी : एक्सपेन्शन के लिए।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस इन्सटालमेन्ट को नये लोन में जिस समय परिणित किया गया उस समय इस प्रकार के एक्सपेन्शन के लिए कोई प्राजेक्ट रिपोर्ट न तो जयपुर उद्योग की तरफ से तैयार की गई थी और न सरकार की तरफ से ही ?

श्री हरिदेव जोशी : यह सही है कि उनके द्वारा एक्सपेन्शन के लिए एप्लाई किया गया था और उनकी एप्लीकेशन के ऊपर सेंक्शन दी।

श्री भैरोंसिंह : सेंक्शन के पहले एक्सपेन्शन के परपज के लिये पहले टेक्नीकल प्राजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। जयपुर उद्योग जिसके बारे में मैं कई बार कहता हूं राजस्थान की चोटी पकड़ कर यह साहू जैन उपस्थित हो रहा है। वह राजस्थान की जनता का पैसा है· · ·

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य का कहना बिलकुल सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह व विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य : सही है।

श्री हरिदेव जोशी : यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस साहू जैन ने सारे मंत्रियों की चोटी पकड़ रखी है· · ·

श्री विजयसिंह (मकराना) : साहू जैसे चोरों को राजस्थान से बाहर निकालें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य !

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि साहू जैन की काफी रकम मंत्रियों में भी बाकी है जिन्होंने फूटी कौड़ी भी नहीं चुकाई है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री भैरोंसिंह : मैं इसी के सम्बन्ध में कागज पेश करने के लिए तैयार हूँ जिसके बेसिस पर मैं बता सकता हूं कि एक्सपेन्शन के लिए कोई प्राजेक्ट रिपोर्ट नही थी और फिर भी इन्सटालमेन्ट को लोन में परिणित कराया गया। बल्कि सोजत के अन्दर व्हाइट सीमेन्ट के कारखाने के ऊपर इस इन्सटालमेन्ट को लोन के अन्दर कन्वर्ट कराया गया। या तो मंत्री जी रिपोर्ट पेश कर दें या फिर मैं कर दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास तो है ही नहीं। आपके पास है तो मुझे दे दीजिए।

श्री भैरोंसिंह : आप कह दीजिए कि आपके पास नही है।

श्री हरिदेव जोशी : आपके पास है तो दे दीजिए। मैं उसको देख लूंगा और एग्जामिन करा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं कि सोजत के नाम के ऊपर इस इन्सटालमेन्ट को लोन में कन्वर्ट कराया गया। मंत्रीजी कहते हैं कि एक्सपेन्शन के लिए दिया गया तो मंत्री महोदय दोनों कागजात पेश कर दें सदन की मेज पर।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़ा होने पर) माननीय प्रश्नकर्ता !

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : यह तो कोई बात नही है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज !

प्रश्नकर्ता !

राजवी श्री रूपसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हू कि जो लिस्ट मुझे दी गई है उसमें साफ तौर से यह नहीं बताया गया है कि किस किस पार्टी में कितना कितना रुपया-कैसे बकाया है और उसको बकाया को किस तरह से वसूली की जा रही है ? इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ? आया जिन्होंने सिक्योरिटी दी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है या जिनको रकम दी गई है उनकी प्रापर्टी से वह रकम वसूल की जा रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पार्टी को लोन देने के पहले अथवा गारन्टी देने से पहले गवर्नमेन्ट एक एग्रीमेन्ट करती है। वह एग्रीमेण्ट फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट अथवा राजस्थान फाइनेन्स कारपोरेशन अथवा जो भी लोनिंग एजेन्सी है उसके द्वारा स्वीकार होकर के वह किया जाता है। जो रेट आफ इन्टरेस्ट रिजर्व बैंक की होती है गवर्नमेन्ट आम तौर से उसको ही रखती है। इन पिछले 4 वर्षों में गवर्नमेन्ट लोन देती भी नहीं है और गवर्नमेन्ट केवल गारन्टी देती है और गवर्नमेन्ट गारन्टी का अमुक परसेन्ट गारन्टी दन के लिए वसूल करती है। इसलिये जहां तक इन्डिविजुअल केस का सवाल है प्रत्येक से जो एग्रीमेन्ट होता है उसके अनुसार वसूल किया जाता है। जैसा निवेदन किया प्रश्न के उत्तर में कि एक विजयनगर शुगर मिल के सिवाय दूसरे किसी में भी कोई किश्त ड्यू नहीं है। अगर किसी में दो दिन, चार दिन या पांच दिन की डिले होती है तो उसके ऊपर पीनल इन्टरेस्ट लिया जाता है। इसके सिवाय

(श्री हरिदेव जोशी)
दूसरी चीज इसमें है नहीं जो कि इसमें बताने की हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मेसर्स स्वदेशी काटन मिल, कानपुर को जो कि देवस्थान विभाग से कर्जा दिलाया गया उसका भुगतान पहले कर दिया गया और एग्रीमेन्ट के ऊपर दस्तखत बाद में कराये गये ?

श्री हरिदेव जोशी : अभी मेरे पास तुरन्त इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: गवर्नमेन्ट की हैसियत से यह तो कहिये कि ऐसा नहीं हो सकता। आप यह तो कहें।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास में जब इनफोर्मेशन ही नहीं है अवेलेबल तो उसके बारे में हां या ना कैसे कहूं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो कामन-सेन्स की जरूरत है। आप यह कहें कि रूल्स का कोई वायोलेशन नहीं हुआ। जनरल फाइनेन्शल रूल्स में है कि जब तक एग्रीमेन्ट नहीं हो जाता तब तक ऋण स्वीकृत नहीं किया जा सकता...

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के मेम्बर होंगे तो उन्हें यह याद होगा, मुझे तो याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप चेयरमेन थे और मैं सदस्य था।

श्री हरिदेव जोशी : हां, तो मुझे याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : बदकिस्मती यह है कि चेयरमेन रहते हुए भी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई और मेरी मेम्बर की हैसियत से ज्यादा हुई है।

श्री रामकिशन (वैर) : जो पार्लियामेंट में इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर और फखरुद्दीन अली अहमद ने जवाब दिया जयपुर उद्योग के संबंध में उसकी जानकारी है क्या मंत्री महोदय के पास ?

श्री हरिदेव जोशी : है।

श्री रामकिशन : क्या है वह बता दें।

श्री हरिदेव जोशी : वह तो सूचना सब यहां से ही गई थी, इसलिए मुझे पता है।

श्री रामकिशन : क्या जानकारी दी वहां उसके बारे में ? जयपुर उद्योग के संबंध में जिस वजह से रियायत बरती है और उसकी लिस्ट प्रकाशित की है फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट ने उसकी जानकारी यहां सदन को भी माननीय मंत्री महोदय दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री हरिदेव जोशी : जरूरत होगी तो दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा।

राज्य की जुडिशियरी को आर्थिक स्वतंत्रता

37. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1968 में जुडिशियल आफिसर्स की कान्फ्रेन्स जोधपुर में हुई थी ? यदि हां, तो किसकी अध्यक्षता में ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(2) क्या यह सत्य है कि इस कान्फ्रेन्स में माननीय श्री दुर्गाशंकर दुबे, मुख्य न्यायाधिपति ने अपने भाषण दिनांक 20-2-68 में यह बतलाया कि राज्य की जुडिशियरी को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है और आर्थिक मामलों में राज्य सरकार को बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है?

(3) क्या यह भी सत्य है कि हाई कोर्ट को पूरा बजट लमसम दिया जाकर उसे अपनी आंतरिक व्यवस्था करने की स्वतंत्रता नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सत्य है कि हाई कोर्ट अपने नियमानुसार और इच्छानुसार सिविल जज, सेशन कोर्ट व मुन्सिफ कोर्ट कायम नहीं कर सकती? यदि हां, तो क्यों?

उप-मन्त्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां, फरवरी, 1968 में जुडिशियल आफिसर्स कान्फ्रेन्स श्री एस० एम० मोदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर (नगर) की अध्यक्षता में जोधपुर में हुई थी।

(2) जी नहीं, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जुडिशियल आफिसर्स कान्फ्रेन्स में ऐसा कोई भाषण नहीं दिया।

(3) जी हां, हाईकोर्ट का बजट भी अन्य विभागों के समान सरकार के बजट का एक भाग है।

(4) जी हां, नई अदालतें आवश्यक धनराशि उपलब्ध हुए बिना कायम नहीं हो सकतीं और धनराशि की स्वीकृति सरकार ही देती है।

श्री मूलचन्द डागा: क्या चीफ जस्टिस ने ऐसा नहीं कहा?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ने भाषण ही नहीं दिया उसमें।

श्री मूलचन्द डागा: क्या कहा? चीफ जस्टिस ने भाषण ही नहीं दिया?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: जुडीशियल आफिसर्स कान्फ्रेन्स में जिसका मैंने उल्लेख किया उसमें कोई भाषण नहीं दिया।

श्री मूलचन्द डागा: चीफ जस्टिस ने अपने भाषण में यह कहा कि जुडीशियरी के मामलों में जो बजट होता है उसके खर्च करने का अधिकार भी जुडिशियरी को नहीं रहता है और उसमें भी आपकी एग्जीक्युटिव इन्टरफियरेन्स करती है।

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): इस तरह का कोई भाषण नहीं दिया था। शायद गलतफहमी इसको हो रही है कि जो एड्रेस किया था वह हायर जुडिशियल सर्विस में किया था और उसके अन्दर भी कोई रेफरेन्स नहीं था। जब बहस आपस में चलने लगी और कमेटी के मेम्बर्स और जुडीशियरी के मेम्बर्स ने उनको अपनी कठिनाइयां बताईं तो उनके उत्तर में चीफ जस्टिस ने यह आब्जर्व किया था कि यह जो रुपयों को सेंक्सन है वह चूंकि गवर्नमेन्ट से आती है और हाई कोर्ट के पास यह अधिकार नहीं है कि उन्हें खर्च करे इसलिए इसकी वजह से कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन यह पार्ट आफ दी एड्रेस नहीं था। वह एड्रेस जुडीशियल आफिसर्स सर्विस के लिए नहीं था बल्कि हायर जुडीशियल सर्विस के लिए था और बहस में जब एतराजात किये थे तो उसका उत्तर देते हुए यह आब्जर्वेशन्स दिये थे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री दिग्विजयसिंह।

Page No. 20

टोंक में चर्म उद्योग

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार जिला टोंक में चर्म उद्योग कब तक स्थापित किया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) उक्त उद्योग अब तक स्थापित नहीं करने के क्या कारण है ?

उप मन्त्री उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती। किन्तु राज्य सरकार चाहती है कि प्रातिशी घ्र कार्य शुरू करना।

(2) जी नहीं। चर्म उद्योग के लिए प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार कराकर भारत सरकार से डायरेक्टरेट जरनल ग्राफ टैक्निकल-डेवलपमेंट, योजना आयोग एवं सेंट्रल लेबर ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट ग्राफ मद्रास से स्वीकृत कराकर उद्योग मंत्रालय से लैटर ग्राफ इन्डेण्ड प्राप्त किया जा चुका है। कुछ मशीनों के आयात की सहमति उद्योग मन्त्रालय से प्राप्त भी की जा चुकी है। स्थान का चयन भी किया जा चुका है जिलाधीश टोंक को चयन किये हुए स्थान की अवाप्ति के लिए भी लिखा जा चुका है।

(3) विस्तृत उपकरणों की सूची व भवनों का प्लान एवं सहयोग की शर्त युगोस्लाव के विदेशी सहयोग से आनी बाकी है। जिनके अभाव में उक्त प्रश्न 2 में वर्णित प्रगति से आगे की प्रगति रुकी हुई है। इस सम्बन्ध में युगोस्लाविया के भारतीय प्रतिनिधि से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र भिजवाने के लिए कह दिया गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि इस वर्ष दिसम्बर के अन्त तक यह स्थापित कर दिया जाएगा ?

उप मन्त्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : इस प्रकार का निर्णय राज्य सरकार ने नहीं लिया है।

श्री दिग्विजयसिंह : यह कब तक चालू कर दिया जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसे ही वह प्लान्ट आ जायेगा, आते ही शुरू कर दिया जाएगा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): वह कौन सा स्थान है जो चयन कर लिया गया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जानकारी के बाद बता दिया जायेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं मेरी जानकारी से कहता हूं कि आपने कोई स्थान नहीं चुना है। यह झूठ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने जो कुछ कहा है, सही कहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : गलत है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम कहते हैं वह सही है। मैं आप को जो सूचना दे रहा हूँ वह सही है। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अग्रवाल

रेल किराये की वसूली

39. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर परिषद् के एक सदस्य श्री नन्दकिशोर ने 13-2-67 व 23-9-67 को सीकर से जयपुर की नगर परिषद् के कार्य हेतु यात्रा की ?

(2) क्या यह सही है कि इस यात्रा का रेल किराया प्रथम श्रेणी का चार्ज किया है ? जब कि सदस्य ने यात्रा तीसरी श्रेणी में की है ?

उप मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : (1) दिनांक 13-2-67 को यात्रा की गई है। दिनांक 29-9-67 को यात्रा नहीं की गई ।

(2) दिनांक 13-2-67 की यात्रा बस द्वारा की गई थी तथा किराया प्रथम श्रेणी का लिया गया ।

श्री अध्यक्ष : किराया प्रथम श्रेणी का दिया गया है ?

एक माननीय सदस्य : जब कि यात्रा प्रथम श्रेणी में नहीं की ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार): एक इन्तजाम करा दिया जाये। इन्हीं की तरह से भीखाभाई भी बोलते हैं । पता नहीं चलता है कि कौन बोल रहा है ।

श्री रामकिशन (वैर): नहीं भीखाभाई सी आवाज नहीं है। वह बन्सरी सी बजाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : किराया फर्स्ट क्लास का लिया गया है तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं बनाया गया है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : राजस्थान रूल्स में उनको हक है कि वह किराया ले सकते हैं। बस में ले सकते हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह अनैतिकता नहीं है, बस में यात्रा करें और फर्स्ट क्लास का किराया लें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री रामचन्द्र आर्य !

अध्यापकों के वेतन भुगतान में विलम्ब

40. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा रावतसर के अरबन प्राथमिक स्कूल व नोहर के मिडिल स्कूलों के अध्यापकों का वेतन निरीक्षक कार्यालय श्री गंगानगर द्वारा हमेशा ही बहुत देरी से दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में राजस्थान शिक्षा संघ उप शाखा, नोहर द्वारा सम्बन्धित विभाग को बार बार लिखा गया है लेकिन निरीक्षक इस ओर ध्यान नहीं देते हैं ?

(3) उक्त निरीक्षक द्वारा किस किस अध्यापक का किस किस माह का वेतन रोका हुआ है और क्यों ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(4) सरकार उन्हें यह वेतन कब तक दिलाने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कई पर्चे निकले हैं। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। जिम्मेदार अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए, गंगानगर की सारी संस्थाओं को दूषित कर रखा है। यह एक पर्चा निकला है।

श्री अध्यक्ष : इस पर्चे को लेकर रखा जाये। प्रश्न स्थगित किया गया।

नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द जैन !

बायतू पंचायत समिति के ग्रामों में पानी की व्यवस्था

41. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बायतू पंचायत समिति (बाड़मेर जिला) के ग्राम बायतू पनजी, बायतू भीमजी बायतू भोपजी, बायतू चिमनजी, कवास, धुरटीया, कोसरिया, माडपुरा, बलूवाला, कोलू, कानोड़ पमावड़ा, हूंडा की ढाणी, आकवड़ा चिढ़िया, रतेऊ एवं शहर में ग्रामीण जनता के लिए पानी पीने की क्या व्यवस्था है ?

(2) राज्य सरकार ने इन गांवों की जल समस्या को हल करने के लिए गत बीस सालों में क्या क्या प्रयास किये और कितनी राशि व्यय की ?

(3) सरकार उक्त गांवों की समस्या को हल करने के लिए इस वर्ष क्या कदम उठा रही है ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए टाँकियां व कुवें बने हुए हैं।

(2) इस विभाग के पास न तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत से और न ही पंचायत समिति से कोई प्रार्थना-पत्र या नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अतः कोई योजना नहीं बनाई गई। गांवों में नये कुए खुदवाने, पुराने कुओं की मरम्मत कराने के लिए प्रतिवर्ष कुछ धनराशि विकास विभाग द्वारा भी पंचायत समितियों को बांटी जाती है।

(3) इस वर्ष विभाग के पास इन गांवों की जल समस्या को हल करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या राज्य सरकार यह महसूस नहीं करती है कि उस क्षेत्र में अगर कुछ कुएं हैं भी तो वह खारे हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : उस क्षेत्र को ध्यान में रखा है। एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल आपके क्षेत्र में भी होंगे, जब और बजट प्रावधान होगा तब मास्टर प्लान के मुताबिक यह कार्यवाही की जाएगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : माननीय मन्त्री ने जैसा कहा कि पंचायत समितियों की ओर से प्रार्थना नहीं की गई है।

(श्री दौलतराम सारण)
मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन इलाकों में पानी नहीं है, क्या सरकार ने उनकी सर्वे रिपोर्ट मंगाई है ?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट निवेदन किया है। पंचायत समितियों की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। 70 करोड़ का मास्टर प्लान भारत सरकार के विचाराधीन है। वह स्वीकार होकर नहीं आयेगा तब तक किसी प्रकार का काम कैसे किया जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान सरकार ने क्या लक्ष्य तय किया है ? कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री रामकिशन (वैर) : आप तो अब ट्रेण्ड हो गई हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस क्षेत्र में ट्यूब वेल खोले गये हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इन गांवों में मैं खुद गया हूं।

श्रीमती सुमित्रा : नहीं, इन particular गांवों में वह कार्य नहीं किया गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फिर क्या किया गया है ? एक्सप्लोरेटिव ट्यूब वेल नहीं खोदे गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह !

भारत सुरक्षा कानून और नियमों के तहत गिरफ्तार व्यक्ति

42. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक कौन कौन व्यक्ति भारत सुरक्षा कानून एवं नियमों के अन्तर्गत कब कब गिरफ्तार किये गये और उनको कब कब मुक्त किया गया ? कृपया नाम पते सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध अदालतों में मुकदमे चलाये गये और उनके प्रत्येक का क्या परिणाम रहा ?

(3) उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही के अतिरिक्त यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो किस किस प्रकार की और किन किन के विरुद्ध ?

(4) इन व्यक्तियों में कौन कौन पाकिस्तान चले गये ? कृपया तालिका प्रस्तुत करें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): इस प्रश्न की जानकारी काफी विस्तृत है। राजस्थान के विभिन्न भागों से 10 हजार व्यक्तियों से सम्बन्धित है। इसलिए सूचना उपलब्ध नहीं हो पायी है। इसको स्थगित करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : यह तो कल ही तय हो गया था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। नेक्स्ट।

कोटा-सांगोद वाया कैथून जानाहेड़ा सड़क की मरम्मत

43. **श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा से सांगोद वाया कैथून जानाहेड़ा सड़क की हालत बहुत खराब है और बजट प्रावधान होते हुए भी इसकी हालत सुधारने के लिये खर्चा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक सरकार इसे सुधारने का विचार रखती है ?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : जी नहीं। कुल 35 मील में से 20 मील की हालत पूर्ण सन्तोषप्रद नहीं है। रिपेयर ग्रान्ट में जैसे जैसे रुपया मिलता है, सुधार किया जाता है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : वह सड़क इतनी खराब है कि कोई छोटी मोटर हो तो उसके चारों पहिये औंधे हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है कि चारों पहिये उलटे हो जाते हैं ?

श्री माधोसिंह : माननीय सदस्य को ही मालूम होगा उलटे होने के क्या कारण रहे होंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इनके इस आविष्कार पर इन्हें पद्मश्री की उपाधि दिलाई जाये।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : आप बृजसुन्दर जी से पूछ लीजिए। उनका क्या हाल हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : वह तो आये नहीं हैं।

श्री माधोसिंह : मेरी गाड़ी तो आराम से निकल गई थी।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल जयपुर) : आप मोटर की हैसियत से नहीं ट्रैक्टर की हैसियत से गये थे ?

सहायता प्राप्त स्कूलों एवं कालेजों के अध्यापकों, प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु

44. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) व श्री मूलचन्द डागा (पाली)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों के अध्यापकों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों पर सरकार के सेवा निवृत्ति सम्बन्धी नियम लागू नहीं हैं और इन संस्थाओं में रिटायरमेंट की उम्र 58 ही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन संस्थाओं में भी उक्त नियम लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) ग्रान्ट इन एड रूल्स, 1963 की धारा 16 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त स्कूलों व कालेजों के अध्यापकों एवं प्राध्यापकों के लिये सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष है। यह सरकारी निर्णय के अनुसार है।

(2) जी हां।

श्री फूलचन्द बाफना : सरकार के तमाम विभागों के लिए उम्र 55 वर्ष कर दी गई है

Page No. 25

(श्री फूलचन्द बाफना)
58 में तो क्या जो व्यक्ति सरकार में सर्विस करने लायक उम्र के नहीं माने जाते वह सहायता प्राप्त स्कूलों में लायक माने जाते हैं ?

राव श्री धीरसिंह : सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरा की फैसिलिटी राज्य कर्मचारियों के अनुसार नहीं मिलती हैं, उनका ट्रान्सफर भी नहीं हो सकता है, उनका उस विद्यालय से अटेचमेंट भी हो सकता है इसलिए उनको सेवायें 58 वर्ष तक चलाने के लिए इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। जो प्राइवेट स्कूल के अध्यापक हैं वह उसी स्कूल में रहते हैं उनकी उस स्कूल में आवश्यकता ज्यादा महसूस की जाती है। गवर्नमेंट स्कूल के अन्दर यदि कोई अध्यापक खराब है तो उसको एक जगह से ट्रान्सफर करके दूसरी जगह भेज देते है लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए ऐसा निर्णय किया है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह माना जाय कि सरकार अपने यहां पर जनको योग्य नहीं मानती है वह सहायता प्राप्त स्कूलों में योग्य हो जाते हैं ? क्या यह आधार है कि सरकारी सर्विस में 55 वर्ष तक योग्य मानते हैं और दूसरी स्कूलों में 58 वर्ष तक योग्य मानते हैं ? यह जो आप रीजन्स दे रहे हैं इनसे क्या आपको तसल्ली है कि उत्तर ठीक है ?

राव श्री धीरसिंह : इसमें योग्यता का प्रश्न नही है। तीन वर्ष का प्रश्न है। तीन वर्ष के अन्दर योग्यता–अयोग्यता के अन्दर अन्तर नहीं पड़ता। इसके अन्दर मैंने यही आधार नहीं बताया है। यह बताया है कि उन्हें जो फैसेलिटी सरकारी कर्मचारियों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है इसलिए तीन साल और काम करने का मौका दे रखा है। इस दृष्टिकोण से उनकी उम्र 58 रख रखी है ?

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : 8 साल ही नहीं, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 58 साल ही नहीं 61 साल के कुछ टीचर हो गये हैं और 61 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर भी उनको रिटायर नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न ! श्री जयनारायण सालोदिया !

ट्रेक्टर की खरीद

45. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नगरपालिका नीम-का-थाना ने कोई ट्रेक्टर खरीद किया ? अगर हाँ, तो कितने में व कब ?

(2) क्या इस ट्रेक्टर को खरीदने के लिये कोई टेन्डर मांगे गये ? यदि हां, तो किन किन फर्मों से ? टेण्डर की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या टेन्डर नोटिस का प्रकाशन किसी दैनिक या साप्ताहिक-पत्र में किया गया ? अगर नहीं किया गया, तो क्यों ?

(4) क्या यह सच है कि नगरपालिका नीम-का-थाना में कोई ट्रेक्टर की उपयोगिता

(श्री जयनारायण सालोदिया)
नहीं थी ? यदि हां, तो फिर ट्रैक्टर क्यों खरीदा गया ?

(5) बाजार में ट्रैक्टर की कीमत क्या है ?

(6) नगरपालिका द्वारा ट्रैक्टर खरीदने से लेकर अब तक ट्रैक्टर से कितनी आमदनी हुई व इस पर कितना खर्चा हुआ ?

(7) क्या इस ट्रैक्टर को खरीदने के लिये नगरपालिका ने कोई प्रस्ताव पास किया ? यदि हां तो प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या राज्य सरकार से इसको खरीदने की अनुमति मांगी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) इस ट्रैक्टर को खरीदने के बाद में कृषि कार्य के हेतु इसे किस किस को कितने किराये पर दिया गया ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : (1) जी हां। दिनांक 2:-4-67 को 20,210 रुपये 88 पैसे में।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। हालांकि नोटिस निकाला जाना आवश्यक है।

(4) जी नहीं, ट्रैक्टर नगरपालिका में सफाई के कार्य अर्थात् कूड़ा करकट ढोने के काम में आता है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के कार्य में मिट्टी ढोने के आदि के कार्य में भी उपयोग होता है।

(5) एकाधिकार प्राप्त विक्रेता द्वारा उस समय में बताई गई कीमत रुपया 20,210.88 पैसे थी। वर्तमान कीमत की जानकारी नहीं है।

(6) नगरपालिका में ट्रैक्टर आय की दृष्टि से नहीं खरीदा जाता है फिर भी इस नगरपालिका को रु 3,360.20 पैसे की आय हुई है और व्यय निम्न प्रकार हुआ है:

मरम्मत आदि पर	रु.	2,968.30 पैसे
वेतन पर	रु.	2,768.71 पैसे
तेल पर	रु.	2,566.27 पैसे

(7) जी हां, प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(8) खरीदने से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई। पहली बार राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु 16-5-67 को नगरपालिका ने निवेदन किया। पूर्व सूचना न मिलने से अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है।

(9) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : स्वीकृति क्या ! आपने नम्बर 2 में कहा कि नोटिस निकालना आवश्यक था जो उन्होंने नहीं निकाला। तो आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या नियम विरुद्ध था ?

श्री मुल्कराज थिन्द : इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर की स्वीकृति बाद में मांगी वह नहीं दी गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह स्वीकृति नहीं है। आप पहले शुद्ध बोलिये स्वीकृति होता है वह।

(श्री जमनारायण सालोदिया)

उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? जो नोटिस नहीं निकाला, टेन्डर नहीं निकाला, अखबार में आया नहीं किया और ट्रैक्टर खरीद लिया तो उसके लिये स्वीकृति रोक रहे हैं यह पर्याप्त नहीं है।

श्री मुकराज सिन्ह : इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके लिये म्यूनिसिपल बोर्ड को लिख दिया है कि क्यों उन्होंने टेन्डर नहीं निकाला कार्यवाही इसलिए रोक दी गई है और जो म्यूनिसिपल बोर्ड ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए स्वीकृति मांगी है वह नहीं दी गई है। इसके बाद ज्यों ही जानकारी आयेगी इस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या म्यूनिसिपल बोर्ड के लिए यह जरूरी था कि ट्रैक्टर खरीदने से पूर्व गवर्नमेंट से स्वीकृति लेता ?

श्री मुलकराज सिन्ह : नियमानुसार तो जैसा मैंने निवेदन किया था उनको स्वीकृति लेनी चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं ली इसलिये स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री देवीदत्त गाड़िया।

हाई प्रेसीशन ग्लास लि. की एजेन्सी

46. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मेसर्स हाई टेक प्रेसीशन ग्लास लि. धौलपुर ने अपनी सोल एजेन्सी मेसर्स टाइम्स सर्जिकल कम्पनी जयपुर को दे रखी है ? यदि हां, तो किस तारीख से व किन शर्तों पर ? एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त टाइम्स सर्जिकल कम्पनी जयपुर को विभिन्न भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के गम्भीर आरोपों के आधार पर सरकार के विभिन्न विभागों ने गत 3–4 वर्षों से ब्लेक लिस्ट कर रखा था ? यदि हां, तो फिर हाई टेक प्रेसीशन ग्लास लि. धौलपुर ने इसको सोल एजेन्सी क्यों दी ?

उप मंत्री, सार्वजनिक उपक्रम (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी हां, दिनांक 20–6–68 से अनुबन्ध की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) नहीं जी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि राजस्थान पशुपालन विभाग के डाइरेक्टर ने 1958-59 के अन्दर इस सर्जिकल कम्पनी के विरुद्ध लाखों रुपयों के घोटाले के मामले को लेकर इस पार्टी को ब्लेक लिस्ट में लेजाने के लिए लिखा था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस बारकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि सेन्टर स्टोर पर्चेज कमेटी जो राजस्थान के अन्दर बनी हुई है वह अन्य विभागों के अलावा भी कुछ पर्चेज करली है। अगर उसके पास इस प्रकार की सूचना भेजी जाती तो वह उसके ऊपर कार्य.

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
चाही करतो। हमारे विभाग से जानकारी लेने पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस फर्म को ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, उक्त फर्म ने सन् 1958–59 के अन्दर पशु पालन विभाग को सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट लाखों रुपये के सप्लाई किये और सप्लाई में जो टेन्डर किया और जो सेम्पल दिये वैसा माल न देकर खराब माल दिया, उसके कारण उस समय के डाइरेक्टर श्री हाण्डा ने उक्त फर्म को ब्लेक लिस्ट में लिये जाने के लिए अपनी राय लिख कर भेज दी। उसके उपरान्त भी मंत्री महोदय कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि किसी विभाग ने ऐसा लिखा है। इसी प्रकार इस पार्टी ने मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट को फर्जी कार्यवाही करके, गलत कार्यवाही करके···

श्री अध्यक्ष : वही प्रश्न है। क्या ऐसी स्थिति है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न किया गया है उसमें यह पूछा गया है कि क्या यह फर्म ब्लेक लिस्ट में है? मेरा जवाब है यह फर्म ब्लेक लिस्ट में नहीं है। ब्लेक लिस्ट का मामला मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है। मेरे विभाग में ब्लेक लिस्ट नहीं है। मैंने निवेदन किया है कि यह ब्लेक लिस्टेड नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था के अनुसार एक विभाग के द्वारा किसी फर्म को ब्लेक लिस्ट किये जाने के कारण अन्य विभागों को उसकी सूचना जाती हो?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो हां, इस तरीके की व्यवस्था है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गत वर्ष माननीय मंत्री महोदय, जो इस समय गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं इस विभाग से सम्बन्धित पर्चेजेज के मामले को लेकर इस फर्म के खिलाफ इन्क्वायरी की थी और इस इन्क्वायरी से साबित हुआ था कि इस फर्म से जो ठीक ढंग से सप्लाई होनी चाहिए थी वह नहीं हुई?

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न और सप्लीमेन्ट्री एक दूसरे के विपरीत है जहां तक प्रश्न का सवाल है इस प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि क्या···

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री! विपरीत है फिर भी जानकारी है तो दे दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : जानकारी जो है वह साफ कर दी है। तीन साल से ब्लेक लिस्ट कर रखा है, आलरेडी ब्लेक लिस्टेड है ऐसा इन्फरेन्स निकलता है इस सवाल से। सप्लीमेन्ट्री में पूछ रहे हैं कि डाइरेक्टर ने रिपोर्ट की थी क्या? इसमें रिपोर्ट का नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पशु पालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डाइरेक्टर ने रिपोर्ट में स्पष्ट लिख दिया था 1958–59 के अन्दर कि उक्त फर्म ने विभाग को धोका दिया और धोका देकर हजारों रुपये का घोटाला किया इसलिए इस फर्म को ब्लेक लिस्ट में ले लिया जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, डाइरेक्टर स्वयं ब्लेक लिस्ट कर सकता है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : नहीं किया। श्री रामप्रसाद बोहरा !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इम्पार्टेन्ट है। किसी को सोल एजेन्सी देने से पहले राज्य सरकार ने टेन्डर मांगे थे, क्या प्रक्रिया अपनाई थी, फेवर और डिस्फेवर करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई थी ?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या विधि अपनाई ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : इम्पार्टेन्ट तो है। अलग प्रश्न है।

श्री बोहरा !

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

श्री दौलतराम सारण : बोहरा नहीं बोला साहब !

श्री अध्यक्ष : 47 !

झालावाड़ व झालरापाटन शहरों को पेय जल

47. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ व झालरापाटन शहरों को पेय जल इरिगेशन टैंक द्वारा ही सप्लाई किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ पाटन शहर को पेय जल के लिये भंवरासा से पाइप लाइन बिछा कर कार्य पूरा किया जा चुका, व इसमें लगभग दो लाख रुपये सरकार द्वारा खर्च हुआ है ? यदि हां, तो पानी भंवरासा नदी से क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई के टैंक से पानी देने के कारण खेती के उत्पादन पर असर पड़ेगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी नहीं। मौजूदा कुओं व बावड़ियों से वर्तमान में पानी दिया जा रहा है।

(2) जी हां, कुछ कार्य अभी होना बाकी है। अब तक 2 लाख रुपये ही नहीं 9.79 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। शेष कार्य पूरा होने पर ही भंवरासा नदी से पानी दिया जा सकेगा।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय यह जो पहले आइटम का जवाब है कि झालावाड व झालरापाटन शहरों को पेय जल इरिगेशन टंक द्वारा सप्लाई किया जाता है, और बावडियों से नहीं, उसमें मवेशी घुस जाते हैं और वह पानी तो मवेशियों के लायक भी नहीं है। 10 लाख रुपए खर्च करके लाइन खींची गई है, मोटरें लगा दी गई हैं तो भी

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
पानी नहीं दिया जाता है, तो क्या कारण है देरी का ?

श्रीमती सुमित्रा : हालांकि इस योजना पर 9.79 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ काम इन्कम्पलीट है और वह काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक पानी नहीं दिया जा सकता। पानी के लिए पाइप लाइन तो पड चुकी है लेकिन क्लीयर वाटर रिजरवायर जिसमें स्वच्छ पानी आता है उस प्लांट का निर्माण अभी नहीं किया गया है, काम चल रहा है और प्री-ट्रीटमेंट का काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक रा-वाटर तो नहीं दिया जा सकता।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह योजना कब तक पूरी होनी थी ?

श्रीमती सुमित्रा : 1967 के फरवरी में शुरू हुई इसलिए उसका पूरा होने को इतनी जल्दी सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री दौलतराम सारण : यह योजना जब बनाई गई थी तब कब तक इसको पूरा करने का विचार था और इसमें कितनी लागत का अनुमान था ?

श्रीमती सुमित्रा : लगातार तीन सालों तक पानी कम होने की वजह से मुदालिया खेडी का पानी समाप्त हो गया था, तब प्रश्न पैदा हुआ कि कहां से पानी दिया जाय। अतएव अकाल सहायता में से 9.79 लाख मन्जूर करके नई योजना प्रारंभ की गई जो फरवरी, 1967 में प्रारम्भ हुई थी। अब 9.79 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, बाकी दो लाख रुपये के लिए यह काम अधूरा पड़ा हुआ है, जैसे ही एल.आई.सी. का लोन आ जायगा, इस काम को पूरा किया जायगा।

श्री दौलतराम सारण : दस लाख रुपये सरकार ने खराब किये और योजना अधूरी पड़ी है, टैंक खराब हो रहा है, क्या राज्य सरकार दो लाख रुपये भी नहीं जुटा सकती इस योजना को पूरा करने के लिये ?

श्रीमती सुमित्रा : केवल झालावाड़ और झालरापाटन का ही सवाल नहीं है। और जगह भी जहां योजनाओं का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जैसे ही लोन आएगा संपूर्ण काम पूरे किए जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह माना जाय कि जो योजनायें अधूरी पड़ी हैं उनको अदूरदर्शितापूर्ण बिना किसी निश्चित अनुमान के बनाया गया ?

श्रीमती सुमित्रा : नहीं यह कहना बिलकुल गलत है। पूर्ण दूरदर्शिता बरती गई है।

श्री दौलतराम सारण : तो अधूरी क्यों रही ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री गंगासहाय : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 52 बहुत जरूरी है। तीन बार स्थगित हो चुका है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : प्रश्न संख्या 51 जरूरी है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : पहले समय के विभाजन का ध्यान रखा जाता तो अच्छा रहता।

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज ।

श्री डूंगाराम : प्रश्न संख्या 52 का जवाब आना चाहिए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

हस्तकला उद्योग की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा

40. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार हस्तकला उद्योग की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है तथा इसे अपना प्रेस्टीज एक्सपोर्ट मानती है ?

(2) यदि हां, तो इसे बढ़ावा देने के लिए भविष्य के लिए कौन कौन से प्रस्ताव हैं ?

(3) क्या सरकार ने अनुभव किया है कि बाहर प्रदर्शनियां लगाने का नतीजा लाभदायक होता है ? यदि हां, तो विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) क्या सरकार इस विषय पर कोई ठोस कदम उठायेगी ?

उत्तर

जी, हां ।

हस्तकला की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्न सुझाव उद्योग विभाग सम्बन्धित वर्किंग ग्रुप में चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तुत किये हैं ।

(क) निर्यात कर्त्ताओं को विदेशों में प्रचार के लिए सामग्री तैयार करने में सहायता ।

(ख) हस्तकला की वस्तुओं के लिए नमूने एस. टी. सी. तथा हैण्डीक्राफ्ट्स व हैण्डलूम एक्सपोर्ट कार-पोरेशन द्वारा प्रदर्शन के लिए खरीद करना ।

(ग) विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यात कर्त्ताओं को सहायता ।

(घ) निर्यात कर्त्ताओं को निर्यात सम्बन्धी ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिये सहायता ।

(ङ) निर्यात कर्त्ताओं को निर्यात पर नकद अनुदान ।

(च) राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा हस्तकला की वस्तुओं के निर्यात के लिये निगम को पूंजी बढ़ाने में सहायता ।

(छ) निगम द्वारा बम्बई कलकत्ता और मद्रास में हस्तकला के बिक्री केन्द्र खोलने में सहायता ।

(ज) हस्तकला की वस्तुओं को देश के अन्य भागों में प्रदर्शन करने के लिए लघु उद्योग निगम को सहायता ।

(झ) ऐसे हस्तकला की वस्तुएं जैसे गुडिया कोस्ट्युम ज्वेलर । लकडी के खिलौने और कागज के खिलौने का निर्यात हेतु

Page No. 32

(श्री उद्योग मंत्री)

उत्पादन करने के लिए उत्पादन केन्द्र खोलने में निगम की सहायता।

(ञ) निर्यात की दृष्टि से हस्तकला की वस्तुओं का एक म्यूजियम खोलने की योजना।

जी, हां।

हस्तकला के वस्तुओं को विदेशों में प्रदर्शन हेतु जो प्रस्ताव है ये भाग दो के उत्तर में दिये जा चुके हैं।

सरकार के ठोस कदम उठाने की नीति के अनुसार ही उपरोक्त सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजनाएं

41. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर जिले व चूरू जिले की ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत मार्च, 1967 को समाप्त हुए वर्ष तक कुल कितना कितना ऋण व अनुदान बांटा गया? ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की अलग अलग सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त दोनों परियोजनाओं को कौन कौन सा कच्चा माल अलाट हुआ और जो अलाट हुआ माल कौन कौन से उद्योगों को कितना कितना दिया गया? सूची मय शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग रूप से दोनों जिलों की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नागौर व चूरू जिले की ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत मार्च 1967 को समाप्त हुए वर्ष तक कुल निम्नलिखित ऋण व अनुदान बांटा गया–

नागौर व चूरू में दिये गये ऋण का विवरण:–

वर्ष	नागौर	चूरू	कुल ऋण
1963–64	1,03,580	50,000	1,53,580–00
1964–65	50,500	3,59,500	7,10,000–00
1965–66	92,760	66,500	1,59 260–00
1966–67	10,76,400	10,12,300	20,88,700–00
कुल योग	16,25,240	14,88,300	31,11,540–00

Page No. 33

(श्री उद्योग मंत्री)

(2) नागौर व चूरू में बांटा गया अनुदान का विवरण:–

वर्ष	नागौर	चूरू	कुल अनुदान
1963–64	60925	40542	10,1467
1964–65	12175	9800	21975975
1965–66	–	–	–
1966–67	–	–	–
	75,100	50,342	1,23,442

सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई ।)

जेल की श्रेणियें

4?. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (डकलेरा) क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में जेल की श्रेणियां कितनी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में जेलों के बन्द होने एवं खुलने का समय सारे राज्य में एकसा नहीं है ?

(3) यदि हां, तो एक से नियम बनाने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जेलों की श्रेणियां निम्न प्रकार हैं:–

(1)	केन्द्रीय कारागृह	2
( )	जिला कारागृह ए श्रेणी	3
(3)	जिला कारागृह बी श्रेणी	2
(4)	आदर्श कारागृह बी श्रेणी	1
(5)	विशेष उप कारागृह	2
(6)	फिमेल रिफोरमेट्री	1
(7)	जुनाइल रिफोरमेट्री	1
(8)	उप कारागृह, प्रथम श्रेणी	16
(9)	उप कारागृह, द्वितीय श्रेणी	23
(10)	उप कारागृह, तृतीय श्रेणी	35
(11)	खुला कृषि फार्म, दुर्गापुरा	1
(12)	खुला कृषि फार्म, मंडोर	1
(13)	खुला कृषि फार्म, सूरतगढ़	1

Page No. 34

(श्री कारावास मंत्री)

(14) श्री सम्पूर्णानन्द शिविर, सांगानेर 1

जिस जिस श्रेणी के जितने कारागृह हैं वह सब सामने लिख दिये गये हैं। सी व डी श्रेणी जिला कारागृह पहिले थे लेकिन अब राज्य में कहीं नहीं हैं।

निम्न निम्न कारागृहों की संख्या व स्थानों की सूची संलग्न की जाती है:–

(2) यह सही नहीं है। सारे राजस्थान की जेलों के बन्द होने एवं खुलने का समय, राजस्थान जेल मेन्युअल के भाग 10 सैक्शन 3, नियम 72 (6) (पेज 195) और 38 (पेज 189) के अनुसार एक-सा है। नियम की प्रतिलिपि संलग्न है। परिस्थितियोंवस जैसे वर्षा, धुन्ध, अन्धकार, आन्धी, तूफान, सर्दी आदि के कारण कभी कभी जेल देर से खोली व बन्द की जा सकती है। बन्दियों के पेशी से देर से आने के कारण, देर से प्राप्त हुए रिहाई आदेशों के कारण तथा अन्य किसी अड़चन या विशेष कारणों से जेल बन्द करने में देरी हो सकती है। नियमानुसार जेलों के खुलने व बन्द होने का समय मौसम के अनुसार है। उपरोक्त कारणों की वजह से देर और कभी कभी किसी किसी स्थान पर हो जाती है।

(3) कृपया उत्तर नम्बर 2 का अवलोकन करें।

सवाई माधोपुर व भरतपुर जिले में डकैतियां

43. **श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)** । क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सवाई माधोपुर व भरतपुर जिलों में मार्च, 1967 से दिसम्बर, 1967 तक कहां कहां डकैतियां पड़ी थीं ?

(2) इन डकैतियों में कितने जान माल का नुकसान हुआ ?

(3) डाकुओं में मुठभेड़ें कहां कहां हुई थीं और उनमें कितने आदमी मारे गये ?

(4) इन डकैतियों में कितने व्यक्तियों का अपहरण हुआ था ?

(5) क्या यह सही है कि जिनका अपहरण हुआ था उनको डाकुओं को रुपये देकर छुड़वाया गया ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और कितने कितने रुपये देकर ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर भरतपुर में मार्च, 67 से दिसम्बर, 67 तक निम्न जगहों में डकैतियां पड़ी थीं:–

जिला सवाई माधोपुर

1. बरतांपुरा
2. लाटियावालापुल
3. भिरना

जिला भरतपुर

1. पहाड़ी
2. बछापंटी के रास्ते में
3. तालाबशाही निजामपुर
4. बहादुरपुरा
5. बिगोद के पास वाली बगीची
6. चौकी नरहा
7. जहांगीरपुर

(श्री गृह मंत्री)

8. सेमरा
9. कस्बा कुम्हेर
10. रणधीरपुरा

(2) इन डकैतियों में निम्न माल व व्यक्तियों की जानों का नुकसान हुआ:—

जान	माल
4	रु० 20,887.00 व 4 बोरी आटा, एक बन्दूक, एक बन्दूक दो नाली, कारतूस 5, जेवरात सोना-चांदी।

(3) डकैतियों से निम्न जगह मुठभेड़ें हुई और निम्न संख्या में व्यक्ति मारे गये।

1. ग्राम पहाड़ी–	1
2. तालाबशाही निजामपुर–	1
3. जहांगीरपुर–	1
4. रणधीरपुरा–	1

(4) इन डकैतियों में क्रमशः 2 व्यक्तियों का जिला सवाई माधोपुर तथा 2 व्यक्तियों का जिला भरतपुर से अपहरण किया गया।

(5) यह गलत है कि अपहरित किये व्यक्तियों को मुक्त कराने में डाकुओं को धन-राशि दी गई। केवल एक व्यक्ति श्री राम-निवास साकिन पहाड़ी के विषय में 15000 रु० डकैतों को देकर छुड़ाये जाने को कहा जाता है परन्तु डाकुओं द्वारा छोड़े गये व्यक्ति से पूछताछ पर वह रुपया न देना कहता है।

ग्राम खेजड़ियाली में पुलिस आउट पोस्ट

44. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में ग्राम खेजड़ियाली में एक पुलिस आउट पोस्ट है। अगर हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सत्य है कि बीच में यह आउट पोस्ट हटादी गई थी और फिर सुरक्षा की दृष्टि से पुनः कायम की गई ? अगर हां, तो इस आउट पोस्ट का खर्चा किस विभाग द्वारा वहन किया जाता है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि बोर्डर जुर्मों की रोकथाम के लिए एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह आउट पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने अभी तक इस पोस्ट को मुस्तकिल करने के आदेश क्यों नहीं दिए हैं ? अब ये आदेश कब तक दे दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम खेजड़ियाली में पुलिस आउट पोस्ट नहीं बल्कि एक एन्टी डकैती आउट पोस्ट, 2 मुख्य आरक्षक, 10 आरक्षक एवं 2 शुतर सवार सशस्त्र की, भारत पाक संघर्ष सन् 1965 से लगी हुई है।

(2) जी हां, यह आउट पोस्ट दिनांक 4–8–66 को उठा दी गई थी। इसके पश्चात् पुनः दिनांक 2–9–66 को कायम कर दी गई। इसका खर्चा पुलिस विभाग द्वारा ही वहन किया जाता है।

(3) जी हां। अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण ही यह एन्टी डकैती आउट पोस्ट अभी तक कायम है। जिस अभिप्राय से चौकी कायम की गई है, उस पर चौकी के स्थाई या अस्थाई होने से कोई प्रभाव नहीं होता।

(श्री गृह मंत्री)
प्रशासनिक कारणों से अब तक यह चौकी स्थाई नहीं की जासकी। इसे स्थाई करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

भरतपुर कुम्हेर सडक पर पानी

45. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर कुम्हेर सड़क की मील नं. 6 व 7 में पिछले कई सालों से 4-5 फुट तक पानी भर जाता है, और यातायत को भारी कठिनाई होती है।

(2) इस साल गत वर्ष की वर्षा का पानी उपरोक्त मीलों में किस माह में सूख गया था?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क के उक्त दो मीलों की सड़क को ऊंचा करना आवश्यक था? यदि हां, तो पानी सूखने के पश्चात् किस माह में उक्त कार्य के टेण्डर लिये गये व यह कार्य प्रथम किस ठेकेदार को दिया गया व इस ठेकेदार की कार्य-पूर्ण करने की मियाद कब तक थी?

(4) क्या यह सही है कि पानी सूखे 6 माह पश्चात् इस कार्य के टेण्डर लिये गये थे, व जिस ठेकेदार को कार्य दिया गया था वो प्राय: फेल हो गया और कुछ मिट्टी डालने के सिवाय कोई कार्य उक्त ठेकेदार ने नहीं किया और तीन माह तक कार्य बन्द पड़ा रहा?

(5) क्या यह सही है कि कार्य दुबारा किसी दूसरे ठेकेदार को दिया गया था? यदि हां, तो इसके टेण्डर कब लिये गये और कब मंजूर हुए, और पहले ठेकेदार के खिलाफ कार्य पूरा न करने पर नियम के अनुसार क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या उक्त कार्य पर लाया गया मेटीरियल पास शुदा क्वारी से लाया गया है?

(7) क्या यह सही है कि उक्त टेण्डर के एग्रीमेंट में घाटा पहाड़ (करीब 25 मील) की लीड दर्ज है और पत्थर व मिट्टी उक्त घाटा पहाड़ से न लाकर कुम्हेर के पास पूठपनवाड़ा पहाड़ से लाया गया है जो कि उक्त मीलों से 3–4 मील की दूरी पर स्थित है, और पेमेन्ट घाटा पहाड़ की करीब 26 मील की लीड से किया गया?

(8) उक्त कार्य अब किस ठेकेदार के पास है और उसको अब तक कितना पेमेन्ट किया गया है?

(9) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार भी निर्धारित समय में कार्य पूरा करने में असफल रहा है, और सरकार ने मशीनों द्वारा मिट्टी खोद कर सड़क पर डलवायी है, और सरकारी ट्रक व सरकारी लेबर ने कार्य किया है, लेकिन इस सारे कार्य का पेमेन्ट ठेकेदार को दिया गया है?

(10) उक्त कार्य का निरीक्षण सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता एवम् अधीक्षक अभियन्ता ने किन किन तारीखों में किया है, और क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(दिनांक 4-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

चूरू जिले की राष्ट्रीय राज पथ तथा सुरक्षा पथ में आई भूमि का मुआवजा

46. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में राष्ट्रीय राज पथ नं 11 और राष्ट्रीय सुरक्षा पथ का निर्माण कब चालू किया गया था ? ये सड़कें कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ?

(2) अब तक इन पर कितना कितना व्यय हुआ है और कुल लागत कितनी होगी ? पूर्व अनुमान क्या था ? लागत बढ़ने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या इन सड़कों के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितना कब ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) कुल कितनी कितनी भूमि खुदाई गई है और उसका कितना कितना मुआवजा होता है ?

(5) क्या यह सही है कि सड़क में आई हुई भूमि का लगान भी अभी तक किसानों से लिया जा रहा है ?

(6) चूरू जिले में बनी हुई सड़कों में से किस किस सड़क में आई भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है और किस किस सड़क में आई भूमि का मुआवजा किसानों को देना बाकी है तथा कब से क्यों ? इसमें विभागीय और अकाल सहायता कार्यक्रम में बनी सड़कें अलग अलग बतलाई जायं ।

(7) क्या जिन सड़कों के नीचे आई भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है उस भूमि का लगान भी अभी तक किसान ही दे रहे हैं ? ऐसे कितने किसान हैं ? कितना मुआवजा देना बाकी है ?

उत्तर

(दिनांक 4-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

गांधीनगर के सरकारी क्वार्टरों के कार्य का ठेका

47. श्री श्रवणलाल (हिंन्डौन सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी नगर स्थित सरकारी क्वार्टरों में कौन कौन से काम पूरा करने के लिये सरकार द्वारा ठेका दिया जाता है ?

(2) वर्तमान ठेका किस पार्टी को कब और किस किस कार्य के लिये व किन किन शर्तों पर दिया गया था ?

(3) उक्त ठेकेदार ने कौन कौन से कार्य पूरे कर दिये हैं ?

(4) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण कभी किया गया है ? यदि हां, तो कब कब ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कोई काम ठेके पर नहीं दिया जाता ।

Page No. 38

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) ठेका किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया गया ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

लाडनूं से निम्बी जोधा सड़क में आई भूमि का मुआवजा

48. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लाडनूं से निम्बी जोधा, जिला नागौर में बनाई गई सड़क की जमीन का मुआवजा सम्बन्धित काश्तकारों को दे दिया गया ? यदि हां, तो किस किस काश्तकार को कब कब कितने कितने रुपये का भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारानगर—चूरू सड़क निर्माण पर व्यय

49. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़):—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या चूरू जिला स्थित तारानगर से चूरू वाया सांतु दुधवाखारा सड़क निर्माण योजना बनी थी ? क्या इस योजना के अन्तर्गत कई स्थानों पर सड़क का निर्माण भी हुआ था ? इस सड़क निर्माण में कितनी धन राशि अब तक खर्च हो चुकी ? आगे क्या प्रगति चल रही है ?

उत्तर

जी नहीं । अकाल राहत कार्यों में चूरू से दूधवाखारा व दूधवाखारा से तारानगर सड़कों पर कार्य कराया गया है । 13,45,171) रु० अगस्त, 1967 तक खर्च हुआ है और इसके बाद अकाल राहत कार्य बंद हो जाने के कारण काम नहीं कराया गया है ।

मकराना के लड़कियों के मिडिल स्कूल का भवन

50. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती गजाधर सोगानी ने मकराना में लड़कियों के लिए स्कूल भवन बनाया है ?

(2) क्या यह सही है कि मकराने की लड़कियों का पुराना स्कूल भवन किराये का है और स्कूल के लायक नहीं है ? यदि हां तो नये स्कूल भवन को उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता ?

(3) क्या यह सही है कि मकराना की आबादी को देखते हुए लड़कियों की शिक्षा आठवीं तक होना अति आवश्यक है ? यदि हां, तो आठवीं तक की शिक्षा कब तक लागू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(श्री शिक्षा मन्त्री)

(2) जी हां। इस वर्ष उक्त प्राथमिक शाला को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने के कारण कुछ कक्षाओं को 17-8-6 से नये स्कूल भवन में बिठाना आरम्भ कर दिया गया है। नये स्कूल भवन के कुछ कमरों के किवाड़ लगाना बाकी है। किवाड़ व खिड़कियां लगाने के बाद सारी कक्षायें नये भवन में हस्तांतरित कर दी जावेंगी।

(3) प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किया जा चुका है। इस वर्ष कक्षा 6 आरम्भ कर दी गई है। जुलाई, 69 में कक्षा 7 व जुलाई 70 में कक्षा 8 नियमानुसार चालू कर दी जावेगी।

अध्यापकों के स्थानान्तरण

51. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अध्यापकों के स्थानान्तरण सामान्यतया पढ़ाई के चालू सत्र के बीच नहीं किये जाते हैं और गर्मी की छुट्टियों में ही किये जाते हैं ? यदि हां, तो जिला नागौर के जिला शिक्षणालय निरीक्षक द्वारा इस नीति का पालन नहीं करके इतनी भारी संख्या में गत सत्र के बीच अध्यापकों के स्थानान्तरण क्यों किये गये हैं ?

(2) क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(दिनांक 4-9-68 के लिये स्थगित या गया।)

पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण

52. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 1964-65 में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में लाइब्रेरी साईन्स ट्रेनिंग में शिक्षा विभाग के कुछ अप्रशिक्षित लाइब्रेरियन्स प्रशिक्षण के लिये विभाग की ओर से भेजे गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि कालेजों में कार्य कर रहे लिपिक व पुस्तकालयाध्यक्षों को जो अस्थायी तथा स्थानापन्न थे इस प्रशिक्षण में भेजे गये व उन्हें प्रशिक्षण काल में पूरा वेतन दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्य कर रहे लिपिक अथवा पुस्तकालयाध्यक्षों को जो इस प्रशिक्षण में भेजे गये, उन्हें पूरा वेतन न देकर स्टाईपेन्ड दिया गया जब कि वे विभाग में स्थायी तथा लम्बी सर्विस में थे ?

(4) यदि हां, तो एक ही विभाग के पुस्तकालयाध्यक्षों को वेतन देने में भेद-भाव का क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण में भेजते समय यह नहीं बताया गया था कि उन्हें प्रशिक्षण काल में पूरा वेतन न देकर स्टाईपेन्ड दिया जायेगा।

(6) क्या यह सही है कि उन्हें वेतन के स्थान पर स्टाईपेन्ड देने की सूचना जब

Page No. 40

(श्री श्रवणलाल)
दी गई जब कि प्रशिक्षण समाप्त प्रायः हो रहा था ?

(7) यदि हां, तो यह सूचना प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिये भेजते समय ही क्यों नहीं दी गई थी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जुलाई सन् 1954 से पहले की नियुक्ति राज्य कर्मचारी प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्ति होने पर पूर्ण वेतन के लिये विभागीय नियमानुसार हकदार होते हैं। जुलाई, 54 के बाद की नियुक्ति वाले राज्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण वृत्ति पर प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(4) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी जो कि प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किये जाते हैं उनको वेतन या प्रशिक्षण वृत्ति नियमानुसार ही दी जाती है। अतः किसी प्रकार के भेदभाव रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों को किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिये प्रतिनियुक्त किये जाने के लिये विभाग द्वारा स्थाई नियम बने हुये हैं। अतः यह अनिवार्य नही है कि प्रतिनियुक्ति के आदेश देते समय हर बार इसका स्पष्टीकरण किया जाय। परन्तु प्रशिक्षणार्थी द्वारा पूछे जाने पर इसका स्पष्टीकरण दे दिया जाता है तथा उसका ध्यान भी इस सम्बन्ध में पारित कार्यालय आदेशों की ओर आकर्षित कर दिया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु स्थाई नियम बनाये गये हैं।

(6) इस सम्बन्ध में उपरोक्त क्रमांक 5 में स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि प्रशिक्षणार्थियों के पूछे जाने पर ही इसका स्पष्टीकरण अपर निदेशालय के क्रमांक डी. डी. एस.डी. । स्था. । 2। एफ. । ।17165, दिनांक 2 मार्च, 1965 द्वारा कर दिया गया है।

(7) उपरोक्त क्रमांक 3, 4, 5 में इस प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

शैक्षणिक संस्थओं को सहायता

53. श्री दुर्गालाल बादवार (हवा-महल):– क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में यह निर्णय लिया गया था कि यदि किसी शैक्षणिक संस्था को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ग्रान्ट दे देगा तो उसी के अनुसार सरकार भी सहायता देगी और यह निर्णय राज्य सरकार ने स्वीकार किया था।

(2) इस निर्णय के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने राजस्थान राज्य में किस किस शैक्षणिक संस्था को गत तीन वर्षों में ग्रान्ट दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और उनमें से राज्य सरकार ने गत तीन वर्षों में किस किस शैक्षणिक संस्था को कितनी कितनी सहायता व अनुदान दिया ? सूची सदन की मेज पर

(श्री दुर्गालाल बाददार)

रखने कृपा करें तथा किन किन संस्थाओं को अनुदान नहीं दिया और क्यों ?

उत्तर

(1) प्रिन्सिपल्स कान्फ्रेंस, 1964 में केवल आंशिक रूप में उपकुलपति महोदय की सूचना से जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भविष्य की अनुदान योजना के सम्बन्ध में था आचार्यों को अवगत कराया गया था। इस पर कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अपने निश्चित नियम हैं। उन नियमों के अन्तर्गत प्रयोग विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किये जाने पर अपनी स्वीकृत योजना के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को विशिष्ट परियोजनाओं के लिये अनुदान देती है। यह अनुदान तभी दिये जाते हैं जब कि राज्य सरकार अपनी ओर से निश्चित प्रतिशत खर्च का सहयोग देती है।

(2) चूंकि इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक निर्णय नहीं था, फिर भी राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य परियोजनाओं में से जो भी परियोजना आयोग ने स्वीकृत की है उनके लिये राजकीय अनुदान स्वीकृत किया। गत तीन वर्षों में आयोग द्वारा संलग्न योजनायें स्वीकृत की गई और राज्य सरकार ने आयोग के नियमानुसार अपने हिस्से की राशि उस योजना को पूर्ण करने हेतु स्वीकृत कर दी है जिनमें से कुछ परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं बाकी की योजनाओं पर कार्यवाही चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

मकराना में हायर सेकेन्डरी स्कूल की व्यवस्था

54. श्री विजयसिंह (मकराना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या मकराना की आबादी देखते हुए यहां हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोलने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

राज्य सरकार हायर सेकेण्डरी शालायें बहुत कम संख्या में खोल रही है। केवल अभी उन शालाओं को प्राथमिकता दी जा रही है जो सन् 1947 या इससे पहले हो हाई स्कूल चल रहे थे। मकराना इस केटेगरी में नहीं आता है।

राजकीय कन्या प्राईमरी स्कूल, बाड़मेर की अध्यापिकाओं के विरुद्ध शिकायत

55. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई-सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( ) क्या यह सही है कि राजकीय कन्या प्राईमरी स्कूल, बाड़मेर की दो अध्यापिकाओं द्वारा अनुसूचित जाति की अध्यापिका को जन्माष्टमी के अवसर पर स्कूल में कृष्ण पूजा के कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया था ?

(2) क्या यह भी सच है कि बाड़मेर हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ता ने लिखित में प्रधानाध्यापिका को उन दो अध्यापिकाओं के खिलाफ शिकायत की ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(दिनांक 4-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

राजकीय उच्च विद्यालय पड़िहारा के भवन की मरम्मत

56. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित पड़िहारा ग्राम में राजकीय उच्च विद्यालय का भवन जनता ने बनाकर सरकार को दिया है? अगर हां, तो क्या सरकार उस इमारत की देखभाल व मरम्मत कर रही है? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पड़िहारा ग्राम में राजकीय उच्च विद्यालय का भवन जनता ने बनाकर राज्य सरकार को दिया है। यहां हाई स्कूल सन् 1961 से है। मरम्मत के प्रस्ताव विद्यालय निरीक्षक द्वारा भेजे गये। इस शाला का नाम प्रस्तावित नहीं होने के कारण मरम्मत कराने के लिये धन राशि नहीं दी जा सकी है। इस वर्ष भी जिला चूरू से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। अब निरीक्षक से प्रस्ताव मांगे गये हैं प्राप्त होने पर मरम्मत के लिये प्रावधान कर दिया जायगा।

सुजानगढ़ वाटर वर्क्स की पाइप लाइन का कार्य

57. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ वाटर वर्क्स के लिए पाईप लाइन बिछाने हेतु नगर में सड़कें तोड़कर पाइप डाले गये उनकी फिटिंग पूर्ण न होने के कारण से सड़कों की फिर से मरम्मत नहीं की गई?

(2) क्या यह सही है कि जिन ठेकेदारों को फिटिंग का ठेका दिया उनको सरकार फिटिंग का सामान सप्लाई करने में ढील कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। सुजानगढ़ शहर में पाईप लाइन डालने हेतु आवश्यकतानुसार सड़कें तोडी गई थी। तोडी हुई सडकों के खड्डे भर दिये गये है परन्तु उनको मूल हालत में लाने की कार्यवाही ठेकेदारों द्वारा कार्य पूरा किये जाने व पाइप लाइन के टेस्टिंग के बाद में की जायेगा।

(2) जी नहीं।

बकानी में पेयजल की व्यवस्था

58. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बकानी, जिला झालावाड़ में पेयजल की व्यवस्था नल योजना द्वारा होगी? यदि हां तो कब तक यह कार्य शुरू होने की संभावना है?

उत्तर

जी हां, कार्य योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि के बाद ही शुरू किया जा सकेगा।

गंगानगर की ड्रेनेज स्कीम

59. श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या गंगानगर शहर के लिए ड्रेनेज स्कीम तैयार हो गई है ?

(2) यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा होगा ?

(3) राज्य सरकार कितनी सहायता देने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 85.32 लाख रुपये।

(3) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है अभी निर्णय लेना बाकी है।

जयपुर में गटर की लाइनें

60. श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि जयपुर नगर में ग्राम रास्तों में गटर की सारी लाइनें सरकारी होती है ?

(2) क्या यह सच है कि ब्रह्मपुरी के खुर्रे के पास सरकारी गटर की लाइन व मैन होल बने हुए हैं ?

(3) क्या यह सच है कि इस सरकारी लाईन पर व मैन होल पर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने मकान बना लिया है ? यदि हां, तो किसने और किस की अनुमति से ?

(4) क्या यह सच है कि नौग्रह के रास्ते से आने वाली शहर दीवार सरकारी है और इस व्यक्ति ने इस सरकारी दीवार को भी अपने मकान की दीवार बना ली है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) हां, यह सही है कि यह मकान श्री अशरफखां पुत्र श्री निजामखां ने बनवाया है इसकी स्वीकृति दिनांक 15–11–66 को तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा भवन निर्माण समिति की शिफारिश पर दी गई थी।

(4) हां, यह सही है कि नौग्रह के रास्ते से आने वाली शहर की दीवार सरकारी है तथा श्री अशरफखां ने इस दिवार से परपेटवां मकान जिसका विवरण उपरोक्त प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, बनाया है।

नगरपालिका, नीम का थाना का वकील

61. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई–सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगरपालिका, नीम-का-थाना, जिला सीकर ने अपने मुकदमात की पैरवी करने के लिये कोई स्थायी वकील की नियुक्ति कर रखी है ? यदि हां, तो किसको व कितने रुपये माहवार वेतन पर ?

(2) क्या यह सच है कि नगरपालिका ने नियुक्त वकील के अलावा किन्हीं अन्य वकीलों को भी फीस देकर अपने मुकदमों की पैरवी कराई ? यदि हां, तो किस-किस वकील से किस–किस मुकदमे की क्या फीस

(श्री जयनारायण सालोदिया)
देकर ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सच है कि श्री जयनारायण एडवोकेट नीम-का-थाना नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री विजयदयाल संघी, एडवोकेट को 40) रु० माहवार के हिसाब से मेहनताना दिया जाता है।

(2) जी हां। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

रामगढ़ की जल-योजना

62. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि शेखावाटी स्थित रामगढ में जल-योजना का शिलान्यास गत वर्ष फरवरी महीने में मुख्य मंत्री ने किया था ?

(2) क्या जल-योजना का कार्य चालू हो गया ? अगर नहीं, तो क्यों ? शिलान्यास किस आधार पर किया गया था ? वाटर वर्क्स योजना की स्वीकृति कब हुई थी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, यह योजना जीवन बीमा निगम से सन् 66-67 में मिलने वाले ऋण से चालू की जाने वाली थी। जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त न होने के कारण योजना पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इस योजना की प्रशासकीय स्वीकृति राजस्थान सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ.8 (4) अ. एस. (पी.एच.) 66 दिनांक 26-1-67 को की गई थी और इसी को आधार मान कर शिलान्यास किया गया था।

अब बीमा निगम को नगरपालिका का प्रस्ताव भेज दिया गया है और निगम ने ऋण देना स्वीकार कर लिया है, और ऐसी आशा की जाती है कि ऋण शीघ्र ही मिलने वाला है, और ऋण मिलने पर कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जावेगा।

नगरपालिका डीडवाना के प्रशासक

63. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्तशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नगरपालिका डीडवाना में श्री कृष्ण टाक कब से कब तक प्रशासक रहे और अपने कार्यकाल में कौन कौन सी जमीन को, कब-कब, किस-किस प्रकार से कितने कितने मूल्य में कितने-कितने वर्ग गज किस-किस को बेची ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त जमीनों में कोई ऐसी जमीन भी है जो राज्य सरकार ने अपने कार्य के लिये रिजर्व कर रखी है ?

(3) क्या जमीनें बेचने की जो कार्य-

(श्री हरजी राम बुरडक)
प्रणाली सरकार ने बना रखी है उसका सब मामलों में पालन हुआ है या नहीं ?

(4) उक्त जमीन बेचने में आपत्तियां मांगने का नोटिस जारी हुआ है ? यदि हां, तो कब-कब और उनमें किस-किस को आपत्तियां प्राप्त हुई और उनमें क्या-क्या निर्णय दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) श्री कृष्ण टांक नगरपालिका, डीडवाना दिनांक 10-7-67 से 12-12-67 तक प्रशासक रहे। प्रशासन काल में इन्होंने जिन भूमियों का विक्रय किया था उसकी पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) नगरपालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्य-प्रणाली का पालन किया गया है।

(4) जी हां। पूर्ण विवरण प्रश्न के भाग (1) में प्रस्तुत सूची में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

(12.12 म. प.)

श्री दुर्जनसिंह द्वारा कांग्रेस पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने की घोषणा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री दुर्जनसिंह विभाजन संख्या 51, जो स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर रानीवाड़ा चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करली है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी चाहता हूं कि कांग्रेस में दुर्जनसिंह व दुष्टसिंह ही मिले हैं या सज्जनसिंह भी कभी मिले हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपकी प्रतीक्षा तो कहीं नहीं हो रही है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : यह सदन राजस्थान की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जनता के हर्ष में ही अपना हर्ष अनुभव करता है . . .

श्री अध्यक्ष : किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: अभी राजस्थान में प्रायः 35-40 के ऊपर व्यक्ति इस बाढ़ के अन्दर मर गए। इससे कुछ माननीय सदस्यों के प्रति . . . .

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्रश्न है, आप सहसा उठा रहे हैं ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : दुर्जनसिंह को कितने में खरीदा ?

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री दौलतराम सारण, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री नत्थीसिंह, सदस्य विधान सभा, ने सरदार शहर पंचायत समिति के प्रधान की राजनैतिक द्वेषवश हत्या करने के एक षड़यन्त्र मे सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया है कि 307 के मामले में पकड़े गये मुलजिमान ने सरदार शहर पुलिस थाने में दिनांक 12-8-68 को

(श्री अध्यक्ष)
इस बात को तसलीम किया है किन्तु राजनैतिक दबाव के कारण इसका षडयन्त्र में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

चूंकि इस मामले का संबंध जन जीवन की सुरक्षा से है अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय में तथ्यों सम्बन्धी जानकारी कर 30–8–68 को वक्तव्य द्वारा स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

भवानीमंडी, झालावाड़ राजस्थान टैक्सटाइल मिल मजदूरों की हड़ताल श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा प्रस्तुत व श्री गोरधन सोनी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध चुनाव याचिका इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कौन कौन से प्रस्ताव हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप सजग नहीं है। भवानीमंडी, झालावाड़ राजस्थान टैक्सटाइल मिल के मजदूरों की हड़ताल श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा प्रस्तुत, श्री गोरधन सोनी, सदस्य विधान सभा—विरुद्ध चुनाव याचिका श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह : इसमें एक सदस्य की सुरक्षा का सवाल है। मैं चाहूंगा कि गृहमंत्री जी उत्तर दें और इस बात की व्यवस्था करें कि श्री गोरधन सोनी पर किसी प्रकार की विपत्ति न आए डराने धमकाने का सवाल न हो। हालत इस प्रकार की पैदा हो गई कि ऐसे मतपत्र पकड़े जा रहे हैं जिनमें फौजदारी की जा रही है, टैम्पर विथ किया जा रहा है और उस स्थिति से बचने की कोशिश हो रही है . . .

श्री अध्यक्ष : यह सीक्रेसी का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : लाइफ का खतरा है। दुनियां में जो चर्चा हो रही है उसको मैं यहां रख रहा हूं। चर्चा ऐसी है कि बलट पेपर्स काफी संख्या में पकड़े गए हैं और माननीय सदस्य पर दबाव है। मैं गृह मंत्री जी से चाहता हूं कि माननीय सदस्य पर किसी प्रकार का दबाव न आए। उनकी लाइफ का खतरा न हो इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जुडिशियल मैटर है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं है। लाइफ का सवाल है बेलट पेपर्स को टैम्पर विथ किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस प्रसंग के दो भाग हैं। एक तो काउंटिंग से सम्बन्ध रखता है। वह सीक्रेसी है और उस सम्बन्ध में कोई चर्चा इस सदन में आना उचित नहीं है। दूसरा आप कहते हैं किसी माननीय सदस्य पर कोई खतरा है। उसकी जानकारी के लिए आपका प्रस्ताव गृहमंत्री जी को भेजा है और जानकारी आते ही इस पर विचार करेंगे। निम्नलिखित विषयों पर मंत्रियों द्वारा वक्तव्यः—

श्री गंगानगर में प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज। गृह मंत्री का वक्तव्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और जो स्थगन प्रस्ताव भेजे गए हैं आज भेजे गए हैं मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भेजा था।

श्री अध्यक्ष : उसकी सूचना भेज दी गई है माननीय सदस्यों को।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसकी सूचना आपने मुझे दी है कि वह नहीं लिया गया है आपने स्वीकार नहीं किया है वह तो ठीक है लेकिन स्थगन प्रस्ताव जो रखा है कि जयपुर में कत्ल किए गए आत्म हत्याएं की गई उन पर सरकार का वक्तव्य होना चाहिए। मेरा दूसरा प्रस्ताव था श्री विजयसिंह रावत जो इस सदन के माननीय सदस्य थे उनकी मृत्यु इस तरह हुई है जिससे न सरकार स्पष्ट है न घरवाले स्पष्ट हैं···

श्री अध्यक्ष : दोनों स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में आपको सूचना मिल गई है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : हां। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से वक्तव्य आना चाहिए जिससे स्थिति स्पष्ट हो। न हम स्पष्ट हैं न सरकार स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : भवानी मंडी के अन्दर 5 मजदूरों ने 4 दिन से हड़ताल कर रखी है बोनस को मांग को लेकर। साथ ही साथ मिल का एक व्यवस्थापक है उन्होंने कुछ धमकियां दी हैं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं समझ गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : पुलिस द्वारा और राजकीय अधिकारियों द्वारा उनको समझाया जाता है। उनके वैधानिक अधिकारों का हनन किया जाता है। पुलिस द्वारा उनको धमकियां दी जाती हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से गृहमंत्रीजी को कहूंगा कि मिल के मजदूर अपने वैधानिक अधिकारों के लिए हड़ताल कर रहे हैं उस हालत में पुलिस उनको धमकियां दे। अपने अधिकारों के लिए जो वैधानिक कार्य कर रहे हैं उनको पुलिस के द्वारा रोका जाय, चाहे मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में हो और पुलिस की इस प्रकार की कार्यवाही को रोका जाय····

श्री अध्यक्ष : बहुत हो चुका है पर्याप्त है। अब मैं माननीय गृह मंत्रीजी को स्टेटमेंट के लिए कहूंगा वह ज्यादा सारगर्भित है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य की मृत्यु हुई उस संबन्ध में न सरकार डेफिनेट है न हम डेफिनेट हैं कि उनकी मृत्यु किस तरह किन हालात में हुई ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्रीजी !

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय···

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूरतगढ़ नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों के लिए····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बीच

(श्री अध्यक्ष)
में कहीं और कहेंगे तो सुन लूंगा। इस प्रसंग में छेड़छाड़ न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने इसके सम्बन्ध में एड्जर्नमेंट मोशन रखा था····

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर, माननीय सदस्य। आॅर्डर प्लीज····अभी ही माननीय सदस्यों ने कहा कि यह प्रश्न आ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, फिर क्यों दखल डाल रहे हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आपने कल यह फरमाया था स्थगन प्रस्तावों के बारे में कि जिन स्थगन प्रस्तावों के बारे में स्टेटमेंट दिया जायगा, उनकी सूचना दे दी जायगी और जो रिजेक्ट कर दिये जायेंगे उनकी भी सूचना दे दी जायगी····

श्री अध्यक्ष : मैंने कल भी सूचित कर दिया, जिनको स्वीकार किया उनको सूचित कर दिया और जिनको अस्वीकार किया उनको भी सूचित कर दिया, आज भी सूचित कर दिया····

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे एक मिनिट का समय दिया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय········

श्री अध्यक्ष : दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ नहीं। माननीय सदस्य तो वकील हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस पर भी आपने

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बद्रि प्रसाद जी को बैठाना पड रहा है, मुझको भी बैठाना पड रहा है।

गृह मंत्री

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय,······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व्यवस्था के सवाल पर अर्ज कर रहा हूं। जब माननीय सदस्य देवीदत्तजी गाडिया को बोलने के लिये थोडा समय दे दिया तो मैं समझता हूं माननीय आर्य को भी अपनी बात कहने का मौका मिलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह विवशता का प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आसन की ओर से कुछ माननीय सदस्यों को बोलने का समय दे दिया जाता है और कुछ को समय नहीं दिया जाता, ऐसा लगता है माननीय सदस्यों की कुछ डिग्रीज बनी हुई हैं मैं समझता हूं आसन की तरफ से इस प्रकार का व्यवहार·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय आर्य को बहुत ज्यादा समय दिया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं समझता हूं इस सदन में व्यवस्था

(श्री दौलतराम सारण)

बनाये रखने के लिये सभी के साथ समान व्यवहार ग्रासन की ग्रोर से किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: ग्रार्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : ग्राप इस पर खुलासा करें।

श्री अध्यक्ष: ग्रार्डर, मेरी माननीय ग्रार्य के लिये बहुत उदार मंशा है, उन्हें समय दिया करता हूं लेकिन बीच में जब कि वक्तव्य ग्रा रहा है व्यवधान पैदा नहीं किया जाना चाहिये। मैं कोई ग्रसुविधा उनको नहीं देता।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : ग्रापने गाड़ियाजी को समय दिया है, मुकुटजी को समय दिया है तो रामचन्द्रजी को भी समय देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ग्रापको भी दिया है।

इस सम्बन्ध में सचेतक महोदय ध्यान रखें तो सदन की कार्यवाही समुचित रूप से चल सकती है· · ·

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : ग्राप एक मिनिट के लिये तो मेरी बात सुन लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ की नगरपालिका का प्रश्न है·······

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, यह मेरा प्रश्न नहीं है, सारे सदन का प्रश्न है ग्राप चाहें तो मैं बैठ जाऊं ग्रौर सदन का समय जिस तरह ग्राप चाहें उस तरह ले लें, यह व्यवहार उचित नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : (शोरगुल के बीच) मुझे बोलने नहीं दिया जाता, इसके विरोध में मैं सदन से वाक ग्राउट करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन के लिये प्रस्थान)

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर, बाहर जा रहे हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्रपने ग्रापमें बड़ा विचित्र सवाल है कि वे ग्रापसे ग्रपील कर रहे हैं ग्रौर ग्राप उनकी ग्रपील पर कोई ध्यान नहीं दे रहे है, दूसरों को तो बोलने का समय दे देते है। ग्रासन से सबके प्रति समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हम ग्रापसे निवेदन करते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष : क्यों खामोखाह वातावरण को क्षुब्ध करते हैं एक माननीय सदस्य ने ग्रापके लिए कहा कि ग्रापको समय दिया गया।

श्री दौलतराम सारण : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप स्वयं वातावरण को शान्त रखना चाहें तो हम ग्रापके साथ हैं, हम पूरी तरह से ग्रासन का सम्मान करें पर ग्रासन को तरफ से एक सदस्य को विचार व्यक्त करने का समय दे दिया जाता है पर दूसरे माननीय सदस्य को भावना होते हुए भी उनको बोलने से रोका जाता है, इसके लिये स्वाभाविक है कि हमारे दिलों में रोष हो, मैं ग्रासन से निवेदन करूंगा· · ·

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर· · ·

श्री दौलतराम सारण : मुझे कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं ग्रापकी भावना को समझ गया।

(श्री दौलतराम सारण, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल और श्री मदनसिंह एक साथ बोलने लगे)

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह का व्यवहार· · · ·

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : मेरा निवेदन है कि इस तरह डिस्क्रिमिनेशन बरतेंगे तो इस सदन में आसन की वह गरिमा नहीं रह सकेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार करने का आसन प्रयत्न करें। अगर सदन के माननीय सदस्यों के दिलों में इस तरह की भावना पैदा होती है कि आसन की ओर से हमारे साथ समान व्यवहार नहीं होता है तो वह न आसन के हित में होगा, न सदन के हित में होगा और न आसन की प्रतिष्ठा के हित में होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय आर्य को सदन में बुलाया जाय और उनकी बात सुनी जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यहां व्यवस्था कायम रखने के लिये आवश्यक है कि माननीय आर्य को बुलाया जाय और उनकी बात को सुना जाय।

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल में माननीय सदस्यों के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, वक्तव्यों, भाषणों में आसन की ओर से नहीं बरता जाता · · ·

एक माननीय सदस्य : हम तो देखते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

ऐसा मैं तो नहीं समझता रहा हूं, सदन के माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करूंगा कि उनके दिमाग में इस तरह की बात नहीं आनी चाहिये कि आसन की ओर से डिस्क्रिमिनेशन बरता जाता है। जहां तक माननीय रामचन्द्रनजी का प्रश्न है, वे यदा कदा किस तरह प्रश्न उठाते हैं, उस पृष्ठ भूमि में मैं नहीं जाऊंगा। यदि माननीय सदस्यों में आक्रोश क्षोभ हुआ है तो ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं आने दी जायगी। इससे आपको आक्रोश हुआ हो, मुझे तो आक्रोश होता नहीं। समय के विभाजन में जो मुझे चिन्ता होती है, वह सदन के हित में होती है। आप चाहें तो जैसे चाहें समय लें पर बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी ने जैसी व्यवस्था की है, उन सब बिजनेसेज को लेने के लिये सदन के समय का विभाजन हो इसके लिये चिन्तित होकर आसन से सदन के समय का विभाजन किया जाता है। यदि उससे क्षोभ होता है, उसके लिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णयों में रिकन्सिडेशन किया जाय। अगर इससे सदन सहमत होता है तो किया जा सकता है पर मेरी मान्यता है कि सदन के माननीय सदस्य चाहे अलग अलग दलों के अलग अलग विचारधारा के हैं बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी के निर्णयों के अनुसार ही सदन को चलाना पसन्द करते हैं।

श्री लक्ष्मीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह सही है कि आपको व्यवस्था करनी है पर स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के मन में एक तात्कालिक चिन्ता का विषय होता है। जिस पर स्टेटमेंट दिलवाते हैं उनका रेफरेंस शासन द्वारा कर दिया जाता है, वह तो ठीक है पर जिनको अस्वीकार कर दिया जाता है कतई रूप से और उन पर बयान नहीं दिलाते हैं उन स्थगन प्रस्तावों का यदि रेफरेन्स नहीं देते हैं तो उनके मन में व्यथा रह जाती है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अस्वीकार करें पर यहां सदन में उनका रेफरेंस आना चाहिये, जैसी कि प्रथा आज तक रही है। उनका रेफरेंस आ जाता है तो सदन को भी पता चल जाये, प्रेस को भी पता चल जाये, जनता को भी पता चल जाये और जिन माननीय सदस्य ने वह स्थगन प्रस्ताव रखा है, उनके मन में भी संतोष हो जाय कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था, उसका रेफरेंस आ गया। क्या बात थी? इसलिये मेरा निवेदन है कि अस्वीकार करते समय भी उनका रेफरेन्स दें।

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किये गये स्थगन प्रस्तावों की भी सूचना यहां दे दी जायगी।

माननीय गृह मंत्री।

शासकीय वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन वाकयात को लेकर एडजोर्नमेंट मोशन्स माननीय सदस्यों ने पेश किया सदन में, उनके लिये मुझे अर्ज करना है कि उस मामले में जो गिरफ्तारियां होकर मुकदमें बनें वे अदालत में चालान कर दिये गये हैं और चूंकि वे मुकदमात जेर तजबीज अदालत हैं इसलिये वे सबजूडिस हैं और मेरे लिये यह उपयुक्त नहीं है कि उन मुकदमात पर जो जेर तजवीज हैं उन पर रोशनी डालूं। मैं चाहता था कि सदन में परम्परा इस प्रकार की बने कि जो अदालत में जेर तजबीज मुकदमात हैं उन पर यहां बहस न हो। उसका उल्लंघन करने से मुकदमात पर असर पड़ता है, केस प्रिजुडिस होता है और उस पर असर पड़ता है और मुलजिमान और मुस्तगीस दोनों पर भी उसका असर पड़ सकता है।

चूंकि आपकी आज्ञा है इसलिये 3 जुलाई को गंगानगर में जो गंभीर घटना हुई उसको मैं आपके सामने पेश करूंगा ताकि सदन को मालूम हो जावेगा कि पुलिस को क्यों कार्यवाही करनी पड़ी। 3 जुलाई को गंगानगर प्रदेश कांग्रेस का सेशन होने वाला था। यह बात पहले से सब को मालूम थी। कुछ दूसरी पार्टीज ने खास कर भारतीय क्रांति दल, स्वतन्त्रपार्टी उन्होंने पहले से ही इस बात की कोशिश की कि वे भी उसी तारीख को प्रदर्शन करेंगे और जो जलूस व सभा कांग्रेस की होगी उसमें गड़बड़ी करेंगे। कलेक्टर को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने जितनी पोलिटिकल पार्टीज थीं उनको नोटिस दे दिया कि जलूस सभाओं आदि के लिये पुलिस एक्ट की सेक्शन 30 के अन्तर्गत लाइसेन्स ले लें कांग्रेस ने सबसे पहले एप्लाई किया। उसको दस बजे से 1 बजे दिन तक का लाइसेन्स दिया। दूसरी पार्टीज को लाइसेन्स दिया कि वे एक बजे से 2।। बजे तक जलूस निकाल ले, दूसरी पार्टीज के लोगों ने एग्री किया कलेक्टर के सामने कि 1 से

(श्री दामोदरलाल व्यास)

2।। बजे तक वे जलूस निकाल लेंगे। माननीय मुख्य मंत्री के सामने वे मेमोरेन्डम पेश करना चाहते थे। पुलिस और पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं के साथ यह बात हुई और उनको इजाजत दे दी गयी। निर्धारित समय के अनुसार कांग्रेस का जलूस बाकयदा निकाला और जब वह शान्तिपूर्वक जा रहा था एक अलग से जलूस निकल कर आ गया उस जलूस में कुछ इस सदन के माननीय सदस्य थे और कुछ दूसरे जनता के लोग थे। यह खुद के एग्रीमेंट और लाइसेन्स के खिलाफ था। केवल उनका मकसद कांग्रेस के जलूस में गड़बड़ी पैदा करना था। मजिस्ट्रेट और पुलिस मौजूद थी। उन लोगों को उनके एग्रीमेन्ट के अनुसार लाइसेन्स दिया गया था। उनके लिये समय निश्चित कर दिया गया था। मजिस्ट्रेट व पुलिस ने जलूस वालों को समझाया लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने वायलेन्ट रूप धारण कर लिया और मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे कई पुलिस अफसरों के चोटें आयीं इसलिये जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करना पड़ा और भीड़ को डिस्पर्स करना पड़ा। जब वे डिस्पर्स हुए तो आगे जाकर फिर दूसरे रास्ते से उन्होंने गड़बड़ी मचायी। जो स्वागत में दरवाजे बने हुए थे उनको तोड़ दिया, लकड़ियां ले ली और पत्थरों से मारपीट की जिससे कई पुलिसमैनों को चोटें आयीं। पंडाल बना हुआ था, बिजली के तार वगैरा को आग लगाई गयी और तोड़ कर ले गये। पुलिस बचाने गयी तो उस पर हमला किया। जिससे उनको चोटें आयीं। एस. पी. और कलेक्टर वहां पहुंचे तो एस. पी. के साथ मारपीट की गयी।

इसी प्रकार प्रोपर्टी का डेस्ट्रक्शन किया गया। एक जीप जिसमें खाना पीना भरा हुआ था उसको लूट लिया। उसमें आग लगा दी। तोड़ फोड़ की। स्टेशन वेगन की भी यह हालत की। एक बस की तोड़ फोड़ कर दी और आम तौर पर बसैब गुजरीं उन पर पत्थर बाजी की। और कुछ दूरी पर रोडवेज की एक बस को पूरी की पूरी जला दी।

इस तरह की कार्यवाही की गयी। यह मैं संक्षेप में अर्ज कर रहा हूं। ताकि आपको पता लगे कि पुलिस को क्यों कार्यवाही करनी पड़ी और उसने क्या कार्यवाही की। मैं वाक्यात को आपके सामने पेश कर रहा हूं। पुलिस ने हर तरह से शान्ति बनाये रखने की कोशिश की उसके बावजूद भी 25 पुलिस के जवान जख्मी हुए। गंगानगर में कई के सिर फूट गये और कइयों को शदीद (ग्रीवियस) चोटें आयीं। जनता में से किसी को चोट आने का कोई मामला पुलिस में दर्ज नहीं हुआ है। इन घटनाओं के बाबत मुकदमात दर्ज हुए और गिरफ्तारियां हुई और उनका अदालत में चालान कर दिया गया। किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव किया कि उनका कोई मंच था, सभा करने का था और उसको तोड़फोड़ कर दिया गया। यह कतई गलत है। न तो उनका कोई मंच था, न सभा थी और न ही उसमें कोई गड़बड़ी की गई। उन लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्यवाही की जो ला एन्ड ऑर्डर को नष्ट कर रहे थे, जो आगजनी और मारपीट की घटनाएं कर रहे थे और बहुत वायोलेन्ट होकर ला एन्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे थे। उन वाक्यात को

(श्री दामोदरलाल व्यास)
देखते हुए जो सख्ती की जानी चाहिये थी उससे कम की गयी । मेरिट्स पर चूंकि अदालत में मुकदमात जेर तहकीकात हैं उन मुकदमात पर यहां बहस करना उचित नहीं है और मैं उन पर कुछ कहना भी पसन्द नहीं करूंगा ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : माननीय गृह मंत्रीजी, लाठियां चली, पत्थर चले तो कितने मिनिस्टरों के सिर फूटे यह तो बताओ ? वे कोई मकराना के पत्थर नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष : ओर्डर प्लीज ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने माननीय गृह मंत्रीजी का बयान बहुत गोर से सुना । सबजुडिस होने के बारे में आपने फरमाया । मैं भी मानता हूं डेमोक्रेसी में और हमारे आज के मुल्क में और स्टेट में अदालतों के पावर बढ़े, उनका सम्मान बढ़े और खास कर ज्युडिशियरी का । मैं उन लोगों में से हूं कि जो कुछ परम्परायें हमने बनायी हैं उनको कायम रखें और जो परम्परायें ठोक नहीं हैं वे उनको बदलें । 3 तारीख को महज इतना होता है कि जुलूस और प्रदर्शन की बात होती और कुछ प्रिन्सिपल्स इन्वोल्ड न होते तो एडजोर्नमेंट मोशन की आवश्यकता हो नहीं होती ।

गृह मंत्रीजी जिनको मैं डंडा मंत्रीजी कहता हूं ग्राम भाषा में । चौथे चुनाव के बाद होम अफेयर्स को कन्ट्रोल करने जैसी कोई बात ही नहीं रही । यह मैं बहुत अदब के साथ कह रहा हूं । कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं रहा है । कोई ला एन्ड ओर्डर की बात नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं । फोर्थ इलेक्शन के बाद कोई स्कूल खुलवानी हो, कोई भरती करनी हो, किसी का ट्रान्सफर करना हो, कोई भी सार्वजनिक कार्य हो, सारी गवर्नमेंन्ट मशीनरी को यह हिदायत दे दी गई है कि बगैर पोलिटिकल एन्ड्स के उन को हथियाया जाय । अगर ऐसी हालत है और इसके साथ मैं मान्यवर, यह बात मानता हूं कि पी. सी. सी. की मीटिंग हो, हम जाते लेकिन 3 तारीख को एक भी कांग्रेस सदस्य वहां नहीं गया, प्रभात फेरी नहीं लगाई, चन्दा नहीं मांगा । चन्दा मांगते पी. सी. सी. की मीटिंग बुलाते तो मैं स्वागत करता । एक भी मान्यवर वहां चन्दा मांगने नहीं गया । अगर मनफूलसिंहजी एस. डी. एम. और पुलिस वाले मिलकर अन्याय करें, जुल्म करें और फिर पथराव किया, यह ठीक है कि यह मामला सबज्यूडिस है लेकिन सबज्यूडिस का मतलब यह नहीं है कि हम फेक्ट्स को नरेट नहीं करें । मैं मानता हूं कि हम इसके मेरिट्स के बारे में नहीं बोलें, इसके नेचर के बारे में नहीं बोलें लेकिन लाठी चार्ज हुआ और हिंसा का वातावरण फैल गया क्या पुलिस उसको शान्ति से काबू नहीं कर सकती थी ? क्या कोई ऐसा प्रिकाशन नहीं ले सकती थी, इससे पहले कि जिससे हिंसा का वातावरण पैदा न हो, जीपें न जलाई जायं, बसों को विनाश नहीं किया जाय ? यह सब क्यों होता है ? सब आपकी जिम्मेदारियां हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत हो तो मैं यह पूछना चाहता हूं क्या सेक्शन 30 में लाईसैन्स मिल गया था ? क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री केदारनाथ : मैं जैसा कह रहा था कि मि. ज्वाला प्रसाद जो वहां दो तारीख को पहुंचे। मैं और मेरे साथी भी वहां पहुंचे। ड्राइवर्स, कन्डक्टर्स और बस प्रापरेटर्स अगर आपके फिसाद पैदा करते हैं तो ये श्री ज्वाला प्रसाद ऐवीडेन्स हैं। उसके बाद सारी की सारी इन्स्ट्रक्शन आती हैं। हम लोग स्कूल आफ थाट हैं, जिन लोगों ने लाठी चार्ज सहन की, फायरिंग सहन की हो उनके बारे में अध्यक्ष जी यह कहा जाय कि लोग गलती पर थे। ऐसे हालात पैदा कर दें कि 3 तारीख को सुबह पंडाल का विनाश कर दिया। हमें पुलिस एक्ट सैक्शन 30 और दफा (2) के तहत मंजूरी दी गई। हमने मंजूरी नहीं मांगी वह काम्यूनिकेट कर दें। हमने 27 तारीख को पब्लिक स्टेज की मांग की जबकि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं था। 1 तारीख को जब मैं और मेरे साथी कलेक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर एस. डी. एम. और कलेक्टर पी. सी. सी. का चन्दा इकट्ठा कर रहे थे। पी. सी. सी. के मेम्बर उनको धौंस देते हैं कि अगर एस. डी. एम. यहां रहता है, मजिस्ट्रेट यहां रहता है तो आपको चन्दा इकट्ठा करना पड़ेगा—इस तरह से तो आपके पी. सी. सी. के मेम्बर्स उनसे काम लेते हैं ? टेन्शन पैदा न हो तो फिर क्या होगा मि. पान्डे हैं वहां पर कोई। अगर आप ऐसी हालत पैदा करने पर उतरे हुए हैं तो हिंसा वृत्ति बढ़ेगी। हिंसा न हो, टेन्शन पैदा न हो, आतंकित और भय का वातावरण न हो तो आपको हिंसा वृत्ति निकालनी होगी। बिना हिंसक वृत्ति निकाले वहां कभी भी पीसफुल एटीट्यूड पैदा नहीं हो सकता है। इस प्रकार टेन्सन क्रियेट कर दें तो वहां हिंसा ही होगी। मैं यहां पर होम मिनिस्टर साहब से इस बात की भीख मांगने नहीं आया हूं कि आप इन्हें वापिस कर दो। यहां हालात यह पेश करने आया हूं कि 3 तारीख को पान्डाल तोड़ देते हैं, सारी जगह विनाश का बवंडर खड़ा कर देते हैं। यह कोई छोटे डंडे वाली पुलिस नहीं थी, बड़े बड़े डंडे लेकर बीकानेर रेन्ज से उनको इसलिए बुलवाया था कि हम लोगों से बदला लिया जाय। इन टोप धारी पुलिस वालों ने भयभीत करने का वातावरण पैदा कर दिया। इसके अलावा चारों तरफ दहशत का वातावरण फैल गया। कांग्रेस का कोई वर्कर बाहर नहीं निकला, चन्दा मांगने के लिए यह भय का वातावरण पुलिस ने फैला रखा था। यहां मैं कानफिडेन्शियल बात कहना चाहता हूं और हमारी मंशा यह थी कि....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री केदारनाथ : हमारी यह मंशा थी कि 2 बजे वे लोग जत्थे बनाकर आ रहे थे और जुलूस में शामिल थे। ये कभी मुख्य मंत्री के दामाद के नाम से, कभी रिश्तेदार के नाम से कभी पोलिटिकल नाम से आते रहे। 4 दिन बाद रिटर्न किये। वह हमारी गलती थी कि हम रिटर्न हो गये। पीसफुल तरीके से फैसला करें। यह मंशा थी कि जुलूस नहीं निकालने पायें, पंडाल तोड़ दिया, लोगों को पिटाई की। 8॥ बजे गिरफ्तार किया गया और 15 मिनट बाद रीलीज कर दिया गया। 9॥ बजे कोई प्रदर्शन नहीं था—कांग्रेस का कोई प्रदर्शन नहीं था। हम ऐलान कर रहे थे कि आज हड़ताल होगी इसलिए होगी कि इन्होंने जबरदस्ती चन्दा इकट्ठा किया है। सरकारी

(श्री केदारनाथ)

अधिकारियों द्वारा चन्दा इकट्ठा किया गया इसलिए हड़ताल होगी ।

पहले मंत्री महोदय, लाठी चार्ज करने से पहले अनाऊन्समेंट करते थे, लाठी चार्ज के पहले हल्का सा फायरिंग करते थे और फिर लाठी हल्की चलाई जाती थी, लाठी को नीचे जमीन पर मारते थे कभी आदमियों के सिर पर नहीं मारते थे । यहां पर इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया और सीधी लाठी चलाई गई । मैंने एस. पी. साहब से कहा अगर यह पहले मालूम होता यह आपको हिंसा करनी थी तो इसका मुकाबला किया जा सकता था लाठी चार्ज ब्यूरोक्रेटिक ढंग से किया गया, बिना वार्निंग के किया गया लोगों को कोई मौका नहीं दिया गया । एक दो हजार आदमियों की पिटाई की है । मेरे पास लिस्ट है, वे हास्पिटल में जाते हैं तो उनको भरती नहीं किया जाता है, लाचार होकर वे वापिस आते हैं । उस समय सारे कालेजेज बन्द थे, स्कूल बन्द थे, हास्पिटल के चारों तरफ घेरा था । टोपधारी पुलिस के सारे आदमी चारों तरफ फैले हुए थे । अध्यक्ष जी ऐसे लोगों पर लाठी चार्ज किया गया जो देखा नहीं जा सकता । छात्रों को पीटा गया, भोले भाले नागरिकों को पीटा गया । पी. सी. सी. के एक भी मेम्बर के चोट नहीं लगी मैं इस बात को भी कहता हूं कि अगर किसी पी. सी. सी. के मेम्बर के चोट आई हो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं लेकिन किसी के चोट नहीं आई है ।

श्री भीखाभाई : मैं इस बात को जानता हूं, मैं वहां पर था····

श्री रामानन्द अग्रवाल : होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं और आपने बीच में ही ..?

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय मंत्री महोदय आप लम्बे चौड़े मंत्रियों के बीच में कैसे आ गये..

श्री भीखाभाई : चोट मुझे लगी है, तीसरे नम्बर पर आकर लगी है । आपको (प्रो. केदारनाथ) पता ही नहीं हम तो आपके सामने ही खड़े थे और आपको नमस्कार भी किया था लेकिन आपने देखा ही नहीं ।

श्री मदनसिंह दांता : गंगानगर जैसे इलाके में आपके लग जाय, यह हम कैसे मान सकते हैं । वहां तो लम्बे चौड़े आदमी हैं । आप तो उनके बीच में ही रह जाते हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : गृह मन्त्री जी ने जवाब के लिए खड़ा किया, पर माकूल नही दिया जवाब आपने ।

श्री केदारनाथ : 10॥ बजे लाठी चार्ज होता है तीन चार घंटे लगातार । जुलूस, प्रदर्शन और पंडाल की बात कही, मेमोरण्डम की बात कही यह ठीक था । चार घंटे तक लाठी चार्ज चलता रहा और कलकता में जैसे बेटल होती है, वैसे हुई । काउन्टर एक्शन के रूप में पुलिस कान्स्टेबलों से लड़ना नहीं था । वह तो लड़ाई केवल इस बात को थी कि हमें इजाजत थी 11 से 2॥ बजे तक जुलूस की । पर जुलूस के लिये लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया, पंडाल स्मैश कर दिया गया । सोचा चीफ मिनिस्टर के सामने 15 हजार किसान घेरा डाल देंगे तो मुख्य

(श्री केदारनाथ)

मन्त्री की इज्जत क्या रहेगी और तब उनकी कमजोरी जनता के सामने आ जावेगी।

मैं नहीं समझता कि और कोई कारण था, या यह कारण था कि हमें इस बात का जायजा लेना है कि ताकत किसकी है। पूरे इलाके से रेन्सम ली गई। अगर पुलिस के बड़े अफसर, मन्त्री या मिनिस्टर या पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी से स्वयं चन्दा वसूल किया होता आपने तो कोई चिन्ता नहीं थी। पर सरकारी अफसरों के मार्फत चन्दा अपनी राजनैतिक संस्था के लिए करवाना उचित नहीं है फिर अगर चन्दा लिया गया तो उसकी रसीदों का इन्तजाम होना चाहिये।

श्री मनफूलसिंह (राज्य मन्त्री) : यह बिलकुल गलत कहा जा रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपकी आदत है झूंठ बोलने की।

श्री दौलतराम सारण : पी. सी. सी. वालों ने कहा है कि आप तीन लाख रुपये का चन्दा करके खा गये और प्रदेश कांग्रेस में जमा तक नहीं कराया। आप किस मुंह से बोलते हैं।

श्री मनफूलसिंह : इसकी जांच करवा लीजिये आप।

श्री केदारनाथ : एक जीप दो ढाई बजे के बीच पंडाल के पास से निकलती है। मैदान था। गरमागरमी थी। एनकाउन्टर था। कांग्रेस की वह जीप भोजन ले जा रही थी, तिरंगा झंडा उस पर लगा था। उसमें ड्राइवर और इन्तजाम करने वाले लोग थे। स्टूडेन्ट्स वहां खड़े थे। किसी ने जीप को रोका नहीं, जलाया नहीं, सब गलत बातें कही गईं। यह सही है कि जब गालियां दी गईं तो जीप को रोक कर ड्राइवर को पकड़ लिया। भोजन कुछ खुद खा गये, कुछ वहां खड़े थके भूखे सिपाहियों को खिला दिया। इसके सिवाय कुछ नहीं किया गया। कोई मामलों को प्रीजूडिस करने की बात नहीं। अदालत के मैरिट और डिमैरिट की बात नहीं। यह सारा का सारा इन्सीडेन्ट बसों और जीपों को जलाने का हमारा नहीं है। बस आपरेटरों का वह मामला है। सुखाड़ियाजी ने भी इसे माना है ऐसा इन्डिकेशन दिया गया है। बीस तीस लोगों को अरेस्ट किया और रिहा कर दिया। यह रिकार्ड की बात है। इस मामले में आपका वर्सन अगर सही मानते हैं तो जुडीसियल एन्क्वायरी कराइये।

मैं फिर कहता हूं कि अगर कहीं किसी को पत्थर से चोट लगी तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। उसका दावेदार मैं हूं। फिर पुलिस का मुकाबला करने का भी इरादा नहीं था। पर जिन्होंने ज्यादती होने पर एनकाउन्टर किया और अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए जिन्होंने चीफ मिनिस्टर को सबक सिखाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, उसको जस्टिफाई करने को मैं आया हूं। एनकाउन्टर करने वालों की मैं तारीफ करता हूं और हमेशा तारीफ करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर निवेदन करता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी मैं आपकी तारीफ करता हूं और आपकी इज्जत करता हूं। आप जुडिशियल इन्क्वायरी कराइये। इसलिए नहीं कि हम लोग इनवाल्व्ड हैं इसलिए कि आगे के लिए

(श्री केदारनाथ)

ट्रेडीशन ठीक पड़े। इससे लोगों की अदालत के प्रति निष्ठा बढ़ेगी और पुलिस का रवैया ठीक बनेगा। पी. सी. सी. की आप बात करते हैं। कांग्रेस के नाम से बोलते हैं जो कांग्रेस की कुर्बानी के वक्त थे नहीं। कांग्रेस की वे बात करें, त्याग की बात करें और उनसे मैं कुछ कहूँ तो यह मेरी खुद की बेवकूफी होगी। न बिगड़ा करने की बात करता हूँ न कुछ और कहता हूँ, केवल जुडिशियल एन्क्वायरी की बात कहता हूँ। यह कमजोरी होगी। अगर 15।20 दूसरे मुकद्दमों में होम मिनिस्टर और सुखाड़ियाजी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो क्रिमिनल फौजदारी के 107 के मुकदमे में तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हमारी ताकत थी कि पिटने नहीं दिया। डी. आई. जी. और दूसरे पुलिस अधिकारी जिनके बल बूते पर आप चल रहे हैं। शुरू के वक्त से जानता हूं यह कैसा बदमाश आदमी है। वहां के लोगों ने पूरी हड़ताल की।

श्री मनफूलसिंह : आपके कहने से हड़ताल कर दी थी क्या ?

श्री केदारनाथ : बिल्कुल कम्पलीट हड़ताल थी।

श्री मनफूलसिंह : एक भी दुकान बन्द नहीं थी।

श्री केदारनाथ : अगर सारी दुकानें बन्द न हों तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं कि मैं दोषी हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी देना चाहता हूं। मनफूलसिंहजी, बीकानेर से आने वाले आपके कांग्रेस के सदस्य व मन्त्री लोगों में से कुछ ने मुझे कहा था कि ऐसी हड़ताल थी कि दिन भर पीने को चाय पानी और खाना तक नहीं मिला।

इस तरह की हड़ताल हुई कि जैसी पहले कभी नहीं हुई।

श्री मनफूलसिंह : आप जानकारी कर लीजिये एक भी दुकान बन्द नहीं थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपके वोटर कुछ तो होंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : आप पथराव करते हुए दुकानें बन्द कराते जाते थे और आप आगे निकले और पीछे से दुकानें खुलती गईं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गोकुलप्रसाद जी कह रहे हैं यह सही है। एक दो मिनट के लिये बन्द कर दीं और आप के रवाना होते ही पीछे से खोल दीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। राजवी रूपसिंह।

राजवी श्री रूपसिंह : मैंने दोनों तरफ की बहस सुन ली है। इस वक्त कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन इस बहस से इसमें कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है। क्योंकि इस पोइन्ट पर यह एन्क्वायरी करेंगे कि Police was aggressive or not केदारनाथजी ने जो बात कही है उसको देखते हुए मैं यह कहूंगा कि There must be Judicial enquiry इस जुडीशियल इन्क्वायरी से सही बात का पता लग जावेगा। इसके अलावा जस्टिस के पोइन्ट आफ व्यू से भी यह ठीक होगा। मैं

(राजवी श्री रूपसिंह)
यह भी कहना चाहता हूं कि एक विधायक का फर्ज है कि वह राजस्थान के हर नागरिक की लाइफ और प्रोपरटी सेफ रखे।

अगर विधायक लोग जनता की जान और माल को सेफ नहीं रख सकते तो मेरी राय में We are unfit to continue in this House. इसलिये मेरी राय में जुडीशियल इन्क्वायरी जरूरी है और साथ साथ यह बतलावें कि आया राजस्थान में करप्शन है या नहीं। इस बारे में कल मेरा प्रश्न है। उसकी बाबत कल बतलाऊंगा। अब मैं पुरजोर कहता हूं कि इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये ताकि इस बात का पता लग जावे कि आया वास्तव में सत्य बात क्या है।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार समाप्त कर चुके हैं क्या ?

श्री केदारनाथ : जी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है गंगानगर की घटनाओं के सम्बन्ध में उनके साथ बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर सिद्धान्त जुड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, तीन और चार तारीख को वहां पर प्रदेश कांग्रेस का जलसा होने वाला था और हम यह समझते हैं कि हरेक पोलिटिकल पार्टी को, हर राजनैतिक पार्टी को अपना अधिवेशन, अपनी मीटिंगें, अपनी आम सभाएं बिना डिस्टरबेन्स किये करने का अधिकार है और हम लोग जो इस ओर बैठने वाले हैं वे इस अधिकार को मानते हैं। फिर वे अधिकार चाहे आपके हों चाहे हमारे या अन्य किसी के हम उन सबको अक्षुण्य रखना चाहते हैं। तो जिस प्रकार आपको यह अधिकार हैं वैसे ही अन्य राजनैतिक दलों को भी प्रदर्शन करने, मीटिंग करने, अपना रोष प्रकट करने का और मेमोरेण्डम देने का अधिकार है और इनको भी इसी तरह से अक्षुण्य रखा जाना चाहिये।

(1 म. प.)

मैं समझता हूं कि गंगानगर में कांग्रेस की तरफ से अपनी मीटिंग रखी गई वह उनका संवैधानिक अधिकार था। इसी प्रकार से जो विरोधी दलों ने मिलकर अपना प्रदर्शन करने का निर्णय किया, उस दिन अपना जुलूस निकालने का निर्णय किया वह भी उनका संवैधानिक अधिकार था। और जिस अधिकार पर रुकावट सरकार की ओर से डाली गई और कुठाराघात किया गया वह उनके अधिकारों का हनन था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं हमारे सामने गंगानगर में हुई हैं और जो तथ्य हमारे सामने आये हैं और जो हमने जानकारी की है उसके आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि शासन दल को ओर से अपने दल को वहां पर मीटिंग करने का उनका वैधानिक अधिकार था, उसको सुरक्षित करने के लिये उसने दूसरे दल के जो उसी प्रकार के वैधानिक अधिकार थे उन पर पूरी तरह से कुठाराघात करने का प्रयत्न किया है। उनको डिनाई करने की कोशिश की है और इस रूप में मैं उनके इस कदम को प्रजातन्त्र के विरोध में समझता हूं। और दूसरी पार्टियों के वैसे ही संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार मानता हूं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं और जो इस सिद्धान्त से जुड़ी हुई है वह यह है कि आखिर जो शासक दल है उसकी नीतियों के प्रति जनता के अन्दर अविश्वास, असन्तोष होता है वह कितनी भी मात्रा में हो—कहीं पर थोड़ी, कहीं पर ज्यादा मात्रा में होता है और कांग्रेस के पिछले बीस इक्कीस वर्ष के शासन-काल में उन नीतियों के कारण जो भी समस्याएं पैदा हो गई हैं उनसे देश में असन्तोष विद्यमान है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के भी लोग इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। यह सही है कि फिर भी इस बार यह हुकूमत बनाने में सफल हुई है।

पर आज ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब अपने विरोधियों को पोलिटिकल तरीके मीट न करके—चूंकि वे जनता को अपनी मर्जी के आधार पर नहीं रख पा रहे हैं—तो आज कांग्रेस फोर्स या ताकत के बुनियाद पर, अपने हाथों में पुलिस और फौज की ताकत के बल पर अपने विरोधियों को फिजिकल तरीके से मीट करना चाहती है।

मैं समझता हूं यह कांग्रेस खतरनाक दिशा पकड़ रही है। और इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, अनिवार्य है, और होनी भी चाहिये। कानून और संवैधानिक अधिकारों की परवाह न करके उनको ठुकरा कर आप दूसरे दलों के साथ इस तरह का फिजिकली उनको दबाने का तरीका अख्तियार करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आप अपने प्रशासन को भ्रष्ट कर रहे हैं, उसको भी सुधार नहीं पा रहे हैं। आर्डिनेन्स लाकर राज करना चाहते हैं। जुडीशियल एन्क्वायरी कराने के बदले किसी भी भ्रष्टाचारी अधिकारी को बचाने की कोशिश करें, जुडीशियरी द्वारा भ्रष्टाचारी करार देने पर भी उस पर से क्रिमिनल केस हटाकर वापिस मुकर्रर कर दें किसी डाक्टर को, तो प्रशासन में यह आपका रवैया भी खतरनाक है।

यहां पर जब हम आज पांच महीने के बाद जनता की समस्याओं को लेकर अनाउन्स करने की कोशिश करें तो इस विधान सभा के नियमों में सोपानों के निर्धारित होने पर भी उनके अन्दर लोगों को मौका न मिले उन बातों को कहने तक का, समयाभाव का बहाना लेकर या टैक्निकलिटी की आड़ लेकर, तो क्या आप यह समझते हैं कि यह प्रजातन्त्र गूंगे बहरे लोगों की बुनियाद पर, गूंगे-बहरे नागरिकों की बुनियाद पर रह सकता है? मैं कहता हूं नहीं रह सकता। आप क्या यह समझते हैं कि ऐसी जनता राजस्थान की बन जावे कि आप अपने शासन में बैठकर किसी भी प्रकार की धान्धली, गड़बड़ी, गलत बातें, भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती और मनमानी करें और उसका कोई विरोध करने वाली शक्ति न हो, कोई ताकतवर विरोध न करे? आप क्या फिर उसको प्रजातन्त्र कहेंगे? वैसी हालत में आप क्या हिन्दुस्तान की आजादी रख सकेंगे? क्या विदेशी ताकतों से मुकाबला करने के लिये नौजवानों को लड़ने के लिये आप पैदा कर सकेंगे?

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में इस आम चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार की तरफ से जो अपने कारनामों की शुरुआत की गई है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपने पाशविक बल की बुनियाद पर, और जो दमन करने की कोशिश की है विरोधी दलों का, यह आपका संकेत है इस दिशा की तरफ कि आप अपने विरोधी लोगों को कुचलना चाहते हैं संविधान की परवाह नहीं करके कानून की परवाह नहीं करके। अपनी फौज के बल पर अपनी सत्ता बनाये रखने की कोशिश करेंगे तो आपकी फौज का मुकाबला फौज से किया जायेगा। जनता ऐसा करेगी। गंगानगर की जनता को मैं शाबाशी देता हूं कि उसने बहादुरी बताई। उस बहादुर जनता को मैं बधाई देता हूं जो डरी नहीं आपसे और आपकी पुलिस और फौज की ताकत से। इस तरह की घटनाओं से आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा। आपके पीछे कृषि मन्त्री जी बैठे हैं। पूछिये उनसे कि अलवर में क्या हुआ था। इस तरह का वातावरण पैदा किया था जनता का गला घोटने की कोशिश की थी, उन पर मुकद्दमे चलाने की कोशिश की थी। नतीजा क्या हुआ ? जनता को गुस्सा आया। पोलिटिकल लीडरशिप की तहत नहीं, जनता ने स्वतः अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। ये प्रतीक बन रहे थे उस वातावरण के। जनता ने उनके मकान को जला दिया। आपके कांग्रेस के दफ्तर को जला दिया। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जिस तरह आज आप इल्जाम लगा रहे हैं अपने व्यक्तियों पर, मुकद्दमा चला रहे हैं व्यक्तियों पर वहां आग लगाने वालों के नेता भी आपके कांग्रेस के असन्तुष्ट लोग थे। आपके नेता थे जो उस वक्त भी कांग्रेस में थे और बाद में भी कांग्रेस में रहे। आज भी कांग्रेस में हैं और उनके खिलाफ आपको मुकद्दमे वापिस लेने पड़े। आपको अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं थोड़ा समय और चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे। अभी दो माननीय सदस्य और हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थोड़ा समय और दिया जाये।

तीसरी बात जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि इस तमाम एपीसोड को और तमाम घटना को सरकारी पक्ष की ओर से इस रूप में रखा गया कि यह तमाम का तमाम प्रदर्शन, तमाम का तमाम विरोध इस बुनियाद पर है कि कुछ बसों के मालिकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और आप आश्चर्य करेंगे, अध्यक्ष महोदय, आप खुद इस सदन में बैठते हैं, आप राजनैतिक पार्टियों की नीतियों के संबंध में अच्छी तरह से जानते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं और उनका किस प्रश्न के ऊपर कितना पैशन है इस बारे में भी माननीय सदस्यों को जानकारी है। वहां जो हिस्सा लेने वाली कम्युनिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशियेलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांतिकारी दल यह सभी पार्टियां राष्ट्रीयकरण की नीतियों के संबंध में और बसों के राष्ट्रीयकरण के लिए इस सदन में रोजमर्रा आपकी आलोचना करती हैं कि आप उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप उस प्रोग्राम को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद राजनैतिक तौर पर उन्हीं दलों के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
ऊपर उल्टा आपने इल्जाम लगाया और मुकदमे चलाये कि ये राष्ट्रीयकरण करने वाली बसों को आग लगायेंगे। इस प्रकार के मुकदमे लगाने की कोशिश करें–इससे आपका न्याय साफ तौर से जाहिर है कि आप राजनैतिक ईमानदारी नहीं रखते और राजनैतिक बदला निकालने के लिए, किन्हीं को बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्यवाही करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस पार्टी से मेरा सम्बन्ध है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो नीति राष्ट्रीयकरण के बारे में, रोडवेज के राष्ट्रीयकरण के बारे में है उससे आप भली भांति परिचित हैं और जैसी मुझे जानकारी मिली है कि हमारे दल के लोगों को भी राष्ट्रीयकरण के विरोध में डिपो के ऊपर जाकर बसें जलाई इस प्रकार के आक्षेप उनके ऊपर लगाये गये हैं। मैं जुडीशियल इन्क्वायरी हाईकोर्ट की स्टैन्ड करने के लिए तैयार हूँ और घोषणा कर सकता हूँ कि हमारे दल के लोग अगर इस तरह से कोई भी जुडीशियल प्रोनाउन्समेन्ट उनके बारे में कर दें तो मैं अपनी पार्टी को रिकमन्ड करूंगा कि ऐसे दल को भंग कर दिया जाये और ऐसे लोग कि जिन्होंने राष्ट्रीकरण की नीतियों के खिलाफ काम किया है उनके खिलाफ डिसीप्लीनेरी एक्शन लेकर हम देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी में उनको जगह नहीं मिले। लेकिन आप अपने पापों को छुपाने के लिए पिछले चुनावों में आपने समझौता किया बस मालिकों से और उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया। आज भी उदयपुर डिवीजन के अन्दर राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं। हर तरह की बेईमानी करके आप उस मामले को पोसपोन कर रहे हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं मुझे पता लगा है और आप बताइये कि कितनी बस रूट के मालिक हैं जो आपको पार्टी से संबंधित हैं। एक आदमी जिसके पास बहुत से रूट्स हैं और इस तरह से वह नेता आपका था। आपने कहा कि दुकानें बन्द नहीं हैं। आप इस तरह की गवाही देकर आप वास्तविकता से बच सकते हैं। हम जानते हैं आपको कितनी कद्र है। मुझे भी जाने का मौका मिला है।

श्री मनफूलसिंह चौधरी : आपसे बहुत ज्यादा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और वहां के लोगों ने कहा कि वोट बीरबल को मत दो वह लावारिस खा जायेगा और हमको नहीं मिलेगा। इस तरह की हालत आपकी है। हो सकता है लोग कनविन्स हो गये हों कि एक भी दुकान बन्द नहीं थी लेकिन कम से कम आपकी इस बात से तसल्ली नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो तमाम घटनायें हुई हैं उनकी शुरूआत इस बात से हुई कि जो नागरिक अधिकार विरोधी दल के थे उनके ऊपर कुठाराघात किया गया है। उनकी मीटिंग के पन्डाल को खत्म किया गया। उनके नेताओं को पकड़ा गया। जब इस तरह से शुरुआत है उनका प्रतिकार, उसका लोगों में रीएक्शन होना स्वाभाविक है और फिर जो घटनायें किसी किस्म की हुई होंगी उसकी बुनियाद इस बिना के ऊपर है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सही तरीके की परम्परायें चलती हैं तो हम ऐसी इन्क्वायरी करा लें जिसमें आपको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विश्वास हो और हमको भी विश्वास हो। अगर हाईकोर्ट के किसी भी जज से इन्क्वायरी करा लें और जो उनके वरडिक्ट्स हों उनके बुनियाद पर केस चलायें और जो भी दोषी हो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जायेगा। इसी मांग को करते हुए अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आपके सामने एडजर्नमेन्ट मोशन का रखा है कि इस तरह की इन्क्वायरी होनी चाहिए वह स्वीकार किया जाये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय,...

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : पहले इसमें भैरोंसिंहजी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर की...

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, कौन बोलें।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री कृष्णकुमार गोयल)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, गंगानगर की घटनाओं को लेकर जो स्थगन प्रस्ताव सदन के समक्ष है इस घटना से केवल गंगानगर का ही प्रसंग नहीं है बल्कि लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों का और उसके अधिकारों का प्रश्न जुड़ा हुआ है। बारबार लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। बारबार लोकतन्त्र को खतरा है इस प्रकार की बातें की जाती हैं लेकिन इस स्थगन प्रस्ताव को ही लेकर देखा जाये तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि कल तक गंगानगर की घटनाओं को लेकर जो पुलिस ने कार्यवाही की है उसके चालान केवल पुलिस के पास तक ही के हो लेकिन केवल इसलिए कि गंगानगर की घटनाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कोई चित्र विधान सभा के समक्ष नहीं आ सके और यह कह कर कि क्योंकि सारा मामला सबजुडिस है इसलिए उसके बारे में विचार विधान सभा के अन्दर नहीं किया जाये स्वयं गृह मन्त्रीजी के द्वारा गंगानगर की पुलिस को इस प्रकार से कहा गया है कि पुलिस अदालत में फौरन पेश कर दिये जायें। यह तथ्य स्पष्ट है कि जो सत्ताधारी दल है वह लोकतन्त्र के लिए कितना जागरुक है, यह सत्ताधारी लोकतन्त्र को कितना जिन्दा रखना चाहता है और जो लोकतन्त्र से पैदा हुए अधिकार हैं उनको कितना संरक्षण देना चाहते हैं। यह जो सारे चालान पेश किये गये यह कल पेश किये गये बल्कि आज सुबह ही पेश किये गये। केवल इस प्रश्न के ऊपर ही कि सदन में उनकी चर्चा नहीं की जा सके। मैं कहना चाहूंगा कि यह गंगानगर का ही प्रश्न नहीं है। सन् 67 के आम चुनावों से लेकर आज तक जो राजस्थान के अन्दर घटनायें घटी हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। अनेक बार उनके ऊपर चर्चायें हो चुकी हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ताधारी दल से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार की घटनायें आम चुनावों के बाद से आज तक हुई हैं चाहे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वह दस बटलुओं को लेकर हों, चाहे वह राष्ट्रपति शासन को लेकर हों, चाहे वह चोमू के आम उप-चुनाव को लेकर हों जितनी सारी घटनायें हुई हैं मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनसे राजस्थान की जनता के दिल के अन्दर, राजस्थान की जनता के हृदय में लोकतन्त्र के प्रति आस्था बढ़ी है? क्या आपने आज राजस्थान की जनता के अन्दर इस प्रकार की विचारधारा नहीं बैठा दी कि जो अधिकार लोकतन्त्र में अधिकार होते हैं वह जिन्दा नहीं रखे जा सके? यह विचार-धारा किसने बैठाई? इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार की पद्धति यह दल आज चुनाव के बाद लेकर चल रहा है उसके द्वारा जो लोकतंत्र के अन्दर आस्था है वह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आज अगर पोस्टिंग का सवाल हो, ट्रान्सफर का सवाल हो, जमीनों के अलॉटमेन्ट का सवाल हो, क्या धारा 91 लेण्ड रैवेन्यु एक्ट के तहत जमीनों के ऊपर जो ट्रेस्पासर्स हैं उनको रेगुलेराइज करने का सवाल हो—केबीनेट लेवल पर तय होता है कि ऐसे ट्रेसपासर्स हैं उनकी जमीनों को रेगुलेराइज करने का निर्णय सम्बन्धित विभाग का मन्त्री लेगा। क्या इस निर्णय के आधार पर आप आज जनमानस में यह भावना बैठाना चाहते हैं कि न्याय और अन्याय कुछ नहीं है, वाजिब गैर-वाजिब कुछ नहीं है। अगर भूमि को कोई रेगुलेराइज कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता कर सकते हैं। वह इसको रेगुलेराइज कर सकते हैं। ऐसे निर्णय केबिनेट में बैठकर किये जाते हैं। अगर कोई राज्य का आफीसर अपनी कोई नियुक्ति मांगता है तो उसको स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि तुम्हारे क्षेत्र के विधायक हैं कांग्रेस के उनको मंजूरी लेकर आओ। टीचर्स को यह कहा गया। एल.डी.सीज को यह कहा गया है। स्पष्ट यह कहा गया है कि चुनाव में आपने कांग्रेस की मदद नहीं की है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि चुनाव के बाद जनता की लोकतन्त्र में आस्था बढ़ी है। गंगानगर में जो नाटक किया गया है जो नाटक खेला गया है। वह किसी राजनैतिक दल का सम्मेलन था नहीं? वह राजनैतिक दल का सम्मेलन नहीं वह सरकारी तमाशा था। वह सरकारी डण्डों के आधार पर सरकारी मशीनरी के जरिये उसे चन्दा कहना ठीक नहीं लोगों से घूस ली गई। पुलिस अधिकारी और ट्रान्सपोर्ट अधिकारियों ने गंगानगर में लोगों से चन्दा किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष घूमने जाते हैं। उनको थैलियां भेंट करने का प्रचार किया जाता है। घोषणा की जाती है। किसी ने चन्दा नहीं दिया है। सरकारी डण्डे के आधार पर ये अनेक नाटक खेले जा रहे हैं। गंगानगर की जनता को जब यह मालूम होता है कि चुनाव में हारे हुऐ मन्त्री यहां पर इकट्ठे हुऐ हैं। वहां मुख्य मन्त्रीजी आ रहे हैं। तो वहां की जनता को यह इच्छा हुई कि वहां कि मांगों का एक मेमोरैण्डम उनको पेश करे। लेकिन सरकार उनको कुचलने के लिये हावी हुई उन्होंने यह कहा था कि हम अपनी मांग रखेंगे। जो आश्वासन उनको दिये गये थे अपने उन्हीं नागरिक अधिकारों को लेकर वह वहां इकटठे होने लगे। जब लोग इकट्ठे हुए तो सरकारी अधिकारियों ने दबाव डालकर उस प्रदर्शन पर लाठी चार्ज किया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लाठी चार्ज से जुबान कुचलना चाहते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, उन अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार तोप तमंचे से हमारी जुबान रुक नहीं सकती है। हम लोकतन्त्र को समाप्त नहीं होने देंगे। हम किसी प्रकार की शक्ति के बल पर, हिंसा के बल पर बदलने वाले नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शासन हम लोकतन्त्र के आधार पर बदलेंगे। समय लग सकता है। इसकी चिन्ता नहीं पर उसी वोट के आधार पर आयेंगे। विधान सभा के मध्य में यह नहीं हो सकता है। इसी आधार पर हम चेतावनी देना चाहते हैं कि गगांनगर में जो कुछ हुआ, आपने अपना मंच बनाया, प्रतिपक्षी लगते गये तो आपने लाठी चार्ज किया। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं गृहमन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि गगानगर में जो कुछ भी हुआ उनके पीछे कौन लोग है? जैसी कि मुझे सूचना मिली है और यह आपको मालूम होना चाहिए कि गंगानगर मूल के अन्दर स्वयं कांग्रेस पार्टी नहीं है। पार्टी समाप्त हो चुकी है। अब कुछ लोग कुर्सी के लालच में गिरोह के रूप में इकट्ठे हो गये हैं। ये जो दो दल गंगानगर में हैं, इनमें दलबन्दी हैं। एक ब्रजप्रकाश गोयल अलग चाहते हैं। मनफूलसिंह अलग चाहते है। दोनों में लड़ाई होती है। सारा कुचक्र इन्हीं दोनों के पीछे हुआ है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के नाम पर बसों के बारे में जो निर्णय किया गया, उदयपुर में भी चल रही हैं, सरकार ने निर्णय लिया तो इस पर लोग सुखाड़िया जी के पास पहुँचे। सुखाड़िया जी ने कहा कि जब यह सब हो चुका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका श्री मनफूलसिंह ने फायदा उठाया। यह आपसी झगड़ा खुल कर गंगानगर में सामने आया। यह जो कुछ भी घटना हुई है यह सारी की सारी इसीलिये हुई है। इसका अब पर्दा फाश हो गया है। इसलिये मैं कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके। इसलिये यह आवश्यक है कि इस सारी घटना पर ज्युडीशियल इन्क्वायरी बिठाई जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री सारण

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में 3 तारीख को जनता ने अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिये एक मीटिंग और एक प्रदर्शन करने का निश्चय किया। जनता के प्रतिनिधियों की ओर से, गंगानगर की समस्त विरोधी पार्टियों की ओर से एक बड़ा सा इश्तिहार निकाला गया। और उसमें ये समस्याएं लिखी गईं। और समस्याओं के सम्बन्ध में जनता का आह्वाहन किया गया। इन समस्यायों को लेकर गंगानगर की भूखी, नंगी जनता, पीड़ीत जनता शासन की सत्ता द्वारा सताई गई जनता इकट्ठी हुई। ऐसी समस्याएं जिनकी निरन्तर इस शासन द्वारा उपेक्षा की गई हैं, वह थोड़ी मैं आप के सामने प्रस्तुत करूंगा। इस सदन के सामने मेरा कहना यह है कि आखिर यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई। गृहमन्त्री जी कहते है कि वहां हिंसा का प्रदर्शन किया गया। पत्थर चलाये गये, पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। यह हिंसा क्यों आयी? ये पत्थर क्यों उठे? हथियार तभी उठता है। पत्थर तभी उठता है जब जुबान बन्द कर दी जाती है। मुंह बन्द कर दिया जाता है।

(श्री दौलतराम सारण)

नाक बन्द कर दी जाती है। तब नाक मुंह पर रहेगा क्या हाथ ? हिंसा ऐसे होती है ? चाहे सगा भाई हो। इसलिए जीने के अधिकार के लिए, इन्सान को अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैं उस दल से सम्बन्ध रखता हूं जो दल गांधीजी की विचार धारा में आस्था रखता है, जो दल अहिंसा में विश्वास रखता है, जो दल लोकतंत्र का हामी है, उस भारतीय क्रांति दल के लोग कभी हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते, वह पूरी तरह से अहिंसक रास्ते से, वैधानिक रास्ते से अपनी मांगों का इजहार करने के लिए, जनता का आह्वान करने के लिए अन्य दलों के साथ इकट्ठे हुए थे। लेकिन तब क्या किया गया ? उनकी मांगें सुनने के बजाय उनको अपनी मांगें रखने का भी अवसर नहीं दिया गया, उनको इकट्ठा होने का अवसर भी नहीं दिया गया। भयभीत हो गया शासन। गंगानगर जिला आज एक जलती हुई भट्टी के समान हो रहा है। आज गंगानगर जिले के अन्दर प्रशासन नहीं है। गंगानगर जिले के अन्दर शासन नहीं है। गंगानगर जिले में कुछ रिश्वतखोरों और दलालों और एजेन्टों का गिरोह है जो आज जनता को लूट रहा है। कानून और शासन के अभाव के अन्दर गंगानगर जिला आज रिश्वतखोरों से, अत्याचार, अनाचार से पीड़ित है। आज वहां के गरीब दर दर के भिखारी हो रहे हैं। इस अधिवेशन से पहले अधिवेशन में विपक्षी दलों ने राज्य शासन के सामने गंगानगर जिले की समस्यायें रखी थीं, भूमिहीनों की समस्या रखी थी भूमि को नीलाम नहीं किया जाय, भूमिहीनों को भूमि दी जाय। यह प्रश्न रखा और प्रेस कान्फ्रेन्स में इस सम्बन्ध में अभिव्यक्ति की थी और शासन को कहा था। उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री ने भूमि की नीलामी को रोकने की, भूमि की नीलामी न करने की घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि इनकी किसी घोषणा में कोई आधार कोई विश्वास, कोई निष्ठा नहीं है। उस घोषणा से यह शासन पलट गया और भूमि की नीलामी करने लग गये। उस भूमि नीलामी की चर्चा यहां पर हुई थी। उस समय विपक्षी दलों ने मांग की थी जनता की तरफ से कि गंगानगर के भूमिहीनों के लिए जो भूमि के एलाटमेंट के नियम बने हुए हैं वह इस प्रकार के हैं कि उनके आधार पर कोई भी भूमिहीन भूमि प्राप्त नहीं कर सकता है। उस समय सरकार ने बड़े भारी शब्दों में यह कहा था कि एक लाख बीघा भूमि हरिजनों के लिए रिजर्व कर दी है, पचास हजार बीघा गैर हरिजनों के लिए रिजर्व कर दी है, इस प्रकार भूमिहीनों के लिए हम जमीन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि वहां पर पर्दाफाश हो गया कि भूमिहीनों को भूमि देने के लिए जो नियम हैं उन नियमों के आधार पर कोई भूमिहीन भूमि प्राप्त नहीं कर सकता। अभी जो एलाटमेंट रावतसर में हुआ था उसमें दो सो प्रार्थियों में से केवल पांच प्रार्थियों को भूमि प्राप्त करने के लिए योग्य करार दिया गया, लेकिन अन्य कोई भी भूमिहीन भूमि प्राप्त नहीं कर सका। उन नियमों को तीन शर्तें ऐसी हैं जो कि किसी सूरत में किसी भूमिहीन को भूमि नहीं दिलवा सकतीं। इस वजह से वहां पर जो भूमिहीन हैं, जो भूमिहीन बहुत गरीब हैं वह दर दर मारे मारे

(श्री दौलतराम सारण) :

फिर रहे हैं। आज उस क्षेत्र में लाखों बीघा जमीन बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है। उस जमीन में अन्न का उत्पादन नहीं हो सकता, जब कि इसके द्वारा देश के भूखे लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जा सकता है और समाज का अभाव लाखों मन अन्न पैदा करके दूर किया जा सकता है फिर भी भूमि का एलाटमेन्ट, एक साला एलाटमेंट नीलामी के आधार पर किया जाता है। आप सोचिये, कोई भी जिम्मेदार और समझदार खेती से सम्बन्ध रखने वाला आदमी आपकी इस नीति का समर्थन नहीं कर सकता कि हर साल भूमि नीलामी पर दी जाय। एक साल के लिए भूमि देने पर कौन उस पर इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन उस भूमि का सुधार करेगा, कौन यह दोनों बातें करके देश की पैदावार बढ़ायेगा? आखिर यह नियम क्यों बनाये गये हैं? यह नियम इसलिये बनाये गये हैं कि बीस मुरब्बा, तीस मुरब्बा जमीन फर्जी नामों पर एलाट करके अपने गुर्गों को दी जाती है। एक एक आदमी आज वहां पर दस दस लाख की सरसों पैदा करके मौज मजे उड़ा रहा है—इसलिए इन नियमों को बनाया गया है। आज वह देखते हैं कि इस भूमि का एलाटमेंट भूमिहीनों को हो जायगा तो वह भूमि उनको नहीं मिल सकती है। यह राज है इसके पीछे। मैं कह रहा था कि भूमिहीनों को भूमि इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि उसको यह साबित करना पड़ेगा कि 1955 से पहले मैं यहां का बासिन्दा था। यह बात उसको साबित करनी पड़ेगी कि 1955 से पहले मेरा संयुक्त (समय-समाप्ति-सूचक संकेत के पश्चात्) अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता था कि गंगानगर पर ही चलें। आप भूमिहीनों पर आ गये।

श्री दौलतराम सारण : गंगानगर की समस्या पर ही बोल रहा हूं, जिसकी वजह से यह समस्या पैदा हुई।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री दौलतराम सारण : भूमि के अलाटमेन्ट में क्या तरीका इस्तेमाल किया गया इसके बाद मैं उसी पर आ रहा हूं। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउन्ड नहीं बताऊंगा तो सदन को पता नहीं चल सकेगा कि गंगानगर में इतना रोष, इतना असंतोष क्यों है। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं और बताना आवश्यक समझता हूं। अगर आपकी आज्ञा नहीं हो तो मैं बैठ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये तो नहीं। चलाइये तो सही डिबेट को।

श्री दौलतराम सारण : मैं यह कह रहा था कि भूमिहीनों को इसलिए भूमि नहीं मिल सकती क्योंकि उन गरीबों पर राज्य शासन ने यह बोझ रखा है कि वह यह साबित करें। भूमिहीनों की इतनी क्षमता नहीं है कि वह यह साबित कर सकें। इस सरकार का हर कानून उल्टा है। वैसे तो यह बात समाजवाद की करती है, गरीबों को उठाने की बात करती है लेकिन यदि न्याय भी प्राप्त किया जाय तो यह भूमिहीनों को साबित करना पड़ेगा, नागरिक को यह साबित करना पड़ेगा। इस राज्य का क्या काम है? इसका कोई काम नहीं है। यह तो जनता की तरफ से साबित करने की मांग करती है। जनता की तरफ से साबित

(श्री दौलतराम सारण)

करने की बात होती और इन भूमिहीनों की इतनी क्षमता होती तो वह भूमिहीन नहीं होते। आज वह लोग पीडित है, वह लोग दलित हैं, वह लोग पिछड़े हुए हैं, वह लोग साधन-हीन हैं-इसलिए ही वह भूमिहीन रहे हैं। राज्य कहता है कि साढ़े पांच प्रतिशत भूमिहीनों को और साढ़े बारह प्रतिशत गैर भूमिहीनों को अग्रिम कीमत का जमा कराना पड़ेगा। अगर वह किसी तरह भूमिहीन की तारीफ में आ जाय तो वह कीमत अग्रिम रूप से जमा कराये। आज क्या उसकी हैसियत है कि वह हजार, बारह सौ, पन्द्रह सौ रुपये अग्रिम रूप से जमा करा दे। इस कारण से हरिजन इस तरह भूमिहीन की तारीफ में आने के बाद भी भूमि नहीं ले सकते। इस तरह से वह साबित नहीं कर सकते कि वह संयुक्त परिवार के हैं या नहीं। क्योंकि वह बात वह राज्य के रिकार्ड से साबित करें। राज्य के रिकार्ड वह कहां से लायें। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, गलत नियमों की वजह से पीड़ित लोगों में बेचैनी हुई और इसकी फरियाद की गई। इसकी फरियाद कांग्रेसी विधायक ने की है। इसकी फरियाद कांग्रेस कमेटी ने की है, इसकी फरियाद विरोधी दलों ने भी की है लेकिन इस सरकार ने उस फरियाद की उपेक्षा की।

इसी तरह से गंगानगर जिले के अन्दर भाखरा क्षेत्र के अन्दर जो भूमिहीन किसान डिक्लेअर किये थे, सरकार उनको भूमि होते हुए भी भूमि नहीं दे पा रही है और उस भूमि का नीलाम किया जा रहा है। अब आप उनसे कहते हैं कि गंगानगर के भूमिहीन लोगों को दूसरे क्षेत्र में, राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि देंगे। इस कारण उनको और भी बेचैनी है।

इसके अलावा, वह किश्त अकाल के कारण और पानी नहीं आने की वजह से नहीं दे पा रहे हैं तो तीस जून तक जमीन खारिज करने का नोटिस दे दिया गया, कि तुम्हारी जमीन खारिज कर दी जायगी। उसमें भी बेचैनी पैदा हो गई है।

इसके अलावा भाखरा क्षेत्र में भूमि नीलाम की गई है उस नीलामी में भयंकर घोटाले हुए हैं। वहां पर आफिसरों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से जमीन ली है, मामूली कीमत पर जमीन ली है, वहां पर नेताओं ने जमीन ली है और इस प्रकार की साजिश से करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है। यह बात राज्य के मंत्रिमण्डल तक पहुंचाई गई, यह बात एक बार नहीं अनेक बार उन तक पहुंचाई गई लिखित में। इस सदन में प्रश्न के द्वारा सरकार को सूचना दी गई, इस सम्बन्ध में लिस्ट बना कर दी गई। लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही कोई जांच नहीं की गई। यह भी असंतोष का कारण है उनके सामने।

इसके अलावा राजस्थान

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर वाले रो रहे हैं और होम मिनिस्टर सो रहे हैं अभी तक।

श्री रामकिशन (वैर) : सो रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : सो रहे हैं, उनको चिन्ता नहीं है।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : ध्यान मे सुन रहा हूं ।

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर बहुत, अधिकांश इलाका, जिसमे कोलोनाइजेशन एक्ट लागू किया गया है, वीरान है क्योंकि उसमें नहर का पानी नहीं जा सकता । किसी गांव में सौ पचास बीघा जमीन अगर कमाण्ड में आ गई तो उस गांव की सारी जमीन को परियोजना में ले लिया गया, उसके अन्दर सारे नहर क्षेत्र के कायदे कानून लागू कर दिये गये । वह जमीन अब छीनी जा रही है। इस वजह से उन लोगों में बेचैनी है । इसके लिए वह बार बार रोये हैं, यहां उनके डेपूटेशन आये हैं, उन्होंने प्रतिवेदन दिये हैं लेकिन उनको उपेक्षा की गई है । इस कारण से उनमें बेचैनी हुई है। इन्हें रजिस्ट्रियां रद्द करने के नोटिस दिये गये हैं इस कारण वह बेचैन हैं । लाखों रुपये की जमीन आपस में खरीदी और बेची गई । इसके अलावा 55 के बाद इस जिले में जितने काश्तकार है और 1956 से 60 तक जिनको भूमि एलाट हुई है उनको खारिज करने के नोटिस दिये गये हैं । इस प्रकार से इस राज्य के शासन ने अपनी नीतियों के कारण, अपने नियमों के कारण, अपने गलत तरीकों के कारण वहां की जनता में, वहां के किसान वर्ग में बेचैनी पैदा करदी है । इस तरह के भूमिहीनों को भूमि देने के नियम हैं जिनका हवाला दिया गया है उनके आधार पर कोई भूमिहीन भूमि प्राप्त नहीं कर सकता । मैं इसका उदाहरण आपको देता हूं । कांग्रेस के विधायक बीरबल रामजी से मेरी बात हुई । उन्होंने नोट आफ डिसेन्ट दिया है । भूमिहीनों को भूमि वितरण करने की कमेटी है उसकी सूची उन्होंने दिखाई है । वह कह रहे थे कि कोई भूमिहीन भूमि प्राप्त नही कर सकता । केवल आफिसरों को रिश्वत देने वाला भूमि ले सकता है । वह बीच में वहां से बायकाट करके आ गये थे और यहां आकर उन्होंने मंत्री से मुलाकात की और वहां की सारी हालत उनको बताई और सूचना दी लेकिन उस पर कोई कारगुजारी नहीं है । यही नहीं, सन् 1955 से पहले जो अलग परिवार में थे, उनको अलग परिवार में रहने की बात को साबित करना पड़ेगा तब जाकर उनको भूमिहीन माना जायेगा । सन् 1955 में पैदा हुए लोगों में से कुछ एम. एल. ए. बन गये लेकिन उनसे सबूत यह राज्य के रिकार्ड से चाहती है और फिर भूमिहीनों को भूमि देना चाहती है । अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इतना अगर होता तो गनीमत होती । यहां तो सारा का सारा बेड़ा गरक है । यहां हालत यह है कि आबियाना में वृद्धि करदी गई। 1956–57 की रेट से दुगुना आबियाना बना दिया गया । बेटरमेंट फीस 350 रुपया प्रति एकड़ लगा दी । जब कि बेटरमेंट फीस पंजाब में माफ हो गई है यह राजस्थान की सरकार यह किसानों से चाहती है । यहां के किसान चाहते है कि यह माफ की जाय । लेकिन यह उनसे जबर्दस्ती वसूल की जा रही है। इसी तरह से 75 रुपये तक जिस आदमी से लगान लेते हैं उस पर सरचार्ज लगान का डबल वसूल किया जाता है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिला राजस्थान का तीन चौथाई खाद इस्तेमाल करता है। वहां पर खाद का कारखाना लगने वाला था लेकिन वह वहां से उठा

(श्री दौलतराम सारण)

लिया गया और अब उसको अपनी रहेती जगह ले जाकर उस कारखाने को खोलने का निश्चय किया गया है। यह गंगानगर के लोगों के मानस में पक्षपात और गैर इन्साफी के जजबात पैदा करने वाले कारण हैं। अध्यक्ष महोदय, जो गंगानगर जिला राजस्थान हो नहीं हिन्दुस्तान का अन्न उत्पादक, कृषि क्षेत्र, एडवान्स्ड कृषि क्षेत्र है उस जिले में कृषि कालेज नहीं है। प्राइवेट जनता ने पैसा देकर कृषि कालेज खोल दिया है लेकिन वहां कई वर्षो के बाद भी कृषि यूनीवर्सिटी नहीं है यूनीवर्सिटी तो उदयपुर में होगी जहां पर आप नगरपरिषद के अध्यक्ष थे पहले।

यह हालत गंगानगर की उपेक्षा के कारण है। यह कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय यहां मैंने कुछ समस्यायें बताई। इन समस्याओं के सम्बन्ध में गंगानगर के 500—500 किसानों के प्रतिनिधिमण्डल कई बार यहां आये। इन मन्त्रियों से बार-बार मिले और इन्हीं के निमन्त्रण पर यहां आये। फलां दिन आ जाओ तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और उनका सारा काम तमाम कर दिया। अब थोड़ा काम है। दो-तीन तारीखों में कर देंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन ज्वलन्त समस्याओं की उपेक्षा की गई है इस शासन द्वारा। जब किसान अपनी समस्याओं की फरियाद लेकर यहां जयपुर आवे और उसको यहां गाली मिले, मन्त्री लोग बात न करें और ये मन्त्री, उपमन्त्री राज्य के वहां जावें और गोठ उड़ावें, और पैसा वसूल करायें। आफिसर इनके लिये चन्दा वसूल करें। कई अफसरों ने मुझे आकर कहा कि वे नौकरी करना धिक्कार समझते हैं। इनसे जबरदस्ती कांग्रेस कार्यकर्ता बना कर चन्दा इकट्ठा कराया जाता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस चन्दा उगाने में भी इनमें आपस में झगड़े हो गये। बृजप्रकाशजी कहते हैं मनफूलसिंह जी ने ज्यादा चन्दा इकट्ठा किया, वसूल किया। खैर, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं। मनफूलसिंहजी ने अगर रख लिया, या उसमें से ले लिया इसमें कोई आपत्ति नहीं। यह इनका घरेलू मामला है। लेकिन अफसरों से प्रशासन से राजनैतिक पार्टी के लिये चन्दा वसूल कराना यह सरासर भ्रष्टाचार है, जनता के अधिकारों की उपेक्षा है। ये सब महान असन्तोष के कारण थे, जिनकी वजह से, आह्वान करने पर जनता आई। जैसा मैंने कहा है, इन सारे राजनैतिक दलों ने इस (पोस्टर) के पीछे (नीचे) हस्ताक्षर करने वालों ने जनता का आह्वान किया था जो आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसमें लिखा गया है अपने गंगानगर जिले में बहुत वर्षों के बाद राजस्थान मन्त्री मण्डल की बैठक हो रही है। भ्रष्टाचार लिप्त कांग्रेसियों और मन्त्रियों के भाई भतीजावाद द्वारा लूटे गये इस उपेक्षित जिले की जनता की आवाज जयपुर में आलिशान महलों और बंगलों में बैठे ये मन्त्री नहीं सुनते। इन्होंने तो हमेशा हमें दुतकारा है और यहां से केवल चन्दा, धन की थैलियां और सोना ही इकट्ठा किया है। अब समय आ गया है कि अपनी निम्नलिखित मांगें मनवाने के लिये हम सभी इकट्ठे होकर अपनी आवाज इनके बहरे कानों तक पहुंचा दें। आओ हम सभी लोग गांव-गांव और कस्बों से जलूस बनाकर गंगानगर पब्लिक पार्क में 3 जुलाई 68 को दोपहर 11 बजे तक पहुंचें।

(श्री दौलतराम सारण)

इसमें गंगानगर जिले के मौजूदा मन्त्री, संसदीय सचिवों व कांग्रेस के विधान सभाइयों द्वारा राजनैतिक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी अनियमितताएं, प्रशासन में हस्तक्षेप की जांच के लिये हाईकोर्ट के जज को नियुक्त करना, यह पहली मांग की गई है। यह परचा मैं सदन के सामने, आपको प्रस्तुत करता हूं। इस परचे में 23 मांगें पेश की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्रीजी से मैं शान्ति के साथ कहना चाहता हूं मुझे अपेक्षा थी कि दामोदरजी जैसे अनुभवी व्यक्ति इतनी गलत बात इस सदन में नहीं कहेंगे। कहा गया कि जनता ने उत्तेजना से हिंसा को अपना लिया। पुलिस अधिकारी घायल हो गये। दामोदर जी, जनता बन्दूक वाले, लाठी वाले पुलिस अधिकारियों का सामना कैसे कर सकती है। गंगानगर की जनता हमेशा राज्य की वफादार रही है। वहां के पटवारी के सामने भी हाथ नहीं उठाया है। हां, वह अपने भाई की गलती पर उसे गोली से मार देती है। सब्र की भी कोई हद होती है। आप कहते हैं कि हड़ताल नहीं हुई। पुलिस लेकर बाजार में गये। दुकाने खुलवाने के लिये पुलिस को बाजार में ले गये (श्री मनफूलसिंह–राज्य मन्त्री की ओर इंगित करते हुए), जनता ने विरोध किया और आपको भागना पड़ा। दुम दबाकर भाग गये।

समय आ गया है जो केसेज सुखाड़ियाजी, और दामोदर जी ने दबा रखे हैं, उनका बाखान किया जायेगा। आखिर फाइल दबा कर कब तक रहेंगे। एक दिन आयेगा (मनफूलसिंह राज्य मन्त्री की ओर इंगित करते हुए) जब तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस पेश होगा। जनता की तरफ से। आपने गंगानगर की जनता की उपेक्षा की है। उसको डराते हैं।

श्री भैरोंसिंह : फोर्ड का जो रिफरेन्स है वह यहां बता दें।

श्री अध्यक्ष : उत्तर देते समय....

(विराम)

श्री दौलतराम सारण : इस गंगानगर में दो तारीख की शाम को बाजारों में पुलिस की परेड कराई गई, मार्च पास्ट कराया गया ताकि जनता डर जाय, आतंकित हो जाय और अपने दुःख, दिल की बात प्रकट न करें। बोल भी न सके। उफ भी न कर सके। यह आतंक पैदा किया गया था जब पुलिस का असर नहीं हुआ। दिन जैसे हो आया प्रदर्शन हुआ, जनता ने विरोधी पक्ष के आह्वान पर हड़ताल की। तब यह हड़ताल खुलवाने के लिये पुलिस लेकर मनफूलसिंह बाजार में गये। उस पर जनता में उत्तेजना हुई। विरोधी पक्ष की नीति शान्ति से प्रदर्शन आयोजित करने के लिये थी। उसके आह्वान करने पर गिरफ्तारियां कर ली जाती है शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पर। पुलिस ने मीटिंग के स्थान पर जाने वाले लोगों पर डण्डे बरसाये। जनता को बलपूर्वक मीटिंग के स्थान से हटाने की चेष्टा की जाती है। पण्डाल उखाड़ लिया जाता है, नष्ट किया जाता है और जुलूस के लिये जाने नहीं दिया जाता है। और फिर कहते हैं कानून की अदालत में–सब जूडिस है यह केस। यह कहते है विचाराधीन है–न्याय की शरण में। हम अदालत के नाम पर इसमें हस्तक्षेप नहीं

(श्री दौलतराम सारण)

करने देंगे। इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता। मैं गृहमंत्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा, जिस बात को सुन कर वे भरोसा नहीं करेंगे कि पुलिस कहती है कि एक भी आदमी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ जनता का। एडमिट किया किसने ? पुलिस के आदमी अस्पताल में दाखिल हुए घायल अवस्था में ? कितने हुए वे लोग ? अस्पताल ने यह सर्टीफिकेट दिया कि कत्ल हुआ आदमी निमोनिया से मर गया। इसको डीटेनस हो गई। यह हाल है आपके अस्पताल का ! आप कहते हैं जनता ने पुलिस को पीटा और फिर भाग गई ? अब तलाश करके मुकदमे बनाये जा रहे हैं। मनफूल सिंह जी कहते गये और उस पर मुकदमा बन गया। राजनैतिक प्रतिशोध के आधार पर, पुलिस के डण्डे के जोर पर आप गंगानगर में जिन्दा नहीं रह सकते। गंगानगर की जनता यह नहीं देख सकती, अनुचित तरीकों से उसे नहीं फुसलाया जा सकता। गंगानगर में आप काम नहीं करेंगे, राजनैतिक तरीके से आपके पैर टिक नहीं सकते। प्रशासन के जरिये, भ्रष्टाचार के तहत और पुलिस का डंडा दिखाकर आप वहां जमना चाहते हैं। सरकार इस तरह से हार जाने के बाद भी ये भ्रष्टाचारी तरीके अपना रही है, यह देखकर मुझे अचम्भा होता है। दामोदर जी आप सन् 62 के चुनावों में हार गये थे। पी सी. सी. की मीटिंग हार के कारणों पर विचार कर रही थी, उस समय आपने जो शब्द कहे थे, वे आपको याद हैं ! कांग्रेस जिन्दा कैसे रह सकती है ? कांग्रेस की प्रतिष्ठा कैसे रह सकती है ? यह टिक सकती है जो 19 आदमी मन्त्रिमण्डल में हैं, उनके कार्यों से ? यह ठीक चले तो कांग्रेस जीतती रहेगी ? और अब आपको मन्त्रिमण्डल में आते ही पुलिस के डंडे के जोर पर कांग्रेस को जिन्दा रखने की बात याद आ गई लेकिन याद रखिये पुलिस के डंडे के बल पर, शासन की शक्ति के बल पर कांग्रेस को कोई नहीं तार सकता। कांग्रेस की लाश सड़ चुकी है, कांग्रेस की लाश गल चुकी है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, इसको अब जनता दफना कर ही छोड़ेगी, क्योंकि उसने अपने सिद्धान्तों को छोड़ दिया है, न्याय को छोड़ दिया है, अपनी घोषणाओं को मानना छोड़ दिया है, उसने अपनी नीतियों को छोड़ दिया है। इसलिये यह कांग्रेस इस तरह शासन के बल पर, पुलिस के डंडे के बल पर नहीं टिक सकती।

तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार की सारी बातें हैं, लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, जुल्म किया जाता है और जब जांच की मांग की जाती है तो शासन जांच करने के लिये तैयार नहीं तो हमारे सामने सिवाय इसके और क्या विकल्प हो सकता है कि हम इसकी उचित जांच के लिये न्यायिक जांच की मांग करें। इसलिये हमारा निवेदन है कि सरकार को विपक्षी दलों का इस सब की न्यायिक जांच का आग्रह मान लेना चाहिये, न्यायिक जांच से सब स्पष्ट हो जायगा कि किसने हिंसा की, किसने जबरदस्ती की, किसने हस्तक्षेप किया, किसने मुंह बन्द किया और प्रजातान्त्रिक तरीकों पर कुठाराघात किसने किया। यह सब न्यायिक जांच से स्पष्ट हो जायगा।

आपने जो जघन्य अत्याचार किये हैं गंगानगर की निहत्थी जनता पर, जनता के

(श्री दौलतराम सारण)

लोकतान्त्रिक अधिकारों को चुनौती दे कर इसके लिये मैं आपकी हरकतों को, आपके दुराचरण को आपके अत्याचार को और आपके विभाग की निंदा करता हूँ और आपसे न्यायिक जांच के लिये मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर की स्थिति के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके विषय में, क्योंकि वहां पर मैं स्वयं भी उपस्थित था और इसके विषय में काफी जानकारी मुझे भी है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी जानकारी को अधिक प्रामाणिक मान कर गृहमंत्री जी वाक आउट कर गये (श्री दामोदर लाल व्यास द्वारा जाने पर) ....

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं होम मिनिस्टर से निवेदन नहीं कर रहा हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, राजनैतिक सम्मेलन, राजनैतिक विचारधाराओं को प्रकट करने के लिये 3 जुलाई, 1968 को कांग्रेस ने वहां बुलाया था, सदस्यों को एकत्रित करके विचार करने के लिये निर्णय लिया, उससे विक्षुब्ध होकर विरोधी दलों की पार्टियों ने इस प्रकार का विचार किया कि कांग्रेसी विचार धारा का प्रचार प्रसार नही हो सके, इसलिये इस प्रकार की कार्यवाहियां कीं। क्योंकि सन् 67 के आम चुनावों में अच्छी तरह से देख लिया था कि जहां गंगानगर में 62 में पहले एक दो मेम्बर कांग्रेस के थे पर 67 में 7 एम. एल. ए. कांग्रेस के जीत कर आये तो विरोधी दलों में भावना पैदा हुई कि वहां विरोधी दलों की जड़ें धीरे धीरे उखड़ रही हैं, उनके पांवों के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिये उन्होंने इस प्रकार के प्रयत्न किये कि कांग्रेस पार्टी वहां अपनी विचार धारा का प्रसार नहीं कर सके और वहां पर उन्होंने इस प्रकार की कार्यवाहियां कीं। मैं प्रोफेसर केदार का काफी प्रशंसक रहा हूं, उनकी विचारधारा से सहमत होते हुए भी उनकी जब कार्यवाहियां मैंने देखीं तो मुझे बड़ा अचम्भा हुआ। जो आदमी इतने अच्छे विचार रखता है, अच्छी तरह से काम करता है, वह किस तरह से प्रजातन्त्र के विरुद्ध किस तरह काम कर रहा है ....

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : खूब खूब किस्सा घड़ रहे हो ....

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने खुद ने देखा कि आप स्वयं एक जीप पर बैठे हुए, साथ में बीसियों आदमी लिए हुए गली गली में फिर फिर कर पत्थर फैंक कर लोगों पर आपने जुल्म किया ....

(शोरोगुल, विरोधी दल के अनेक मा० सदस्य एक साथ बोलने लगे)

जबरदस्त इस प्रकार का प्रचार किया कि लोगों ने उनके डर से आतंकित होकर दुकानें बन्द कर दीं। उन्होंने इस प्रकार के प्रयत्न किये यह उनके भाषण से स्पष्ट हो गया है कि कलेक्टर की तरफ से मीटिंग का समय निर्धारित कर दिया गया था, जुलुस का समय निर्धारित कर दिया गया था, उसकी आपने स्वयं अवहेलना की। 10 बजे कलेक्टर के द्वारा कांग्रेस का जुलुस निकालने का समय निर्धारित किया गया था। अगर ये

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

लोकतन्त्र में, प्रजातन्त्र में विश्वास करते थे तो आपका फर्ज था कि उस समय को छोड़ कर और समय में जुलूस निकालते। लेकिन आपकी विचारधारा शुद्ध नहीं थी, आप चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा का प्रसार नहीं कर सके, कांग्रेस अपनी मीटिंग नहीं कर सके, कांग्रेस के लोग इकट्ठे हो कर, किस प्रकार प्रान्त को आगे बढ़ाया जा सके, इस पर विचार नहीं कर सकें। क्या इस प्रकार की कार्यवाहियां लोकतन्त्र के अनुरूप कही जा सकती हैं ? जो लोकतन्त्र में विश्वास नहीं करते, यह भी यहां दोहाई दे रहे थे कि लोकतन्त्र और राष्ट्रीयकरण में वे विश्वास करते हैं पर हमने अपनी आंखों से देखा कि उनके आदमी राष्ट्रीयकरण को जो बसें खड़ी थीं, उनमें आग लगा रहे थे, उनके लोग उन बसेज में आग लगाने में अग्रसर थे, जो 67 में चुन कर आये वे आग लगाने में सबसे आगे थे ...

(विरोधी पक्ष की ओर से कई माननीय सदस्य एक साथ बोले श्री गिरधारी लाल व्यास की तेज आवाज में अश्रव्य)

क्या इस प्रकार के प्रयत्नों से ही आप हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र को, प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं, लोकतन्त्र को कायम रखना चाहते है ? हिन्दुस्तान में इस प्रकार का वातावरण नहीं हो कि हिंसा के तरीके से यहां क्रान्ति आये, इस प्रकार की स्थिति को हम अवोइड करना चाहते हैं और आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहते हैं तो लोकतन्त्र की व्यवस्था में आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप चाहे किसी विचारधारा के हों, किसी तौर तरीके का शासन चलाना चाहते हैं पर जब तक हम लोकतान्त्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, उस समय तक हमारे कायदे कानून को मानना होगा जो बहुमत के आधार पर बनाये गये हैं, यह होना चाहिये कि जिस प्रकार का बहुमत निर्णय करे, उसको मानना चाहिये, हिन्दुस्तान में जब तक लोकतन्त्र कायम है, उस समय तक एक आध आदमियों की कही हुई बात लागू नहीं होगी, वही बात यहां लागू होगी जिसके साथ कि बहुमत है। आपने देखा सामन्तशाही लोगों ने, जनसंघ और प्रजासोशलिस्ट पार्टी जो समाजवादी होने का दावा करते हैं वे राजा, महाराजाओं की गोद में बैठ कर बड़े बड़े सेठों की गोद में बैठ कर राजस्थान की असेम्बली में आये हैं...

श्री हीराभाई : राजाओं और सेठों की गोद में तो तुम बैठे हुए हो, यह तो सबको सामने ही दीख रहा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपकी कथनी और करणी में बहुत अन्तर है। हम स्वयम् समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, समाजवादी व्यवस्था से आगे बढ़ना चाहते हैं पर आप इसमें कोई रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते, आपके और हमारे दृष्टिकोण में फरक है। पर जहां समाजवादी तौर तरीकों को आगे बढ़ाने का प्रश्न है, वहां जितनी समाजवादी पार्टियां हैं, उनको चाहिए कि समाजवादी नीतियों को आगे चलाने में बराबर सहयोग करें। इस प्रकार का काम होना चाहिए पर राजनैतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस किसी प्रकार का काम करे, चाहे समाजवादी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे समाजवादी भाई उसका विरोध करते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है।

इस प्रकार के तौर तरीकों से समाजवादी व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि इस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
प्रकार के तौर तरीको से तो राजा महाराजाओ को, एकतन्त्र मे विश्वास करने वाले लोगो की ताकतें आगे बढ़ेगी। ....

(विरोधी दल के कई माननीय सदस्य एक साथ बोले)

और वे लोकतन्त्र को खत्म करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिये हमें चाहिये कि हम समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करें। आप शान्ति से सुनिये, मैं आपके कहने से अपने विचारों को रखने से नही रुक सकता, अपनी बात मैं कहूंगा।

गंगानगर जिले में मैं स्वयं 3 तारीख को हाजिर था, मैंने अपनी आंखो से देखा कि किस तरह के तौर तरीको को वहां काम में लिया गया। कांग्रेस की वहां पर मीटिंग होने वाली थी, किस तरह उन्होने गड़बड़ करने का प्रयत्न किया....

(1.55 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

इसमें शक नहीं हो सकता, अपनी अपनी विचारधारा को रखने का सबको अधिकार है, हमें भी अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है, आप हमारी राजनैतिक विचारधारा मे विश्वास नही करते हैं पर हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, हम अपनी बात को नही कह सकें इस प्रकार के आपके प्रयत्न थे। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। जैसा भोलाभाई ने कहा, आपने तो कहा कि किसी कांग्रेसी के चोट नही आई। पर मैंने स्वयं ने देखा हमारे एक साथी के चोट लगी थी, जिनके पट्टी बंधी हुई थी उनका नाम मुझे याद नहीं, हां उनका नाम रामजीलाल है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषणों पर समय सीमा 10 मिनिट होगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि विरोधी दल के लोग जो इस प्रकार की कार्यवाहियां करते हैं वे यहां दोहाई देते हैं कि न्यायिक जांच हो। मुझे तो स्वयं को शिकायत है इस कांग्रेस सरकार से कि जिन लोगों ने जीपें जलाई, आग लगाई, जिन लोगों ने बसों में आग लगाई, वैसे लोगों के साथ जितनी सख्ती से व्यवहार होना चाहिये वह इस सरकार ने नहीं किया। मैं सरकार से आपके द्वारा मांग करना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की नीतियां रखेंगे कि जो लोग जुल्म करते हैं, उनसे डर कर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो इस प्रकार आपका शासन चलने वाला नही है। अगर आपको प्रशासन चलाना है तो आपको सही तौर तरीके से काम करना होगा, सही तरीके से सोचना होगा और आपको उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हो, जो आदमी जोर जुल्म करते हैं उन आदमियों के खिलाफ हमारे शासन को मजबूती से, सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिये। यदि शासन इस प्रकार से कार्यवाही नही करता है तो वह अपने फर्ज से डिगता है। उससे हमारा लोकतन्त्र

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
कमजोर होता है। लोकतन्त्र को मजबूत बनाना है तो फिर मजबूती से काम करना होगा और जो लोग लोकतन्त्रीय वातावरण को गड़बड़ करना चाहते हैं उनके खिलाफ ताकत और मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा।

(2 म प.)

बहुत से भाइयों ने यह बात कही कि भूमिहीनों के लिए यह कार्यवाही की। हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन्होंने भी चार पांच सो मांगें हमारे सामने रखीं। हम यह विश्वास रखते हैं कि भूमिहीनों को प्राथमिकता देकर भूमि दी जाय। वही विश्वास रख कर करोड़ों बीघा जमीन भूमिहीन किसानों को दी और गंगानगर जिले में जाकर देखें तो भूमिहीनों को अलाटमेन्ट हो रहा है। हो सकता है कानून की दुविधा की वजह से, जो आदमी चाहता है वह उस तारीफ में नहीं आता है तो दोष राज्य सरकार का नहीं है। राज्य सरकार ने कानून बनाया। भूमिहीन की तारीफ उसने बताई है कि 15 बीघा से कम भूमि जिसके पास है उसको भूमिहीन मानते हैं। जो परिभाषा कानून में दी हुई है उसके अन्तर्गत अगर वह नहीं आता है तो राज्य सरकार क्या करे। आप चाहें तो उस परिभाषा को बदल सकते हैं। यह असेम्बली के हाथ में है। जिसके पास पचास बीघा हो उसको भी भूमिहीन की तारीफ में रख दिया जाय यह असेम्बली के हाथ की बात है। आप उसको तब्दील कर सकते हैं जैसा चाहें। जो कानून है उसके अनुसार कांग्रेस भूमिहीनों को भूमि दिलाना चाहती है। हम पंचवर्षीय योजनाएं बनायीं और प्रगति आये उसके बावजूद यो आप महसूस नहीं करते। आपने कई राज्यों में राज्य बनाये और उसका क्या खिलवाड़ हुआ वह सबके सामने है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात से सहमत हैं कि यहां पर लोकतन्त्रीय वातावरण चल रहा है, सबको समान अधिकार है और वे अधिकार सुरक्षित हैं। आपको कोई बात ठीक नहीं लगती है तो आप अपनी बात कह दें। लेकिन आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी और मुझे भी आपकी बात सुननी पड़ेगी। जो बहुमत में निर्णय होता है वह ही सर्वमान्य होगा और हर आदमी को कोन्स्टिट्यूशन से जो अधिकार मिले हुए हैं उनसे वंचित नहीं रखा जा सकता और न उनसे हटाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की जुल्म ज्यादती विरोधी दल के लोगों के द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हुई है और सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई है, सरकार को चाहिये था कि उनके साथ सख्ती से सख्त एक्शन लिया जाता। आपका केस किसी प्रकार भी न्यायसंगत नहीं है। आपने स्वयं ने जुल्म किया है। हम तो स्वयम् जुल्म के शिकार हैं। आपके घर मे आये और आपने पत्थर फेंके। आपने जुल्म किया और ज्यादती की और इस प्रकार का व्यवहार किया कि हिन्दुस्तान के नागरिक के लिए कतई पसन्द नहीं हो सकता। हिन्दुस्तान का नागरिक हमारे घर पर आता है तो उसका आतिथ्य किया जाता है न कि उसकी अवहेलना की जाती है। आपने यह कोशिश की कि यह लोग हमारे यहां से चले जायं। ज्युडिशियरी को जांच की जो मांग की गयी है वह कतई वाजिब नहीं है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। राज्य सरकार को चाहिये

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

था कि (शोरगुल) (व्यवधान) सख्त से सख्त एक्शन लेती। राज्य सरकार को उलाहना देना चाहता हूँ कि उसने कम एक्शन लिया। सख्त एक्शन लेना चाहिये था।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आखिर में वह ही टांय टांय फिस। आपके साथ जुल्म हुआ तो जांच करवाइये। जांच से आप क्यों घबराते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बहस को ध्यान-पूर्वक सुना। मैं सोचता हूं कि हमारा देश और हमारी जनता किधर जा रही है। आये दिन समाचार पत्रों में करीब करीब रोजाना कहीं लाठी, कहीं गोली, कहीं टीयरगैस, कहीं हिंसा, राष्ट्रीय धन का विनाश, तोड़-फोड़, सब तरह की अजीब बातें दिखायी पड़ती हैं। 20 वर्ष के कांग्रेस के शासन में देश कहां और किधर की तरफ बढ़ रहा है यह शासन करने वाले भी स्वयम् अनुभव करते होंगे। मैं यह समझता हूं कि गंगानगर में जो कुछ भी हुआ उसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों को जो कुछ भी कहना था वह उन्होंने कहा। आरोप प्रत्यारोप, एलीगेशन्स, काउन्टर एलीगेशन्स होना स्वाभाविक है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवादित बात है कि राजस्थान सरकार एक भ्रष्टाचारी सरकार है। गंगानगर के अन्दर जितनी रिश्वत आज है उतनी शायद राजस्थान भर के अन्दर नहीं है। जहां पर पक्षपात, जहां पर भाई भतीजावाद की पराकाष्ठा है। और मुझे आशंका है गंगानगर में जो दुर्व्यवस्था हुई उसके लिये मैं यह नहीं कहता कि विरोधी दल की गलती न हो परन्तु यह मेरा आरोप जरूर है कि कांग्रेस और कर्मचारियों ने मिल कर नागरिक अधिकारों का हनन किया, विरोधी पक्ष का दमन करने की कुचेष्टा की यदि मैं यह कहूं कि अत्याचार और अनाचार की प्रतिक्रिया को देखते हुए राजस्थान सरकार को एक भ्रष्ट अधिनायक-वादी सरकार की संज्ञा दी जाय तो अति-शयोक्ति नहीं होगी।

मैं कुछ वर्षों से प्रोफेसर केदारनाथ जी को अच्छी तरह से जानता हूं। वे संतुलित विचारशील सज्जन हैं। उन्होंने जिस तरह से उग्र भावना से बातें कहीं वे तथ्यहीन नहीं हो सकतीं। जहां पर चोटें लगी हैं वहां पर भी मेरे ख्याल में, जांच होनी चाहिये, कांग्रेस के हित में भी जांच होनी चाहिये। पुलिस ने भी निरंकुशता बरती उस सम्बन्ध में भी जांच होनी चाहिये। सरकार को अनुदार नीति नहीं बरतनी चाहिये. संकुचित वृत्ति नहीं बरतनी चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में उदा-रता के साथ न्यायिक जांच जरूर की जाय ताकि दूध और पानी का जो कुछ भी निर्णय हो वह ऊपर आकर सत्य सत्य रहेगा और झूठ झूठ रहेगा। आखिरकार हम लोगों के लिये भी सरकार के प्रति विश्वास करने के लिये कोई न कोई तथ्य तो होना चाहिये इसलिये जो विरोधी पक्ष की ओर से मांग की गयी है वह सर्वथा उचित है उसका मैं समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर की दुर्व-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

टना के सम्बन्ध में न्यायिक जांच ज्युडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय और जरूर करायी जाय ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल की ओर से समय काफी ले लिया गया है ।

श्री नत्थीसिंह : दल की तरफ से मैं बोल रहा हूं दूसरे एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बोले हैं । व्यास जी ने हमारे दल के ऊपर आरोप लगाये हैं ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने कोई आरोप नहीं लगाये हैं ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय आसींद से आने वाले माननीय सदस्य बोले रहे थे तो गृह मन्त्री महोदय उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे थे । उनको न्यायिक जांच जरूर मान लेनी चाहिये क्योंकि आपके कांग्रेस वालों के साथ भारी जुल्म हुआ है । जुल्म करने वालों में विरोधी दल के नाम गिनाये । विरोधी दल का तो साफ कहना है कि जनतन्त्र का गला घोटा गया है । बिना चेतावनी के लाठी चार्ज किया है, दमन किया है । इन बस आपरेटर्स की कहानी अखबारों में छपी है, आंखों से देखी गई है । इस लाठी चार्ज में राजनैतिक लोगों को छोड़ दिया गया और गरीब विद्यार्थियों पर मुकदमे बनाये गये । इसका कौन निराकरण करे । आप कहें कि हम पीटे गये हैं । होम मिनिस्टर साहब हम आपकी जांच से सन्तुष्ट हो जांय, यह बात नहीं है । अत्याचार हमारे साथ हुआ है हम कैसे आपकी जांच से सन्तुष्ट हो सकते हैं । जनतन्त्र को बचाने का एक तरीका है कि इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से कराई जाय ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय । इन सारी घटनाओं की जिम्मेदारी उधर के बैठने वालों की है । इस सदन का जब पिछली बार सत्र विसर्जन हुआ था, उस समय भी इस सदन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा था तब भी उधर के बैठने वालों ने सदन को स्थगित करने की कोशिश की और सदन को छोड़कर भाग गये । जनता जब मुख्य मंत्रीजी की सारी फौज पलटन और पी. सी. सी. के सदस्य पधारे तो एक मेमोरेण्डम देना चाहती थी, स्थिति तो यहां तक आ गई थी । यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हुआ है, चन्दा सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया है या चन्दा स्वेच्छा से किया गया है ।

एक माननीय सदस्य : स्वेच्छा से ।

श्री नत्थीसिंह : आप कहते हैं, बहुत अच्छा है स्वेच्छा से हिन्दुस्तान की राजनीति में यह है । लेकिन आज इस बात का विवाद कांग्रेस पार्टी के अन्दर है कि निहित स्वार्थों की तरफ वे लोग बढ़ रहे हैं । कांग्रेस पार्टी के लोग निहित स्वार्थों की रक्षा करना चाहते हैं लेकिन यहां उससे भी दूसरी बात है सरकारी मशीनरी को चन्दा उगाहने के लिए मजबूर किया जा रहा है । सारी मशीनरी को भ्रष्ट किया जा रहा है । सरकारी मशीन को अपने हाथ की कठपुतलियां बनाई जा रही हैं, जनतन्त्र का गला घोटा जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस बात की जांच की जाना आवश्यक है । अभी चौमूं के चुनाव हुए और हमारे माननीय राजस्व मंत्रीजी यहां बैठे हैं । कितना

Page No. 78

(श्री मथ्थीसिंह)

आप का पैसा लगाया है थोमूं में। एक एक अधिकारी को इस बात के लिए पाबन्द किया गया कि इतना चन्दा इकट्ठा करो चाहे वह पी. डब्ल्यू. डी. के इंजीनियर हों, स्थानीय कलेक्टर हों, एस. डी ओ हों, ट्रान्सपोर्ट के अधिकारी हों सबको कह दिया कि तुम्हारा इतना कोटा मुकर्रर किया जाता है, इतना पैसा इकट्ठा करके दो वरना तुम्हारा ट्रान्सफर कर दिया जायगा, तुम्हें हटा दिया जायगा। उन सबने चन्दा वसूल किया और आज पी. सी. सी. की बैठक हुई तो उन्हीं हथकण्डों को अपनाया आकर सरकारी माध्यम से चन्दा इकट्ठा किया गया और उस बात को टाला जाय। अगर आप में बल है, साहस है तो कह दीजिए कि पी. सी. सी. की बैठक में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चन्दा इकट्ठा कराया गया है या नहीं कराया गया है। आज स्थिति यह है कि विधान सभा में गंगानगर का सवाल आ जाय तो विधान सभा को स्थगित करने की कोशिश करें। जनता अपनी बात कहने के लिए आना चाहे तो उनको रोका जाय, उन पर डंडे चलाये जायें, दो दो मील पुलिस की परेड कराई जाय यह क्या जनतन्त्र है? जनतन्त्र की परिभाषा है शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का। लेकिन यह जनतन्त्र की परिभाषा समाप्त कर रहे हैं। आज जनतंत्र की परिभाषा इनकी यह हो गई है कि कांग्रेसियों का राज्य, पुलिस का राज्य, इस तरह जनतन्त्र का हनन किया जा रहा है। हर बात में पुलिस को बढ़ावा दें, प्रश्रय दें यही इनका जनतन्त्र है, इस बात को आपने नहीं माना तो निश्चित रूप से यह बात साबित होगी कि हमारे मंत्रि मण्डल के सदस्य डंडा राज्य में विश्वास रखते हैं, विश्वास ही नहीं करते बल्कि यह उनका धर्म है। इस देश में जनतन्त्र की जड़ें खोदने का अपयश उनका होगा। जनतन्त्र की रक्षा करने के लिए आप अपना मुंह उजला करने के लिए इस बात को मानिये। मैं इस बात को कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा कि सारी दुकानें खुली हुई थीं, शान्ति से प्रदर्शन था, जनता के दिल में बड़ी इज्जत थी। उस जनता ने सन् 1962 में कांग्रेस को जिताया, 1967 में कांग्रेस को जिताया। उस जनता पर बिना चेतावनी के डंडा देना, पुलिस के बल पर दुकानें खुलवाने की चेष्टा करना यह आपने उस जनता के साथ सलूक किया है दूसरी जनता के साथ तो आपका क्या सलूक होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में चाहे आज सुबह दुर्जनसिंह के कांग्रेस में मिलने की घोषणा की गई हो उससे पहले इधर से बदलकर उधर चला जाय यह कोई खास बात नहीं है। मुकदमों की मार सदस्य के मन और मानस को तुड़वाती है। एक तरफ मुख्य मंत्री यह घोषणा करते हैं देश में इस प्रकार दल बदल की कार्यवाहियां न हों। यहां तो रोज सदस्यों को खरीद फरोख्त होती है। न्याय में कोई विश्वास नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं आपका आधार क्या है जिसके आधार पर आप यह कहना चाहते हैं कि जनतन्त्र में हमारा विश्वास है? आज देश सब जानते हैं कि जनसंघ हिंसा के द्वारा परिवर्तन नहीं लाना चाहता है मैं भी इस बात को मानता हूं। शोषण समाप्त न हो, आप वह परिस्थिति पैदा कर रहे हैं लेकिन देश में हिंसा हो, रक्तपात हो, ऐसी जिम्मेदारी आप पर है। आप नित्य प्रति इस

Page No. 79

(श्री नरपतसिंह)

तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। देश में रक्तपात और खून खराबी हुई तो देश में राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जनता की आज मंत्रियों में आस्था नहीं रही है, जनता की सही बात नहीं सुनी जाती है। आज देश में यह आम चर्चा का विषय हो गया है कि विधान सभा के सदस्यों की कोई उपयोगिता नहीं रही है। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं है कि उनकी उपयोगिता है या नहीं। केवल इसलिए सही बात है कि विरोधी पक्ष की बात को सत्तारूढ़ दल नहीं सुनना चाहता है अमल करना तो दूसरी बात है। इस तरह का वातावरण हो तो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी खत्म होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है, कामयाबी है, सच्चाई है तो चन्दे की वसूली और पुलिस कार्यवाही जिसमें बिना चेतावनी के डंडे चलाना इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। बस आपरेटर्स ने यह सब कुछ किया जैसा कि माननीय सदस्य श्री. केदार जी ने कहा और 30–.0, 40–.0 में सौदा करके वास्तविक लोगों को छोड़ दिया गया और दूसरे लोगों पर,

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

विद्यार्थियों पर मुकदमा चलाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, हम कभी यह मानकर····

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे पांच मिनिट का समय दिया जाय। मैं उस समय वहीं पर था मैं सारी घटनाओं के बारे में जानकारी रखता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गृह मंत्रीजी तो सरकार की तरफ से कहेंगे हमें उनसे भी शिकायत है हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाय। हमारी पार्टी के सदस्य और बोलेंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे) (व्यवधान)

शोरगुल।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हमारे साथ में जो वहां पर जुल्म हुआ है हमें शिकायत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर आप उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देंगे तो हमें भी आपको देना चाहिये गृह मंत्री जी तो सरकार की अपनी बात कहेंगे हमें उनसे भी शिकायत है हमारे साथ वहां काफी जुल्म हुआ है हम भी कहने का अवसर दिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं उपाध्यक्ष महोदय, वहां की स्थिति से पूरी जानकारी रखता हूं मुझे कहने का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय श्री गोकुल प्रसाद।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर अध्यक्ष की ओर से और उपाध्यक्ष की ओर से भी एक माननीय

(श्री मदनसिंह दांता)

सदस्य को नहीं बोलने देने के लिये उनको रोका जाता है। इस पर पहले भी माननीय सदस्य वाक आउट कर चुके हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि माननीय श्री रामचन्द्रजी वहां के रहने वाले हैं उनका उन घटनाओं से निकट का परिचय रहा है जब भी ये बोलने के लिये खड़े होते हैं इनको बोलने नहीं दिया जाता यह माननीय सदस्य के साथ अन्याय है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय आप श्री गोकुलप्रसाद जी के बाद इन माननीय सदस्य को अवश्य बोलने का समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर में जो कुछ हुआ उसका सब हाल मैंने आंखों से देखा है गंगानगर में किस प्रकार से आतंक फैलाने की योजना थी। जिन दिनों कांग्रेस का अधिवेशन वहां होने जा रहा था उन दिनों पंजाब से, हरियाना से लोगों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि इन दिनों गंगानगर की मण्डी लूटी जायगी····

श्री जयनारायण सालोदिया : यह ठीक है झूठ भी बोलो तो सौ फीसदी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उनको यह कहा गया कि झगड़ा होगा गंगानगर मण्डी को लूटा जायगा····

श्री जयनारायण सालोदिया : इनको तो झूठ शिरोमणि की उपाधि दे दी जाय।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप लोग बोले और शत प्रतिशत झूठ बोले उस समय हम चुप रहे आप में भी हमारी बातें सुनने की क्षमता होनी चाहिये आप में सच्ची बात तक सुनने की क्षमता नहीं है।

श्री रामकिशन वेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गोकुल प्रसादजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो सच या झूठ बोले वे बोलें लेकिन अपने बुढ़ापे का जरूर ख्याल रखें। अगला जन्म का भी खयाल रखें। पुनर्जन्म में आप तो विश्वास रखते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है मैं सच ही कह रहा हूं। लोगों का वहां इकट्ठा किया गया और उनको कहा गया कि गंगानगर में लूट होगी तुम्हारे भी हाथ लगेगा। ऐसे गुण्डे हर शहर में हुआ करते हैं जो इस तरह के मौको का फायदा उठाते हैं। इस तरह से लोगों को हरियाना और पंजाब से बुलाया गया। यह तो पुलिस ने सतर्कता बरती और उनका प्लान फेल हो गया। यदि उनकी इच्छा पूरी हो जाती तो वहां के लोगों के लिये वह बड़ा खराब दिन होता।

यह भी कहा गया कि उस दिन बाजार बन्द रहा बिलकुल गलत बात है बाजार बन्द आपकी सहानुभूति में नहीं रहा। लोगो ने इस डर के मारे कि गुण्डे उत्पात करेंगे उसमें कहीं उनका हाथ पैर न टूट जाय इसलिये कुछ देर के लिये लोगों ने अपनी दुकानें बन्द की थीं। आपने जिन्दगी भर ये काम किये हैं। लेकिन अब आपके कारनामें जनता समझ गई है वह आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। आप कहते हैं कि जलूस नहीं निकली सर्किट हाउस में काफी तादाद में लोग थे।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)
यह जो आप कहते हैं कि हमारे साथ में आदमी नहीं थे नहीं तो क्या आपके साथ में होंगे ? अरे यार इतना तो झूठ मत बोलो। आप यह कहते थे कि गंगानगर में हाथ पैर तुड़ाकर आओगे यह सब गलत निकला···

एक माननीय सदस्य : आप जैसे भी पार्टी के साथ विश्वासघात करने वाले भी लोग होते हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: बाद में केदारनाथ जी लड़कों को साथ लेकर आये कि हम दुकान लूटेंगे। लेकिन उनकी दाल नहीं गली। दिन भर बाजार खुला रहा। मैंने बाजार में पान खाया, चाय पी। वे मुझे बाजार में मिले। मैंने उनसे कहा कि मैंने बाजार में पान खाया है दूसरी जगह नहीं खाया।

आपने जरूर यह घोषणा की थी कि बाजार लूटेंगे लेकिन सरकार की सतर्कता के कारण आपकी चली नहीं आपसे क्या लूटा जायगा आप तो तालियां पीटा करो।

यह भी कहा गया कि पांच हजार पुलिस फ़ोर्स वहां लगा दी। अरे यार आपको पता तक नहीं सारे राजस्थान में पुलिस फोर्स कितनी है सारे राजस्थान के लिये पुलिस फोर्स 25 हजार है यह जबरदस्ती कह दिया कि उसमें से पांच हजार गंगानगर में लगा दी। वहां सिर्फ चार सौ-पांच सौ सिपाही मौजूद थे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पण्डितजी महाराज बार बार 'यार' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो असंसदीय है। यहां पर माननीय सदस्यों में महिला व पुरुष सदस्य भी हैं ऐसी अवस्था में उनको कहा जाय कि ये 'यार' शब्द का प्रयोग न करें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं आपको माकूल नहीं मानता तो मैं आपके लिये माकूल शब्द का प्रयोग कैसे करूंगा आपको नामाकूल ही कहूंगा। लेकिन फिर भी नामाकूल होते हुए भी आपको मैं भाई ही कहूंगा। यार कहूंगा खैर।

गंगानगर में दुकानदारों ने दुकानें बन्द नहीं कीं वे खुली रखना चाहते थे लेकिन उनको यह डर था कि कुछ गुण्डे मिलकर लाठी और डण्डों से दुकानों को हानि न पहुंचा दें इसलिये उन्होंने कुछ देर के लिये बन्द की थीं। आखिर वे भी शैतानियत से डरते हैं। मैंने उनसे कहा आप शैतान से डरो नहीं उसको एक दवा है कि उससे आप डरो मत और इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन कोई दुकान बन्द नहीं हुई।

श्री नत्थीसिंह : पहले दिन तो बन्द हुई यह तो आप मानते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप हड़ताल कराने और झगड़ा कराने पर उतारू थे। आज केदारनाथ जी समाजवादी होने का दम भरते हैं। जब वहां के मार्गों का राष्ट्रीकरण करने का सवाल आया तो उन लोगों से प्राइवेट बस मालिकों से मिलकर राज्य पथ परिवहन की बसों पर पत्थराव कराया। आप एक तरफ समाजवादी होने का ढिंढोरा पीटते हो दूसरी तरफ प्राइवेट बस आपरेटर्स से मिलकर राज्य की बसेज पर पत्थराव कराते हो। आपने जो षड़यन्त्र रचा था, गवर्नमेन्ट की सतर्कता के कारण वह सफल

Page No. 82

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

नहीं हो सका, फिर भी आप यह कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई। हम तो आपको अब भी कहते हैं हम अगले महीने वहां आयेंगे और फिर मीटिंग करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीयकृत बसेज वहां पर आयीं तब उन पर पथराव किया गया उस बस के कांच तोड़े गये सिर्फ इसलिये कि ये बसेज वहां चल नहीं सकें। प्राइवेट बस आपरेटर्स के दलाल फिरते थे पब्लिक नहीं चाहती थी कि मीटिंग हो यह कहा गया। मैं केदारनाथजी से कहना चाहता हूं यह तो आपको पता हो गया होगा गंगानगर की पब्लिक कांग्रेस को कितना चाहती है। वहां के लोगों का जो कांग्रेस के प्रति स्नेह रहा है उसको देखकर शायद माननीय सदस्यों को ईर्ष्या होती है। अगर कांग्रेस वाले जुल्म करने वाले होते तो आज उनको इतना सहयोग नहीं मिलता। केदारनाथजी को पकड़ा गया और उनको 15 मिनिट बाद छोड़ दिया गया। आपने कह दिया कि मैं इसमें भाग लेने वाला नहीं था तो आपको रखकर क्या करते आपको छोड़ दिया गया आपके कहने पर।

राजस्थान में काफी राजनैतिक पार्टियां हैं सभी अपना अपना अधिवेशन करती हैं किसी पर कोई पाबन्दी नहीं। आपने वहां सामूहिक रूप से अधिवेशन नहीं होने के लिये बाधा पैदा की लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिली। हमारी कान्फ्रेन्स सफलता पूर्वक हुई। सांपों से सभी डरते हैं लेकिन उसका भी इलाज है। उनको डंडे से मार दिया जाय तो वह कभी नहीं काटेगा वह मर जायगा। हमने वहां के लोगों को इलाज बता दिया शैतान से डरो मत उसका सामना करो। कांग्रेस का जल्सा वहां उत्साह पूर्वक हुआ उसको कोई रोक नहीं सके······

श्री दौलतराम सारण : आपको तो कहीं लगी नहीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चौधरी साहब आप जैसों को तो कइयों को मैं बगल लेकर चल सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण : लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे आपको बुढ़ापे में यह कैसा शौक है ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आखिर मैं क्या कहूं आप में पाव डेढ पाव तो वजन नहीं इतने वजन वालों को तो हम बगल में ही लेकर फिर सकते हैं।

श्री हीराभाई : आप तो वहां पर लाल टोपी पहनकर फिर रहे थे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : लाल टोपी का तो वहां नामों निशान ही नहीं था। लाल टोपी वाले तो सब बन्द हो गये थे। इतनी मुसीबतों के बाद भी शानदार ढंग से कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया। पंजाब और हरियाणा के गुण्डे ताकते ही रह गये सरकार की सतर्कता से वे जो चाह रहे थे नहीं कर पाये। आगे भी हम वहां अपनी कान्फ्रेन्स करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य। समय सीमा 10 मिनट।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर की घटनाओं के बारे में मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। गंगा–

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नगर में 3 जुलाई, 68 को जो कुछ हुआ उसको मैंने आंखों से देखा। केदारनाथ जी सेवासिहजी और अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उस मिटिंग में मौजूद था जो विरोधी पार्टियों की ओर से जुलूस भी निकाला गया कांग्रेस वालों का भी जुलूस निकला। उनके जुलूस के पीछे ट्रकों में कई आदमी भरे हुए थे पब्लिक दोनों तरफ सड़क के किनारे खड़ी थी। कांग्रेस वाले नारे लगा रहे थे कांग्रेस जिन्दाबाद, सुखाड़िया जिन्दाबाद और सामने से दूसरे लोग कांग्रेस मुर्दाबाद, सुखाड़िया वापिस जाओ के नारे लगा रहे थे जुलूस में इसी दौरान जब ट्रक आ रहा था कांग्रेस कार्य-कर्ताओं से भरा हुआ था एक दस साल का लड़का इसमें नारे लगा रहा था सुखाड़िया मुर्दाबाद कांग्रेस मुर्दाबाद। उसको पहले तो मना किया गया जब लड़का नहीं माना तो उस लड़के को ट्रक के नीचे फेंक दिया। फेंकने पर वह लड़का बेहोश हो गया। उस घटना को देखकर जनता में रोष फैल गया और जनता ने जोर जोर से कांग्रेस मुर्दाबाद, सुखाड़िया मुर्दाबाद के नारे लगाये। उस पर पुलिस को रोष आ गया और उस पर पुलिस ने जबरदस्त लाठी चार्ज किया। उसके थोड़ी देर बाद ही किसानों का एक जुलूस आ रहा था ज्योंही वह आगे आया तो उन पर पुलिस बरस पड़ी और डंडों से मार मार कर उनको भगा दिया उसमें काफी आदमी लहुलुहासन हो गये और किसान लोग सड़क पर पड़े पड़े कराहते रहे थे। उसके बाद मीटिंग के अन्दर हमने सब लोगों को कहा कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ एक जुलूस के रूप में हम मुख्य मंत्री के सामने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने जाकर मुख्यमन्त्री को ज्ञापन देंगे। उस इलाके के लोगों ने मिलकर एक 33 सूत्री मांग पत्र तैयार किया जिसको पी. सी. सी. के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। उसी दौरान सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जीप में बैठकर आये और उस जीप को भीड़ में घुसेड़ दिया। देखते देखते लोग इधर उधर भागने लगे। एस. पी. जीप से नीचे उतर कर भीड़ की तरफ डंडा लेकर भागे मेरे देखते देखते एस. पी. ने काफी लोगों को डंडे से मारा। मैंने उनसे कहा इतने बड़े हजूम के अन्दर आप जो हरकतें कर रहे हैं यह ठीक नहीं है अगर जनता ने हिन्सात्मक रूप धारण कर लिया तो आप कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। आप इस तरह से अपने पर खतरा मोल ले रहे हैं। उनके दिमाग में यह बात आयी और वे जीप में बैठकर चले गये। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम जुलूस के शक्ल में होकर मुख्य मंत्री के सामने जाकर उनको ज्ञापन देंगे। लेकिन पुलिस ने पहले ही लाठी मार मार कर जनता को भयभीत कर दिया था इसलिये कोई भी आदमी जुलूस में शामिल नहीं हुआ। हमने कोशिश की लेकिन सौ दो सौ आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सके क्योंकि वातावरण बिगड़ गया था। उस समय किसी आदमी की सुरक्षा नहीं थी और लड़के के बारे में यह अफवाह फैल गई कि उसकी मौत हो गई है। हम तीन चार व्यक्तियों ने जाकर कोतवाली में जानकारी ली उन्होंने कहा कि लड़का अस्पताल में है और ठीक है। हमने जाकर अस्पताल में देखा लड़के की हालत सुधर रही थी लेकिन क्या देखते हैं पचासों व्यक्ति वहां पर घायल पड़े हुए थे खून से लथपथ हुए थे उनको कोई डाक्टर नहीं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

संभाल रहा था। हमने जब कहा कि इनकी मरहम पट्टी करो तो डाक्टर कहता है कि ऐसे सेकड़ों आदमी जख्मी हैं किस किस की मरहम पट्टी करें। ऐसे तो और कितने ही आयेंगे। हमें यह देखकर बड़ा अचम्भा हुआ। यह किस प्रकार का राज्य है जो अपने आपको प्रजातंत्र की दुहाई देता है जो किस प्रकार निहत्थे व्यक्तियों पर दमन कर रहा है यह सब लोगों को दबाने के लिये हुक्म दिया गया। आगे चलकर मैं क्या देखता हूं कि काश्तकारों का झुण्ड जुलूस बनाकर आ रहा है उस पर लाठियां बरस रही हैं उन लोगों का ढोल फोड़ डाला और उनको मार मार कर सड़क पर बिछा दिया गया जो लोग भाग रहे थे उनके पीछे पुलिस भाग भाग कर उनको मार रही थी और कह रही थी कि एक भी आदमी ने कांग्रेस के विरोध में नारा लगाया तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दी जायगी। कांग्रेस के एक व्यक्ति वहां कह रहे थे कि अगर कोई कांग्रेस के विरोध में नारा लगाता है तो उसको मारो। इससे पुलिस वालों का हौसला बढ़ गया। यह सही स्थिति है।

जहां कांग्रेस का पण्डाल था वहीं पर उसके सामने विरोधी पार्टियों की स्टेज थी। उन पर पुलिस लाठी बरसा रही थी सौ डेढ़ सौ आदमी घायल हो गये उनको बुरी तरह से पीटा गया। वहां कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां पर लाठियां नहीं चली हों। पुलिस लोगों को सरे आम बाजार में मार रही थी सारी जनता भयभीत थी।....

सारा बाजार शम्शान की तरह से था। कोई दुकान नहीं खुली हुई थी। 4 बजे तक कोई दुकान नहीं खुली यह मेरी आंखों देखा हाल है। इसी तरह से लोगों ने पी. सी. सी. की मीटिंग की। वहां जाने की चेष्टा की लेकिन वहां 500 आदमी टोपधारी सिपाही लगे हुए थे सिनेमा हाल के सामने और अन्दर मीटिंग कर रहे थे। वह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां पी. सी. सी. की मीटिंग हो रही है और अपने को प्रजातंत्र में विश्वास करने वाला बताते हैं और किस तरह से पुलिस के पहरे में मीटिंग हो रही है। उसके बाद में पब्लिक पार्क में मीटिंग की उसमें 100–150 से ज्यादा आदमी नहीं थे और पुलिस के आदमियों को सादी वर्दी पहना कर, दो तीन सौ आदमियों को बैठा रखा था। उनको भी डर था कि कहीं दंगा नहीं हो जाये। इतने में ही हमारे साथी श्री हेतराम जी, जब सुखाड़िया जी खड़े हुए बोलने के लिए तो उन्होंने कहा कि सादड़ी सोना काण्ड के चोर सुखाड़िया जी बाहर जाओ। उनके इतना ही कहने पर लोगों के ऊपर लाठियां बरसीं और लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको हवालात में बन्द कर दिया गया। इस तरह की घटनायें इस कांग्रेस के शासन में यह लोग करते हैं और फिर यह दलील देते हैं कि वहां पर कोई दुकान बन्द नहीं हुई। मैं कहता हूं कि गंगानगर में 500 से कम आदमी घायल नहीं हुए और वह बेचारे अपने गांवों को चले गए और उनके किसी ने पट्टी तक नहीं बांधी। पुलिस वालों के तो लगनी ही थी क्योंकि जब कोई कुत्ता हिड़काया हो जाता है तो उसको पत्थरों से ही मारा जाता है तो उनको मारने के लिए जनता के पास पत्थर ही थे और क्या था। इस प्रकार का दृश्य

(श्री रामचन्द्र आर्य)

गंगानगर के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा तो गंगानगर का आंखों देखा हाल मैंने आपके सामने बताया है। इसको न्यायिक जांच होनी चाहिए। ी मनफूलसिंहजी ने लोगों से जबरदस्ती चन्दा वसूल किया। अधिकारियों से लिया, छोटी छोटी दुकान वालों से चन्दा लिया और करीब 3 लाख रुपया इकट्ठा किया इस प्रकार की लूट के खिलाफ लोगों ने नारा लगाया। कातिलाना हमला करने की लोगों की इच्छा नहीं थी। इन लोगों ने जान बूझकर इसको छुपाने के लिए कि कांग्रेस का विरोध गंगानगर में नहीं है और चन्द गुन्डे जो कि राष्ट्रीयकरण के विरोध में नारा लगाते हैं उन्होंने ऐसा दंगा किया। मैं कहता हूं कि बसों के राष्ट्रीयकरण की कोई घटना नहीं हुई। इन लोगों की ज्यादती के कारण यह हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आप जानते हैं कि जनता जनार्दन है, वह किसी की लाठी की परवाह नहीं करती। मुझे दूसरे रोज श्री खेतसिंहजी मिले और उन्होंने इस घटना की और पुष्टि की कि हमें कहां लाकर फंसा दिया। यहां न रहने को मिला और न खाने तक को मिला। यह खेतसिंहजी ने मुझ से कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें यहां मरवाने के लिए लाये थे। इसके अलावा खेतसिंहजी ने कहा कि श्री शोभारामजी और सुमित्राजी ने कोतवाली में छिपकर अपने प्राण बचाये हैं। इस प्रकार की घटना जो गंगानगर में हुई वह मनफूलसिंहजी के कारण हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां के जन प्रतिनिधियों के कारण हुई क्योंकि जो जनता की मांग है उनको मन्जूर नहीं करने के लिए लोगों की नाराजगी है और माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास वहां की जनता ज्ञापन देना चाहती थी। हमारे कार्यकर्ताओं को 15 दिन के बाद घरों में जाकर के पकड़ा। मुझको भी पकड़ने के लिए एक इन्सपेक्टर साहब आये और कहा कि आपको ठाकुर साहब थाने में बुला रहे हैं मैंने उससे कहा कि कौन से ठाकुरसाहब हैं तो उस इन्सपेक्टर ने कहा कि डी. आई. जी. हैं। मैंने उससे कहा कि मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। उसके बाद में दूसरी बार चार पांच सिपाही लेकर आये और कहने लगे कि हमने तुमको गिरफ्तार कर लिया है। मैंने कहा कि मेरे वारन्ट लाओ तो उन्होंने कहा कि वारन्ट तो नहीं है। क्योंकि मेरे साथ उस समय चार-पांच आदमी थे तो वह भयभीत होकर वापिस हट गए। दूसरे रोज मैंने कलेक्टर साहब को टेलीफोन किया कि आपने सारा का सारा काम बिगाड़ा और आपके एस. पी. ने लोगों को मेरे सामने लाठियां मारीं और इसको कलेक्टर साहब ने स्वीकार किया कि हां एस. पी. ने लाठियां मारी हैं। मैंने कहा कि हमारे साथियों को छोड़ दिया जाये। इस पर कलेक्टर साहब ने कहा कि इनके जाने के बाद में इस पर विचार करूंगा, अभी मेरे बस की बात नहीं है और एस. पी. ने लोगों को लाठियां मारी हैं यह मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रकार की घटनाएं हैं जिसकी अदालती जांच नहीं हो और तथ्यों को छुपाया जाये और गलत बातों को सदन में पेश किया जाये इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है? यदि आप प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना चाहते हैं तो इसकी आप न्यायिक जांच करवाइये और अगर प्रजातंत्र को जिन्दा नहीं रखना चाहते हैं तो

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आपको भी जाना पड़ेगा और इस प्रजातंत्र को भी जाना पड़ेगा क्योंकि आपके इस प्रकार के कारनामों से यहां की जनता हथियार उठाने को मजबूर हो जायगी क्योंकि आप ही इनको प्रोत्साहित करते हो। यह आपको मालूम है कि नोहर के अन्दर एक आदमी को जिन्दा जला दिया गया और जलाने वाले मुलजिम को आज तक पुलिस नहीं पकड़ सकी। इस प्रकार के काण्ड राजस्थान में होते हैं।

(समय–समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनट। तो आप कहते हैं कि गंगानगर के अन्दर कांग्रेस का पी. सी. सी. का जलसा हुआ था और गुण्डागर्दी करने के लिए यह सारी जालसाजी रची गई यह बिल्कुल झूठ बात है। हमारी कोई नीयत नहीं थी कि पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाये जायें और आपको चोट पहुंचे। हमारी नीति थी कि राजस्थान के मुख्य मंत्री के सामने सही चित्रण रखें। मैंने 20 तारीख जून को उनको एक चिट्ठी लिखी थी और मैंने उस पत्र में सारा का सारा चित्र खींचा था और उसके बाद में सुखाडियाजी का जवाब आया। उन्होंने कहा कि मैंने आपके खत का अवलोकन किया है। पता नहीं किस हद तक उन्होंने विचार किया लेकिन इस घटना के बारे में मैंने पहले ही उनको जानकारी दी थी कि इस तरह से आफिसर्स से चन्दा वसूल किया जाता है और लोगों को डराकर पैसे लिये जाते हैं और श्री मनफूलसिंहजी और उनके साथी गांवों में घूम रहे हैं। अभी 5 तारीख को श्री मनफूलसिंहजी दौरे पर गये तो उनके साथ में 80 पुलिस के आदमी एस. पी. और कलेक्टर इनके साथ गये। क्या इनको अकेलों को कोई मारता था? अगर यह कोई जनता के जन प्रतिनिधि हैं तो क्या जरूरत है एस. पी. और कलेक्टर को साथ में रखने की? और फिर वह ढूंढते फिरते कि यहां कहीं रामचन्द्र तो नहीं है। क्या रामचन्द्र कोई डाकू तो नहीं है जो इनको खा जायेगा। प्रजातन्त्र के अन्दर विश्वास रखते हैं तो आपको अकेलों को गांवों में जाना चाहिये और पुलिस के आतंक से वहां अपना हक जमाना चाहते हैं तो यह आपका प्रभाव वहां टिकने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाये और जो दोषी हैं उनको दण्ड मिलना चाहिए और इसको आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आगे चलकर इससे भी ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है क्योंकि आये दिन वहां इस प्रकार की कार्यवाहियां हो रही हैं। इस पर इस सदन को विचार करना है और एक हाईकोर्ट के जज को नियुक्त किया जाकर जांच की जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर से इस एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर बहस सदन में हो रही है और कई माननीय सदस्यों ने तरह तरह की बातें इस मोशन के ऊपर कही हैं। साधारण सा सवाल इस मोशन में यह था कि 3 जुलाई को जो घटनाएं गंगानगर में हुई उसमें पुलिस की ज्यादती थी या प्रदर्शनकारियों की थी और उसी के ऊपर मैंने अपना एक छोटा सा स्टेटमेन्ट दिया था। मैरिट्स के ऊपर बहस इसलिए नहीं की थी कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है और सबजुडिस है।

एक माननीय सदस्य : कब से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह देखा कि....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, कोई डिस्टरबेन्स नहीं कर रहा हूं लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी साथ हो बतायें कि यह किस तारीख से सबजुडिस है? चालान किस तारीख को पेश कियागया है? आज शायद पेश हुआ होगा ऐसा कहा गया या दो तीन रोज में हुआ है और जब सदन में यह बात आ गयी और हमारा गला घोटने के लिए मामला सबजुडिस बनाया जाये तो हम समझते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन है और उसके लिए हम अलग से सोचेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके अधिकारों का दुरुपयोग नहीं है.....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : हनन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हनन ही सही। मैं आपकी जानकारी के लिए कहूंगा कि 30 जुलाई 68 को 3 मुकदमे पेश कर दिये गये और 20 अगस्त तक सारे पेश कर दिये गये। आज सब पेश किये गये हों या कल शाम को पेश किये गये हों यह गलत है। और तारीख सुन लें 30 जुलाई को 3 मुकदमे पेश कर दिये गये और 20 अगस्त तक कुल मुकदमे पेश कर दिये गये। इस लिए केदारजी, माननीय केदार जी का कहना है यह उनको कोई सूचना होगी। आप तारीख मालूम कर लीजिए। मैं यह अर्ज कर रहा था जहां तक प्रजातन्त्र का सवाल है, उसका गला घोटा जा रहा है, ऐसी बातें यहां कही गई हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि जनता के फण्डामेंटल राइट्स हैं, नागरिक अधिकार हैं, उन्हें डिमांस्ट्रेशन करने का अधिकार है। प्रोसेशन ले जाने का अधिकार है। उसको मैंने डिनाई नहीं किया है। राजनैतिक पार्टियां डिमांस्ट्रेशन करती हैं। जब तक वह पीसफुल हैं हमने उसमें कोई दखल नहीं दिया है। इस बात को हमने माना है। जहां जहां आपकी पार्टी की मीटिंग्स हुई, आप कांग्रेस की ओर कोई चार्ज नहीं लगा सकते हैं कि आपको मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कांग्रेस पार्टी के किसी सदस्य ने कोई कोशिश की हो। परन्तु आप देखिए, जहां कांग्रेस की मीटिंग होती है, आपकी ओर से यह कोशिश की जाती कि डिस्टर्बेन्स पैदा किया जाये। गड़बड़ी की जाये। तो मैं आपसे कहूंगा कि यह गलत प्रवृत्ति है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप जनता का गला घोंटते हैं। आप पुलिस के जरिये भय और आतंक जमाने जाते हैं तो जनता कभी बरदाश्त नहीं करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर! प्लीज माननीय सदस्य!

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में दखल नहीं दिया है। मैंने आप को यह कहा कि यह टेण्डेंसी पीसफुल डिमान्स्ट्रेशन की रहे। मीटिंग हो, आप एजीटेशन करिये। परन्तु जब आप वायलेंट एक्शन करते हैं, आपसे मेरा मतलब एण्टी सोशल एलीमेंट से है और वह हिंसा करते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि पुलिस कभी बरदाश्त नहीं करेगी। लॉ एण्ड आर्डर

Page No. 88

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मेण्टेन करना पुलिस का काम है । कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति करेगा तो हरगिज बरदाश्त नहीं होगी । हमें अपना काम करना है । हम किसी मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं । यह हमारा कर्तव्य है । हम उसे पूरा करेंगे । गंगानगर के मामले में बहुत जोर देकर आपने कहा है । मनगढ़न्त कहा है । लाठी चार्ज बनाकर कहा है । . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सही बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दामोदरलाल व्यास : नोहर से आने वाले माननीय सदस्य हैं मैं चाहता हूं कि वह अदालत में जाकर गवाही दें ताकि सच्चाई जानने का मौका मिले । मैंने यह बात नहीं कही है कि लाठी चार्ज पुलिस ने किया है । आज तक मुझे यह सूचना नहीं मिली है कि कोई आदमी जख्मी हुआ है या उसको चोट लगी है या उसका अस्पताल में इलाज हुआ हो । जब कि पुलिस के 25 आफिसर हैं जिन के चोटें आई हैं एक सिपाही के हाथ की हड्डी टूट गई है । कई सिपाहियों के सिर फूट गये हैं । पुलिस को मारने के लिए तो एण्टी सोशल एलीमेंट हो लेकिन क्या पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी रक्षा करे ? तो मुझे माफ करना जनतन्त्र को हम नहीं, लॉ एण्ड आर्डर और जनतन्त्र को आप खत्म करने जा रहे हैं । वोट की ताकत से आप हमको हटा नहीं सके हैं । जनता आपको कभी पसन्द नहीं कर सकती है ।

(शोर–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कहता हूं कि आप हिंसात्मक प्रवृत्ति को खत्म कीजिए । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि फौज का सामना फौज करेगी । उन्हें यह बताया जाये कि यह प्रवृत्ति गलत है । ये आने वाले नहीं हैं । इसलिए इनका तरीका अलग है. इनकी पार्टी के उसूल अलग हैं । ये गड़बड़ी करने में नम्बर एक हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इनको अगर कोई बढ़ावा दे रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस मामले में भी इन्टरफीयर कर रहे हैं । यह प्रवृत्ति गलत है । प्रोत्साहन देने की बात गलत है । जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है । यह प्रजातन्त्र का गला घोटना होगा, अगर इसे प्रोत्साहन दिया जाएगा । चाहे हम इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों, हमारा कर्तव्य यह है कि हम हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन न दें । गंगानगर के बारे में आप कहते हैं कि ज्युडिशियल जांच कराओ । जब कि पिटे पुलिस वाले । ज्युडिशियल इन्क्वायरी को आप इतना सस्ता न बनाइये । हमारा कर्तव्य है कि विरोधी दल की बात को हमें मानना चाहिए । परन्तु आप हर मामले में ज्युडिशियल इन्क्वायरी चाहें तो फिर मुझे माफ करना आप की मांग में वजन कम हो जाएगा । हमारे सोचने के तरीके में कमी आ जाएगी । कसूर किया जाये और ज्युडिशियल इन्क्वायरी पुलिस के खिलाफ । पुलिस अपना कर्तव्य पालन करती है । ला एण्ड आर्डर डिस्टर्ब होता है । यह आप खुद मानते हैं । आपने खुद कहा है कि पुलिस अधिकारियों को चोटें आयीं । आप इस

(श्री दामोदरलाल व्यास)
तरह की दलील नहीं रखें जिसमें कोई तथ्य न हो ।

श्री रामचन्द आर्य : यह किसके सामने कहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नोहर से आये हुए माननीय सदस्य ने एक नया स्टंट रखा कि एक लड़के को ट्रक से फेंक दिया क्योंकि उसने सुखाड़िया मुर्दाबाद का नारा लगाया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद अस्पताल में जाकर उस लड़के से मिला हूं । उससे बात की है। उसने ट्रक पर चढ़ने की कोशिश की इससे गिर गया ।

एक माननीय सदस्य : वाह ! खूब !

श्री दामोदरलाल व्यास : लड़के के पिता जी से बात की है। वह लड़का न तो नारा लगा सकता है । न कुछ समझता है । सात आठ साल का वह बच्चा है । गाड़ी से गिर गया । न वह बेहोश हुआ । थोड़ा शाक लगा। परन्तु इस घटना को लेकर आप यह कहने लगे· · ·

(3. म. प.)

श्री रामचन्द आर्य : क्या यह सही है कि दो रोज तक वह अस्पताल में पड़ा रहा और उसको आक्सीजन देते रहे ?

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इनके ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखें ।

श्री नत्थीसिंह : गृह मंत्रीजी की मजबूरी है वह कि पुलिस को नहीं बुला सकते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जो बातें कहीं, मैं उन वाकियात पर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मामला अदालत में सब-जुडिस है ।

यहां पर माननीय दौलतराम जी ने जो बातें कहीं दुनियां भर की, लैंड रिकार्ड्स की, जमीन के एलाटमेंट की, फला ढिमकी–जो यहां दस पन्द्रह वर्ष पहले की बातें कहीं और किताब बनाकर उन्होंने रखीं उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है । कुछ दिन पहले तक यहां मंत्रिमण्डल में थे थे· · ·

श्री दौलतराम सारण : यह नहीं कहेंगे· ·

श्री दामोदरलाल व्यास : और उनके राजनैतिक गुरू कुम्भारामजी राजस्व मंत्री थे उस वक्त उनसे वह इन दिक्कतों को दूर नहीं करा सके, उस वक्त उनको यह नहीं सूझा (व्यवधान) जब जमीन के एलाटमेंट की बात हो रही है, यह एलाटमेंट के नियम हो गये, फलां हो गया, यह हो गया–मैं इन बातों पर विचार नहीं करता और न जवाब देता हूं ·

श्री दौलतराम सारण : आप मनफूलसिंह वाली बात कह दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें· · ·

श्री दौलतराम सारण : मनफूलसिंह वाली जमीन के तबादले वाली बात आप कह दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं एक बात बताना चाहता हूं । गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने किस्सा बनाते हुए यह

Page No. 90

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कहा कि हमारा इरादा यह था कि हम घेराव करेंगे, मुख्य मंत्रीजी का घेराव करेंगे। मैं उनको एक बात साफ कहना चाहता हूं कि और सारी बातें बर्दाश्त हो सकती हैं लेकिन घेराव की बात राजस्थान में बर्दाश्त नहीं की जायगी, बल्कि सख्त कार्यवाही की जायगी। रहा सवाल इस बात का, तो मैं माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के लिए वह विचार करें। मसला यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कलेक्टर ने इनको लाइसेन्स दिया दोनों पार्टियों, कांग्रेस को दिया और दूसरी पार्टियों को दिया और दोनों के लिए टाइम मुकर्रर कर दिया कि दस से एक बजे तक कांग्रेस पार्टी और एक से ढाई बजे तक दूसरी पार्टी जुलूस निकालेगी। इसको खिलाफवर्जी किसने की? खिलाफवर्जी के लिए गंगानगर से आये हुए माननीय सदस्य हैं उनको कहना था, जुलूस के अन्दर जुलूस निकाल कर लाना कहां तक उचित है। मैं निवेदन करता हूं कि जब एक बजे तक का टाइम था तो साढ़े दस बजे जुलूस लाने की क्या आवश्यकता थी? उसके बाद में जुलूस को भंग करने के लिए जुलूस को डिस्बर्स होने के लिए कहा तो पत्थर, सोडा वाटर की बोतल और लकड़ियां चलाई गई। उसके बाद में यहां पर यह कहा जाय कि हम तो शांत थे और पुलिस ने हम पर ज्यादती की। जनाब! यह हरकत की, यह काम किया, हो सकता है कि उसमें आपकी पार्टी वाले नहीं हों, कुछ गुण्डों ने, जो आपकी पार्टी में नहीं हैं, वक्त का फायदा उठाया और वह उसमें शामिल हो गये। इसलिए जो पुलिस ने काम किया है, वह ठीक किया है और उनको करना चाहिए था। अगर नहीं करते तो हम उन्हें सजा देते। मैं नम्रतापूर्वक कहता हूं···

श्री रामचन्द्र आर्य : आप नम्रता से नहीं कह रहे हैं। आप अपने रवैये को सुधारें और अपने रवैये को ठीक करें। चूंकि ताकत आपके हाथ में है इसलिए इस ताकत का दुरुपयोग न करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाय देश में और उस हिंसा की प्रवृति को कोई राजनैतिक पार्टी बढ़ाती है तो उससे खतरा आपको और हमें, दोनों को हैं, इसलिए आपको और हमें, दोनों को मिलकर इस हिंसा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए, सख्ती के साथ में रोकना चाहिए और उसको डिस्करेज करना चाहिए। इस इश्यू को पालिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहिए। यह अर्ज करके जो बात आपने कही है जुडिशियल इन्क्वायरी की कि जुडिशियल इन्क्वायरी इसमें शुरू करा दी जाय, तः यह जुडिशियल इन्क्वायरी का केस नहीं है। आन द अदर हैंड जिन लोगों ने जुल्म किया है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनका चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। अब उसके ऊपर अदालत फैसला करेगी। यह मामला अब सब-जुडिस है।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री!

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय!

श्री उपाध्यक्ष : अगला स्थगन प्रस्ताव!

श्री रामकिशन : यह महत्वपूर्ण मामला है। पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन गृह मंत्रीजी के बयान के बाद कुछ कहना जरूरी हो गया है।

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो तथ्य रखे गये हैं और गृह मंत्री ने दोनों बयानों में जो जवाब दिया है–उस सम्बन्ध में तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मुझे सिर्फ इस बात की गृह मंत्रीजी से जानकारी करनी है कि आपने फर्माया कि देश में हिंसा का वातावरण नहीं बने, तो हिंसा का वातावरण तो दोनों तरफ से ही नहीं बनना चाहिए । और इस बात की हम पूरी तौर से कोशिश करते हैं और हम अहिंसा के समर्थक भी हैं । लेकिन जो कुछ भी आपने कहा है, आप अपने इस बयान को खुद देखेंगे तो आपने बोलते वक्त यह कहा कि पुलिस को जितनी सख्ती का इस्तेमाल करना चाहिए था वह नहीं किया । इसी प्रकार से गिरधारीलालजी बोले तो उन्होंने कहा कि हमें सरकार से यह शिकायत है कि जो पुलिस को सख्ती इस्तेमाल करनी चाहिए थी वह नहीं की गई । और अब अंत में गृह मंत्रीजी ने चेतावनी और धमकियां दी हैं । मैं समझता हूं और महसूस करता हूं कि सरकार खुद हिंसा की तरफ बढ़ रही है · · ·

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर दूं कि मैंने धमकी नहीं दी। मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नम्रतापूर्वक कह कर धमकी दी है ।

श्री रामकिशन : मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के हाव आपने दिखाये–और जिस प्रकार के हाव-भाव आपने दिखाये, जिस प्रकार का आपके चेहरे का रंग था, जिस तरह की आपकी शब्द रचना थी उससे जाहिर होता है कि आप खुद अपने मन में उत्तेजित हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि शासक यदि उत्तेजित होता है तो यह उचित नहीं है । विरोधी दल के व्यक्ति यदि उत्तेजित हो जायं तो कोई बात नहीं क्योंकि उनके पास केवल वाणी है, उनके पास कर्म की ताकत नहीं है । लेकिन आपके पास तो कर्म की ताकत है । आप यदि उत्तेजित होते हैं, जोश में होते हैं तो राजस्थान में कहर ढा सकते हैं । आपने कहा कि और सब कुछ बर्दाश्त करेंगे लेकिन घेराव को बर्दाश्त नहीं करेंगे । इन शब्दों से साफ है कि आपका पुलिस राज्य का दृष्टिकोण है । आप भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे, आप मंहगाई को बर्दाश्त करेंगे, आप भाव बढ़ने को बर्दाश्त करेंगे, आप करप्शन को बर्दाश्त करेंगे, आप संगठन में टूट फूट को बर्दाश्त करेंगे। इन कारणों से ही तो लोगों में जोश बढ़ता है. लोगों में नाराजगी बढ़ती है और इसलिए ही वह घेराव करते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने स्टेटमेंट में कहिए कि आप इस प्रान्त में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे जिसके कारण लोग घेराव की ओर प्रवृत्त हों । हम लोग शांति प्रिय हैं हम लोगों को अशांति करने के लिए उकसाते नहीं, बल्कि शांति के साथ रहने की कोशिश करते हैं और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसको भी करैक्ट करने को तैयार हैं । लेकिन आप जो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि हिटलर बोलता था । जब कि आप जानते हैं कि हिटलर के पास ताकत थी आपके पास कितनी ताकत है ? आपको विश्वास है कि पुलिस आपकी मदद करेगी । पुलिस आपकी मदद करने वाली नहीं है । यह वही पुलिस है जिसने राजाओं को सलाम किया, जिसने अंग्रेजों को सलाम किया और अब दामोदरलाल व्यास और रामकिशोर व्यास को सलाम कर देगी । और

Page No. 92

(श्री रामकिशन)
यही पुलिस किसी दिन हमें भी सलाम कर देगी। यह आपको पुलिस नहीं है। अगर आप इस विश्वास पर ही डण्डा चलाने की बात कहते है, घेराव को तोड़ने की बात कहते है तो मैं आपका भ्रम दूर करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज जनता में पुलिस के प्रति नफरत क्यों है, पुलिस के प्रति घृणा क्यों है? इसके कारणों को दूर करने की सोचते नहीं। यह भी नहीं सोचते कि गंगा नगर में पुलिस की पिटाई क्यों हुई? वैसे जो पुलिस की पिटाई हुई - वह गलत काम है और हम उसकी निन्दा करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि वह क्यों पिटते है? आज आपके थानेदार सात सात हजार रुपये देकर भर्ती हो रहे हैं, यह आपके नोटिस में आता है। यह भी आपके नोटिस में आता है कि पुलिस हर मामले के अन्दर दोनों पक्षों से रिश्वत ले लेती है और उसके बाद में मुकदमे बनाये जाते है इस कारण से लोगों में नाराजगी होती है, नफरत होती है। उसको दूर करने के बजाय सदन में इस प्रकार उत्तेजना का व्यवहार करते हैं मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। बुजुर्गी के नाम पर आप अपने इस व्यवहार को वापस ले लें।

दूसरा मैं निवेदन करता हू ज्युडिशियल इन्क्वायरी के सम्बन्ध में हम ज्युडिशियल इन्क्वायरी की बात कहते है तो आप कहते हैं कि छोटे छोटे मामलों में ज्युडिशियल इन्क्वायरी शुरू कर दें- यह उचित नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े मामले कौन से हैं और छोटे छोटे मामले कौन से हैं – इसकी आप हमें एक सूची दे दीजिये जिससे यह मालूम हो कि यह मामले बड़े हैं इनमें तो ज्युडिशियल इन्क्वायरी होगी और यह भी छोटे मामले हैं इन पर नहीं होगी। इस तरह का एक कोड, एक रास्ता बन जाय तो हम भी समझ जायेंगे कि आप यह मानते हैं, बीस–पच्चीस आदमी मर जांय तो ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये और अगर पच्चीस–तीस पर डण्डे पड़ जायं तो ज्युडिशियल इन्क्वायरी नहीं होनी चाहिये। ऐसा माप दण्ड मिल जाय तो अच्छा हो क्योंकि इससे विरोधी दल को भी जानकारी हो जायगी। अगर इस प्रकार के कोई नियम बन जायं तो आगे हम उनके अनुसार मांग करना भी सीख जायेंगे। आज नियम नहीं है इसलिये हिंसा का व्यापक प्रयोग किसी तरफ से भी हुआ हो, मैं थोड़ी देर के लिए आपके तर्क को ही स्वीकार कर लेता हूं कि पुलिस के साथ गड़बड़ी हुई है। इस कारण से तो और भी जरूरी है कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो, जिससे हम आगे की हिंसा की प्रवृत्ति को रोक सकें। मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारी मांग को स्वीकार करें। अगर अब भी आप वही व्यवहार रखेंगे, जैसा कि आपका उच्चकुलीन वाला व्यवहार है, व्यवहार रहेगा तो हम भी आपके व्यवहार के प्रति क्षोभ प्रगट करने का कोई दूसरा रास्ता अपनायेंगे जो कि हमारा अधिकार है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी इस मांग को स्वीकार करें और इस सदन में आपने जो कुछ भी कहा है उसे वापिस ले लें, और अगर मांग स्वीकार नहीं करते हैं तो हमें यह तर्क से समझायें कि यह जरूरी क्यों नहीं है और इसलिए आप अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं। मैं यह मान कर चलता हूँ कि एक शासक का दिमाग तो बर्फ की तरह से ठण्डा होना

(श्री रामकिशन)

चाहिए। आपका दिमाग बर्फ की तरह ठण्डा नहीं है और बीस तीस रुपये का जैसे हीटर खरीद लेते हैं वह जिस तरह गर्म हो जाता है उसी तरह से चाहे छोटा प्रश्न हो, चाहे बड़ा प्रश्न हो आप नाराज हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रवृत्ति को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक राजस्थान का प्रशासन ठीक तरह से नहीं चल सकेगा। जो भी बातें सदन के सामने आई हैं और तथ्य सदन में रखे गये हैं और ज्युडिशियल इनक्वायरी की मांग की गई है उसमें आरोप न आप पर आता है और न हम पर आता है हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आ जाय ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आप हमारी मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा·····

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री ! इस पर काफी चर्चा हो गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं मैंने यह कहा था कि घेराव बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे। मैं अब भी कहता हूं कि घेराव बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे। आपको यह बात बुरी लगे तो भी मैं हर्गिज इस बात को वापस लेने को तैयार नहीं हूं। मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि घेराव की प्रवृति बर्दाश्त नहीं की जायगी।

श्री हीराभाई : आपकी बेईमानी भी जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : आगे आप समझिये···

श्री हीराभाई : पाकिस्तान के अन्दर मन्त्री की कार पहुंच गई उसकी आप जांच नहीं कर रहे हैं। इस बात को जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। चोरी डकैती को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री!

श्री दुर्गालाल बाढदार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोड आफ कन्डक्ट में साफ एडमिट किया है···

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो रूख अपनाया उसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

(संसोपा, साम्यवादी तथा स्वतंत्र सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह तेजी में और जिस दम्भ के साथ गृह मन्त्री जी ने जनता की मांग की उपेक्षा की है और जिस ढंग से यह कहा है कि वहां केवल पुलिस की पिटाई हुई है और वहां कोई कारण नहीं था जिसके कारण जनता में रोष था। और हमने केवल पन्द्रह वर्ष पुरानी बातें यहां पर कह दी हैं। यह दम्भ रहा तो यहीं तो आपको खायेगा। हम इस नाजायज और बेहया दृष्टिकोण के विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री दौलतराम सारण द्वारा बहिर्गमन)

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी ने गगानगर की सारी घटना की असलियत को साम्यवादी सदस्य और घेराव शब्द को पकड कर छिपाई हैं। मैं सोचता हूं कि इससे अधिक शर्म की बात कोई नहीं हो सकती, इस प्रकार के प्रश्न को लेकर, इस दृष्टिकोण को लेकर हमने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और सरकार से यह आशा करते थे।....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कि इस दृष्टिकोण को महसूस करके ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार होगी। मुझे दुःख है कि सरकार ने इस प्रश्न पर यह रवैया नहीं अपनाया है। इसलिए इस रवैये के खिलाफ हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) अभी आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी आ रहे हैं। आप इन्तजार करिये।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी आ जाइये। आपका प्रस्ताव आ रहा है।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल) : इस सदन के सामने विरोधी पक्ष की ओर से एक छोटी सी मांग रखी गई है और वह छोटी सी मांग थी जिसे गृह मन्त्रीजी स्वयं स्वीकार किया। आरोप, प्रत्यारोप लगाये जाते हैं पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ जनता के आदमियों के द्वारा और उन आरोप, प्रत्यारोपों को आप स्वीकार करते हैं और जब उस पर न्याय से जांच की मांग की जाती है उसको आप स्वीकार नहीं करते। यह बड़े दुःख की बात है। मैं इसके विरोध में अपनी पार्टी के साथ इस सदन का बहिर्गमन करना चाहता हूं।

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार) उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर में पीने के पानी की समस्या को लेकर मैंने एक ध्यानआकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी। उस प्रस्ताव के माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान जयपुर शहर के पीने के पानी की समस्या की ओर दिलाता हूं और उस समस्या के समाधान के लिये राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई उदासीनता का रुख और सरकार की लापरवाही और इस सरकार के रवैये की घोर निन्दा करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, इस सदन में इस प्रश्न के ऊपर पहले भी कई बार चर्चा उठायी गयी है। मुझे अफसोस है कि राजस्थान सरकार ने जयपुर शहर के पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिये इस सदन में अनेक बार आश्वासन दिये, लेकिन उनके आश्वासनों के बावजूद जयपुर शहर में पीने के पानी की समस्या को सरकार हल नहीं कर पायी। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस स्थिति को लेकर मैंने प्रस्ताव की सूचना दी थी, यह स्थिति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इतनी विषम हो गई है कि पीने के पानी का सवाल नहीं, पीने का पानी जो मुहैया किया जा रहा है जयपुर शहर के अन्दर, उस पीने के पानी की क्वालिटी इतनी खराब है, पीने का पानी इतना दोषपूर्ण है कि यह पीने का पानी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और इसमें अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। मुझे दुःख इस बात का है, मुझे खेद है कि राजस्थान सरकार समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित होने के बावजूद भी इस समस्या का समुचित समाधान निकालने में सफल नहीं रही है। राज्य सरकार की असफलता, राज्य सरकार की उदासीनता, राज्य सरकार की लापरवाही, यह राज्य सरकार की क्रिमिनल नेगलीजेन्स जनजीवन के साथ मखौल बन गई है। मैं समझता हूं इससे भयंकर अपराध और नहीं हो सकता। जहां पीने के पानी में कीड़े निकले और राजस्थान की सरकार कान में तेल डाल कर सुनती रहे, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है, माननीय मन्त्री महोदय भी जानते होंगे कि जयपुर में पीने के पानी की समस्या हर गर्मियों में विषम हो जाती है। इस समस्या को लेकर प्रश्न उठाये जाते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव के जरिये वाद विवाद, चर्चा बजट के दौरान उठाई जाती हैं पर राजस्थान सरकार केवल आश्वासनों के अतिरिक्त जयपुर शहर के पीने के पानी की समस्या का कोई निदान नहीं कर सकी। जयपुर के अन्दर आज पीने का पानी लोगों को जिस मात्रा में मिलना चाहिये उस मात्रा में नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान पत्रिका के 4 जून 1968 में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। "जयपुर में पानी की भारी किल्लत। ऊपर की मंजिल में नल सू ं सू ं नीचे तुर्र तुर्र तुर्र... जलदाय विभाग मौन।"

इस समाचार के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। जयपुर जिलाधीश ने समस्या को सुलझाने के लिये कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सारी शिकायत संबंधित विभागों को, जयपुर के जिलाधीश महोदय को की गई और इसी सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरा समाचार 20 जून, 1968 को राजस्थान पत्रिका के मुख पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ कि "जयपुर के लोग कुए से पानी खींच कर काम चलाने को मजबूर, राजनैतिक दलों को दिये गये आश्वासन थोथे प्रमाणित, जिलाधीश वली स्वयं स्थिति का अध्ययन करेंगे।" इस समाचार के बाद भी राजस्थान सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर नहीं गया और इसके कारण अखबारों में फिर समाचार आया, उसमें लिखा है, "जयपुर में कीड़े वाले पानी की सप्लाई ?" 26 जून का समाचार है यह।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या को लेकर पानी में जो कीड़े निकले उसका परीक्षण किया डा. जे. पी. बोहरा ने, जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। उन्होंने स्वयं इसकी शिकायत की। शिकायत की कि इस प्रकार से पीने के पानी में कीड़े निकल रहे हैं। कीड़ों के पानी को बोतल में बन्द करके उसका सेम्पल नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों के पास भेजा। नगरपरिषद् ने कीड़े वाले पानी के सेम्पल की बोतल को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जांच की। उन्होंने जो जांच की और जांच के बाद जो कारण बताया, उसका यह समाचार राजस्थान पत्रिका के 27 जून के मुख पृष्ठ पर निकला है। "अधिकृत रूप से पता चला है कि नगरपालिका के पास जो कीड़े वाले पानी की बोतल का सैम्पल भेजा गया था, उसकी जांच के लिये जलदाय विभाग को भेजा गया है? नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि एक लाल रंग का कीड़ा चाक के समान था। अगर यह पानी के साथ पेट में निगल जाय तो चिपक जाता है। यह खतरनाक है।" इस बाक से, इस कीड़े के पेट में जाने से यह स्वीकार किया है कि भयंकर रोग हो जाता है और काफी लोग इस रोग से बीमार हैं। किन्तु अफसोस है कि सरकार की ओर से अभी तक इसमें सुधार करने के लिये, कोई कदम नहीं उठाया है। भीखा भाई आपकी भी मजबूरियां हैं, उन्हें मैं समझता हूं। उन मजबूरियों की ओर आप शायद· · · ·

एक माननीय सदस्य : कली की तरह शरमा गये हैं!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कली की तरह नहीं, ये तो इस समय भौंरे बने हुए हैं!

उपाध्यक्ष महोदय, पानी की छोटी लाइनों को बड़ी में आज तक नहीं खींचा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में एक समाचार छपा है, कि फिल्टर हाउस में भारी मात्रा में कीड़े पाये गये। राजस्थान सरकार इससे इन्कार नहीं कर सकती कि जयपुर के फिल्टर हाउस में भारी मात्रा में कीड़े पाये गये। मुझे आश्चर्य है, यह जानकर कि फिल्टर हाउस में कीड़े पाये गये। इसकी जांच कराई गई और यह साबित हुआ। हमारी सरकार कहती है कि जो कीड़े इसमें हैं, वे स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक नहीं हैं। यह तरीका है संबंधित अधिकारियों का जांच का। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन अधिकारियों के नाम बताने की आवश्यकता नहीं समझता। जांच कराई, उसका क्या नतीजा निकला? यह सबूत नहीं है कि पीने के पानी में कीड़े हैं? और आरगुमेन्ट दिया जा रहा है कि रामगढ़ के बंध में बहुत पानी आ गया और वह बहकर फिल्टर हाउस में आ गया? उस बांध में ज्यादा पानी आने के कारण, मिट्टी के साथ कीड़े आ गये और वे फिल्टर हाउस में घुस गये? यह कोई तर्क है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में इस के समाचार लगातार निकलते रहे। 24 जुलाई के बाद, 27 जुलाई को समाचार प्रकाशित हुए। उनके पढ़ने के बावजूद भी फिल्टर हाउस की अभी तक सफाई नहीं हुई है? जलदाय विभाग क्या करता रहा? उपाध्यक्ष महोदय, इतने प्रकार के, सभी प्रकार के समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद जयपुर शहर में पेट का रोग भयंकर रूप से फैल रहा है। लोग पेट के रोग से पीड़ित हैं। सरकार निष्क्रिय है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में सरकार के द्वारा जो पीने का पानी मुहैया किया जाता है, वह इतना अशुद्ध है, दोषपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है कि लोगों के पेट में दर्द है, उनको पेचिश हो रही हैं और बीमारियां फैल रही हैं।

3 जुलाई, 1968 को जनता कालोनी में भी कीड़ा निकला। समाचार प्रकाशित हुआ लेकिन सरकार की ओर से इस संबंध में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं। भीखाभाई, अगर आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको बद्दुआयें मिलेंगी, मंत्रिमंडल से जाओगे और आप पहले ही बीमारी से दुःखी हैं और फिर लोग आप को और बद्दुआ देंगे।

मुझे पता नहीं श्रीमती सुमित्राजी आपके पास आपकी इज्जत से बैठी हैं, वह ऐसे ही शौक से बैठी हैं या विभाग की मंत्री हैं लेकिन मैं आपके सामने पानी का सैम्पल जो मुझे वहां के नागरिकों ने दिया है, वह पेश करता हूं। यह बड़ी बोतल है लेकिन कीड़ा छोटा है, आप जांच करायें। जयपुर शहर में नलों में ऐसा पानी दिया जा रहा है। अनेक प्रकार की शिकायतें कांग्रेस बंधुओं ने भी की है लेकिन आज तक आपने कोई कदम नहीं उठाया। इस बोतल की कीमत अधिक नहीं है मैं वह पानी समेत मंत्री महोदय को दे दूंगा।

भीखाभाई यह पानी का दूसरा सैम्पल है इसकी विशेषता यह है कि कीड़ा बहुत छोटा है लेकिन बोतल हिलाने के बाद बड़ा हो जाता है और ऐसे बड़ा हो जाता है जैसे चुनाव के बाद कांग्रेस की संख्या 79 थी और सरकार बनने के बाद 107 हो जाती है। इसकी भी आप जांच करायें। इसी तरह एक और पानी का सैम्पल है। इस तरह मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से तीन सैम्पल मंत्री महोदय के पास पहुँचाता हूं। वह आवश्यक जांच कराने के बाद सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं आशा करता हूँ कि जयपुर की जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया जायगा राजनैतिक प्रतिशोध के कारण। सारे समाचार पत्रों में आज तक एक भी समाचार नहीं आया कि उदयपुर में पानी की समस्या है। आप उदयपुर की समस्या हल करें या अजमेर की हल करें वहां ढाई करोड़ रुपए खर्च करें। जयपुर की जनसंख्या 6 लाख है, मास्टर प्लान 12 लाख की जनसंख्या का बना हुआ है उसके अनुसार 12 करोड़ की योजना बनास नदी से पानी लाने की है, वह क्यों नहीं चला रहे हैं? वह योजना क्यों खटाई में पड़ी हुई है? बनास नदी वाली योजना जो 12 करोड़ की है 12 लाख की आबादी के लिए पर्याप्त है। उस योजना का काम शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यान आकर्षित हो गया। एक सदस्य ने बोल लिया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: जयपुर नगर में पानी की समस्या आज से ही नहीं बल्कि मुझे मालूम है कई बार मैंने भी इस समस्या की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। यह भी मुझे मालूम है कि राज्य सरकार की ओर से जितने आश्वासन दिए गए, उनके आधार पर कई बार शहर की चौकड़ियों में व्यवस्था की गई कि कुओं में हैंड पम्प्स लगा दिए जायेंगे, बहुत से ऐसे कुएं हैं जिनमें से पानी निकालने की व्यवस्था की जायगी और उनका कनेक्शन पानी से

Page No. 98 [redacted]

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चलने वाले कनेक्शन से कर दिया जायगा। इस प्रकार आरजो रूप से राज्य सरकार, बराबर ध्यान आकर्षित करने पर, हल निकालने का प्रयत्न करती रही है लेकिन कोई व्यवस्था आज तक 6 वर्ष के बाद भी राज्य सरकार ने सुचारु रूप से नहीं की। आखिर मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि जनता जिसका प्रतिनिधित्व आप भी करते हैं और वह जनता जिसके बीच में रहकर आप प्रशासन चलाते हैं, वह जयपुर शहर जहां आपकी विधान सभा है, जहां सचिवालय है और सचिवालय के बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनके प्रति यह उदासीनता की प्रवृत्ति किन कारणों से आपने बरती है? संभवतः एक ही राजनैतिक कारण इसके पीछे दृष्टिगोचर होता है, वह कारण यह हो सकता है कि जो सत्ताधारी दल है जिसने आज हुकूमत अपने हाथ में ली है, उसके प्रति सहानुभूति इस नगर में उनको नहीं मिलती और यही कारण है कि आप सब मिलकर इस नगर का जितना नुकसान हो सकता है, करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप प्रजातंत्र में आस्था रखते हैं तो हृदय से इन विचारों को दूर करना होगा और इस तरह जनता के जीवन के साथ पानी, जिसको जीवन हिंदी और संस्कृत में कहते हैं, यदि आप जीवन के प्रति खिलवाड़ करना चाहते हैं तो निश्चित् रूप से यह जनता जनार्दन आपकी सत्ता के साथ खिलवाड़ करेगी और जिस सत्ता को आपने हाथ में ले रखा है, वह चली जायगी। आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पानी की क्या समस्या है। पानी की बाल्टी में, हर ग्लास में क्लोरिन इतनी आती है कि एक या दो मिनट तो साहस नहीं होता कि पानी पी सकें। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस सारी व्यवस्था को अपनी आंखों से देखते हुए भी क्यों नजर अंदाज करते आ रहे हैं। मैं उन चौकड़ियों का वर्णन करना चाहता हूं जहां सुबह को आपने एक या दो घंटे निश्चित् कर रखे हैं, वहां पानी खुलता है, अगर 5 बजे सुबह पानी खुलता है और आदमी उठ गया तो पहली मंजिल पर पानी मिल जायगा वरना पानी का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि पहली मंजिल पर भी पानी मिलना आसान नहीं होता। हर आदमी के घर में आप जैसे बंगले की तरह 10 टूंटियां नहीं होतीं, एक क्लर्क है जिसको ऑफिस में 9 बजे जाना पड़ता है उसको क्यू में खड़ा होना पड़ता है बाल्टी भरने के लिए। उनकी दयनीय अवस्था को आप देखें, आप विचार भी नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आपको रहने का अवसर नहीं मिलता। चुनाव के दिनों में कम से कम जनता के सम्पर्क में आने का सौभाग्य आपको मिलता होगा। मैं मानता हूं वह आरजो समय आता है, उसके बाद आप शक्ति में अंधे होकर सारी बातों को भूल जाते हैं और उसके परिणामस्वरूप आपको इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। मैं आशा करता हूं कि यदि आपके हृदय में थोड़ी भी सद्भावना है तो इस समस्या को निराकरण करने की चेष्टा करेंगे।

अब मैं दो तीन छोटी सी बातें सूक्ष्म में आपको बता देता हूं। आपके जल प्रदाय विभाग द्वारा कुछ अव्यवस्थाएं भी बरती जाती हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिये। शहर में जो नल लगे हुए हैं, उनमें से कई नल टूट जाते हैं

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
और उनमें से पानी चौबीसों घंटे बहता रहता है, उसकी तरफ आपका यह विभाग कोई ध्यान नहीं देता, आखिर पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक का पानी है, एक तरफ तो लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता और दूसरी तरफ पानी का इस तरह से वेस्टेज होता है आखिर आपके विभाग की जिम्मेदारी है, यह सब देखने की। मीटरों के गलत रीडिंग की हजारों शिकायतें, सरकार के नोटिस में लाई गईं, आपके अधिकारियों के नोटिस में लाई गई हैं, पर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

शिक्षा का मसला एलीमेंट्री है तो उसके लिये राज्य सरकार रुपया मांगती है, मकान मांगती है, पानी के लिये कहें तो यह कह कर दूर हो जाते हैं कि कोई बात नहीं कीड़े आ गये होंगे पर वे कीड़े स्वास्थ्य को नुकसान करने वाले नहीं हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट से पूछिये कि आज इन कीड़ों की वजह से कितने बीमार इलाज के लिये आये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

50 परसेंट बच्चों के पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, डाक्टर परेशान हो गये कीड़ों को मारने की दवाइयां उनको देते देते, जयपुर की सारी मेडिकल शॉप्स में अन्दाज लगा कर देख लीजिये कि कितने परसेंट कीड़ों को मारने वाली दवाइयां इन सालों में बिकने लगी हैं। अब तो बड़े आदमियों के पेट में भी कीड़े पड़ने लग गये। आखिर जनता के जीवन के साथ आप इस तरह का खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है जनता के जीवन के साथ इस तरह खिलवाड़ करने का? मैं अपेक्षा करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र अच्छे पानी की व्यवस्था करेंगे। आज से 10-20 साल पहले जो जयपुर के लिये पानी की व्यवस्था थी, वही पानी-वितरण की व्यवस्था आज भी चलती आ रही है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। आज पहले से जयपुर की पॉपुलेशन 6 गुना बढ़ गई है पर पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें किसी प्रकार का भी सुधार करने की चेष्टा इस जल-प्रदाय विभाग की ओर से नहीं की गई है। बड़ी व्यास योजना बनाने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है, राज्य सरकार दिवालिया है, उसके बजट में इसके लिये गुंजायश नहीं है तो हम राज्य सरकार से यह अपेक्षा तो करते हैं कि जो मौजूदा योजनाएं हैं उनमें जितना सुधार किया जा सकता है, जितना रुपया व्यय किया जा सकता है, वह तो किया जाना चाहिये और यहां की जनता के लिये स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: मन्त्री महोदय!

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मंत्री जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जयपुर शहर के अन्दर जो जल-वितरण की व्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में जयपुर से आने वाले दो माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है, कि सन् 1968 के जून मास के अंतिम सप्ताह में यह देखा गया कि रामगढ़ टैंक में एक विशेष प्रकार के लाल कीड़े पैदा हो गये हैं जिनको जीव विज्ञान के अनुसार ऐनीलिडा (Ann lida) कहते हैं। इस कीड़े का प्रयोगशाला में निरीक्षण किया गया और यह कीड़ा क्लोरीन की दस पी. पी.

(श्रीमती सुमित्रा)

एम की मात्रा से लगभग 15 मिनिट के अन्दर मारा जा सकता है। इस जानकारी के तुरन्त पश्चात् विभाग द्वारा रामगढ़ से आने वाले पानी का उपचार करने हेतु समुचित कदम उठाये और यह देखा गया कि अधिकतर कीड़े फिल्टर में प्रवेश करने के पूर्व ही समाप्त प्रायः हो गये, फिर भी कुछ कीड़े फिल्टर में घुसे हुये पाये गये और इसलिये इन कीड़ों को शहर के जल वितरण हेतु बनाई गई स्वच्छ टंकियों में जाने से रोकने के लिये 60 मैस की जालियां लगा दी गईं। इसके परिणाम स्वरूप इन कीड़ों का शहर की पाइप लाइनों में आना रोक दिया गया है। यह संभव हो सकता है कि विभाग द्वारा उक्त कदम लिये जाते समय कुछ कीड़े पाइप लाइनों में प्रवेश पा गये हों।

विभाग के वरिष्ठ रसायनिज्ञ ने इस समस्या को राजस्थान यूनिवर्सिटी के जीव शास्त्र विभाग के प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष के सम्मुख रखा, क्योंकि ऐसी समस्या जयपुर जलदाय के इतिहास में पहले कभी नहीं पाई गई और यह अपने प्रकार की एक विशेष समस्या थी। जीव शास्त्र के विभागाध्यक्ष की रिपोर्ट के अनुसार जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है, यह पाया गया कि इस प्रकार के कीड़े मनुष्य के लिये हानिकारक (Directly Pathogenic) नहीं हैं और अगर संयोगवश इनको पानी के साथ पी भी लिया जाय (जिसकी संभावना उनके बड़े स्वरूप को देखते हुए बहुत ही कम है) तो यह आमाशय के तेज अम्ल से मर जायेंगे। जीव-शास्त्र के प्रोफेसर ने यह भी राय व्यक्त की है कि इन कीड़ों के अण्डे मनुष्य की पाचन प्रणाली में विकसित नहीं हो सकते। जहां तक इन कीड़ों की उत्पत्ति के कारणों का प्रश्न है, प्रोफेसर का यह विचार है कि टैंक में बड़े आकार की मछलियों की कमी इन कीड़ों के अधिक मात्रा में उत्पन्न होने का कारण हो सकता है।

कुछ लोगों का यह भ्रम पाया गया कि इन कीड़ों की उत्पत्ति जलदाय विभाग के फिल्टर्स खराब होने के कारण हुई है परन्तु यह सत्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के कीड़ों की उत्पत्ति फिल्टर्स की बजरी में नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिल्टर्स प्रतिदिन शुद्ध पानी से साफ किये जाते हैं और बिना आवश्यक भोज्य पदार्थ के जो कि इन फिल्टरों में उपलब्ध नहीं है और जिसके बिना किसी भी प्रकार का जीवाणु उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई भी प्रकार की वनस्पति एवं जीवोत्पत्ति फिल्टर्स में संभव नहीं है।

फिल्टर्स के सम्बन्ध में यह भी जानकारी दे दूं कि इनकी बजरी समय समय पर बदली जाती है। कुछ फिल्टर्स की बजरी 1963-64 में भी बदली गई थी। साधारणतया फिल्टरों की बजरी को 6-7 वर्ष से पूर्व बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु आवश्यकतानुसार इससे पूर्व भी बदल दी जाती है। इस समय सभी फिल्टर्स संतोषजनक स्थिति में हैं और इनके द्वारा निकला पानी बिल्कुल स्वच्छ पाया गया है और इन फिल्टर्स के अन्दर किसी भी प्रकार की खराबी नहीं है। इस समय नगर में वितरण होने वाला पेय जल पूर्णतया शुद्ध व पीने योग्य है।

विभाग द्वारा कीड़ों की उत्पत्ति के कारणों की जांच हेतु लिये गये विशेष कदम

(श्रीमती सुमित्रा)
इस प्रकार है:—

पशुपालन विभाग के संचालक को राजस्थान यूनिवर्सिटी के जीव शास्त्र के प्रोफेसर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह निवेदन किया गया कि रामगढ़ टैंक में बड़े आकार की मछलियों को उचित मात्रा में डाला जावे।

नागपुर स्थित केन्द्रीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक अन्वेषण संस्थान के संचालक, जो कि जलदाय संबंधी देश की उच्चतम प्राधिकारी (आॅथेरिटी) हैं, वे दिनांक 20-8-68 को जयपुर पधारे और उन्होंने विभागीय निवेदन पर लक्ष्मण डूंगरी स्थिति फिल्टर को देखा। विभाग के अधीक्षक अभियन्ता ने उनको उक्त समस्या से अवगत कराया और विभाग द्वारा क्लोरीनेशन व जाली इत्यादि लगाने के उपचार विस्तृत रूप से बताये। संचालक महोदय ने इस समस्या को उनके नागपुर की प्रयोगशाला में छानबीन करने की सहमति दी और विभाग ने इस संबंध में उनकी सलाह हेतु इस समस्या को उनके पास भेज दिया। इस संबंध में संचालक महोदय को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।

जन साधारण में यह चर्चा है कि पेट का दर्द और एमेबियासिस (Amebiasis) पीने के पानी के कारण है, किन्तु यह सही नहीं है। इस सम्बन्ध में "रोज ई मैकिनो" द्वारा लिखित माइक्रोबायोलोजी फोर सेनिटेरी इन्जीनियर्स में यह स्पष्टतया वर्णित है (जिसके उद्धरण की एक नकल संलग्न है) कि एमेबियासीस डी सेन्टरी एक आम बीमारी है जो ऐसी कच्ची सब्जियों के इस्तेमाल से फैलती है जहां इन सब्जियों को रा सीवेज में उगाया जाता है। जयपुर में इस प्रकार की सब्जी उगाने वाले दो फार्म हैं और यह संभव है कि उक्त प्रकार की बीमारियां इन फार्मों में उगाई जाने वाली कच्ची सब्जियों के प्रयोग से होती है। इस शहर में सीवेज के उपचार करने का कोई भी यंत्र नहीं है क्योंकि जयपुर की व्यापक ड्रेनेज स्कीम अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। यदि रॉ सीवेज का भली भांति उपचार किया जावे तो यह बीमारी अवश्यम्भावी रोकी जा सकती है।

कुछ लोगों का यह भी विचार है कि जयपुर में कुओं से वितरित किया जाने वाला पानी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। इस सम्बन्ध में यह बताना उचित होगा कि विभाग ने यहां पर एक वरिष्ठ रसायनिज्ञ नियुक्त कर रखा है जो समय समय पर नियमित रूप से शहर की जल वितरण से पानी के नमूने इकट्ठे कर के उनकी रसायनिक एवं बेक्टेरियोलॉजीकल जाँच करते हैं। इस प्रकार की जांच की रिपोर्ट संलग्न है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ऐसा कोई स्रोत नहीं है जहां से स्वास्थ्य के लिये हानिकारक पेय जल वितरित किया जाता है। शहर के अन्दर 10 कुएं ऐसे अवश्य हैं, जिनका पानी भारी व खारा अवश्य है किन्तु वह स्वास्थ्य के लिये किसी भी प्रकार हानिप्रद नहीं है। यहां यह भी कहना उचित होगा कि राजस्थान के अन्य भागों में पेयजल हेतु काम में लाये जाने वाले कुओं का पानी जयपुर की अपेक्षा काफी अधिक खारा व भारी है। जयपुर में इन कुओं को गर्मी की मौसम में जल वितरण बढ़ाने की दृष्टि से काम में लाया जाता है। इन कुओं के पानी के साथ-साथ शहर में रामगढ़ से आने वाला पानी भी मिला कर वितरित किया जाता है, जिससे वितरित किये जाने

(श्रीमती सुमित्रा)
वाले पानी का खारापन व भारीपन बहुत कम हो जाता है ।

इसके साथ में और भी निवेदन कर दूं जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कि जयपुर की आबादी बहुत बढ़ गई है । मैं खुद इस बात को स्वीकार करती हूं कि राजस्थान के फार्मेशन के समय 2·91 लाख की आबादी थी वहां से बढ़कर अब 6 लाख हो गई है लेकिन उस समय प्रति व्यक्ति 13 गैलन पानी मिलता था आज पानी की मात्रा गर्मी में 137 लाख गैलन और सर्दी में 127 लाख गैलन पानी देते हैं जो कि प्रति व्यक्ति 23 गैलन पानी आता है सारी सिटीज को दो-तीन शहरों की बात तो मैं नहीं कहती लेकिन उसके बाद प्रति व्यक्ति मिलने वाला जल जयपुर को प्रति व्यक्ति के हिसाब से अधिक ही जाता है इसलिये मैं माननीय सदस्यों को इतना अवश्य बता दूं जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि वह इस प्रकार की पहली घटना है और मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी घटना कि पुनरावृत्ति न हो इसके रोकथाम का इन्त-जाम किया जा रहा है । मुझे ऐसा लगा माननीय सदस्यों के भाषणों से कि वे इतने असंतुष्ट पानी की अव्यवस्था से नहीं है, बल्कि ऐसे वक्त पर अखबारों में पब्लिसिटि ज्यादा कैसे मिले इसके लिये भी आतुर है । जनता को ज्यादा से ज्यादा कान्फिडेन्स में ले सके ताकि अगली बार चुनावों में सहूलियत हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह बिलकुल गलत अभि-योग लगाया माननीय मन्त्री महोदय ने । आपने इस मसले को कैसे उठाया कि अख-बारों में पब्लिसिटि के लिये किया गया है यह आपत्तिजनक है···

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : राजस्थान में पानी के अन्दर कीड़े आये इसकी पापुलेरिटि के लिये किया गया था न कि···

श्रीमती सुमित्रा : जनता इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने कैसा मसला उठाया ? यह कैसे आरोप लगाया ? यह आपका अप्रोच करने का तरीका गलत है । आप जनता कि जिन्दगी के साथ खिल-वाड़ा करना चाहते हैं । आप खुद इस पानी को पीकर देखें ।

श्रीमती सुमित्रा : मैं भी यही पानी पीती हूं । रोज यही पानी पी रही हूं । क्या पीने के लिये पानी कोई लन्दन से मंगवाती हूं या कहीं बाहर से मंगवाती हूं ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पानी के अन्दर··

श्री देवदत्त गाडिया (बांरा) : कीड़े किलबिलाते रहते हैं पानी में और सरकार··

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बात यह है कि उपाध्यक्ष महोदय···

श्रीमती सुमित्रा : माननीय उपाध्यक्ष जी मेरे कहने की मंशा यह नहीं कि पानी में कीड़े हैं···

Page No. 103

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पानी में कोड़े हैं और सरकार यह कहती है कि इस पानी को पीने से नुकसान नहीं होता है।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि पानी में कीड़े हैं उसके लिये जाली लगाई गई है, फिल्टर का प्रबन्ध किया गया है, वैज्ञानिक बार बार जांच कर रहे हैं। नागपुर में रिसर्च इन्स्टीट्यूट हैं उनको हमने वहां बुलवाया है। पानी का सेम्पिल भेजा है, उनको कारण पूछा है। भविष्य में रोकथाम कैसे की जा सके इसके लिये भी मैं इसके आगे और निवेदन कर दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तौर तरीका कहां से आया आप में ?

श्रीमती सुमित्रा : मैं आप लोगों की शंका का समाधान करना चाहती हूं इसके बावजूद भी माननीय सदस्य चाहें तो हम लोग कमेटी मुकर्रर कर दें जिसके रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्री के. एन. भार्गव, मेडीकल एण्ड हैल्थ के डाईरेक्टर इसके मेम्बर हो और वह कमेटी इस समस्या की छानबीन करें। चीफ इंजीनियर वाटर वर्क्स भी इसके सदस्य हों, इरिगेशन के चीफ इंजीनियर भी इसके सदस्य हों। ऐसे 4 आदमियों की कमेटी मुकर्रर करके इस समस्या का समाधान हो और हमारे सामने यह समस्या दुबारा न आये इसके लिये यह कमेटी बना दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री दुर्गालाल बादशाह: आपके कमेटी बना देने से समस्या का समाधान निकल जाय, यह नहीं है बल्कि यह है कि व्यवस्थित रूप से पानी मिले, पर्याप्त मात्रा में पानी मिले जनता आज इसकी अपेक्षा करती है। राजस्थान सरकार का यह बढ़िया तरीका है कि कोई आरोप हो तो जांच कमीशन बिठा दें, कमेटी का निर्माण कर दें। यह टालने की बात है। राज्य सरकार क्या व्यवस्थित रूप से कार्य करना चाहती है– इसको बतायें . . .

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इन कीड़ों से कोई नुकसान नहीं है। कोड़े लाभदायक भी बहुत हैं ताकि शिकायत न रहे। शहर की आबादी बहुत बढ़ रही है मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्राम दिनोंदिन खतम हो रहे हैं या शहर के लोगों के पास सिवाय इसके कि बच्चे बच्ची पैदा करें कोई काम नहीं है इसलिए बढ़ रही है या किस लिए बढ़ रही हैं मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदया ठीक उत्तर देती जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है। जो प्रश्न इनके सामने रखा है वह बनास योजना का है। उन्होंने इस पर मौन रहना उचित समझा है। प्रति व्यक्ति कितना पानी मिलता है। इस प्रकार के जो आंकड़े सदन में दिये गये है, वह बनावटी हैं। बनास योजना सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान जिस ओर जाना चाहिए उस ओर नहीं जाता। पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की गई थी। हमारी सरकार इतनी उदार हो गई है कि पीने के पानी व खाद्य समस्या की सदन में अवहेलना की गई है इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। सरकार यह

Page No. 104

(श्री भैरोंसिंह)

कह कर चले, मंत्री महोदया इस प्रकार की बात कह कर चले कि जयपुर शहर में जो बीमारी हो रही है वह पानी की वजह से नहीं हो रही बल्कि साग सब्जी की वजह से हो रही है। तो क्या आपका मतलब है कि साग सब्जी पाकिस्तान से मंगवाई जाय या पंजाब गुजरात की सरकारों से मंगाई जाय ? ये जनता को कीड़े खिलवाती हैं और मैं कहूँगा कि इनके मन्त्रिमण्डल में कीड़े पड़े हुए हैं। सरकार बहाना ढूंढ रही है कभी गुजरात लेबोरेटरी से पत्र व्यवहार करती है, कभी नागपुर से मांग करती है और उसका केवल एक मात्र बहाना किया जाता है तो मंत्री महोदया यह कहने की तकलीफ क्यों करती हैं कि इसकी रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं। कीड़ों से किसी प्रकार का नुकसान नहीं तो फिर क्यों बेकार का प्रयत्न किया जा रहा है। कभी फिल्टर के लिये कहती हैं, कभी बेटरिनेरी की बात करती हैं। सरकार जयपुर के मसले को बिल्कुल होच-पोच की स्थिति में रखना चाहती हैं। इसके बारे में मैं केटेगोरिकली एश्योरेन्स चाहूंगा। आज से दो साल पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि हम रामगढ़ से अमानीशाह से, ट्यूब वेल्स से और शहर में आने वाले कुओं से उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने यह भी कहा कि और नगरों की तुलना में जयपुर के लोगों को पानी ज्यादा दिया जाता है। यह ब्यूरोक्रेटिक आर्ट है जिसमें उन्होंने आपको फंसाया है। सदन में जो आंकड़े पेश किये गये हैं वह 6 लाख व्यक्तियों के हिसाब से नहीं किये गये है बल्कि वह 4 लाख व्यक्तियों के हिसाब से पेश किये गये हैं जो 61 की जन संख्या के अनुसार है। उससे आपने सदन को गुमराह किया है। जयपुर में कितना पानी सप्लाई होता है, एक महीने में कितना पानी सप्लाई होता है। आज जो आपके मुंह से शब्द निकले, कभी भी ये आंकड़े नहीं आ सकते हैं। मैं फिर चुनौती देता हूं कि इस ब्यूरोक्रेटिक आर्ट के जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वह बनास योजना कहां गई, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिसको . . .

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दो मिनट और लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय जयपुर में नई नई बस्तियों का निर्माण होता जा रहा है। बनास योजना के बारे मे भीखाभाई मौन क्यों है। वे क्या कहना चाहते हैं इस सम्बन्ध में। मैं आज कहना चाहता हूं जयपुर म अगर सरकार बनास योजना को स्थगित करके चलेगी तो जयपुर में साल दर साल पानी का संकट पैदा होता जा रहा है वह और भी बढ़ेगा अगर आपने बनास योजना को इस साल चालू नहीं किया तो। हम केवल सरकार के भरोसे नहीं रह सकते कि वे इस योजना को दस साल में पूरा करें। आज सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि बनास योजना को शुरू किया जाय और उसके लिये हर साल निश्चित् धन राशि रखी जाय। मैं नहीं समझता यह सब बातें मुख्य मंत्री के प्रभाव में श्री भीखाभाई इस बारे में कुछ कह सकेंगे इसलिये इनको तो कहने का कोई सेन्स नहीं है . . .

श्री भीखाभाई : फिर नाम क्यों लेते हो।

श्री भैरोंसिंह : नाम लेने की आवश्यकता नहीं है आज का जो मंत्री-मंडल है वह बिना मुख्य मंत्री के इशारे के कुछ नहीं कर सकता। मैं भीखाभाई का सम्मान करता हूं, आदर करता हूं फिर भी मैं यह बात कहे बिना नहीं रह सकता कि आपकी हैसियत मुख्य मंत्री के सामने चपरासी जैसी भी नहीं है। एक चपरासी से काम हो सकता है लेकिन आपसे नहीं हो सकता। यह एक शेल्टर होम सा बना रखा है जिसमें आप लोगों को शरण दे रखी है उसी शेल्टर होम में मुख्य मंत्री की दया पर भीखाभाई आप भी बैठे हो आप अपने इन्डिपेन्डेन्ट व्यूज नहीं रख सकते। मैं राज्य सरकार को और भीखाभाई दोनों को चुनौती देकर कहता हूं कि इस वर्ष आपने बनास योजना के लिये प्रावधान नहीं किया तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जयपुर की जनता आपके बंगलों से नल कनेक्शन काटकर रहेगी आपको प्यासा मारा जायगा। उस समय आप पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करवाना पुलिस के डंडों की परवाह किये बिना पब्लिक इसके लिये बाध्य होगी। उस समय आपको चिन्ता होगी जब गंगानगर जैसी स्थिति यहां पैदा हो जायगी। भीखाभाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जयपुर में प्रतिदिन कितने गैलन प्रति व्यक्ति के अनुपात से पानी दिया जाता है ? आज जिस हिसाब से जयपुर की जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में प्रजेन्ट जो सोर्सेज हैं वह कहां तक उपयुक्त हैं ? क्या आप प्रजेन्ट सोर्सेज से जयपुर के पानी की कितनी समस्या हल कर सकते हैं और आगे जो रिक्वायरमेन्ट्स होंगी उनके लिये आप क्या योजना रखते है ? जहां तक मुझे जानकारी है आपके पास इसकी कोई योजना नहीं। बनास योजना के बारे में जो पहले कहा गया था उसके बारे में सदन की जानकारी दें। बनास योजना के लिये आपने कितना प्रावधान रखा है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब तैयार होगी, इस पर किस किस वर्ष कितना कितना खर्चा होगा ? चौथी पंच वर्षीय योजना में इसके लिये कितना प्रावधान रखा गया है।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि मैं गलत आंकड़े देकर सदन को गुमराह किया है। मैं कहना चाहती हूं कि यह माननीय सदस्य का कथन गलत है। आप हिसाब लगाकर देख लें 137 लाख गैलन प्रतिदिन जयपुर को पानी सप्लाई किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास भी सरकार के दिये हुए आंकड़े हैं कि 110 लाख गैलन प्रतिदिन पानी सप्लाई किया जाता है। ये आंकड़े सरकारी दस्तखतों से आये हुए हैं।

श्रीमती सुमित्रा : यह कब के हैं ?

श्री भैरोंसिंह : गर्मियों के हैं। यह आपके पास आंकड़े कब के हैं।

श्रीमती सुमित्रा : मैं जो आंकड़े आपको दे रही हूं वे आज के हैं इस महीने के हैं। तो 137 लाख गैलन पानी सप्लाई किया जाता है और 6 लाख की इस नगर की पॉपूलेशन है इसका हिसाब लगाकर देख लें।

श्री भैरोंसिंह : 110 लाख के हिसाब से देखें।

श्रीमती सुमित्रा : जब हम 137 लाख गैलन देते हैं तो 110 लाख लगाने से

(श्रीमती सुमित्रा)
क्या मतलब। यह गणित का मामला है। आप हिसाब लगा लीजिये।

मैं निवेदन कर रही थी कि जयपुर शहर को जब राजस्थान का फार्मेशन हुआ तब जयपुर को जो उस समय आबादी थी उस हिसाब से पानी की सप्लाई होती थी फिर भी उसमें जनता किल्लत अनुभव कर रही थी। ज्यों ज्यों आबादी बढती गई त्यों त्यों पानी की सप्लाई व्यवस्था सुधारने की ओर ध्यान दिया गया उसके लिये हम हरसाल डेढ लाख रुपया नये पाइप लगाने के लिये रखते हैं और एक लाख रुपया सालाना उनकी मरम्मत के लिये दिया जाता है। यह चूंकि राजस्थान बनने से पहले की जल योजना है जिसके अनुसार यहां की जनता को पानी कम मिलता था पानी का अच्छा इन्तजाम हो इसके लिये एक करोड़ का lumpsum प्रावधान किया है। लेकिन सरकार को इससे फिर भी पूर्ण सन्तोष नहीं है। राज्य सरकार यह महसूस करती है जयपुर राजस्थान की राजधानी है यहां अच्छा और स्वच्छ जल लोगों को पीने के लिये उपलब्ध हो इसके लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बनास नदी से यहां पानी लाने की बात का सुझाव दिया है। सरकार उससे अपनी सहमति प्रदान करती है और इसके लिये सरकार ने यह प्रोपोजल सुझाये हैं और इसके लिये चौथी योजना में दो करोड़ रुपयों को स्वीकृति का सुझाव किया जा चुका है इस अनुपात में इस योजना के हिसाब से जो रकम स्वीकृत की जायगी वैसे वैसे काम प्रारम्भ किया जायगा। चौथी योजना प्रारम्भ होने से पहले जो मौजूदा जल-व्यवस्था है उसमें भी सुधार करके हमें चलाना पड़ेगा। इस बारे में माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव हों, हमें दें। हमारा विभाग तो इस बारे में जागरूक है ही फिर भी आपके जो अमूल्य सुझाव होंगे उनसे विभाग को और प्रेरणा मिलेगी। जहां कहीं पानी बढ़ने की बात हो उसके बारे में विभाग को सूचित करें ताकि अधिक से अधिक मात्रा में जनता को पानी उपलब्ध कराने में विभाग आपके सहयोग हासिल कर इस सुविधा को जुटाने में समर्थ हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग विधेयक के तृतीय वाचन पर विचार, श्री भैरोंसिंह ?

समय सीमा, 10 मिनट है।

(3.57 म.प.)

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 68 पर अग्रेतर विचार।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, खादी ग्रामोद्योग विधेयक में जो संशोधन आये हैं, कल माननीय सदस्यों ने उन पर अपने अपने विचार व्यक्त किये। मैं इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर श्री माणिक्यलाल जी वर्मा को नियुक्त किया गया है उस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि राजस्थान के मंत्रीगण जो आज तक इस बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में जो इस के मन्त्री हैं जो अब तक खादी बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं उनके मुकाबले वर्मा जी अच्छे हैं। मैं समझता हूं उनके अच्छे होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति उचित थी या नहीं यह अलग से प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की मुख्य मंत्री की तारीफ करनी पड़ेगी वे एक डाय-

(श्री भैरोंसिंह)
नोमिक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं अपने प्रतिद्वन्दियों को किस तरह से इनाम दिया जाय, उनको किस तरह से रिहैबीलिटेट किया जाय इस बारे में वे एक डायनेमिक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। उस प्रोग्राम को इम्पलीमेन्ट करने के लिये हमारे मुख्य मंत्री प्रशंसा के पात्र हैं और वे हिन्दुस्तान में इस प्रकार से सर्व प्रथम व्यक्ति माने जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में आपने भी सुना होगा और माननीय सदस्य भी जानते हैं और सुनते रहते हैं कि गांवों में जो इस मंत्रिमंडल के बारे में भावना है और जो लोग कहा करते हैं मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं, 'अली बाबा और चालीस चोर' इस मंत्रिमंडल को कहा जाता है। मैंने उनसे कहा मंत्री तो केवल 36 ही हैं चार फिर कहां से आयेंगे। लेकिन जो आजकल निगम बन रहे हैं उनमें जिस प्रकार अध्यक्ष नियुक्त किये जा रहे हैं उनसे यह संख्या चालीस की हो जाती है खादी बोर्ड में श्री वर्मा जी को बैठा दिया, स्टेट रोडवेज में आपने कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया, श्री बालकृष्ण कौल को होटल कार्पोरेशन के लिये समिति बनाकर उनको उसमें डेप्यूट कर दिया गया और श्री चन्दनमल बैद के लिये एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन बना कर उस पर उनको नियुक्त करने का हो रहा है और इनको मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है।

(4 म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा कि सुखाड़िया जी ने अली बाबा चालीस चोर की टीम को तैयार कर दिया लेकिन यह 40 की टीम राजस्थान में किस प्रकार का भला कर सकेगी और विशेष तौर पर इस खादी ग्रामोद्योग के मसले पर किस प्रकार से काम कर सकेगी इसका मुझे अभी तक अनुमान नहीं हो पाया है। इस खादी विभाग के मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि पिछले दिनों जो खादी बोर्ड में गड़बड़ियां हो रही थीं वह रुकी हैं। उन्होंने अपने आप में ही स्वीकार किया कि इस खादी बोर्ड में वह स्वयं घोटाले नहीं रोक सके और उनसे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं वह भी इस दिशा में कारगर नहीं हुए। स्वयं मंत्री महोदय ने इसको स्वीकार कर लिया है लेकिन मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं हमारे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड विभाग के जो मंत्री हैं और जिन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया है उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके विभाग में एक तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, ट्रान्सपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट के भी दो हिस्से हैं। एक तो है रोडवेज कार्पोरेशन और दूसरा यातायात विभाग। उस यातायात विभाग के पास मामूली सा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है–एक तो ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज और दूसरे टैक्सेज वसूल करने के लिए या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी या एस. टी. ए. इस प्रकार की व्यवस्था है। अब रोडवेज कार्पोरेशन का चेयरमैन इन्डेपेन्डेन्ट, एस. टी. ए. का चेयरमैन इन्डिपेन्डेन्ट, आर. टी. ए. का चेयरमैन इन्डिपेन्डेन्ट। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब केवल ट्रान्सपोर्ट का महकमा रहता है जिसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा है। खादी बोर्ड गया वर्मा जी के हाथों में अब कोई अमृतलाल जी उम्मीद करके चलें कि मेरा हस्तक्षेप होगा ऐसा वह अब नहीं कर सकते। अब सवाल यह होता है कि इस

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग का विभाजन कर दिया गया। हजारों रुपयों के चेयरमैन और अध्यक्ष बना दिये गये। उसके बाद में मंत्री महोदय जी मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि इस ट्रांसपोर्ट विभाग में 5 लाख रुपये का सालाना का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है इसके लिये हजारों रुपयों के हाथी क्यों बैठा रहे हो। खादी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, एम. टी. ए. और आर. टी. ए. का चेयरमैन बना दिया तो यह किस बात के लिये हैं कि जिन पर राजस्थान सरकार के खजाने से लाखों रुपयों का खर्चा होगा। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय से और राजस्थान के मंत्रिमण्डल से कि इस प्रकार के दान देने के लिए राजस्थान के कोष के ऊपर भार नहीं डाला जाये। खादी बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया तो अच्छा था मगर इसके लिए एक मंत्री के पद को भी कम करते तो आपका भी झंझट दूर हो जाता और सरकार के खजाने से पैसा भी बचता। लेकिन आपको इसकी चिन्ता नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि आज खादी बोर्ड की स्थिति क्या है। खादी बोर्ड में 1200 समितियां हैं जिनमें से 600 तो खत्म हो गयीं, 300 के करीब खत्म होने वाली हैं और 84 खादी संस्थायें चल रही हैं। इसके अलावा खादी बोर्ड ग्रामोद्योग को लें तो 120 समितियां ऐसी हैं कि जिनको हमने कर्जा दिया एस्टेब्लिशमेन्ट के लिए और अनुदान के लिए। राजस्थान की सरकार ने भी अनुदान दिया है। उन सोसाइटीज का, चाहे पुलिस में रिपोर्ट कर दो, चाहे कहीं भी रिपोर्ट कर दो, आज के दिन पता नहीं है कि वह सोसाइटीज कहां गईं? कर्ज लेने वाले और अनुदान लेने वाले लोग कहां गये? लाखों रुपया खाकर चले गये हैं और सोसाइटीज के मेम्बर्स का पता नहीं। किस गांव में सोसायटी बनी थी उसका पता नहीं। उस सोसाइटी को कर्जा किस ने दिलाया था और किस ने सिफारिश की थी उसका पता नहीं। लाखों रुपया यह लोग सोसाइटीज में खा चुके हैं ऐसी सोसाइटीज बनती जाती हैं और यह लोग खाते जाते हैं।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं राजस्थान में अभी तक सरकार ने ऋण के रूप में खादी संस्थाओं को और बोर्ड को कुल 3 करोड़ 96 लाख रुपया दिया और 97 लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया है। सभापति महोदय, आपको जानकारी होगी कि अनुदान इस प्रकार को देय है कि जिसके अन्दर न तो हिसाब लेने की आवश्यकता होती है और न अकाउन्ट्स का आडिट ही करते हैं बल्कि अनुदान एस्टेब्लिशमेन्ट के नाम पर दे दिया गया। अनुदान दुरुपयोग के लिए दिया जाता है इस प्रकार का अधिकार इसके साथ जुड़ा हुआ है। कर्ज का रुपया वापिस आ जाये इसकी चिंता नहीं, अनुदान का सदुपयोग हो जाये इसकी चिंता नहीं बल्कि कहूं कि आज के दिन राजस्थान के खादी बोर्ड को संस्थाओं में 3 परसेन्ट रुपया ऐसा है कि जिनके अभी तक सरकार के पास यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट्स नहीं पहुंचे हैं। यह यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट कोई गत साल के नहीं हैं, इस साल के नहीं हैं बल्कि जिस समय से संस्थायें बनी है, जिस समय से बोर्ड का एक्ट बना है उस समय से लेकर आज तक प्राप्त नहीं कर सके और जिनके यूटीलाइजेशन

(श्री भैरोंसिंह)

सर्टीफिकेट्स नहीं आ सके उनके खिलाफ खादी बोर्ड मुकदमे नहीं बना सका। पिछले वर्ष लोक सभा की पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने खादी बोर्ड की संस्थाओं के संबंध में जांच की थी और उन्होंने इस प्रकार का चित्र प्रस्तुत किया कि कितने ही लाख रुपया तो ऐसा चल रहा है जो बेलेन्स में इस कारण से है कि उनके यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट्स नहीं हैं और कई करोड़ रुपया ऐसा है कि जिनके यूटीलाईजेशन सर्टीफिकेट का सवाल ही नहीं बल्कि इस बात की भी तसदीक नहीं हुई कि जिन संस्थाओं को हमने रुपया दिया है वह संस्थायें इस रुपये को लेना स्वीकार करती हैं या नहीं। वह सारे घोटाले इन संस्थाओं में चल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा और मंत्री महोदय के द्वारा जो नये अध्यक्ष बने हैं उन तक यह बात पहुँचाना चाहूंगा कि खादी बोर्ड के अन्दर ऐसे सांप हैं–ऐसे बड़े बड़े सांप हैं कि वह किसी आदमी को ठीक तरह से काम नहीं करने देते।

नागौर के अन्दर एक खादी संघ बना हुआ है। 21 हजार रु. का गबन बद्रीप्रसाद जी नागौर वालों ने किया है। मैं, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज से 3 वर्ष पहले मैंने यह मसला उठाया था इसके संबंध में आपने क्या किया? क्यों नहीं बद्रीप्रसाद के खिलाफ चालान पेश किया? क्यों नहीं पैसा वसूल किया?

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, खादी सर्वोदय संघ, भीलवाड़ा है जिसमें 11 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। इस सदन में उसकी चर्चा हुई। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के खिलाफ आपने क्यों एक्शन नहीं लिया?

भारत सरकार का खादी कमीशन और राजस्थान सरकार सूत बनाने के ऊपर, पूनियां बनाने के ऊपर रिबेट देती हैं। इस संस्था के नेता श्री रमेशचन्द्र ओझा जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं इन्होंने सूत खरीदा नहीं, सूत को कतवाया नहीं, कपड़ा बनाया नहीं और कागजों में प्रोडक्शन बता कर रिबेट ले लिया और 11 लाख रुपया खा गये और अभी भी भीलवाड़ा में घूम रहे हैं। क्यों नहीं उस पैसे को वसूल किया?

टोंक जिले में जिस समय खादी सहकारी संघ बना। उसके मुरलीधर नेता हैं। आप मंत्री जी हैं। इसलिये कह रहा हूं मैं जानकारी देना चाहता हूं कि खादी कमीशन ने शिकायत की कि उसने गोदाम का ताला तोड़ा और उसमें से गांठें निकाल लीं और उनको बेचकर खा गये। क्यों नहीं मंत्री महोदय ने उनके खिलाफ मुकदमा बनाया?

इसी प्रकार से खादी समिति, पाली के बारे में है। पाली के माननीय सदस्य यहां नहीं है। वह कल बड़े जोर शोर से बोल रहे थे। मील का सूत लिया, हैंडलूम का कपड़ा खरीदा, खादी भण्डार चौमूं से खरीदा और प्रोडक्शन दिखाकर जितना रिबेट ले सकते थे वह रिबेट ले लिया। न सूत काता, न बुनाई की और रिबेट ले लिया। माननीय मंत्री महोदय को जानकारी होगी कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने आपको रिपोर्ट की कि इस संस्था के अकाउन्ट्स बोगस हैं, उनमें इरेज़र्स हैं। इसके अलावा आपको रिपोर्ट दी कि यहां पर स्टाक रजिस्टर

(श्री भैरोंसिंह)

मेन्टेन नहीं किया जाता, यहां पर प्रोडक्शन रजिस्टर मेन्टेम नहीं किया जाता है। क्या आपने उसकी जांच कराई ? और, सभापति महोदय, जांच केवल असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने नहीं की श्री पुखराज जी कालानी यहां मौजूद हैं जो कि कालानी एण्ड कम्पनी है उसने इसके हिसाब किताब देखे और उसके बाद में इस हुकूमत को शिकायत की कि इस संस्था में गड़बड़ घोटाले हैं और इनको तुरन्त जांच की जाये। जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई खादी के खिलाफ नहीं हूं खादी पहनने वालों के खिलाफ नहीं हूं लेकिन खादी और खादी संस्था के नाम पर जो ऐसे नेता जो राजनीति में किसी प्रकार से सफल नहीं हो सके अपना सारा आधार बनाकर उसके ऊपर जीवित रहना चाहते हैं, मुझे इससे भयंकर आपत्ति है।

सभापति महोदय, तो ऐसा लगता है, आप राजस्थान में सभी जगह चले जायं तो आपको पता लगेगा, खादी संस्थाओं के व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं। पराजित होने के बाद खादी बोर्ड की शरण में आ जाते हैं। वहां मन्त्रियों से उद्घाटन कराते हैं; राशि लेते हैं और उसको खा पीकर, जनता के धन पर अपनी मुहर लगा देते हैं। राजस्थान में कई कल कारखाने चलते हैं। सभी प्रकार के घरेलू उद्योग चलते हैं। खादी संस्थाएं घरेलू उद्योग पनपाने के लिए स्थापित की है। जयपुर में चले जायें, यहां हाथी दांत के खिलौने बनते थे। मिट्टी के खिलौने बनते हैं। मीनाकारी का काम होता था। जवाहरात की कटाई होती थी। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस खादी कार्य पर आप करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, जयपुर के उद्योगों पर आपने कितना खर्च किया है ? यहां जितनी खादी की संस्थाएं बनती हैं, वह इस आधार पर बनती है कि इनका नेता कौन होगा। वह सारी खादी संस्थाओं का शोषण करेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि इस खादी बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। यह राजस्थान सरकार पर भार है। हमें एक एक पैसे की बचत करनी चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि न तो अध्यक्ष और न मन्त्री की आवश्यकता रहेगी, इस सारे खादी विभाग को इण्डस्ट्री विभाग को दे दिया जाय। खादी में काम करने वालों का काम रुके नहीं। खादी के काम में लोग बेकार नहीं हों। पिछले सेशन में सेण्ट्रल कमेटी की रिपोर्ट आयी थी। उसने यह स्वीकार किया है कि अब तक खादी संस्थाओं में काम के आंकड़े देते थे वह गलत हैं। जहां यह संस्था बताई है कि हिन्दुस्तान और राजस्थान में हमने इतने आदमियों को काम दिया है। मैं समझता हूं कि खादी बोर्ड के माध्यम से इतने लोगों को काम मिलता है तो न हिन्दुस्तान में बेकारी रह सकती है और न राजस्थान में बेकारी रह सकती है। बेकारी बढ़ती जा रही है लेकिन ये कहते हैं कि हम करोड़ों आदमियों को काम देते हैं। अब खादी संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, उनका कोई कहना माने या नहीं। अभी आबू में प्रदर्शिनी हुई। मन्त्री महोदय जा पहुंचे माउण्ट आबू। आप जाकर वहां पर कहते हैं कि इसका हेडक्वार्टर तो माउण्ट आबू पर होना चाहिए। हमारे मन्त्री महोदय को यह कम्प्लेक्स क्रियेट हुआ है। आज 15 वर्ष मन्त्री रहने के बावजूद उनका कम्प्लेक्स कम नहीं हो पाया है। इसी से लोगों को लाभ नहीं होता है। जिनके लाभ के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

जैलसी लेकर चलते हैं उनको भी लाभ नहीं होता है। मैं सभापति महोदय, छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अभी मन्त्री जी कहने लगे, खादी में कैसे काम करते हैं मुझे पता नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में कम्प्लैक्स की बात कहता हूं। आप गाडी से जब उतरते हैं तो ड्राइवर फाटक खोलता है, बैठते हैं तो फाटक खोलता है। यह ड्राइवर की ड्यूटी है या नहीं? लेकिन एक मन्त्री ने एक ड्राइवर से एक्सप्लेनेशन लिया है कि तुमने मंत्रीजी की गाड़ी का फाटक नहीं खोला है। मन्त्री जी ने उस विभाग को एक्शन लेने के लिए लिखा। मोटर गेरेज के अधीक्षक को लिखा गया–मोटर अधीक्षक–दि. 14 जुलाई, 68–तुम को यातायात विभाग में एक ड्राइवर को रेन्ट देने के लिए भेजा गया। वहां मे यातायात मंत्री ने शिकायत की है तुमने उसके अनुसार पालन नहीं किया। यहां तक कि गाडी में जब मन्त्री जी बैठने लगे तो फाटक तक नहीं खोला। ऐसे ऐसे मन्त्री हैं। जिस आदमी का मानस इस प्रकार बना हुआ हो, जिसका छोटे कर्मचारियों ने फाटक नहीं खोला तो उसको दण्ड दिया जाय। मैं कहता हूं कि वह मंत्री किस प्रकार का दिमाग लेकर काम करे? जो छोटे आदमियों के लिए इस प्रकार का दिमाग लेकर काम करता है तो कुछ नहीं कर सकता है।

अन्त में, सभापति महोदय, भारत सरकार ने खादी की संस्थाओं के लिए एक माडल बिल भेजा है। जिसके आधार पर स्टेट और सेण्ट्रल दोनों के मेलजोल से एक ड्राफ्ट तैयार किया। आवश्यकता यह थी कि उस मॉडल बिल को पेश किया जाये। आपके जो सहयोगी हैं ऐसी संस्थाएं जो हैं, ऐसे पैसा खा सकती हैं। वह संस्थाएं निश्चित रूप से आपका साथ नहीं देंगी। आपके ऊपर स्वयं पर चार्ज शीट लगी हुई है। आपने संस्था का पैसा लिया है। आपने स्वयं पैसा नहीं दिया है। समय पर उनको जो कर्ज मिला है उसका वह चुकारा करेंगी ऐसी आशा नहीं है। लोकवाणी सोसाइटी का मुकदमा चला। इस विभाग के जो अध्यक्ष थे वह उस सोसायटी के सेक्रेटरी थे। बोर्ड के चिरंजीलाल सेक्रेटरी थे। एक क्लर्क लोकवाणी सोसायटी गया और वहां से फाइल चुरा कर ले आया। यह जानते हुए कि यह फाइल चुरा कर ले आया। उसको दण्ड देने बजाय वह क्लर्क आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बना हुआ बैठा है।

अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा माणिक लाल जी वर्मा के पास जो प्राइवेट सेक्रेटरी होगा उनका 8 हजार रुपये का घोटाला आज भी मौजूद है। मुझे चिन्ता है कि अगर वही प्राइवेट सेक्रेटरी होगा तो वह श्री नलवाया उनको ऐसा डिक्टेशन देगा जिससे सारे खादी बोर्ड का सत्यानाश हो जाये। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जितना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किसी कम्पनी में हो तो हम उस रुपये को वसूल करने की कोशिश करते हैं। पी. डी. आर. में हम उसको वसूली करते हैं, हम लैंड रेवेन्यू के रूप में उसकी वसूली करते हैं। मैं राजस्थान के मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि करोड़ों रुपये की बकाया होने के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं करते? इस समय यह बकाया 18 लाख की है, कुछ समय पहले एक करोड़ रुपये की बकाया राजस्थान खादी बोर्ड की थी। यह 18 लाख की बकाया आप वसूल नहीं करते लेकिन छोटे छोटे काश्तकारों से लैंड रेवेन्यू की वसूली

(श्री भैरोंसिंह)

के अन्तर्गत उनके मवेशियों को जब्त करते हैं, उनके सामान को जब्त करते हैं, उनके खेतों की कुर्की करते हैं और सब तरह से उनको तंग करके वह वसूल किया जाता है। आप मजदूरों को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इन सफेद हाथियों, जिनके पास सरकार का पैसा है और जो सरकार के खजाने पर डाका डालते हैं, के खिलाफ लैंड रेवेन्यू के मातहत क्यों नहीं कार्यवाही की जाती? क्यों नहीं इनके सामान को जब्त किया जाता? क्यों नहीं इनकी संस्थाओं पर ताला लगाते हैं? इनका सामान जब्त नहीं करते क्योंकि यह नेता हैं और बाकी के जो किसान हैं उनके अन्दर दो सौ रुपये की अगर तकावी बकाया है या दस रुपये का लगान बकाया है और उसने समय पर उसे नहीं दिया है तो तकावी और लगान की वसूली आप डण्डे के बल के ऊपर करेंगे, कुर्की के बल के ऊपर उन सब चीजों को वसूल किया जाता है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस रुपये को सख्ती के साथ में वसूल किया जाय। जो सोसाइटी इसमें लिप्त हैं उन सोसाइटीज के बारे में पुलिस को रिपोर्ट की जाय। जिस सोसाइटीज में रुपया बाकी है और जो दूसरी सोसाइटी के नाम से कर्जा ले रहे हैं उनको गिरफ्तार करें। और इस प्रकार जो 120 सोसाइटीज में राजस्थान खादी कमीशन और राजस्थान सरकार का पैसा है उसको वसूल किया जाय।

सभापति महोदय, यह एक विवादास्पद मसला है कि राजस्थान खादी बोर्ड जो रुपया देता है उसकी वसूली की जिम्मेदारी खादी बोर्ड की है या कलेक्टर की है। जिस बात के लिए पैसा दिया गया है, मणिहारो के लिए दिया गया है तो कहते हैं कि इसकी वसूली इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट करेगा, खेतों के लिए पैसा दिया गया है तो कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसकी वसूली करेगा। यह विवाद आज दस साल से चल रहा है लेकिन राजस्थान की हुकूमत और खादी बोर्ड कुछ भी तय नहीं कर पाया है कि खादी बोर्ड से जो पैसा दिया जाता है उसकी वसूली कौन करेगा, उस पैसे की वसूली के लिए कौन जिम्मेवार है, वसूली के लिए मुकदमा किसके द्वारा किया जायगा। इस रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कम्पनी और कार्पोरेशन के अन्दर सरकार के एक लाख के इन्वेस्टमेंट पर उद्योग मंत्री जी से कहते हैं कि डाइरेक्टर की रिपोर्ट पेश करो, ऑडिटर की रिपोर्ट पेश करो और उनके पेश होने पर हम उन पर बहस करते हैं। कम्पनी और कार्पोरेशन में रुपया हमारा लगता है तो हम उसके बारे में चिन्तित होते हैं, कम्पनी और कार्पोरेशन में हमारे शेयर्स हैं उनके आधार पर हम उनकी रिपोर्ट पर सदन में बहस करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में राज्य का करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया जाता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की जाती है? यदि उसकी ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाय तो मैं इतना कह सकता हूं कि इतना बड़ा चैक इस खादी बोर्ड पर लगेगा कि संस्थाओं के नाम पर यह सफेद हाथी और सफेद नेता पलते हैं वह या तो जेलखाने के अन्दर मिलेंगे या वह इन खादी संस्थाओं से भागते हुए नजर आयेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बोर्ड के सम्बन्ध में डाइरेक्टर की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, इन्टरनल रिपोर्ट—यह सारी की सारी चीजें सदन की मेज पर प्रति वर्ष रख-

(श्री भैरोंसिंह)

बाई जायं--इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस खादी ग्रामोद्योग बिल के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, जब मैंने इस बिल के उद्देश्यों को पढ़ा तो मुझे ध्यान हुआ कि सरकार ने बड़े दिनों के बाद अपनी एक भूल को स्वीकार तो किया है। खादी जैसी चीज, महात्मा गांधी की भावनाओं का जिसके अन्दर समावेश है, जो आजादी के सिपाहियों की पोशाक है। उसके लिए हमने कल सदन में सुना कि लोग कहते हैं कि खादीधारी डकैत, चोर और लुच्चे जैसे लगते हैं। यह स्थिति आई क्यों? महात्मा गांधी ने खादी का प्रचार प्रसार किया उसके पीछे दो भावनायें थीं--देश के अन्दर लोग स्वावलम्बी बनने लगे, विदेशों पर हम निर्भर न रहें और हममें आत्म सम्मान जगे। उन्होंने कभी कल्पना न की होगी कि खादी बोर्ड में सरकार का हस्तक्षेप होगा, इसका सरकारीकरण होगा। आज इतने दिनों के बाद में हमारे मंत्री महोदय एक विधेयक लाते हैं तो यह कहते हुए लाते हैं कि हमें ऊपर से यह निर्देश हुआ है कि हम सरकारीकरण करने के बजाय गैर सरकारीकरण करें। गैर सरकारीकरण करने के लिए उन्होंने जो प्रावधान किये हैं उनको देख कर, उनको पढ़ कर हंसी आती है कि यह क्या गैर सरकारीकरण किया है। अब तक उसके पदेन अध्यक्ष थे एक मंत्री महोदय, जिन्हें हम मंत्री कहते हैं सरकार के विभाग के वह उसके अध्यक्ष थे। आज इस बिल के द्वारा वह व्यवस्था करना चाहते हैं कि मंत्री तो नहीं रहेगा जिनको इस असेम्बली में खींचा जा सकता है, जिनका जवाब तलब किया जा सकता है, जिन्हें और कई तरह से सदन के अन्दर इसके लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है अब उनकी जगह एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति होगा, गैर सरकारी व्यक्ति होगा और उसको सारी सुविधायें मंत्री जैसी प्राप्त होंगी। मंत्री की जिम्मेदारी से मुक्त, इस बात से मुक्त कि तुमको विधान सभा में खींचा जा सकता है लेकिन उसे मंत्री की सारी सुविधा और सुख देकर उस व्यक्ति को इसमें बैठाने का प्रावधान लेकर आये हैं। यह बात मूल में ही गलत है। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि आज आखिर यह नौबत देश में आई क्यों? आज हम कहीं जायं तो खादी के नाम पर आज गाली क्यों पड़ती है? मैं अपना अनुभव बताता हूं सभापति महोदय जब कभी मैं किसी बस में बैठ कर जाता हूं जहां मुझे जानने वाले नहीं होते हैं तो लोग सोचते हैं कि यह भी खादीधारी है और वह बड़े जोर जोर से कांग्रेस को गाली देने लगते हैं। मैं दस मिनिट तक चुप रहता हूं और दस मिनिट के बाद मैं उनको बढ़ावा देता हूं और वह चुप हो जाते हैं। आखिर यह स्थिति आई क्यों? इसका कारण क्या है? जब तक इसके कारणों की जांच करने के बाद इसमें कोई सुधार नहीं लायेंगे तब तक निश्चित रूप से चाहें इसमें श्री माणिक्य लाल वर्मा को अध्यक्ष बनायें या और किन्हीं साहब को लायें जो खादी की दुर्गति हुई है उसके अन्दर कोई सुधार नहीं ला सकते। आज खादी मिलावट के लिए बदनाम है, आज खादी के नाम पर लोगों को अपयश का भाजन होना पड़ रहा है, उसके लिए कारण यह है कि आपकी बुद्धि कुण्ठित हो गई है और इसे आप सही दिशा में नहीं लाना चाहते।

(श्री नत्थीसिंह)

जो खादी देश को आजाद करने का जरिया था, जो खादी स्वावलम्बन का प्रतीक था उसके अन्दर आज सुधार लाने के लिए आप आज ऊपर से सुधार करना चाहते हैं, नीचे से सुधार नहीं करना चाहते हैं। आपकी नजर उन खादी कार्यकर्ताओं पर नहीं पहुँची जो खादी का काम करते हैं और जिनको बहुत कम वेतन मिलता है, जिनको सबसे कम सुविधायें मिलती हैं, खादी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सर्विस की कोई सुरक्षा नहीं है। उसके लिए कोई आप सुधार लायें-उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। इस ओर ध्यान दिया है कि ऊपर किस नेता को हमें और बैठाना है। अभी जैसा हमारे साथी कह रहे थे जयपुर से आने वाले कि चाहे होटल कोर्पोरेशन हो, चाहे ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन हो, चाहे चन्दनमल बैद को बैठाने के लिए एग्रो इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन बनायें जिनके पूर्वजों ने भी खेत और हल नहीं देखा है, जिनको खेती से कोई मतलब नहीं लेकिन उनको आप एग्रो इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन का चेयरमैन बनायेंगे क्योंकि उनको वेतन का भुगतान देना है। इस तरह आपने तीन तीन कोरपोरेशन बनाये हैं, इसके अलावा सतर्कता आयोग में आप अपने चहते रखते हैं और जिन्होंने आपका साथ दिया है राज्य करने वाले लोगों का नाजायज साथ दिया है-वह पहले के मुख्य सचिव श्री भगवत सिंह मेहता और अब के मुख्य सचिव हैं श्री मेनन उनको ओबलाइज करने के लिए कोई न कोई संस्था खडी करते हैं। इससे दो बातें साफ होती हैं, एक तो खादी जो इस बात की प्रतीक थी, कि यह शुद्ध है और लोग समझते थे कि इससे उच्च चरित्र होगा-उसकी उनको चिन्ता नहीं है। उनको चिन्ता यह है, जैसा लोग कह रहे थे कि गाड़िया लोहारों का मामला आया, भारत सेवक समाज का मामला आया, जिस सड़क से हम आते हैं, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर बैठे हैं वह जानते हैं कि उस सड़क का क्या हाल है, वह सड़क भारत सेवक समाज ने बनाई है। वह सड़क रोज उखड़ती है। जितनी दूर तक उन्होंने बनाई है उसका सुधार नहीं होता है। क्या उस भारत सेवक समाज से सम्बन्ध वर्मा जी का नहीं है। भारत सेवक समाज से भीलवाड़ा की तेल घाणी सोसाइटी ने बीस हजार रुपये लिये हैं और उसमें जो सज्जन हैं वह उनके रिश्तेदार हैं, जमाई हैं। क्या उनसे वर्मा जी का सम्बन्ध नहीं है? आप ऐसी संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों को क्यों डालना चाहते हैं? आप इसलिए चाहते हैं कि लोगों को मौका मिले और उनकी छीछालेदारी हो। आप यह क्यों करना चाहते हैं? यह इसलिए कि सुखाड़िया जी वर्मा जी को नीचे लाना चाहते हैं। अमृत लाल जी तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए निवेदन है कि अगर आप सुधार लाना चाहते हैं तो इसमें मूलभूत संशोधन करना चाहिए, और वह यह करना चाहिए, कि इन संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, इनमें जो काम करने वाले लोगों को फायदा मिलता है, जो लोग खादी उत्पादक हैं और जो लोग खादी पहनते हैं, उपभोक्ता हैं-उनमें कैसे जोश आये, कैसे उनमें उत्साह आये। आज खादी का धन्धा गिर गया है, इसलिए खादी में काम करने वाले लोगों में उत्साह नहीं रहा है, वह कैसे लायें। हमारे एक साथी बता रहे थे कि यह कमियां हैं उनको दूर करने के लिए जरूरी यह है कि यह सारी जिम्मेदारी उन

(श्री नत्थीसिंह)

नर डाली जाय जो खादी का उत्पादन करते हैं, जो खादी पहनते हैं, जो खादी संस्थाओं में काम करते हैं। इसलिए आज जो गैर सरकारीकरण कर रहे हैं, इसका क्या होगा? गैर सरकारीकरण क्या होगा जब कि व्यक्ति विशेष को बैठा कर, जिसके लिए आप कहते हैं कि मिनिस्टर की सुविधायें दे देंगे, दस पन्द्रह आगे पीछे घूमने वाले व्यक्तियों को नामीनेट कर देंगे– इससे समस्या हल नहीं होगी। आप सरकार के अन्दर नामजदगी की पावर रखते हैं और फिर कहते हैं कि गैर सरकारीकरण करते हैं। अगर करना था गैर सरकारीकरण तो आप यह संशोधन लाते कि यह बोर्ड बनेगा उसमें खादी संस्थाओं के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, खादी उत्पादकों का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, खादी उपभोक्ताओं का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। क्योंकि इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है इसलिए सरकार के नामजद लोग होंगे, उसके बाद में वह चेयरमैन अपनी मर्जी से तय करेंगे और यह तय करेंगे कि चेयरमैन को यह यहां सुविधायें दी जायं, यह न दी जाय, यह वेतन दिया जाय, यह न किया जाय। उसका उस पर कैसे नियंत्रण दिया जाय ऐसा प्रावधान करते तो निश्चित रूप से आज जो लोग खादी कर्मचारी हैं उनमें उत्साह का अर्जन करते। आज वह लोग जो खादी का उत्पादन करते हैं वह सोचते हैं कि हमारी बात सुनी जायगी, हम फैसला कर सकते हैं। इसी तरह से जो खादी के उपभोक्ता हैं, जिन्हें शिकायत है, उन्हें दूर करने के लिए उन्हें मौका मिलता। आप क्यों नहीं चाहते? और क्यों चुना हुआ बोर्ड इसे नहीं करना चाहते। वर्मा साहब या किसी अन्य व्यक्ति को न बैठा कर यदि यह चुना हुआ बोर्ड होता तो निश्चित रूप से उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि जाते। हम अपनी शिकायतों को लेकर किसी प्रकार से सुधार करेंगे–यह आशा लेकर वह जाते। और इस खादी बोर्ड में उन लोगों को प्रतिनिधित्व देते जो उपभोक्ता हैं, जो खादी के उत्पादक हैं, जो बुनकर हैं जिनके नाम पर आप करोड़ों रुपया उठाते हैं और बोर्ड को चलाते हैं ऐसे लोगों के प्रतिनिधियों को लेते, जिनको आज इस बोर्ड से सही रूप में कोई फायदा नहीं होता। इस बोर्ड में इन उत्पादकों, बुनकरों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होते तो वे अपने चुने हुए आदमी को बोर्ड का चेयरमैन बनाते, अपने आदमी को चेयरमैन चुनते जो बोर्ड को अच्छी तरह से चला कर इन लोगों को सही मायने में फायदा पहुंचा सकता था।

जब सरकार खादी बोर्ड में पैसे देती है और सरकार अपना इन पर नियन्त्रण चाहती है तो एक बड़े आदमी को जो आप से राजनैतिक स्तर में ऊंचा है, आप मंत्री हैं, वर्मा साहब चेयरमैन हैं, उनके सामने आपकी कोई हस्ती नहीं, वर्मा जी को कुछ भी कहने की आप हिम्मत नहीं कर सकते तो वर्मा जी को रखने से आपका यह सरकारी नियन्त्रण का सिद्धान्त धूल में मिल जाता है। गृह-उद्योगों को पनपाने के लिये जो भी बोर्ड बने उनमें वे ही आदमी चेयरमैन होने चाहिये जो उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों के प्रतिनिधि हों। हां देख रेख का काम सरकार अपने हाथ में रखे। यह नहीं करके कठपुतली की तरह अपने आदमियों को बैठा दिया जाता है, एक बड़े आदमी को चेयरमैन बना दिया, जो आपकी कोई भी परवाह नहीं करेगा। इससे

(श्री नत्थीसिंह)

जो ऐसे बोर्डों की स्थापना के पीछे उद्देश्य है वह कभी कामयाब नहीं हो सकता। निर्देश की बात कहते हैं, यह कहीं निर्देश है? क्यों कि राजनैतिक एक्सपर्ट को चेयरमैन बनाना? निर्देश तो यह है कि जो खादी का एक्सपर्ट हो, उसको चेयरमैन बनाया जाय। पर जो खादी के एक्सपर्ट हैं, उनको तो चेयरमैन बनाना नहीं चाहते और राजनैतिक व्यक्तियों को जिनको या तो आप फायदा देना चाहते हैं, या जिनसे आप फायदा लेना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चेयरमैन लेते हैं। आपकी इस प्रकार की नीति से आखिर राजस्थान का क्या हाल होगा?

विकेन्द्रीकरण के नाम पर अनेकों काम किये हैं। खादी जैसी संस्था जिसमें सर्वोदय में विश्वास करने वाले कहते हैं कि हम सही स्वराज्य लाना चाहते हैं, चाहे विनोबाजी हों, चाहे जयप्रकाश बाबू हों, ग्राम राज्य चाहते हैं पर आप हर जगह केन्द्रीयकरण करते हैं। खादी के काम में भी आप स्वतन्त्रता नहीं देना चाहते, अपना कन्ट्रोल रखना चाहते हैं और इस बोर्ड को भूर दक्षिणा वाला विभाग बना कर अपने अपने आदमियों को भूर दक्षिणा बांट रहे हैं, जैसे ब्याह के समय ब्राह्मण इकट्ठे हो जाते है और विवाह करने वाला उनको भूर दक्षिणा दे देता है, उसी तरह का आपने यह बोर्ड बनाया है। इस तरह से आप स्वावलम्बन की इकाई को खत्म कर रहे हैं। मेरे साथी कह रहे थे कि इसमें बहुत घोटाले हैं। मैं भी चाहता हूं कि इनकी जांच हो पर जो लोग काम जानते नहीं उनको आप किस तरह से इनमें रख सकते हैं जो लोग काम जानते हैं, उन्हीं लोगों को, जो मजदूर काम करने वाले हैं उनके नुमायन्दों को इनमें रखना चाहिये जिसमे कि, ये ग्राम इकाइयां, ये गृह कुटीर अच्छी तरह से चल सकें।

आज खादी की हालत है उससे बुरा हालत पंचायती राज संस्थाओं की हो गई है। कहते हैं आप कि विकेन्द्रीकरण किया है, पर देखा जाय तो विकेन्द्रीकरण नहीं, केन्द्रीकरण किया गया है, सरकारीकरण किया गया है। आज आप हर काम में केन्द्रीकरण और सरकारीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। आज पंचायत समितियों के टीचर्स कहते हैं कि हमको इनके नीचे से निकालो, ऋण देने वाले कहते हैं कि इनको पैसा मत दो। आखिर इस सब की जिम्मेदारी राज्य के मंत्रियों पर है, मंत्रियों की 36 की पलटन खड़ी कर दी है, अन्दर जो आपका विरोध करते थे उनका मुंह इस तरह से बन्द कर दिया पर आप देखते हैं कि हमारी संस्था में ऐसे कोई तत्व ही नहीं रहे जो आपकी नीतियों का विरोध करें। गंगानगर की बात हो रही थी, मुझे भी गंगानगर के उस कांग्रेस सम्मेलन से बड़ी दिलचस्पी थी। हमारे रामनारायण जी और शंकरलाल जी ने प्रस्ताव भेजा था कि मंत्रियों की तादाद बहुत बढ़ा दी है, उसको कम कर दिया जाय, हमने सोचा था कि उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, पर उनको दबा दिया गया, चाहे कितने ही तगड़े हों, उनको बौना बना दिया गया और कह दिया कि यह चर्चा का विषय नहीं बन सकता। फिर सोचा कि इन लोगों को तो दबा दिया पर माणिक्यलाल जी वर्मा जैसे लोग जिनका राजनैतिक व्यक्तित्व है, उनको कैसे रोका जाय, वे तो कभी न कभी चोट कर ही जाते हैं, उनका मुंह कैसे बन्द किया जाय तो सोचा कि चेयरमैन बना कर मुंह बन्द कर दिया जाय और उनको कह

(श्री नत्थीसिंह)
दिया कि आपको मन्त्री नहीं होते हुए भी मन्त्री बना देते हैं, हमारी आलोचना नहीं करना। यह अध्यादेश निकाल दिया यह खादी संस्थाओं का सरकारीकरण ही नहीं, केन्द्रीकरण ही नहीं बल्कि मन्त्रिमण्डल के मंत्रियों की तादाद बढ़ाना है। न कोई अन्दर इनके विरुद्ध बोलने वाला रहे और न बाहर ही कोई बोलने वाला रहे इसलिये यह सब कार्यवाही की गई है।

पर याद रखिये इस तरह की प्रक्रिया से देश को आगे नहीं ले जा सकते। जो मजदूर गांवों में काम करते हैं, जो खादी का काम करते हैं वे स्वावलम्बी बनें इसके लिये गांधी जी ने खादी को चलाया, खादी ही गांधी जी के पास अमोघ शस्त्र था जिसके लिये उन्होंने कहा था कि इससे हम अंग्रेजों के वस्त्र व्यवसाय को ठप्प कर देंगे। आज उन्हीं गांधी जी के पक्के उत्तराधिकारी हैं बहु सतान तो नहीं कहता नाराज हो जायेंगे पर जो उनके पक्के उत्तराधिकारी हैं उन्होंने अपनी नीति बना ली है कि जो अच्छी चीज देश में हो, वह नहीं होने दी जाय। हर बात में लोग सरकार के मुंह की तरफ टकटकी लगाये देखते रहें, लोग सरकार का मुंह ताकते रहें, इस तरह व्यवस्था कर रहे हैं। आज मुझे दुख होता है, जिस वर्ग से अमृतलालजी यादव आये हैं, उन्हीं अनुसूचित जातियों में बड़ा वर्ग बुनकरों का है, उनके हितों की रक्षा के लिये आपने क्या किया है? आपको उनका ध्यान रहेगा भी कि नहीं, उन्होंने अपने ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही की, वह शायद इसलिय की होगी कि ड्राइवर किसी बड़ी जाति का होगा, यह हमको अछूत समझता है, गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलता है, इसलिए उसके खिलाफ कार्यवाही की होगी पर जो आपकी जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनके हितों का भी खयाल नहीं रखते। आपने दरअसल अपना अलग वर्ग बना लिया है कि एक वर्ग के सिवाय दूसरे वर्ग का हित सोचें ही नहीं।

यह बोर्ड बनाया है, मैं माननीय राम किशनजी से पूछना चाहता हूं क्योंकि वे इसके सदस्य रह चुके हैं, खादी बोर्ड में बुनकरों का कितना प्रतिनिधित्व रहता है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य समय काफी हो गया है।

श्री नत्थी सिंह : कोली लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा बुनकर हैं, उनके कितने नुमायन्दे इस खादी बोर्ड में लिये जाते हैं?

डा. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : मैं स्वयं बुनकर हूं, खादी बोर्ड में मैंने आने की कोशिश की, प्रेसीडेन्ट सहाब को मालूम है, आडिट का अनुभव होते हुए भी मुझे नहीं लिया गया और माणिक्यलालजी को लिया, यह विरोधी है, यह कह कर मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने अलवर में खादी बोर्ड में आने की कोशिश की, पर वहां पर भी मेरा इन लोगों द्वारा विरोध किया गया क्योंकि ब्राह्मण और दूसरे लोग वहां पर खादी के मठाधीश बन कर बैठे हुए हैं, इस कारण मुझे नहीं लिया। वहां समिति बनाई गई लेकिन आज तक उसकी एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई।

श्री सभापति : भाषण नहीं, आर्डर प्लीज!

(श्री सभापति)

हां माननीय सदस्य, आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री नत्थीसिंह : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो भी खादी बोर्ड के अन्दर आपने नामजदगियां की हैं, जो भी आपने खादी बोर्ड में नियुक्तियां की हैं, उनमें आपका क्या मापदण्ड रहा है? जो बुनकर हैं, उनके प्रतिनिधियों को उसमें क्यों नहीं लिया गया है, जो बुनकर हैं, खादी के उत्पादक हैं, जो मजदूर इसमें रात दिन काम करते हैं जिनके नाम पर आप करोड़ों रुपया सालाना लेते हैं, उन लोगों के हित के लिये आपने आज तक क्या किया है? उनके हितों की रक्षा करने के लिये, उनकी रुचि के अनुसार धन्धे में लगाने के लिये आपने क्या आधार निश्चित किया है? केवल एक आधार निश्चित करके उसी आधार पर इस तरह के बोर्ड का गठन करते हैं। हत्या तो कर दी आपने उसी वक्त जब आपने स्वीकार कर लिया। उनके कहने के बावजूद अब उसको बदस्तूर कायम रखते हुये आप फौज रखने के लिये मंत्री पदों पर बैठाते हैं तो यह गान्धी जी की दुबारा हत्या कर रहे हैं। पिछड़ी जाति और दलित जाति के उद्धार के लिये जो विश्वास गान्धी जी ने दिलाया था, वह हित इस सत्ता में नहीं हो सकता है। चुने हुये लोग, प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इसमें आयेंगे। तभी विकेन्द्रीकरण होगा। वर्मा जी की इसमें जरूरत नहीं है। खादी के नाते आये तो मिला नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपमें वह हिम्मत कहां है, वह तो अशोक मेहता को हिम्मत थी जो समाजवादी नेता था। उसमें भी न मालूम यह हिम्मत कहां से आ गई इसलिये मैं आज के दिन आपसे कहूंगा कि इस विशेष विषय पर हिम्मत दिखाइयेगा कि आप इतने मुस्तैद हैं, इतने जागरूक हैं कि जो तानाशाह हैं इस राजस्थान में उनका मुकाबला कर सकते हैं तब तो मैं समझूंगा कि गैर सरकारी सदस्य इसे विकेन्द्रीकरण की ओर ले जा रहे हैं। वरना मुख्य मंत्री जी की कठपुतली बनाने के लिये वर्मा जी को रखा गया है। इन संस्थाओं के हित के लिये नहीं रखा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

(4.44. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री रामनारायण (मंडावा) : माननीय उपाध्यक्ष जी पिछले बजट अधिवेशन में भी खादी बोर्ड के सम्बन्ध में काफी विचार विमर्श हुआ था और खादी बोर्ड के कार्यकर्ताओं की आलोचना की गई थी। दोनों तरफ से उसकी आलोचना हुई थी। सरकार ने उन आलोचनाओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुये अधिवेशन के तुरन्त बाद खादी बोर्ड व्यवस्थित रूप से चले इसके लिये एक अध्यादेश निकाला। उस अध्यादेश, उस आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में आज सदन में विचार हो रहा है और तृतीय वाचन चल रहा है: आज इस सदन में इस बिल के ऊपर बहस होने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस बिल के सिद्धान्तों पर बहस करनी चाहिये थी। हमें इस बात पर विचार व्यक्त करने चाहिये थे कि खादी बोर्ड के अध्यक्ष से एक गैर सरकारी अध्यक्ष अच्छे हैं या सरकारी अध्यक्ष। हमें माणिक्यलाल जी के व्यक्तित्व को लेकर चर्चा नहीं करनी चाहिये थी। वह सिद्धान्त रूप से गलत है, ऐसा मैं समझता

Page No. 119

(श्री रामनारायण)

हूं। खादी बोर्ड में कोई जरुरी भी व्यक्ति आ सकता है। आज माणिक्यलाल जी आ सकते हैं, उसके बाद दूसरे व्यक्ति जा सकते हैं लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि आफिशियल मेम्बर अच्छा है या नॉन आफिशियल मेम्बर अच्छा है लेकिन इस पोइन्ट को कतई नहीं छुआ और माणिक्यलाल जी अध्यक्ष कैसे आ जायें, आर्डिनेन्स नहीं निकालना चाहिये, उनकी पेन्शन आदि बातों को लेकर सदन का समय बेकार जाया किया गया है। मैं इस बात को महसूस करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं समझता हूं यह अध्यादेश जो निकाला गया है वह बिल्कुल उपयुक्त है। खादी बोर्ड का काम गैर सरकारी व्यक्ति के हाथ में रहे और उसका संचालन ठीक तरह से रहे इसलिये जरूरी था कि गैर सरकारी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाय। यह सरकार का काम है कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाय और अगर माणिक्यलाल जी इसके अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिये। माणिक्यलाल जी राजस्थान के कर्मठ नेता हैं और फारमर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं तो मैं समझता हूं इससे अधिक अच्छा काम और क्या होगा। यह एक ऐसी चीज है जो अनुकरणीय है।

माणिक्यलाल जी वर्मा, गांव गांव में जायेंगे, गरीबों की स्थिति का अध्ययन करेंगे। इतने बड़े व्यक्ति के पास खादी बोर्ड आता है और उस दिशा में जब खादी का काम निकलता है तो यह गांव वालों का सौभाग्य है जो वे उनकी स्थिति को देखेंगे। हमारा मत तो एक ही रह गया है कि माणिक्यलाल जी वर्मा को चेयरमैन बनाकर उनको दक्षिणा दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं और आप भी मानेंगे कि माणिक्यलाल जी की बात को लेकर यहां चर्चा नहीं आनी चाहिये। इस बात पर चर्चा होनी चाहिये कि इस पद पर नान आफिशियल मेम्बर आना चाहिये या आफिशियल मेम्बर आना चाहिये। माणिक्य लाल जी वर्मा 6 महीने, साल भर या दो साल यहां रह सकते हैं। हमेशा की बात तो नहीं है जिसको लेकर यह चर्चा की जाय। एक मंत्री स्तर के मुकाबले जो फारमर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं वे खादी बोर्ड में आकर काम करते हैं तो आप बतायें उनको किस प्रकार की सुविधा हुई है और उसकी क्या कल्पना करते हैं। और फिर माणिक्यलाल जी वर्मा में उन तमाम फैसिलिटीज को छोड़कर केवल 500 रु. लेना स्वीकार किया है और गांव गांव में जाने का विचार किया है यह अनुकरणीय है, यह गौर करने की चीज है।

आज मैंने दूसरी बातें सुनीं खादी बोर्ड के मामले को लेकर। हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खादी बोर्ड के बारे में कई बातें कहीं। वे भी जानते हैं इस बात को कि जो स्वायत्त संस्थायें हैं जो आटोनोमस बाडीज हैं, उनका अपना एक प्रकार का काम होता है, स्वयं का संविधान होता है, उनका अपना एक तरीका है। आप भी आटोनोमस बाडी के चेयरमैन हैं और आप अपने आप में सोचिये कि उसमें कहां तक सफल हुये हैं। वे स्वयं महसूस करते हैं वही स्थिति आप सब जगह पायेंगे। आटोनोमस बाडीज का एक तरीका है······

(4–48 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

Page No. 120

(श्री रामनारायण)

आपने यह कहा है कि माणिक्यलाल जी वर्मा को चेयरमेन बनाकर सरकार ने हस्तक्षेप किया है। मैं मानता हूं कि खादी के अन्दर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। सरकार को केवल मार्गदर्शन करना चाहिये। बाकी खादी के काम को बढ़ाना, खादी का काम गांव गांव में चले खादी बोर्ड एक आॅटोनोमस बॉडी होनी चाहिये, सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिये, मैं इस बात को मानता हूं। वर्मा साहब की नियुक्ति करके खादी बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाये गये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्यादेश जो निकाला गया है वह ठीक समय पर निकाला गया है, और जो वर्मा साहब की नियुक्ति की गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री आलम अली (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहनो चाहूं हूं। मैने बोर्ड बनो है, न बण्यो है इके वास्ते कुछ नहीं कहनो है। मैं तो एक ही बात कहूंगा। खादी बोर्ड को संस्था के बारे में मने एक बात याद आगी। गधे के ताने ऊंट को दर्द नहीं जाने। या तो गरीबों को संस्था है। जिन्दा रहणा री कोई जगा नहीं। ओ कानून जो लायो गयो है वो माणिक्लाल जी वर्मा रे वास्ते कानून बण्यो है। आज खादी के नाम सूं कुण लोग पैसा खावे है भासब जाणे है, ओ सभापति जी··

श्री अध्यक्ष : आप सीधे चलिये रास्ते पर चलिये अध्यक्ष आसन पर हैं।

श्री आलमअली : आपके जरिये म्हें आ बात कहणो चाबूं हूं। आप देखोबा आज सूत कातनिया री कांई हालत है? उन्हां ने कोई ऋण नहीं, अनुदान नहीं आ सिर्फ धोखाधड़ी री बात है। आज तो स्वतंत्र पार्टी रा एम. एल. ए. ने कटवा में लाग्या हा। आज खादी के नाम सूं मौज मजा दूसरा ही करे इस तरह का खादी बोर्ड बनने से कातीनों का भला नहीं हो सकता। आप सच मायना में खादी री उन्नति चावो हो तो किसी कतीना ने आप इणरो अध्यक्ष बनावो।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो वर्मा जी ने एक कविता बनायी है जो इस अवसर पर बहुत उचित होगी उसको सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : मुकर्रर।

श्री मदनसिंह दांता : पॉइन्ट आफ आर्डर सर, बहस खादी बोर्ड पर चल रही है माणिक्य लाल जी वर्मा के बारे में प्रस्ताव पास नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत जो कविता उनके लिये है वह नहीं पढी जा सकती।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वर्मा जी द्वारा रचित कविता पढ़ देता हूं।

म्हारी जनसत्ता ने मुन्स्यारो मांडड़लो खागो रे।
म्हारा पंच राज ने रिश्वत को चांदड़लो खागो रे।
कागज दाबे क्लर्क लोग यह हुकम हजुरा-भूलें।
आम सुखाया जावे चोड़े बूल मजा से फूले।।
इन पोतड़ियां ने तांरी या खांदड़लो खागो रे।
उद्योगों में काचो माल नहीं, मिले बिसनियां सुनो।

(श्री दौलतराम सारण)

भीतर नाज भरयो कोठा में बाहर सूनो मंडी ।
इन चोर बाजारी ने थांरो धांधड ली खागो रे ।।
तीन योजना पूरी होगी कोई कसर नहीं राखी ।
शुद्ध गाय का दूध में पड़ गई मोटी माखी ।।
ई सूजती का आटा ने आंधड़ली खागी रे ।
कांग्रेस का अनुशासन में चुप रहणो है म्हाने ।।
गलत्यां पर गलत्यां देखा तो रोवां छाने छाने ।
इन वर्मा ने एम. पी. पद की बांदडली खागी रे ।
म्हारा पंचराज ने रिश्वत की चांदडली खागी रे ।

यह कविता माणिक लाल जी वर्मा द्वारा बनायी हुई है जब वे पार्लियामेण्ट के सदस्य थे ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव ।

श्री अमृतलाल यादव (खादी ग्रामोद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज जो विवाद खादी बोर्ड विधेयक पर हुआ उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । राजस्थान में खादी का काम कमीशन और खादी बोर्ड द्वारा होता है । इनमें कुछ संस्थायें ऐसी हैं जो कमीशन से डाइरेक्ट ऋण व अनुदान प्राप्त करती हैं । बाकी खादी कमीशन खादी बोर्ड को रकम देता है और खादी बोर्ड द्वारा वह अन्य लोगों को दिया जाता है । अब बात इसमें गैर सरकारी अध्यक्ष के रखने की है । मुझे खेद है कि भैरोंसिंह जी कहने को तो कह गये लेकिन सुनने के लिये उपस्थित नहीं हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे खादी बोर्ड के अध्यक्ष होने के बाद मैंने खादी बोर्ड की स्थिति को सुधारने की कोशिश की । कितनी ही संस्थाओं के युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आ रहे थे उनको लेने की कोशिश की । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज दिन तक 99 प्रतिशत संस्थाओं से युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुके हैं । यह कहना कि सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुए ठीक नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तीन पर्सेन्ट के लिये कहा है नहीं प्राप्त हुए । आपको जानकारी के लिये बता दूं कि बोर्ड की मीटिंग में बोर्ड के मेम्बर्स को तीन पर्सेन्ट के फीगर्स दिये थे ।

श्री अमृतलाल यादव : मैं भी उसी आधार पर कह रहा हूं 99 प्रतिशत यु. स. प्राप्त हो चुके हैं और जो एक परसेन्ट के बाकी हैं उनके भी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है । आपको इस स्थिति को एप्रीशियेट करना चाहिये ।

दूसरी बात यह बतायी गई कि 3 करोड 89 लाख का ऋण दिया गया उसमें से 2 करोड 39 लाख का ड्यू हो गया । मेरा निवेदन है कि उसमें से 1 करोड 92 लाख वसूल कर लिया गया । 47 लाख वसूल नहीं हुआ उसकी वसूली के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : लैण्ड रेवेन्यू की तरह वह वसूल क्यों नहीं करते ?

श्री अमृतलाल यादव : कितने लोन दिये गये और कितने ड्यू हो गये और कितने वसूल होगये सब मिलाकर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सही स्थिति का पता चल जायगा ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । सदन की सहमति से सदन का समय जब तक विधेयक पास न हो तब तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री अमृतलाल यादव : कुछ संस्थाओं के नाम लेकर कहा गया कि इन संस्थाओं से रकम वसूल नहीं की गई। धन का दुरुपयोग हुआ वहां सरकार ने क्या कार्यवाही की इस बारे में मैं अलग अलग संस्थाओं के बारे में जो स्थिति है वह निवेदन करना चाहता हूं। ऐसी कई संस्थायें हैं जिनसे बोर्ड की राशि वसूल होगई है और आगे उन्हें कोई नई सहायता दी गई है।

टौंक की एक संस्था है जो कमीशन द्वारा ऋण दिया जाता है उसको खादी बोर्ड द्वारा ऋण नहीं देते हैं, उसके बारे में कमीशन कार्यवाही कर रहा है।

जहां तक नागौर की संस्था का सवाल है उसमें जो गबन हुआ उसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखी जा चुकी है और संस्था को कोई नया ऋण नहीं दिया गया। संस्था की प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर लिया है।

भीलवाड़ा की संस्था के बारे में कमीशन को लिख दिया है और रामचन्द्र आहूजा के ख़िलाफ कार्यवाही की गई। उनको हटा दिया गया कमीशन इस संबन्ध में कार्यवाही कर रहा है।

कल हाड़ोती संघ के बारे में भी जिक्र हुआ उस संघ में 1.22 हजार रुपया बाकी है उस संस्था की 80 हजार की कीमत की जमीन कब्जे में है।

आदिम जाति संघ, उदयपुर में 63 हजार रुपये थे उस संस्था की जो जमीन और भवन है उसको मोर्टगेज कर लिया है।

मारवाड़ खादी संघ के बारे में कहा गया जो जमीन और भवन है उसकी प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर ली है, बोर्ड के कब्जे में उसे ले लिया है और कार्यवाही चल रही है। यह कुछ बड़ी बड़ी संस्थायें हैं जिनके बारे में मैंने आपको निवेदन किया कि आपने जो बताया कि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है उनके बारे में कार्यवाही की गई है....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको अनुमति से यह जानना चाहूंगा कि आपने रुपया वसूल करने की कार्यवाही कुछ संस्थाओं में तो की है और जैसा कि आप बता भी रहे हैं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब क्लियर कट एम्बेजलमेन्ट था उसमें आपने पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं की इस रकम को वसूल करने के लिए जो बरसों से चली आ रही है?

श्री अमृतलाल यादव : नियमानुसार जिस जिस संस्था का ऋण बाकी है जो नहीं दिया है उसके बारे में बोर्ड में बात चीत होती है, बोर्ड में निर्णय होते हैं और वहां कानूनी सलाह भी ली जाती है और जैसी जैसी सलाह मिलती है और जिस तरह का केस होता है उसी तरह की कार्यवाही की जाती है...

श्री रामकिशन : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि आप प्रिविलेज के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं। आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि इन संस्थाओं के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आप उस मीटिंग में थे और मैं भी था आज तक कुछ हुआ ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, खादी बोर्ड के सदस्य माननीय सदस्य भी हैं और आप भी हैं और दोनों की बातों में कन्ट्राडिक्शन है। दोनों की बातों को स्पष्ट कराया जाये।

श्री अमृतलाल यादव : इसमें कन्ट्राडिक्शन का सवाल ही नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था . . .

श्री भैरोंसिंह : पाइन्ट आफ आॅर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामकिशन जी जो वैर से जीतकर आये हैं वे खादी बोर्ड के सदस्य हैं और माननीय अमृत-जी भी बोर्ड में हैं। खादी बोर्ड का सदस्य जो बात कह रहा है वह अधिकृत है या माननीय मंत्री महोदय जो कह रहे है वह अधिकृत है ? दोनों ने दो प्रकार की बातें कही हैं। माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं उनका समर्थन करते हुए श्री रामकिशन जी ने कहा है कि इन संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। तो यह स्थिति सही है या मंत्री महोदय कह रहे हैं वह सही है ? इसका निर्णय सदन किस प्रकार से करेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह जो पॉइन्ट उठाया गया है इसका भाषण समाप्त हो जाने के बाद उत्तर दे दिया जाये। मैंने भी नोट कर लिया है। आप अपना भाषण प्रारम्भ करें।

श्री अमृतलाल यादव : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो इनफर्मेशन मैंने दी है और जो मैंने कहा है वह निर्णय के आधार पर है और इसके बाद भी आप कहेंगे तो मैं और स्पष्टीकरण कर दूंगा।

इसके बाद में यह कहा गया कि वर्मा साहब ने एक नलवाया को प्राईवेट सेक्रेटरी रखा। उसके बारे में मुझे मालुम हुआ है कि जो अभी 8 हजार की बात कही थी तो वह 8 हजार नहीं है केवल 700 रुपया ही उनके पास था, और वह रकम उनसे जमा हो चुकी है और उनके बारे में पूरी स्थिति की जानकारी की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन में असत्य बातें कहना हो परम्परा बन रही है तो बात अलग है। वर्ना यह तो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है 8000 रुपये की रकम बाकी है। अब वह कह रहे हैं कि 700 रुपया की रकम बाकी है तो किस को बात को सही माना जाये ? यह तो इन्टरनल ऑडिट की बात है।

श्री अमृतलाल यादव : मेरा निवेदन यह है कि इतना बड़ा काम जहां इस प्रकार का हो और हजारों से ऊपर जहां संस्थायें हैं उन संस्थाओं के बारे में कोई गड़बड़ी होती है तो वहां बोर्ड की तरफ से पूरी कार्यवाही की जाती रही है और आगे भी की जाती रहेगी।

श्री भैरोंसिंह : जिस संस्था ने आपके नाम रुपया बाकी निकाला है उसका क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : इसको भी नोट कर लें और स्पष्टीकरण कर दें। मैं ने भी नोट कर लिया है।

श्री अमृतलाल यादव : एक तो एक्सटेन्शन केन्द्र मेरी कान्सटीटुएन्सी रेलमगरा में चलता है और वह खादी कमीशन की तरफ

(श्री अमृतलाल यादव)
से चलता है। उस व्यक्ति ने कई व्यक्तियों के नाम रुपया लिख दिया। कमीशन की तरफ से उसके ऊपर कार्यवाही चल रही है, और उस आदमी को वहां से हटा दिया गया है, और वह कमीशन के अन्दर कार्यवाही चल रही है। और उसने मेरा ही नाम नहीं लिखा है बल्कि औरों के नाम भी लिखे हैं और झूठे लिख दिये हैं। यह बात मैं सदन में पहले भी कह चुका था...

श्री भैरोंसिंह : कमीशन में क्या चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इस पॉइन्ट को ले लें। आप बीच में और दूसरे पाइन्ट्स ले लेते हैं तो आपका वक्तव्य पूरा नहीं होता।

श्री अमृतलाल यादव : यह बात कही कि खादी बोर्ड में बुनकरों के बारे में आपको कोई चिन्ता नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस दिन बोर्ड का अध्यक्ष बना तो श्री जगन्नाथ पहाड़िया और श्री पन्नालाल बारूपाल को इसके लिए इन दो को नियुक्त किया था....

श्री नत्थीसिंह : दोनों ही बुनकर जाति के नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं हैं। हां आरम्भ रखिये।

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इनके दिमाग में बुनकर कोली ही होते हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेघवाल भी बुनकर हैं और काफी तादाद में बुनाई का काम करते हैं जो कि जोधपुर और बीकानेर डिवीजन में रहते हैं।

श्री नत्थीसिंह : पहाड़िया जी के बारे में तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं वह बुनकर जाति के नहीं हैं।

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने करीब करीब सभी बातों का समाधान कर दिया और मेरे ख्याल से खादी बोर्ड का अध्यक्ष गैर सरकारी रहेगा तो वह ज्यादा काम कर सकेगा, और पूरे टाइम का रहेगा तो ज्यादा काम कर सकेगा, और ज्यादा लोगों को उससे रोजी रोटी मिल सकेगी। इस निवेदन के साथ मैं निवेदन करता हूं कि सदन इस विधेयक को पास करे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पॉइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन, सर, सारा भाषण हुआ माननीय मंत्री महोदय ने भी दिया और माननीय सदस्यों ने भी दिये, लेकिन कोई भी नहीं बता पाये कि इस संस्था को अगर गवर्नमेन्ट से अलग किया तो उससे यह कैसे उपयोगी होगी और कैसे अच्छा काम होगा, यह आपने नहीं बताया। माणिक्यलालजी वर्मा ऐसे हैं, इतना रुपया वसूल किया, फलां आदमी ने ऐसा किया यह तो सब बता दिया, लेकिन इन संस्थाओं को अलग करने में क्या असर पड़ेगा यह आपने भी नहीं कहा और माननीय सदस्यों ने भी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : यह कैसे हितकर होगा यह बतायें आप। चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं दो जानकारी और करना चाहता हूं। एक तो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में जाननी चाही थी कि जो इस खादी बोर्ड के सदस्य हैं श्री रामकिशन जी उन्होंने एक बात कही है कि खादी बोर्ड ने

(श्री भैरोंसिंह)
इन संस्थाओं के ऊपर कोई कार्यवाही चालू नहीं की है और मंत्री महोदय ने कहा कि जो इस बोर्ड के सदस्य नहीं हैं उनके खिलाफ कार्यवाहियां हो रही हैं और वसूली हो रही है, तो इन दोनों में कौनसी बात सही है ? यह बतायें।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं स्थिति साफ करदूं। मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए यह कहा है कि हमने कार्यवाही चालू कर दी है। अब कार्यवाही का मतलब चिट्ठी-पत्री लिखना है तब तो मैं मानता हूं। वह तो लिखी जा रही हैं बोर्ड की तरफ से और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय चिट्ठी लिखने को ही कार्यवाही समझते हैं तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे नागौर के सम्बन्ध में कहा, जैसे बारां के सम्बन्ध में कहा उन संस्थाओं के बारे में कहा है इनमें मोर्टगेज कर लिया है...

श्री अमृतलाल यादव : आपने सुना नहीं है फिर सुना देता हूँ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय आप और कुछ भी कहना चाहते हैं। इनको कह लेने दीजिए।

श्री रामकिशन : तो अध्यक्ष महोदय, दो-तीन संस्थाओं के नाम लिए उनमें तो कार्यवाही की गई है। अभी जो 26 तारीख गयी है उसके बाद में 3 दिन में कुछ हो गया हो तो पता नहीं पर 26 तारीख के पहले नागौर वाली संस्था के लिए हो रहा है 3 लाख रुपया वसूल करना है। वह कमीशन से लिया, वसूली रोक दी जाये और ऋण नहीं देंगे। जो रुपया वसूल करना था उसको वसूली नहीं करके स्टे कर दिया, और कमीशन को लिख दिया है। वह तो एक तरह से ऋण देना हो गया, ऋण रोकना नहीं हुआ। उनकी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज करने का सवाल है। 26 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। संस्था की जो सम्पत्ति है उसके लिए कहा कि मोर्टगेज कर ली...

श्री अमृतलाल यादव : मैंने नागौर के लिए नहीं कहा।

श्री रामकिशन : उसी प्रकार से बारां के सम्बन्ध में आपने कहा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जहां गबन के मामले में पुलिस कार्यवाही की बात कही है। फिर आप चिट्ठी लिख देने को कार्यवाही को ही कार्यवाही मानते हैं। चिट्ठी वाली कार्यवाही तो मैं मानता हूं वर्ना जो प्रभावशाली कदम उठाने चाहिये। और जल्दी से प्रॉपर्टी उस बोर्ड के नाम मोर्टगेज नहीं की तो हो सकता है कि बोर्ड 40-50 लाख रुपये के कर्ज में चला जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये गलती तो कुछ इनकी भी है।

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने अलग अलग संस्थाओं के ऑथेण्टिक स्टेटमेंट दिये हैं। मैंने हाड़ोती संघ, बारां के बारे में बताया कि संस्था की जमीन लगभग 80 हजार की बोर्ड ने अपने कब्जे में करने का फैसला कर लिया है। अब बताइये।

श्री रामकिशन : उदयपुर का भी बताइये।

श्री अमृतलाल यादव : उदयपुर की संस्था की बकाया रकम 63 हजार है। संस्था की जमीन और भवन एक लाख से ऊपर की कीमत का है, उसे कब्जे में लेने का फैसला कर भवन कब्जे में ले लिया है। अब बताइये।

श्री भैरोंसिंह : नागौर का बताइये।

श्री रामकिशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वह हैडमास्टर हों और हम सब विद्यार्थी हों। इसका मतलब क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री।

श्री अमृतलाल यादव : मारवाड़ खादी संघ के बारे में मैंने यह कहा था, जमीन और भवन के कागजात हासिल कर लिये हैं। पाली के बारे में यह कहा है कि वितरित राशि पूरी वसूल की जा चुकी है। समिति को और कोई राशि नहीं दी गई है। कोई सहायता नहीं दी गई है। अब बताइये।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछ सकते हैं यह सुविधा दी जा सकती है। यह वर्मा साहब के सामने पेश करें तो ठीक होगा।

श्री अमृतलाल यादव : नागौर की संस्था को कोई राशि नहीं दी गई है। कोई सहायता नहीं दी गई है। संस्था ने अपनी अचल सम्पत्ति को देकर बेच दिया है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने दो प्रश्न उठाये थे, एक प्रश्न और रह गया है। एक संस्था में मन्त्री महोदय की बकाया लिखी हुई है। वह इस संस्था ने रखी है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने निवेदन किया कि यह क्षेत्र कमीशन के अन्तर्गत है। कमीशन ही कार्यवाही करेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह कार्यवाही आपके खिलाफ हो रही है या बोर्ड के खिलाफ ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1968 पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक स्वीकृत हुआ।

सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बजकर 15 मिनट पर बृहस्पतिवार, दि. 29 अगस्त, 1968 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची)

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 23

सार्वजनिक निर्माण दिनांक 3[illegible]-7-6[illegible] ।

(1) नोहर से फेफाना रोड

(2) सांगरीया से टिब्बी

(3) राजसिंह कूपलीघरसाना

(4) विजय नगर से रायसिंह नगर

(5) अनूपगढ़ से छतरगढ़

गत दस वर्षों में जयपुर जिले में कुल

राजकीय

हायर सैकेन्डरी स्कूल

(1) पावटा
(2) भैंसलाना
(3) गोबिन्दगढ़ मालिकपुर
(4) खेजरोली
(5) बिचून
(6) बनेठी
(7) तूंगा
(8) भांडारेज
(9) मनोहरपुर
(10) बस्सी
(11) जमवारामगढ़
(12) बगरू
(13) सांगानेर
(14) सिकराय
(15) घवली
(16) राडावास
(17) सैंथल
(18) मोतीकटला, जयपुर
(19) आदर्शनगर, जयपुर
(20) सांभरलेक

सैकेन्डरी स्कूल

(1) वाटिका
(2) अचरोल
(3) गोनेडा
(4) चन्दलाई
(5) गणपतिनगर, जयपुर
(6) कालवाड
(7) राधास्वामी बाग, चौमूं
(8) राजनोता
(9) करणसर
(10) छुटावाभोपजी
(11) मसावा
(12) मानपुर
(13) बांसखोह
(14) बडियाल कलां
(15) कुन्डल
(16) दातिल
(17) हस्तेडा
(18) भानपुर कलां
(19) अन्धी
(20) गठवाडी
(21) आमेर

अनुदान

हायर सैकेन्डरी स्कूल

(1) गौड विप्र विद्यालय, जयपुर

(2) महावीर दिगम्बर जैन, जयपुर

(3) आदर्श विद्या मंदिर, आदर्शनगर, जयपुर

(4) श्री लाल बहादुर शास्त्री हायर सैकेन्डरी स्कूल, जयपुर

सैकेन्डरी स्कूल

(1) सिन्धी पंचायत, जयपुर।

विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग,
जयपुर।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 36 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	स्वीकृत ऋण की राशि	ऋण दिया गया	वसूल की गई राशि	ऋण का शेष	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	20,00,000	20,00,000	3,33,333.33	16,66,666.67	60 लाख रुपये का ऋण 56-57 में दिया गया था। अन्तिम किश्त को नये ऋण में परिवर्तित किया गया।
2	मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	12,00,000	12,00,000	5,50,0 0.00	6,50,000.00	
3	मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर	30,00,000	30,00,000	12,50,000.00	17,50,000.00	यह ऋण देवस्थान के मद में से दिया गया।
4	मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कानपुर	30,00,000	30,00,000	24,33,300.00	5,66,700.00	
5	मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कानपुर	50,51,712.32	50,51,712.32	10,10,342.46	40,41,369.86	
6	मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कानपुर	60,00,000.00	59,94,465.75	—	59,94,465.75	5,534.25 रुपये और देने की कार्यवाही चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7
7	मैसर्स जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कानपुर	50,00,000.00	—	—	—	ऋण किस्त स्क्रिप्स के रूप में देना निर्णीत हुआ है । स्क्रिप्स दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।
8	मैसर्स विजयनगर शुगर मिल्स लिमिटेड	3,84,546.58	3,84,546.58	—	3,84,546.58	कम्पनी को ऋण राजस्थान वित्त-निगम ने राज्य सरकार की प्रत्या-वृत्ति पर दिया गया था । कम्पनी के भुगतान न करने पर राज्य सरकार ने इसका चुकारा किया अब कम्पनी की सम्पत्ति कुर्क कर वसूली की जा रही है ।
9	मैसर्स कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन, लिमिटेड	4,50,000.00	2,08,569.60	—	2,08,569.60	पिग आयरन प्रोजेक्ट उदयपुर के लिए कम्पनी की ओर से राज्य सर-कार जमीन ले रही है तथा मुआ-वजा दे रही है । यह कार्य इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है । समस्त मुआवजा कम्पनी को ऋण माना जायेगा ।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 45 की सूची)

कार्यालय नगरपालिका, नीम-का-थाना

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या नं० 2/बी दिनांक 4-3-67

प्रस्ताव नं० 2/बी:– श्री विश्वेशरलाल सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि यदि इस जीप को बेच कर ट्रेक्टर खरीद कर लिया जावे तो अच्छा है यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया ।

सूची उन व्यक्तियों की जिनको नगरपालिका, नीम-का-थाना द्वारा ट्रेक्टर किराये पर दिया गया था।

1.	श्री बालमुकन्द महाजन नीम-का-थाना तारीख 7-6-67 को	70 रु.
	,, ,, ,, ,, 17-6-67 को	90 रु.
	बोर्ड का प्रस्ताव दिनांक 12-6-67 के अनुसार।	
2.	श्री घनश्यामदास फर्म सागरमल घनश्यामदास नीम-का-थाना मंडी को किराया ट्रेक्टर दिनांक 28-6-37 से 1-7-67।	360 रु.
3.	श्री घनश्यामदास सागरमल घनश्यामदास नीमकाथाना को दिनांक 2-7-67 से 5-7-67 यानी 4 रोज।	370 रु. 40 पै.
4.	श्री प्रधानाध्यापक महोदय रा० हा० स्कूल गुढा गोडजी तारीख 6-7-67 से 9-7-67 यानी 4 रोज।	370 रु. 40 पै.
5.	श्री गोपाल रामचन्द्र गऊशाला गुढा को दिनांक 10-7-67 से 13-7-67 यानी 4 रोज।	370 रु. 40 पै.
6.	श्री कजोडमल पुत्र गीलाराम सेनी गुहाला को तारीख 4-8-67 से 5-8-67 यानी 2 रोज।	180 रु.
7.	श्री रिछपाल पुत्र चोखाराम सेनी से किराया तारीख 6-8-67 से 8-8-67 यानी 3 रोज।	270 रु.
8.	श्री नाथूराम जमादार मांवता एक रोज तारीख 9-8-67	90 रु.
9	श्री हरनाथ गूजर पुत्र चन्द्रा गूजर ढहाणी मालावाली भूदोली एक रोज किराया	90 रु.
10.	श्री गुलाराम पुत्र स्योनाथ बासड़ी तारीख 17-8-67	90 रु.
11.	श्री गुलाराम पुत्र स्योनाथ बासड़ी तारीख 11-8-67 व 12-8-67 यानी 2 रोज।	180 रु.
12.	श्री गोपाल पुत्र श्री वस्सीराम पारीक मांवता तारीख 18-8-67 से 20-8-67 यानी 3 रोज।	270 रु.

13.	श्री फूलाराम जाट ढहानी राजवाली नीम-का-थाना एक रोज तारीख 19-9-67।	90 रु.
14.	श्री गोदाराम अहीर ढहानी पूछलावाली नीम-का-थाना तारीख 20-9-67।	90 रु.
15.	श्री बीरबल ड्राइवर 2 रोज तारीख 3-10-67 व 4-10-67	180 रु.
16.	श्री प्रभातीराम जाट नीमकाथाना से 1 रोज का किराया बोर्ड प्रस्ताव अनुसार एक रोज का।	70 रु.

———

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण समय पर न लिए जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

अकलेरा हाई स्कूल के अध्यापक

48. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकलेरा हाई स्कूल में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो अकलेरा के ही निवासी हैं और एक लम्बे समय से यहां कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि यहां के प्रधानाध्यापक एक साम्प्रदायिक व्यक्ति हैं और उन्होंने एक सम्प्रदाय विशेष का ग्रुप बनाया हुआ है जिससे शिक्षण संस्था का वातावरण निरन्तर विषाक्त होता जा रहा है ?

(3) क्या विद्यार्थियों को इस बात के लिए बाध्य किया गया है कि वे ऐच्छिक विषयों में उर्दू को ही लेवें अन्यथा उन्हें फेल कर दिया जायेगा और विद्यार्थियों के इन्कार करने पर भी इन्हें उर्दू विषय दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि इस स्कूल में गुण्डा गर्दी के कारण कई छात्राओं को पढ़ाई छोड़ कर अपने घर पर बैठना पड़ा है ?

(5) क्या इस बाबत डिप्टी डाइरेक्टर उदयपुर से शिक्षा मंत्री से किसी शिष्टमंडल ने शिकायतें कई बार की हैं, किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

(6) क्या पिछले दिनों विवेकानन्द स्मारक कोष के लिए एकत्रित किये जाने वाले कोष के चन्दे का यहां के प्रधानाध्यापक ने खुल कर विरोध किया है और जिन विद्यार्थियों ने कुछ चन्दा दिया था उनका पैसा वापस लौटाने की उन्हें प्रेरणा दी है ?

(स्थगित किया गया)

जल प्रदाय योजना लाडनूं

49. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जल प्रदाय योजना लाडनूं, जिला नागौर की जब राज्य सरकार ने स्वीकृति दी थी तब कितने रुपयों की योजना थी ?

(2) उपरोक्त योजना में कुल कितने रुपये खर्च हुए जिसमें सरकार के कितने और दानदाता के कितने थे ?

(3) दानदाता के साथ में कोई समझौता लिखित रूप में किया हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) दानदाता को उक्त योजना में कितने रुपये सरकार को देना था तथा कब देना था और कितने रुपये कब दिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि दानदाता ने माफिक एग्रीमेंट के अब भी पूरे रुपये सरकार को नहीं दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(6) सरकार को इस योजना में जितना रुपया खर्च करना था वह कर दिया या नहीं ?

(श्री हुक्मीराम बुरड़क)

(7) इस योजना पर सालाना आय और व्यय कितना होता है ? अब तक की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का पूर्ण कार्य इसलिए नहीं हुआ कि दानदाता ने पूरे रुपये जमा नहीं करवाये ? यदि हां, तो अब उक्त कार्य को सरकार किस प्रकार से कब तक पूरा करेगी ?

उत्तर

(1) 7.31 लाख रुपये की ।

(2) इस योजना पर मार्च 68 तक कुल 6.61 लाख रुपये व्यय हुआ है जिसमें से दानदाता के 1.65 लाख रुपये व्यय हुए । और बाकी व्यय सरकार द्वारा किया गया ।

(3) दानदाता के साथ जो समझौता हुआ था उसकी प्रति सलंग्न है ।

(4) समझौते की शर्त के अनुसार दानदाता को कुल 285,000) रुपया देने थे जिसमें 1.85 लाख रुपये से 5 जनवरी सन् 1964 को देने थे व बाकी का 10,0000) रुपया 5 जनवरी 1965 को देना था । इसमें अब तक 1.65 लाख रुपये ही दानदाता ने दिनांक 15–5–64 को जमा कराया है ।

(5) जी हां, कारण ज्ञात नहीं हैं । सरकार दानदातों को रुपये जमा कराने के लिए बराबर नोटिस दे रही है ।

(6) कुल 7.31 लाख रुपया खर्च करने थे उसमें से अभी तक 6.61 लाख रुपये व्यय किये हैं ।

(7) योजना पर सालाना आय और व्यय का खर्चा निम्न प्रकार है ।

वर्ष	आय	व्यय
1965–66	32,55[illegible].00	26,869.00
1966–67	1,1[illegible],868.00	93,267.00

(8) अभी तक दानदाता की ओर से 1.20 लाख रुपया जमा करना है तदापि योजना का कार्य करीब करीब पूर्ण किया जा चुका है और योजना संधारण में है, अभी तक कुछ रुपया चूकता करना बाकी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई ।)

मोहम्मद अली मेमोरियल विद्यालय ब्यावर के अध्यापकों की बकाया का चुकारा

50. श्री फतहसिंह (ब्यावर):–क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को ज्ञात है कि मोहम्मद अली मेमोरियल विद्यालय, ब्यावर के अध्यापकों को उनका वेतन व बकाया महंगाई भत्ता बार बार प्रार्थना करने पर भी नहीं चुकाया गया है जिससे अध्यापकों में व्यापक असंतोष है और शीघ्र भुगतान न करने की स्थिति में उन्होंने भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया है ?

(2) क्या सरकार अध्यापकों को शीघ्र भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

1–केवल चार अध्यापकों को उनके वेतन व मंहगाई भत्ते का चुकारा प्रबन्धक समिति

(श्री शिक्षा मंत्री)
द्वारा नहीं किया गया था जिसके कारण उक्त अध्यापकों ने दिनांक 25-7-68 से 3-8-68 तक हड़ताल की थी।

2. उक्त अध्यापकों और प्रबन्ध समिति के मध्य वेतन व मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में समझौता हो गया है।

अनुसूचित जनजाति विकास खण्डों पर व्यय

51. **श्री रतनलाल रोत (चौरासी):** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(अ) क्या राजस्थान में अनुसूचित जन जाति विकास खण्ड खोले गये है ? यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक खण्ड के लिये अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी कितनी धनराशि केन्द्र से प्राप्त हुई और राजस्थान सरकार ने कितनी कितनी धनराशि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जन जाति विकास खण्ड के लिए स्वीकृत की ?

(आ) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में अनुसूचित जन जाति विकास खण्डों में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

(इ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड राजस्थान के लिए प्रत्येक खण्ड में जो पहले धनराशि दी जाती थी उसी प्रकार अभी भी दी जा रही है या कोई कटौती की है ? यदि कटौती की है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

जी हां।

राजस्थान में खोले गये प्रत्येक आदिवासी विकास खण्ड के लिये क्रमशः केन्द्रीय व राज्यकीय स्वीकृत धनराशि की सूची : अ : सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची अ एवं : ब सदन की मेज पर रख दी गई है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आदिवासी विकास खण्डों के लिये स्वीकृत पहिले दी जाने वाली धनराशि में कमी की गई है। जो सूची : अ : पर है उससे स्पष्ट है।

सूची 'अ'

राजस्थान में खोले गये आदिवासी विकास खंडों के लिये केन्द्रीय अनुदान से स्वीकृत आर्थिक धनराशि की सूची 'अ'

क्रमांक	जिले का नाम	आदिवासी विकास खंड का नाम		वर्ष जिसमें खुला	वर्ष जिसमें धनराशि हस्तान्तरित की गई					विशेष विवरण
					1963–64	1964–65	1965–66	1966–67	1967–68	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	बांसवाडा	कुशलगढ़	प्रथम पंचवर्षीय		1.00	1.00	1.50	1.00	—	
2.	बांसवाडा	मूलिया	योजना में खुला	1962–63	2.00	2.00	3.00	2.00	0.70	
3.	डूंगरपुर	सीमलवाडा प्रथम		1962–63	2.00	2.00	2.00	2.00	0.95	
4.	उदयपुर	वैरवाला प्रथम		1962–63	2.00	2.00	2.00	2.00	0.70	
5.	बांसवाडा	पीपलखूंट		1963–64	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	
6.	डूंगरपुर	सीमलवाडा द्वितीय		1963–64	2.00	2.00	2.00	2.00	2.25	
7.	उदयपुर	खैरवाडा द्वितीय		1963–64	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	
8.	बांसवाडा	सज्जनगढ़		1964–65	—	2.00	2.00	2.00	1.00	
9.	डूंगरपुर	डूंगरपुर प्रथम		1964–65	—	2.00	3.00	2.00	1.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	उदयपुर	कोटढ़ा प्रथम	1964–65	--	2.00	3.00	2.00	1.00	
11.	डूंगरपुर	डूंगरपुर द्वितीय	1965–66	--	--	--	2.00	1.25	
12.	उदयपुर	कोटडा द्वितीय	1965–66	--	--	--	2.00	1.00	
13.	बांसवाडा	तलवाडा	1965–66	--	--	1.00	2.60	1.00	
14.	चित्तौडगढ़	प्रतापगढ	1965–66	--	--	1.00	2.00	1.00	
15.	डूंगरपुर	बिच्छीवाडा प्रथम	1966–67	--	--	--	1.00	1.25	
16.	डूगरपुर	बिच्छीवाडा द्वितीय	1966–67	--	--	--	1.00	1.25	
17.	डूंगरपुर	आसपुर	1966–67	--	--	--	1.00	1.25	
18.	डूंगरपुर	सानवाडा	1966–67	--	--	--	1.00	1.25	
		योग :		13.00	19.00	25.50	31.00	18.10	

सूची 'ब'

राजस्थान में आदिवासी विकास खण्डों के लिए राज्य सरकार के विकास विभाग द्वारा सी. डी. हैड के अन्तर्गत 1962–63 से 1967–68 तक स्वीकृत धनराशि की सूची 'ब'

Year	Kushalgarh	Bhukhiya	Pipalkhunt	Sajjangarh	Banswara	Kotra	Kherwara	Pratabgarh	Simalwara	Dungarpur
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1962–63	135100	—	24000	9000	129100	85100	117700	85100	85100	85100
1963-64	123300	77000	145000	74100	115160	86300	173000	89300	84000	84000
1964-65	99300	101000	100000	119900	149900	97300	101900	95300	118000	118000
1965-66	96450	129850	113950	115600	114850	118200	114350	99480	108000	108000
1966-67	69300	126600	68700	101300	174800	108000	137800	96000	108000	108000
1967-68	81000	95300	101300	78300	124000	83000	87500	71000	89600	97000
Total:	604450	529750	853250	801200	808410	577900	735280	536150	592100	600100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bichiwara	Sagwara	Aspur						
1962-63	85100	85100	85100						
1963-64	84000	86800	90800						
1964-65	115000	1180000	97300						
1965-66	108000	108000	97950						
1966-67	108000	108000	120400						
1967-68	81000	68000	95000						
Total;—	584100	573900	586550						

थानेदारों के पदों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार

52. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

नवम्बर, 1967 में राजस्थान पुलिस विभाग में जो थानेदारों की भर्ती की गई है उसमें विभागीय उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी व गैर विभागीय उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी ? इनमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवार कितने थे व उनमें से कितनों का चयन किया गया है ?

उत्तर

(1) नवम्बर 67 में राजस्थान पुलिस में 55 रिक्त स्थानों के लिये नियमानुसार भर्तियां की गई थीं। प्रतियोगिता परीक्षा में 792 परीक्षार्थी बैठे थे। नियमों के अनुसार विभागीय व गैर विभागीय उम्मीदवारों को समान ही समझा गया था। परीक्षा में 49 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं जन जाति व पिछड़ी जाति के बैठे थे, इनके लिये 6 स्थान सुरक्षित थे किन्तु 7 व्यक्ति चुने गये। इनमें अनुसूचित जाति के 4 व्यक्ति थे। ये सब सिलेक्टेड व्यक्ति ट्रेनिंग के लिये दिनांक 1-2-68 को भेजे जा चुके हैं।

बीकानेर में सार्वजनिक बत्तियां

53. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर नगर परिषद् में पांच वर्षों में बिजली के कितने बल्ब लगाये गये तथा इसमें कुल कितनी धन राशि खर्च हुई ?

(2) शहर में कितने स्थानों पर पब्लिक लाइट्स हैं।

(3) अभी नगर परिषद् ने जो ट्यूब-लाइट लगाई हैं उसमें परिषद् का कितना रुपया किस मद से खर्च किया गया है तथा कितनी ट्यूबलाइट लगी हैं ?

(4) क्या यह सही है कि बल्ब की खरीद के मामले में कोई जांच हुई ? यदि हां, तो जांच किसने की और उसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) वर्ष 63–64 व 64–65 में 4906 बल्ब लगाये गये थे जिनकी कीमत 9812–39 पै. है। वर्ष 64–65 के बाद नई टैरीफ के अन्तर्गत बल्ब विद्युत मण्डल द्वारा बदले जाते हैं। टैरीफ के अनुसार वर्ष 65-66, 66-67 व 67-68 में बल्ब बदलने पर कोई खर्चा नहीं हुआ है।

(2) 1640 बत्तियां लगी हुई हैं।

(3) चालू वर्ष के 67–68 के मुख्य शीर्षक विकास कार्य के मद में से 20 ट्यूब लाइटें लगाई गई हैं। पूर्ण व्यय 6603–80 पैसा, हुआ है।

(4) परिषद् द्वारा निर्मित भ्रष्टाचार निरोधक समिति को जांच सौंपी गई थी। समिति ने जांच कार्य पूरा नहीं किया और परिषद् की अवधि समाप्त हो गई।

नगरपालिकाओं की जल प्रदाय योजनाओं के लिये ऋण

54. मं.) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत) बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1966 में राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं की जल प्रदाय योजनाओं के लिये केन्द्र के जीवन बीमा निगम से दो करोड़ रुपयों का ऋण मांगा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋण की रकम दी जानी मंजूर कर ली गयी थी और साथ में यह शर्त लगा दी गई थी कि आवश्यक औपचारिकता पूरी करके राज्य 31 मार्च, 1967 तक यह राशि प्राप्त कर ले ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार आवश्यक औपचारिकता को पूरा नहीं कर पायी और इसलिये उस कर्ज को मंजूर शुदा राशि खत्म हो गई ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सभा में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में केन्द्र के वित्त मंत्री ने स्पष्ट उत्तर दिया कि समय पर औपचारिकता पूरी नहीं की जाने के कारण यह रकम राज्य सरकार प्राप्त नहीं कर सकी ?

(5) उक्त रकम नहीं मिलने के कारण अनेक नगरपालिकाओं के लाखों व्यक्तियों को पेय जेल से वंचित रहना पड़ा तथा नगरों का विकास रुका उसका उत्तरदायी कौन है ?

(6) समय पर औपचारिकता पूरी क्यों नहीं की जा सकी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) जी हां, यह सही है।

(3) जी नहीं, मगर कुछ संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्रसंविदा समय पर तैयार न कर भेजने के कारण ऋण प्राप्त नहीं किया जा सका।

(4) जी हां।

(5) इसके लिए स्वयं नगरपालिकायें उत्तरदायी हैं।

(6) ऋण प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा एक ऋण प्रसंविदा हस्ताक्षर कर चाहा था यह ऋण प्रसंविदा नगरपालिकाओं द्वारा नहीं भर कर दिया है अतः औपचारिकता पूरी नहीं की जा सकी।

अलवर जिले की मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत

55. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत किस किस स्थान पर कितने कितने समय से कार्य कर रही हैं ?

(2) अन्य स्थानों पर एक्सट्रा मजिस्ट्रेट के स्थान पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां कब तक किये जाने का प्रोग्राम है ?

(3) क्या बहरोड़ सब-डिविजन में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति शीघ्र की जाने वाली है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में मुन्सिफ व मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की 6 अदालतें हैं जो 1 जुलाई,

(श्री विधि मंत्री)
सन् 1950 से निम्न स्थानों पर कार्य कर रही है:—

1. मुन्सिफ, अलवर
2. मुन्सिफ, बहरोड
3. मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, किशनगढ़
4. मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ
5. मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, राजगढ।
6. मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थानागाजी।

इन अदालतों के अलावा अलवर में एक अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट भी सन् 1964 से कार्य करते हैं।

(2) यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(3) बहरोड में पहिले से ही मुन्सिफ कोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार बहरोड सब-डिवीजन है और वहां मौजूदा में मुन्सिफ नियुक्त है।

गांधी छात्रावास, परबतसर

59. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी छात्रावास, परबतसर के सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर अभी कौन व्यक्ति कितने अर्से से नियुक्त है ?

(2) क्या इस छात्रावास का गत तीन वर्षों का ऑडिट हो चुका है ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों से चालीस चालीस रुपये लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या इस छात्रावास में विद्यार्थियों को गद्दे, रजाई व कपड़े दिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) वर्ष 1967-68 में इस छात्रावास की जनरल बॉडी और स्टेन्डिंग कमेटी की बैठकें कब कब बुलाई गई ? और क्या इन बैठकों में सम्बन्धित विधान सभा सदस्य को बुलाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) इस छात्रावास में कितने लड़के किस किस जाति के हैं ? सुपरिन्टेन्डेन्ट के रिश्तेदार कितने हैं और उनके कितने पुत्र इस छात्रावास में है ?

उत्तर

(1) श्री नन्दाराम वाले इस छात्रावास में सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर सन् 1962 से कार्य कर रहे हैं तथा अभी भी वे ही इस पद पर कार्य कर रहे हैं।

(2) इस छात्रावास का गत तीन वर्षों सन् 1965-66, 1966-67 एवं 1967-68 को ऑडिट हो चुका है। यह ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां क्रमश: सूची अ, ब, स सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। संस्था की वह रकम छात्रों को वापस लौटाने के लिये कहा गया है।

(4) जी हां, दिये जाते हैं।

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 40 में से बिस्तर 9 छात्रों को पूरे नहीं दिये गये गत वर्ष छात्रों को निर्धारित स्केल के अनुसार पूरे कपड़े नहीं दिये गये। इस वर्ष संस्था ने कपड़े शीघ्र दिलाने का आश्वासन दिया है। नियमानुसार जो वस्तुएं नहीं दी गई उसकी रकम इस वर्ष संस्था को दिये जाने वाले अनुदान से काट ली जावेगी।

(5) छात्रावास व्यवस्थापक ने बताया कि वर्ष 1967-68 में छात्रावास के कार्यकारिणी की बैठक केवल एक दिनांक 23-6-1967 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में सम्बन्धित विधान सभा के सदस्य को नहीं बुलाया गया था। कारण कि पहिले ऐसा नियम लागू नहीं था।

(6) इस छात्रावास में कुल 40 छात्र हैं। जिनमें से मेघवाल 33, नायक 4, रेगर 2, नट 1 व्यवस्थापक का न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई पुत्र छात्रावास में है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

जैतारण तहसील में चोरियां

57. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील में चालू वर्ष में जो चोरियां हुई उसका एक का भी पता नहीं लग पाया है?

(2) यह चोरियां कहां कहां कितने-कितने माल की हुई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन चोरियों का पता लगाने हेतु पुलिस की तरफ से क्या क्या प्रयत्न किये गये और प्रयत्न सफल नहीं होने के क्या कारण हैं?

(4) इन चोरियों का पता लगने की कब तक उम्मीद है?

उत्तर

1. यह सत्य नहीं है। तहसील जैतारण में सन् 1968 में 25 नकबजनी, 8 मवेशी की चोरी एवं 23 साधारण चोरियां यानी कुल 56 अपराध इस प्रकार के हुये हैं। जिनमें से 13 का पता चला कर चालान न्यायालय में किया गया है।

2. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. पुलिस ने इन अपराधों के पता लगाने हेतु तफतीश की। दौराने तफतीश बदमाशान से पूछताछ की गई। मुखबिरान लगाये गये जिसके फलस्वरूप 13 उपरोक्त अपराध कामयाब हुए। प्रत्येक केस में असफलता न मिल सकने के कारण पृथक पृथक होते हैं अतः सामान्य तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

4. सभी केसेज में पुलिस द्वारा माल व मुलजिमान का पता लगाने के लिए मेहनत से तफतीश की गई है। जिसके फलस्वरूप 13 केसेज में चालान किये जा सके हैं 11 झूठे पाये गये हैं, 18 अदम पता रहे हैं व 3

Page No. 145

(श्री समाज कल्याण मंत्री)

अदम सबूत पाये गये। 11 केसेज जो जेर तफतीश हैं उनमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। इन केसेज में सफलता कब तक मिल सकेगी यह नहीं कहा जा सकता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

गौरादेवी राजकीय गर्ल्स डिग्री कालेज अलवर का भवन

58. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि गौरादेवी राजकीय गर्ल्स डिग्री कालेज, अलवर में दानदाता श्री मुरारीलाल रोशनलाल आदि परतापुर वालों की ओर से निर्माण कार्य का जो वचन दिया गया था, वह पूरा किया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की ओर से भी इस कालिज भवन के निर्माण कार्य में कुछ भाग पूरा करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार को क्या क्या निर्माण कार्य करना था ?

(3) क्या यह सही है कि इस गर्ल्स कालिज में राज्य सरकार की ओर से कोई भी निर्माण कार्य अभी तक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कालिज के उद्घाटन के समय तथा अन्य अवसरों पर कालिज के अधिकारियों द्वारा एवं जन प्रतिनिधियों तथा छात्राओं द्वारा कालिज के होस्टल की आवश्यकता को बहुत महसूस किया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि कालिज के उद्घाटन के समय दानदाताओं ने मुख्य मन्त्री को अनौपचारिक बातचीत में यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही सरकार निर्माण सम्बन्धी अपने आश्वासनों को पूरा कर देगी वे होस्टल निर्माण कार्य शुरू कर देंगे ?

(6) क्या सरकार इस ओफर को दृष्टिगत रखते हुए कालिज में कमिटेड निर्माण कार्य को तुरन्त चालू कराने का आदेश देगी ?

(7) क्या सरकार ने कालिज के लिये होस्टल और खेलों के मैदान के लिये कोई जमीन अलाट की है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या सरकार को मालूम है कि कालिज के पूर्व की ओर जो कृषि भूमि पड़ी है उसको नगर सुधार बोर्ड ने अवाप्त कराने के लिये कार्यवाही की हुई है ?

(9) क्या सरकार उक्त भूमि में से पर्याप्त भूमि कालिज होस्टल और खेलों के मैदान के लिये अलॉट कराने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां। राज्य सरकार की ओर से लाइब्रेरी और रीडिंग रूम ब्लाक तथा दो लेक्चर थियेटर निर्माण कराने हैं।

(श्री शिक्षा मंत्री)

3. जी हां। छात्राओं की संख्या को देखते हुए लेक्चर थियेटर इत्यादि की फिलहाल आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

4. जी हां।

5. जी हां।

6. छात्राओं की संख्या पर्याप्त होने पर एवं अर्थ के साधन उपलब्ध होने पर राज्य सरकार निर्माण कार्य की व्यवस्था कर देगी।

7. इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

8. जी हां।

9. कार्यवाही जारी है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्र. सं. 42 की सूची)

Copy of Rule No. 38 Section III (x) of the Rajasthan Jail Manual Page 189.

33. Unlocking of Barracks—The Barracks and Cells shall ordinarily be unlocked at down throughout the year, and as soon as it is possible to see the movements of the prisoners barracks. But the Medical Officers is allowed discretion in delaying the opening of the barracks in the cold weather for all prisoners infirm and special gangs.

Copy of Rule No. 72 (6) Section III Parts (x) of the Rajasthan Jail Manual Page 196.

72 (6) :—Lockup of prisoners shall be over before sunset.

LIST OF JAILS AND SUB-JAILS IN RAJASTHAN

Central and District Jails

1. Central Jail, Jaipur
2. Central Jail. Jodhpur
3. District Jail, Bikaner 'A' Class
4. District Jail, Kotah 'A' „
5. District Jail, Udaipur 'A' „
6. Model Jail, Ajmer (B) Class Distt. Jail.
7. District Jail, Alwar 'B' Class
8. District Jail, Ganaganagar 'B' Class.

Reformatories

1. State Reformatory for Females..... Jaipur.
2. Juvenile Reformatory...... Udaipur..

SPECIAL CLASS SUB-JAILS

1. Spl. S.J., Bharatpur
2. Spl. S.J., Bhilwara

SUB-JAILS.

Ist Class Sub-Jails.	*IInd Class. S.J.*	*IIIrd Class S.J.*
1. Jhunjhunu	1. Dausa	1. Bandikui
2. Jhalawar	2. Sambhar	2. Beharor
3. Sirohi	3. Bali	3. Kotputali
4. Dholpur	4. Sawai Madhopur	4. Khetri
5. Pratapgarh	5. Dungarpur	5. Malpura
6. Gangapur City	6. Hindaun	6. Fatehpur
7. Sikar	7. Nagaur	7. Bayana
8. Nim-ka-thana	8. Parabatsar	8. Karauli

9. Churu
10. Pali
11. Deeg.
12. Jalore
13. Baran
14. Barmer
15. Banswara
16. Tonk

9. Merta
10. Bhinmal
11. Balotra
12. Sojat
13. Jaitaran
14. Aklera
15. Chhabara
16. Bundi
17. Sadulpur
18. Raisinghnagar
19. Hanumangarh
20. Aburoad
21. Kushalgarh
22. Chittorgarh
23. Nimbahera

9. Phalodi
10. Didwana
11. Sanchore
12. Jaisalmer
13. Ramganj Mandi
14. Nainwan
15. Ratangarh
16. Nohar
17. Karanpura
18. Bhim
19. Kanare
20. Kotra
21. Mavli
22. Rajsamand
23. Vallbhanagar
24. Gangapur (B.L.)
25. Shahpura (B.L.)
26. Gulabpura
27. Mandalgarh
28. Chhotisadri
29. Begun
30. Kapasin
31. Pokaran
32. Bhawani Mandi
33. Salumber
34. Jahajpur
35. Bhadra

OPEN CAMPS

1. Open Air Arg. Trg. Farm, Durgapura (Jaipur)
2. ,, ,, ,, ,, ,, , Mandore (Jodhpur)
3. ,, ,, ,, ,, ,, , Suratgarh (Ganganagar)
4. Shri Sampurna Nand Shivil, Sanganer (Jaipur)

NKS/12-5-68

Central Jail........2
District Jails, A Class......3
Model Jail................1
District Jails 'B' Class......2
Reformatories............2
Sub-Jail including Spl....77

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्र. सं. 53 की सूची)

आयोग कमीशन के सहयोग से चलने वाले कार्यों का विवरण

क्रम स.	महाविद्यालय का नाम	कुल अनुमानित राशि	कुल व्यय (वि. वि. अनुदान सहित) 1965-66	66-67	67-68	राज्य सरकार द्वारा व्यय	वि. वि. आयोग द्वारा अनुदान	कुल व्यय
1.	राज. महाविद्यालय, भीलवाडा का पुस्तकालय भवन	1,70,300	19,124	1,03,842	35,000	66,366	91,600	1,57,966
2.	राज. महाविद्यालय, अलवर का पुस्तकालय भवन	1,14,000	6,113	—	—	6,113	—	6,113
3.	राज. महाविद्यालय, भरतपुर पुस्तकालय भवन	1,49,500	—	—	10,000	10,000	—	10,000
4.	राज. महाविद्यालय, ब्यावर स्टाफ क्वार्टर्स	2,32,000	16,19	96,526	1,00,000	1,49,073	49,072	1,98,145
5.	डवलपमेंट आफ पोस्ट-ग्रेज्यूएट कक्षा राज. महाविद्यालय, अजमेर	3,00,000	2,82,206	—	—	97,206	1,85,000	2,82,206
6.	कन्सट्रक्शन आफ नॉन-रेजिडेन्शियल सेन्टर, राज. महाविद्यालय, अजमेर	55,000	—	—	55,000	20,000	35,000	55,000
7.	बांगड महाविद्यालय, डीडवाना पुस्तकालय भवन	1,49,500	—	—	—	—	—	—

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्र. सं. 61 की सूची

सूची वकील जिन्हें नगरपालिका द्वारा मुकदमों में नियुक्त किया है

(1) श्री द्वारकाप्रसाद कक्कड़, एडवोकेट, झुंझुनूं अनुमान मुकदमा नगरपालिका नीमकाथाना बनाम गोरीसहाय महाजन, नीमकाथाना अपील एडीशनल जज, झुंझुनूं कर रखी थी जो यह केस झुंझुनूं से ट्रांसफर होकर सीकर कोर्ट में जुलाई 1965 से आ गया है जिसमें इसी केस में सीकर श्री मदनलालजी सोनी एडवोकेट को किया गया है ।

(2) श्री गोकुल प्रसाद एडवोकेट, झुंझुनूं अनुमान मुकदमा नगरपालिका नीमका थाना बनाम गोविन्द देव जोशी नीम-का-थाना अपील एडीशनल जज झुंझुनूं कर रखी थी किन्तु यह केस जुलाई 68 से एडीशनल जज सीकर कायम होने से झुंझुनूं से सीकर कायम होने से झुंझुनूं से सीकर आ गया और यहां इसी केस में श्री मनदलाल जी सोनी एडवोकेट सीकर को मुकरर किया है ।

(3) मदनलाल सोनी एडवोकेट सीकर को अनुमान मुकदमा श्री बिहारीलाल महाजन नीम का थाना बनाम नगर पालिका, नीम का थाना अपील जिलाधीश महोदय सीकर के यहां पर कर रखी है इस केस में कर रखा है ।

(4) श्री श्यामासुन्दरजी भार्गव, एडवोकेट, सीकर को अनुमान मुकदमा नगरपालिका, नीम का थाना बनाम रूड़मल मालीराम महाजन नीम का थाना अपील जो कि एडीशनल जज झुंझुनूं चल रही थी । सीकर कोर्ट में आने की सूरत में इस केस में वकील कर रखा है ।

(5) श्री मदनलालजी सोनी, एडवोकेट सीकर को अनुमान मुकदमा अपील श्री गुलाबचन्द सोनी छावनी, नीमकाथाना बनाम नगरपालिका, नीम का थाना जिलाधीश महोदय सीकर के यहां कर रखी है । इस केस में कर रखा है ।

नोट:-प्रत्येक को 110) रु. प्रति मुकदमें के हिसाब से महनताना दिया गया है ।

Page No. 151

क्र. सं.	खसरा नं.	खरीददार का नाम	भूमि की स्थिति	भूमि का क्षेत्रफल	बेचान की प्रणाली	भूमि की किस्म	उजरदारी नोटिस जारी किया गया या नहीं यदि हां, तो उजरदारी जारी करने की तारीख	अन्तिम मियाद	उजरदारी पेश हुई या नहीं यदि पेश हुई, तो नाम उजरदार	उजरदारी की तिथि	निर्णय	नजूल कमेटी द्वारा भूमि की निर्धारित दर	भूमि की दर जिस पर बेची गई	कीमत जो वसूल की गई	क्या कोई सरकार अपने कार्य के लिए रिजर्व कर रखी है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	20/67-68	श्री बजरंगलाल कुम्भावत	वार्ड न. 1	66 वर्गगज	निर्धारित दर	अस्टिपजाऊ लैन्ड	17-6-67	20-7-67	--	--	25-7-67	3-00 प्र0 वर्ग	3-50 प्र0वग	239-00	—
2	15/67-68	श्रीमती सरजू देवी बागड	वार्ड न. 7	130½ ,,	,,	,,	8-6-67	10-7-67	--	--	3-8-67	2-00 पवग	4-00 पवग	552-00	—
3	13/67-68	श्री दाऊलाल उपाध्याय	वार्ड न. 7	99 वर्गगज	,,	,,	,,	,,	—	--	,,	,,	,,	396-00	—
4	16/67-68	(अ) रामलाल लुहार	वार्ड न. 7	69 वर्गगज	,,	खालसा भूमि पुरानी कब्जा सुदा। स्टिप आफ लैन्ड	,,	,,	--	--	,,	,,	,,	276-00	राशि जमा नहीं कराई
		(ब) सुखदेव व्यास	वार्ड न. 7	21 ,,	,,		,,	,,	--	--	,,	,,	,,	1164-00	—
5	18/67-68	श्री रामेश्वर सिकलीगर	वार्ड न. 9	2½ ,,	,,	,,	12-6-67	13-7-67	--	--	29-10-67	3-00	5-00	112-50	--
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 9	39 ,,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	30/67-68	श्री रामेश्वर प्रसाद वैद	वार्ड न. 7	414¾ ,,	नीलामी द्वारा	,,					23-8-67	5-00		2746-00	—
8	प्लाट न. 1	श्री मगनीराम	वार्ड न0 7	37½ ,	,,	खुली खालसा भूमि	15-11-67				22-11-67	5-00		900-00	—
9	,, ,, 2	श्री छोगाराम	,,	,, ,,	,,	,,	,,				22-11-67	5-00		1350-00	—
10	,, ,, 3	श्री अजीमखां	,,	,, ,,	,,	,,	,,	तहसील भवन एवं मुसिफ कोर्ट के समीप होने के कारण जिलाधीश, नागौर द्वारा बेचान स्वीकृत नहीं किया गया जिसे राज्य सरकार ने सम्पुष्टि प्रदान करदी है।			,,	5-00		1200-00	--
11	,, ,, 4	श्री अजीमखां	,,	,, ,,	,,	,,	,,				,,	5-00		1300-00	--
12	,, ,, 5	श्री विजयसिंह	,,	,, ,,	,,	,,	,,				,,	5-00		1325-00	—
13	,, ,, 6	श्री रजाकखां	,,	(,	,,	,,	,,				,,	5-00		1300-00	--
14	,, ,, 7	श्री जानमोहम्मद	,,	,, ,,	,,	,,	,,				,,	5-00		1300-00	—
15	,, ,, 8	श्री कायम खां	,,	,, ,,	,,	,,	,,				,,	5-00		1300-00	—
16	35/67-68	श्री तुलसीराम माली	वार्ड न. 3	30 ,,	निर्धारित दर	स्ट्रीप आफ लैन्ड	29-10-67			29-11-67	29-11-67	2-00	3-00	90-00	—
17	31/67-68	श्री मुरलीधर डाकोत	वार्ड न. 7	3½	,,	,,		भूमि की दर मुजर नहीं कर कीमत जमा नहीं कराई सेलडीड लेने से इन्कार है।			29-10-67	3-00	5-00	67-50	--
18	36/67-68	श्री गंगासहाय वैद	10	643/8	,,	,,					1-12-67	5-00	10-00	643-75	—
19	20/65-61	श्री आब्दीखां	11	—	खुली खालसा		जिलाधीश महोदय ने आर. एल. डब्लू 1965 पृष्ठ 394-395 के हवाले से निरस्त कर दिया।					2-00			
20	105/64-65	श्री शमसू पुत्र ईदू	6	—	,,							2-00			

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 28 अगस्त, 1968)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	शीर्ष	दूसरा दिवस [संख्या 2	तीसरा दिवस [संख्या 3
1	अन्तिम से 10	नग पालिका	नगर पालिका
2	,, 13	प्रदशन	प्रदर्शन
3	4	छीमान	छीपान
,,	6	हा	ही
,,	अन्तिम से 15	तेन	तीन
,,	,, 12	श्रा	श्री
4	14	श्री मुल्कराज थिस्द	श्री मुल्कराज थिंद
5	16	ागर पालिका	नगरपालिका
6	1	श्री अध्.ाक्ष	श्री अध्यक्ष
7	अन्तिम से 16	26-8-8	26-8-68
9	8	श्रीमती लक्ष्मीकुमार चुण्डवत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
,,	13	श्र मती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
10	14	जोनकारी	जानकारी
12	अन्तिम से 11	उसक	उसको
15	अन्तिम	ा माले गये	निकाले गये
17	अन्तिम से 6	श्री भगवानदास शास्त्र	श्री भगवानदास शास्त्री
18	,, 6	शेहत	सेहत
19	,, 7	उप मत्री स्वात्त शासन	उप मंत्री स्वायत्त शासन
20	,, 6	श्र विजयसिंह	श्री विजयसिंह
,,	,, 5	रिपोट	रिपोर्ट
,,	,, 4	श्रा मुल्कराज थिन्द	श्री मुल्कराज थिन्द
21	,, 5	क	कि
23	7	ात	गत
23	अन्तिम से 14	राव श्री ध रसिंह	राव श्री धीरसिंह
,,	,, 6	प्रश	प्रश्न
25	4	श्र दुर्गालाल बाढ़दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
,,	8	इलीमेन्टरी	एलीमेन्ट्री

1	2	3	4
26	8	मका ।	मकान
"	10	का	को
"	16	श्री दौलत रा सारए	श्री दौलतराम सारए
"	18	श्री दुगलाल बाढ़दार	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
28	2	श्र ी रोंाह	श्री भैरोंसिंह
"	4	श्र भीमसेन	श्री भीमसेन
"	5	राजव श्री रूपसिंह	राजवी श्री रूपसिंह
"	9	उद्योग मंत्र	उद्योग मंत्री
"	13	श्र ग्रध्यक्ष	श्री ग्रध्यक्ष
29	4	श्र मूलचन्द डागा	श्री मूलचन्द डागा
"	18	श्री हरिदेव जेशी	श्री हरिदेव जोशी
"	ग्रन्तिम से 12	चेज	बीज
"	" 7	गरन्टियां	गारन्टियां
31	11	।ी हरिदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
32	ग्रन्तिम से 15	श्री हरिदेव जोश	श्री हरिदेव जोशी
"	" 8, 6 व 4	श्र	श्री
33	2	श्री भैरों सि	श्री भैरोंसिंह
"	12	श्री हरिदेव जो ि	श्री हरिदेव जोशी
"	14	श्री भैरोंसंह	श्री भैरोंसिंह
"	16	श्री हरि व जोशी	श्रीहरिदेव जोशी
"	ग्रन्तिम से 3	ग्रार्डर	ग्रार्डर
34	16	गवर्गमेन्ट	गवर्नमेन्ट
"	20	द्वरा	द्वारा
34	ग्रन्तिम से 15	रिजव	रिजवें
"	" 14	उ का	उनका
"	" 10	दन	देने
"	" 2	पानल	पीनल
36	10	श्र हरिदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
39	2	श्री दिग्विजय संह	श्री दिग्विजयसिंह
"	19	से	के
40	4	शीध्र	शीघ्र
"	10	उप मन्जी(श्री प्रद्युम्नसिंह)	उप मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह

3

1	2		3	4
,,	अन्तिम से	10	श्री जयनारायण लोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
,,	,,	3	का जा	को जो
,,	अन्तिम		श्री श्रत्रणल	श्री श्रवणलाल
41	1		के	की
47	3		श्री बृजवल्लभ बो रा (दीगोज)	श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद)
,,	अन्तिम से	8	हौगा	होगा
48	,,	7	न्तर्गत	अन्तर्गत
49	,,	11	जनको	जिनको
50	9	8	8 साल	58 साल
,,	अन्तिम से	5	टेन्दर	टेन्डर
51	,,	2	ढोने के आदि	ढोने आदि
52	,,	3	सवीकृति	स्वीकृति
53	16		श्री जयना ाण सालोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
66	13		जुआइल	जुवेनाइल
67	8		निम्न निम्न	निम्न
69	12		डकैतियों	डकैतों
86	अन्तिम से	13	श्री जयनाराण सालोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
,,	,,	9	चिला	जिला
92	9		बलट	बेलट
96	अन्तिम से	12	ासन	आसन
100	1		भेनभाव	भेदभाव
116	3 व 8		अक्षुण्य	अक्षुण
117	शीर्ष		(श्री रामान्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
122	1		पोसपोन	पोस्टपोन
125	अन्तिम से	13	ट्रेस्पार्सल	ट्रेसपासर्स
127	15		लगते	लगाते
,,	23		ही	हो
137	17		महूदय	महोदय
145	11		कार्टवहियां	कार्यवाहियां

4

1	2	3	4
,,	13	दोहाई	दुहाई
147	14	ग्राखों	ग्रांखों
,,	ग्रन्तिम से 4	महादय	महोदय
148	18	दोहाई	दुहाई
,,	22	ें	में
,,	25	माग	मांग
150	17	ि रोध	विरोध
,,	ग्रन्तिम से 3	क	की
153	5	श्र नत्थीसंह	श्री नत्थीसिंह
154	18	स्वेच्छ	स्वेच्छा
,,	ग्रन्तिम से 4	माध्य	माध्यम
155	,, 6	बात म	बात में
,,	,, 3	साबित हगी	साबित होंगी
157	ग्रन्तिम से 11	खरद	खरीद
158	,, 4	प्रमाद	प्रसाद
159	शीर्ष	(ी मदनसिंह दाता)	(श्री मदनसिंह दांता)
,,	11	श्री रा ानन्द ग्रग्रवाल	श्री रामानन्द ग्रग्रवाल
,,	12	श्री गोवल प्रसाद जो के ाद	श्री गोकुलप्रसादजी के बाद
,,	14	श्रा गा ल प्रसाद	श्री गोकुल प्रसाद
,,	ग्रन्तिम से 2	श्री जयनारा ण सालोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
160	11	वश्वास	विश्वास
164	6	बगल लेकर	बगल में लेकर
165	ग्रन्तिम से 5	लुहलुहासन	लहूलुहान
171	2	भो	भी
172	4	क्या रामचन्द्र कोई	रामचन्द्र कोई
,,	ग्रन्तिम से 12	श्री दामोदर लल्ल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
176	9	श्री कृष्ण कुमार गयल	श्री कृष्ण कुमार गोयल
177	ग्रन्तिम	वह कि पुलिस को नहीं	कि वह पुलिस को यहां नहीं
186	ग्रन्तिम से 3	वही गर्मन	वहिगर्मन
187	,,	स्वयं	ने स्वयं
192	18	उनक	उनके
198	7	यवस्था	व्यवस्था
200	5	सकता	सकती

5

1	2	3	4
204	13	खिलवाड़ा	खिलवाड़
,,	अन्तिम से 7	श्री देवदत्त गाडिया	श्री देवीदत्त गाड़िया
205	,,	प	रूप
210	2	की	को
217	अन्तिम से 5	िया	किया
,,	,, 2	च ला	चपला
,,	,,	चच	चर्चा
218	अन्तिम	रजिस	रजिस्टर
218	,, से 16	तो ऐसा	ऐसा
222	14	देने बजाय	देने के बजाय
226	अन्तिम से 8	दुर्गति	दुर्गति.
227	,, 17	एग्रो	एग्रो
245	,, 11	निराय	निर्णय
246	,, 6	भ	भी
247	,, 11	नियुक्त	नियुक्त.
264	,, 2	सानवाड़ा	सागवाड़ा
274	,, 10	Arg	Agr
,,	,, 7	Shivil	Shivir
277	9	धहिट पआऊ	हिटपजाऊ
,,	10	प्र. वग	प्र. वर्ग
,,	12	पवग	प्र. व. ग.